दशम माला, खंड 13, अंक 9

सोमवार, 20 जुलाई, 1992

29 आषाढ़, 1914 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

चौथा सत्र

(दसवीं लोक सभा)

PARLIAMENT L... A...
No. 64
Date 26/4/...

(खंड 13 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य: चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।]

लोक सभा वाद विवाद

का

हिन्दी संस्करण

सोमवार, 20 जुलाई, 1992 / 29 आषाढ़, 1914 (शक)

का

शुद्धि - पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	शुद्धि
50	19	"मणिलराव" के स्थान पर "माणिकराव" पढ़िये।
51	15	"शाहबुद्दीन" के स्थान पर "शाहाबुद्दीन" पढ़िये।
128	21	"संसाधान" के स्थान पर "संसाधन" पढ़िये।
128	28	"शाहबुद्दीन" के स्थान पर "शाहाबुद्दीन" पढ़िये।
149	23	"माडेगोडा" के स्थान पर "मोड गौडा" पढ़िये।
171	18	"तंकाबालू" के स्थान पर "तंग्काबालू" पढ़िये।
195	5	"केनदर" के स्थान पर "केन्द्र" पढ़िये।
219	15	"(यूएस•एआर)" के स्थान पर "यू• एस• ए• आर•"

विषय सूची

दशम माला, खंड 13, चौथा सत्र, 1992/1914 (शक)

अंक 9, सोमवार, 20 जुलाई, 1992/29 आषाढ़, 1914 (शक)

विषय	पृष्ठ
राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद के मामले के बारे में	1—24
प्रश्नों के लिखित उत्तर:	
तारांकित प्रश्न संख्या 163 से 182	25—45
अतारांकित प्रश्न संख्या: 1666 से 1720, 1722 से 1812 और 1814 से 1896	45—217
सभा पटल पर रखे गए पत्र	218-219
नियम 377 के अधीन मामले	219—223
(एक) यू०एस०ए०आर० में नया गैस टर्मिनल स्थापित करने की आवश्यकता — श्री अंकुशराव टोपे	219
(दो) यह सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता कि केरल से रेलवे भर्ती बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय का स्थानान्तरण न किया जाए — श्री ए० चार्ल्स	220
(तीन) मांडला जिले में सूखा राहत के लिए मध्य प्रदेश सरकार को और अधिक धनराशि प्रदान किए जाने की आवश्यकता — श्री मोहनलाल झिकराम	220
(चार) अनिवार्य दवाओं की कीमतें नियंत्रित किए जाने की आवश्यकता — श्री मदन लाल खुराना	220
(पांच) यह सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता कि कर्नाटक में होस्पेट स्थित विजयनगर इस्पात संयंत्र बंद न किया जाए — श्रीमती बासवा राजेश्वरी	221
मंत्री द्वारा वक्तव्य	
राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद का मामला	221-222
श्री एस०बी० चव्हाण	221
विदेशी व्यापार (विकास और विनियमन) अध्यादेश का निरनुमोदन करने सम्बन्धी सांविधिक संकल्प और विदेशी व्यापार (विकास और विनियमन) विधेयक	223—257
विचार करने के लिए प्रस्ताव	223
डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय	223

विषय	पृष्ठ
श्री सलमान खुर्शीद	227
श्री सुधीर सावन्त	229
श्री गिरधारी लाल भार्गव	232
श्री शरद दिघे	233
डा० राजागोपालन श्रीधरण	234
श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही	236
प्रो० प्रेम धूमल	239
श्री श्रवण कुमार पटेल	241
डा० विश्वानाथम कैनिथी	242
श्री एस०बी० सिदनाल	243
श्री ए० चार्ल्स	245
श्री ओस्कार फर्नान्डीज	248
विदेशी व्यापार (विकास और विनियमन) अध्यादेश का निरनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प—वापस लिया गया	252
डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय	252
विदेशी व्यापार (विकास और विनियमन) विधेयक	
खण्डवार विचार	
पारित करने के लिए प्रस्ताव	
श्री सलमान खुर्शीद	252
श्री दाऊ दयाल जोशी	256
भोपाल गैस विभीषिका (दावा कार्यवाही) संशोधन विधेयक	257—268
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
डा० चिन्ता मोहन	257
श्री सुशील चन्द्र वर्मा	258
श्री दिग्विजय सिंह	265

लोक सभा

सोमवार, 20 जुलाई, 1992/29 आषाढ़, 1914 (शक)

लोक सभा 11 बजे म॰ पू॰ पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

[अनुवाद]

रामजन्म भूमि-बाबरी मस्जिद के बारे में

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री रामविलास पासवान (रोसेड़ा): अध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए... एन॰आई॰सी॰ में रिजोल्यूशन एडाप्ट नहीं हुआ। प्रधान मंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। मैंने नियम 388 के तहत आपको नोटिस दिया हुआ है। (व्यवधान)

श्री निर्मलकांति चटर्जी (दमदम): प्रधान मंत्री को सरकार में बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली): अध्यक्ष महोदय, केरल और नासिक में जिस तरह से हमले हुए हैं, जिस तरह से मंदिरों के ऊपर हमले शुरू हुए हैं, उससे देश के अन्दर माहौल खराब करने की कोशिश की जारी है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री दिग्विजय सिंह (राजगढ़): महोदय, दुख की बात है कि कोई समाधान करने के लिए प्रधान मंत्री जी की सहायता करने के बजाय जनता दल, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी उनसे इस्तीफा देने के लिए कह रहे हैं। सभी धर्म निरपेक्ष ताकतों को प्रधान मंत्री के हाथ मजबूत करने चाहिए। देश में आज सभी धर्म निरपेक्ष ताकतों को एक हो जाने और इस मुद्दे के समाधान के लिए प्रधान मंत्री जी की सहायता करने की आवश्यकता है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना: ये यूपी के अन्दर दंगा नहीं करवा सके हैं। अब ये केरल में दंगा करवा रहे हैं। केरल और नासिक के अन्दर जो दंगे हुए हैं, उसकी हाउस के अन्दर बहस होनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री रामविलास पासवान: उत्तर प्रदेश में ला-एंड-आर्डर ब्रेकडाउन हो गया है कान्स्टीचूशन ब्रेकडाउन हो गया है। प्रधान मंत्री को कुर्सी पर रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। प्रधान मंत्री जी इस्तीफा दें। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री वसुदेव आचार्य (बांकुरा): यदि निर्माण कार्य रोका नहीं जाता है तो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी ने अयोध्या कूच करने का निर्णय लिया है।

श्री रामविलास पासवान: राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक में कोई फैसला नहीं लिया जा सका। हम बैठक में लिए गए निर्णय के बारे में जानना चाहेंगे। प्रधान मंत्री को सदन में आना चाहिए और उस बैठक में लिए गए निर्णय की जानकारी देनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री वसुदेव आचार्य: मुझे मालूम नहीं है कि सरकार असहाय क्यों है। सरकार ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की, सरकार उस भूमि का अधिग्रहण क्यों नहीं कर सकती है? केंद्र सरकार उस भूमि को अधिग्रहीत कर सकती है। ....(व्यवधान) केरल में सम्प्रदायिक दंगे हुए। पूरे देश में विस्फोटक स्थिति बनी हुई है। (व्यवधान) राष्ट्रीय एकता परिषद इस मुद्दे को हल क्यों नहीं कर सकी? ....(व्यवधान)

श्री रामविलास पासवान: मैंने नियम 388 के अन्तर्गत नोटिस दिया हुआ है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना: महोदय, यू०पी० के अन्दर दंगे नहीं करवा सके, केरल में दंगा करवा रहे हैं (व्यवधान) नासिक में हमले करवा रहे हैं ....(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री वसुदेव आचार्य: महोदय, केरल में एक विधायक पर हमला किया गया।

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेंद्रम): यह मामला मेरे निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित है इसलिए समय दिया जाना चाहिए ....(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर): आप इस प्रकार अखबार को देखिए, इसमें देखिए क्या हो रहा है—एक हाथ में तलवार और एक हाथ में पर्चा लेकर के डांस किया जा रहा है। ये इस हाउस के अन्दर भी तलवार चलाना चाहते हैं।

(व्यवधान)

श्री मदन लाल खुराना: केरल के अन्दर लोगों को मरवा दिया।

अध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री रामविलास पासवान: पूरे के पूरे संविधान की हत्या हो रही है और यहां ये लोग भाषण दे रहे हैं और सेंटरल गवर्नमेंट चुपचाप बैठी है। प्राइम मिनिस्टर कहां हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाइए।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री: आप प्राइम मिनिस्टर को बुलाइए तब हाउस चलेगा। (व्यवधान)

श्री कल्याण सिंह (अलीगढ़): ये धमकी दे रहे हैं। क्या जब ये चाहेंगे तभी हाउस चलेगा।

[अनुवाद]

श्री वसुदेव आचार्य: आप प्रधान मंत्री जी को यहां आने के लिए कहिए (व्यवधान)

श्री निर्मल कांति चटर्जी (दमदम): महोदय यह पहले कहा जा चुका है कि मुस्लिम समुदाय ही एक ऐसा समुदाय है जिससे मुक्ति पाई जा सकती है। इस तरह की स्थिति वह उत्पन्न करने में समर्थ हुए है और सरकार व्यर्थ में समय गवां रही है। सन् 1946 में मुस्लिम लीग ने इस तरह की स्थिति उत्पन्न की थी और आज भारतीय जनता पार्टी तीन बीघा मुद्दे पर दावानल उत्पन्न कर रही है।

श्री वसुदेव आचार्य: यदि निर्माण कार्य नहीं रोका गया तो वह लोग अयोध्या की तरफ कूच करेंगे। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: अब आपकी रुचि किसमें है? क्या आप सब एक साथ बात करने के इच्छुक हैं?

श्री वसुदेव आचार्य: हम निर्माण कार्य रोकने के इच्छुक हैं।

अध्यक्ष महोदय: क्या आप इसे एक विषय बनाने के इच्छुक हैं? मुझे यह बात समझने दीजिए यदि आप इसे एक विषय बनाना चाहते हैं तो यह बिलकुल अलग बात है। परन्तु यदि आप सभी लोग एक साथ खड़े होंगे तो बात कैसे बनेगी।

श्री वसुदेव आचार्य: मैंने इस विषय पर एक नोटिस दिया है (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामविलास पासवान: अध्यक्ष जी, हमने नियम 388 के तहत प्रश्न काल को ससपेंड करने के लिए नोटिस दिया है। एनआईसी की बैठक हुई है, इस बैठक में क्या निर्णय लिए गए हैं, सदन को इसकी कोई जानकारी नहीं है। प्रधान मंत्री जी उसके अध्यक्ष हैं, प्रधान मंत्री जी ने जो भी बात एनआईसी में कही है, वह बात उनको सदन में आकर बतलानी चाहिए। आज अयोध्या में विस्फोटक स्थिति हो गई है, कांस्टीटयूशन में ब्रेकडाउन हो रहा है। यह सदन सर्वोपरि है और आप सदन के रक्षक हैं। आज हम जिस मोड़ पर पहुंच गये हैं, इसमें सदन का यह दायित्व है कि वह अपने दायित्व का पालन करे। यदि सदन ने अपने दायित्व का पालन नहीं किया तो आगे आने वाला इतिहास संसद के संबंध में लिखेगा। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी को बुलवाइए। संविधान टूट रहा है और प्रधान मंत्री जी देश पर राज कर रहे हैं। उनको अपने पद पर रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। आप प्रधान मंत्री जी को बुलवाइए और एनआईसी में जो रेजोल्यूशन पास हुआ है, रेजोल्यूशन तो वहां पास नहीं हुआ, एनआईसी में क्या किया गया है, उसको वे यहां आकर बतलाएं और ये लोग जो सांप्रदायिक भावनाओं को भड़का कर देश में आग लगाना चाहते हैं, सरकार को इनको रोकना चाहिए।

इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैंने जो नियम 388 के अधीन नोटिस दिया है, उसको स्वीकार करें। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री ए० चार्ल्स (तिरुवेंद्रम): तिरुवेंद्रम एक बहुत शांतिपूर्ण निर्वाचन क्षेत्र रहा है। मै उस निर्वाचन क्षेत्र से निरन्तर चुना जाता रहा हूं। यह बहुत ही प्रबुद्ध निर्वाचन क्षेत्र है ....(व्यवधान)

कल से वहां अनेकों झोंपडियां जल चुकी हैं। वहां पर सम्प्रदायिक दंगे हो रहे हैं। सम्प्रदायिक ताकतें समाज विरोधी तत्वों को प्रोत्साहन दे रही है। आर०एस०एस०, बी०जे०पी० और आई०एस०एस० समाज विरोधी तत्वों को भड़का रही हैं। उस शांतिपूर्ण निर्वाचन क्षेत्र में अब घर जलाए जा रहे हैं। लोग बाहर नहीं जा सकते हैं। ....(व्यवधान)

मैं भारतीय जनता पार्टी से आग्रह करता हूं कि वह न्यायालय के आदेश का सम्मान करे। ....(व्यवधान) त्रिवेंद्रम हमेशा से शांतिपूर्ण रहा है। आग से मत खेलिए क्योंकि वहां पर आज समाज विरोधी तत्व हैं जो शांतिपूर्ण जीवन में बाधा पहुंचा रहे हैं। कृपया कानून और व्यवस्था बनाए रखने में राज्य सरकार की सहायता करें। यह कानून और व्यवस्था की समस्या है।

वहां पर हमेशा साम्प्रदायिक सौहार्द रहा है। अब उसे भंग किया जा रहा है। मैं भारतीय जनता पार्टी से आग्रह करूंगा कि वह न्यायालय के आदेश का सम्मान करे। देश को नरसंहार से बचाने का केवल यही तरीका है। ....(व्यवधान) देश को तबाही की ओर मत ले जाइए। पूरा देश तबाह हो सकता है।

प्रश्न काल के बाद हम सब लोगों को एक साथ बैठकर सभी बातों पर चर्चा करनी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली): अध्यक्ष महोदय, पहली बात मैं यह कहना चाहता हूं कि रोज-रोज प्रश्नकाल को सस्पेंड करने के लिए कहना ठीक नहीं है। (व्यवधान)

प्रश्नकाल समाप्त करने की बात कभी-कभार कोई बात हो तो उसके लिए समझ में आती है, लेकिन आप देख लीजिए कि 8 तारीख से सेशन शुरू हुआ है और इन दिनों कितने दिन प्रश्नकाल चलने दिया गया है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं दूसरी बात यह कहना चाहता हूं, जिसके बारे में आज अखबारों में आया है कि रायट्स इन केरला एण्ड नासिक, अध्यक्ष जी, केरल के अंदर सुबह 7 बजे एक शाखा लगी हुई थी आर०एस०एस० की, उस पर इस्लामिक स्वयं सेवक संघ के लोगों ने जिस तरह से हमला किया और नासिक के अंदर जनता दल के एक एम०एल०ए० ने वहां पर मंदिर समर्थकों पर जिस तरह से पथराव करवाया, इससे पता चलता है कि यू०पी० में ये लोग साम्प्रदायिक दंगे करवाने में असफल हो गए हैं, इसलिए अब ये गैर-बी०जे०पी० सरकारों वाले राज्यों में सांप्रदायिक दंगे करवाना चाहते हैं। ये लोग कांग्रेस, कम्युनिस्ट और मुस्लिम लीग के साथ मिल कर जानबूझ कर सांप्रदायिक दंगे करवाना चाहते हैं, देश में अशांति का वातावरण पैदा करना चाहते हैं। बी०जे०पी० सरकारों वाली राज्यों में ये लोग दंगा करवाने में फेल हो गए हैं, इसलिए गैर बी०जे०पी० सरकारों वाले राज्यों में ये सारे जुल्म कर रहे हैं। (व्यवधान) इसलिए गैर बी०जे०पी० राज्यों में ये ऐसा षड़यन्त्र कर रहे हैं, केरल और महाराष्ट्र इसके उदाहरण हैं, हम इसके बारे में चाहते हैं कि पूरी चर्चा इस सदन के अन्दर हो और होम मिनिस्टर साहब इसके बारे में बयान दें।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकाल का महत्व सभी जानते हैं। परन्तु आज देश एक असमान्य स्थिति का सामना कर रहा है। यह स्थिति मिनट दर मिनट जटिल होती जा रही है तथा यह मुद्दा एक जटिल और गंभीर मुद्दा बन गया है। यद्यपि आठ और नौ जुलाई से हम बार-बार केन्द्र सरकार को कार्रवाई करने के लिए कह रहे हैं लेकिन हम आज देखते है कि इस मामले में पूर्णतया निष्क्रियता बरती जा रही है, इसको अनदेखा किया जा रहा है और इस स्थिति से बचने की कोशिश की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने स्थिति को इस हद तक बढ़ने दिया है। अब ऐसा लगता है कि पूरी स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई है। अब संगठित तरीके से 200—300 से अधिक लोगों को यहां लाया जा रहा है। इस देश में राष्ट्रीय एकता और अखण्डता बनाए रखने, सम्प्रदायिक शांति और सौहार्द बनाए रखने का प्रश्न है जो कि संविधान के मूल सिद्धान्तों में से एक है। आज यह गंभीर खतरे हैं और हमें भय है, हम कांप रहे हैं कि कहीं इस देश में उन घटनाओं

की कोई पुनरावृत्ति न हो जाए जो 1946, 1947 और 1948 में हुई। तब इस देश में क्या होगा? जब लोग धर्म के आधार पर लड़ रहे होंगे तो क्या हमें इस देश के विभाजन और उससे आगे और विभाजन की अनुमति देनी चाहिए?

एक और अति महत्वपूर्ण संवैधानिक मुद्दा है। सरकार ने और प्रधानमंत्री ने खुलमखुला कह दिया है कि वह न्यायालय के फैसले की प्रतीक्षा कर रहे हैं, न्यायालय का निर्णय मौजूद है। अब खुलमखुला यह कह दिया गया है कि उसका पालन नहीं होगा। महोदय, धर्मशाही राज के द्वारा यहां इसका कैसे विरोध किया जा रहा है? धर्मशाही उन्माद उत्पन्न किया जा रहा है, कैसे उन्माद उत्पन्न किया जा रहा। विश्व हिन्दू परिषद् ने खुलमखुला कह दिया है कि वह न्यायालय के आदेश को नहीं मानेंगे, न्यायालय के आदेश के बावजूद वह निर्माण कार्य जारी रखे हुए हैं। इस क्षेत्र का प्रभारी कौन है? इसको पर्यटन सुविधाएं प्रदान करने की दलील देकर अधिगृहीत किया गया था। यदि पर्यटन की सुविधाएं प्रदान की जानी हैं तो उन्हें कौन प्रदान करेगा? क्या काम उत्तर प्रदेश सरकार को करना है या कारसेवकों को करना है? विश्व हिन्दू परिषद् किस प्रकार वह सभी तरह के निर्माण कार्य कर रही है जो वह करना चाहती है? सरकार को यह बात मालूम होनी चाहिए। महोदय, हमने डा० मुरली मनोहर जोशी और अन्य नेताओं को इस कार्य में बढ़ चढ़ कर भाग लेते हुए देखा है। अब यह विश्व हिन्दू परिषद् नहीं बल्कि उसके पीछे कार्य कर रही भारतीय जनता पार्टी थी, जो अब सामने आ गई है। डा० मुरली मनोहर जोशी और श्री अशोक सिंघल नायक बनने के बाद राम और हनुमान का मूर्त रूप बनने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे मालूम नहीं है कि वह किसके मूर्त रूप हैं। इस देश को क्या संदेश दिया जा रहा है? सरकार न्यायालय के आदेश को लागू नहीं कर सकती है। इस देश में कोई सरकार नहीं है जो न्यायालय के आदेशों को लागू कर सकती है। हमारे सामने ऐसी स्थिति आने वाली है। इस प्रकार खुलमखुला संविधान और न्यायालय के आदेशों के अवज्ञा करने की बात मैं सोच भी नहीं सकता हूं। जहां तक मुझे याद है ऐसी अवज्ञा कभी नहीं हुई जो खुलमखुला की गई हो और जिसे ठीक ठहराया गया हो। धर्म के नाम पर इस सब को औचित्यपूर्ण समझा जा रहा है जैसे कि इस देश में कोई अन्य सिद्धान्त लागू नहीं होता हो, जैसे कि संविधान संविधान रहा ही न हो। हम बहुत ही परेशान हैं, यह एक ऐसा मामला है जिस पर कि हम सरकार को चुप नहीं रहने देना चाहते हैं। सरकार को जागरूक होना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि सरकार इस पर शीघ्र अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करे और यह स्पष्ट करे कि वह क्या करने जा रही है। हमने देखा है कि वह राष्ट्रीय एकता परिषद् में कोई निर्णय नहीं ले सकी थी। हम यह उम्मीद कर रहे थे कि सरकार आज और इसी समय वक्तव्य देगी। देश को और इस सदन को विश्वास में लिया जाना चाहिए। हमें मालूम नहीं है कि किसकी ओर से वक्तव्य आने वाला है। इस बात का कोई संकेत नहीं है कि सरकार कोई वक्तव्य देने जा रही है।

अविश्वास प्रस्ताव से संबंधित वाद-विवाद में उठाए गए महत्वपूर्ण मुद्दे के संबंध में माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह उत्तर दिया था कि यह एक नीरस वाद-विवाद है। इस देश के प्रधानमंत्री का यह दृष्टिकोण है। अनेक महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए गए थे। उन्होंने यह कह कर उन्हें टाल दिया कि यह अर्थहीन वाद-विवाद था, मात्र वाद-विवाद के लिये किया गया वाद-विवाद था। जब इस तरह के महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए गए थे तब प्रधानमंत्री ने उनका उत्तर नहीं दिया। यह एक बहुत गंभीर मामला है। इसलिये तो हम यह कह रहे हैं कि या तो प्रधानमंत्री को देश को साम्प्रदायिक विनाश से बचाने के लिये कदम उठाने चाहिए या वह एक क्षण भी इस पद पर बने रहने के लिए लिये उपयुक्त नहीं हैं। उन्हें कार्यवाही करनी होगी। स्थिति प्रतिक्षण बदतर होती जा रही है, इसलिये सरकार को तत्काल कार्यवाही करके भूमि कब्जे में ले लेनी चाहिए। देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना सरकार का दायित्व है। इस देश में धर्म-निरपेक्षता की रक्षा करने के लिये यह कर्तव्य से बंधी हुई है। यह एक संवैधानिक आदेश है। उस आदेश के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है। सरकार द्वारा उस आदेश की अवहेलना को हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं। हम यहां मूक दर्शक की भांति बैठे नहीं रह सकते हैं।

इसलिये, मैं यहां यह मांग करता हूं कि प्रधानमंत्री को शीघ्र ही यहां आ कर एक वक्तव्य देना चाहिए कि वह किस प्रकार से इस स्थिति से निपटने जा रहे हैं। हम उनके विचारमग्नता और निष्क्रियता को नहीं बर्दाश्त कर सकते। सभी धर्म-निरपेक्ष पार्टियों ने अपना सहयोग देने का प्रस्ताव किया है। ये पार्टियां निष्क्रियता नहीं चाहती हैं। हमने कई बार यह दुहराया है कि सरकार को कार्यवाही करनी चाहिए। भाजपा को छोड़कर सभी पार्टियों ने यह कहा है। ये कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं, हमेशा ये इस मामले को कभी इस समिति को तो कभी उस समिति को सौंपते रहते हैं, बैठकों पर बैठकें हो रही हैं।

हमें सिर्फ एक बात पर आपत्ति है। आखिर किसको यह मजबूत बना रहे हैं? ये भाजपा और सांप्रदायिक ताकतों की इस देश में शक्ति बढ़ा रहे हैं। इनको इस बारे में काफी जानकारी है कि वे पार्टियां काफी लोकप्रिय होती जा रही हैं। इसलिये, मैं कह रहा हूं कि अगर ये सही में यह सिद्ध करने का प्रयास करना चाहते हैं कि यह जो इन पर आरोप है कि ये उन लोगों से मिले हुए हैं और यह बहुसंख्यक सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रहे हैं गलत है तो इनको कार्यवाही करनी होगी अन्यथा हम यह कहने को मजबूर होंगे कि वर्तमान स्थिति के लिये ये भी जिम्मेदार हैं। इसलिये हमारी मांग है कि प्रधानमंत्री अपना वक्तव्य दें। (व्यवधान)

संसदीय मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट): श्री सोमनाथ चटर्जी ने कुछ बातें कही हैं। मैं उनसे सहमत हूं कि स्थिति बहुत ही गंभीर है। सरकार इससे अवगत है। माननीय प्रधानमंत्री जी खुले रूप से सदन में कह चुके है। हम भी सदन में कह चुके हैं कि केन्द्र सरकार सभी आवश्यक जिम्मेवारी को निर्वाह करेगी। मैं माननीय सदस्य से एक प्रश्न करना चाहता हूं। मैंने कल के अखबार में पढ़ा था कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने कहा है कि वह अनुच्छेद 356 लागू करने के खिलाफ हैं।

श्री वासुदेव आचार्य: क्या आप भूमि का अधिग्रहण नहीं कर सकते हैं?

श्री सोमनाथ चटर्जी: क्या आपके पास अनुच्छेद 356 के अतिरिक्त कोई दूसरी शक्ति नहीं है? उन्हें यह कहने दें।

श्री राजेश पायलट: मैं आपसे स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी: क्या आप सिर्फ हमारे सुझाव पर ही कार्यवाही करने जा रहे हैं? क्या आप अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास हमारे सुझाव पर गये थे? (व्यवधान) हमने कुछ सलाह दी थी। उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया है। (व्यवधान)

श्री राजेश पायलट: मैं माननीय सदस्य से स्पष्टीकरण चाहता हूं। मैं उनसे यह जानना चाहता हूं जो कुछ भी माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है, वह उनकी पार्टी का भी दृष्टिकोण है। सरकार को क्या करना है, वह यह जानती है। हमें उनके निर्देश की आवश्यकता नहीं है। हम उनके निर्देशों और सुझावों पर अपनी सरकार नहीं चला सकते। मैं यह नहीं कह रहा हूं। लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उनका भी वही दृष्टिकोण है और क्या वह भी उस बात को मान रहे हैं। मैं यही पूछ रहा हूं। मैं उनसे यही जानना चाहता हूं।

[हिन्दी]

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह (फतेहपुर): माननीय अध्यक्ष जी। अभी नेशनल इंटीग्रेशन कांउसिल की मीटिंग हुई थी.....(व्यवधान) आप ज़रा शांत रहें। वहां पर प्रधान मंत्री जी ने अपने कुछ निश्चय बताए थे और हम लोगों को जानकारी है क्योंकि उसके सदस्य हैं। लेकिन सदन को, सदन के नाते, जबकि सदन इतना आंदोलित रहा और पूरा देश इस सदन की ओर देख रहा है, यह वांछित बात है कि जो वहां पर प्रधान मंत्री ने कहा तो इस विषय पर आकर सदन को अवगत कराएं और यहां पर बताएं कि क्या संकल्प सरकार का था। उसको सदन नहीं जानता है, अखबार से जानता है और हम लोगों के बताने से जानता है। लेकिन एक अधिकृत

बयान सरकार का आना चाहिए कि उसका संकल्प क्या है। हम आशा करते हैं, अध्यक्ष जी कि आप ही आप कहेंगे कि सरकार या प्रधान मंत्री जी को स्वयं आना चाहिए। एक अजीब परिस्थिति है, हम और बहस में नहीं जा रहे हैं उससे उत्तेजना होती है यहां पर, आप समझ सकते हैं कि परिस्थिति उससे कितनी गम्भीर हो सकती है। एक दूसरा पक्ष मैं रखना चाहता हूं उस पर गम्भीरता से विचार करें। मेरा नम्र निवेदन है हम आज यहां पर यह स्थिति देख रहे हैं कि वहां पर एक राज्य सरकार है, वह कहती है कि हम अदालत के आदेश का पालन करने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, हम बहस में और कोई चीज नहीं उठाना चाहते, और समय आयेगा तो उस समय कहेंगे। लेकिन वह कहती है कि हम असहाय पा रहे हैं। अब आप समझें कि असहाय कैसे पा रही है, क्या शक्ति से असहाय पा रही है, हम यह नहीं कहते हैं कि अमुक रास्ते से उसको हल करें, लेकिन जितने भी उपाय सम्भव हैं वे सारे उपायों में सफलता नहीं पा रही है। दूसरी ओर केन्द्रीय सरकार यह आश्वासन देती है कि हम अदालत की और संविधान की रक्षा करेंगे। कम से कम दस दिन बड़ी मेहनत के बाद प्रधान मंत्री जी ने कहा, यही पहले कह देते तो इतना समय जाया नहीं जाता। अभी तक सदन को यह मालूम नहीं कि यह क्या उपाय करने जा रही है, समझाने-बुझाने जा रही है या बुलाकर हल करने जा रही है। सदन के अन्दर जो उसकी ताकत है, जो उसका कार्य है, कर्तव्य है उसका उपयोग करने जा रही है या नहीं, यह हम नहीं जानते। एक असहाय राज्य सरकार है, एक असहाय केन्द्र सरकार है और एक असहाय सदन है और एक असहाय न्यायालय है। इस परिस्थिति में क्या हम देश को चला पायेंगे। कल किसी और राज्य के अन्दर कोई चीज होती है, केन्द्र देशहित के अन्दर कोई फैसला करता है या और कोई चीज करता है और न्यायालय कोई फैसला देता है तो वहां के मुख्य मंत्री के लिए रास्ता खुल जायेगा। आप चाहते हैं कि देश की एकता बनी रहे तो कुछ करना होगा। अब यह कहना कि हम क्या करें, कोई डी०एम० की बात नहीं मानता, हम क्या करें तो इससे तो यह देश बिखर जायेगा। हम भावनात्मक तौर पर नहीं कह रहे हैं। हम प्योर प्रशासनिक चीज कह रहे हैं...(व्यवधान)

श्री मदन लाल खुराना: उस वक्त शिखा-सुश्रीयों से बात हुई थी, एन० डी० तिवारी वहां मौजूद थे...

(व्यवधान)

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह: अगर एक ही उदाहरण लेकर चलेंगे तो फिर दूसरा, तीसरा और चौथा भी बनेगा...

श्री राम नाईक: इमाम बुखारी को 13 दिन तक आर्डर होने के बावजूद भी अरेस्ट क्यों नहीं किया था।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह: मेरा ख्याल है इस तरह का और भी सिलसिला बनता जाये तो आखिरकार यहां पर कोई केन्द्र शक्ति जो देश की शक्ति है वह बनी रहेगी या नहीं, हम पर प्रश्न चिन्ह आ गया है।...(व्यवधान)... मैं निवेदन करूंगा आपसे और सबसे कि आज की तारीख में ऐसा उपाय करें। जो शक्तियां टकराव में आ रही हैं हम सम्भाल पायेंगे या नहीं, यह देखने की बात है। मेरी हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना है कि आप किसी तरह से रास्ता निकालने के लिए और सबसे बात करने का मौका इस देश को देंगे। हम यहां पर बैठे हुए सदस्यों के लिए एक मौका देने की प्रार्थना करते हैं कि किसी तरह इसको रोका जाये और बात करने का सिलसिला शुरू करें और अपने कर्तव्य का निर्वाह करें, आप उससे वंचित नहीं हो सकते। सदन को सम्भालने की जिम्मेदारी आपकी है और एक आपसे और निवेदन है वहां के मुख्य मंत्री अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं, यहां प्रधान मंत्री भी सम्भाल नहीं पा रहे हैं तो दूसरा प्रधान मंत्री लायें जो यह चीज सम्भाल सके।

श्री मदन लाल खुराना: आप अपने रास्ते पर इनको ले जा रहे हैं। विश्वनाथ प्रताप सिंहजी ने दो बातें कहीं, मैं उनका जवाब दे दूं। उन्होंने कहा कि सरकार असहाय है, न तो यह सरकार असहाय है और सरकार एक-एक मिनट की खबर सदन को नहीं दे सकती। शनिवार को एन० आई० सी० की मीटिंग हुई।

(व्यवधान)

मैंने भी बात सुनी है। शनिवार को नेशनल इंटिग्रेशन कौंसिल की मीटिंग रात को 12.30 बजे तक चली है और सारी पार्टियों ने कोशिश की कि इस प्रस्ताव पर हमारी बात मान लें। सर जब शनिवार देर रात तक मीटिंग चली सब के प्रयास हुए और कल इतवार का दिन मिला सरकार को और आज 11.00 बजे क्वेश्चन आॅवर था, सरकार की जो प्रतिक्रियां चल रही है उसमें वह कैसी हालत से गुजर रही है? एक तरह बी०जे०पी० कहती है कि हमारा विश्व हिन्दू परिषद् पर हाथ नहीं है और दूसरी तरफ श्री मदन लाल खुराना जी कह रहे हैं कि काम तो रूक नहीं सकता है और वी०एच०पी० का काम बताते हैं और दूसरी तरह बी०जे०पी० के बड़े जिम्मेदार सदस्य कह रहे हैं कि काम तो नहीं रूक सकता है। इस हालत में सरकार को सोच-समझकर ऐसा कदम उठाना है जो देश में शान्ति रख सके, देश में कोर्ट की भी इज्जत रह सके, जजमेंट भी इम्प्लीमेंट हो सके और यहां के लोगों की भावनायें भी मजबूत रहें। यह इस सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार ऐसा कोई कदम नहीं उठा सकती है कि आपने कह दिया, उन्होंने कह दिया और सरकार कदम उठा देगी...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री ई० अहमद (मंजेरी): अध्यक्ष महोदय, स्थिति बहुत नाजुक है और मैं ऐसा कुछ भी नहीं कहना चाहता हूं जिससे देश में व्याप्त शांति का वातावरण दूषित हो जाये। यह सिर्फ दुःख की ही बात नहीं है, वस्तुतः अयोध्या की घटना बुहत ही निंदनीय है। उत्तर प्रदेश सरकार.....**(व्यवधान)**

श्री राम कापसे (ठाणे): केरल और मालेगांव में जो घटना घटी है, उसके बारे में भी कहें.....**(व्यवधान)**

श्री ई० अहमद: महोदय, ये सदन को अपनी मर्जी से नहीं चला सकते हैं.....**(व्यवधान)** अयोध्या में न्यायालय के आदेश का उल्लंघन हो रहा है। विश्व हिन्दू परिषद के द्वारा इस देश में संविधान की निरंतर रूप से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जिसे भाजपा और उसकी उत्तर प्रदेश सरकार समर्थन और बढ़ावा दे रही है.....**(व्यवधान)** माननीय प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक में जो कुछ घोषणा की है उससे मुझे खुशी है। यह कहा गया है कि न्यायालय के आदेश को नहीं मानने की कार्यवाही को उत्तर प्रदेश के संदर्भ में यह समझा जाएगा कि वहां का शासन ठीक ढंग से चल नहीं रहा, लेकिन मैं यह जानना चाहूंगा कि सरकार स्वयं सदन में आगे आकर सदन को विश्वास में लेते हुए यह जानकारी क्यों नहीं देती कि न्यायालय के आदेश के उल्लंघन को रोकने और उसका पालन करवाने हेतु वह क्या कदम उठाने जा रही है।

इस देश में हर जगह सांप्रदायिक तत्व मौजूद हैं और मुख्यतः भाजपा और उसके लोग सांप्रदायिक दंगों को भड़का रहे हैं। वे लोग कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं हो रहा है। इसका श्रेय उन लोगों को नहीं जाता है बल्कि ऐसा तो अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा संयम बरतने के कारण हो रहा है। इसलिये वहां शांति बहाल है। हम लोग चाहते हैं कि देश में किसी भी कीमत पर शांति और सांप्रदायिक सदभाव बना रहे। देश की एकता और अखंडता भी सुरक्षित रखी जाए। मेरी पार्टी इस बात के लिये प्रतिबद्ध है। कोई भी व्यक्ति अथवा पार्टी कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकता।

खुराना जी केरल में जो कुछ भी घटा है, उसके बारे में काफी चिन्तित हैं लेकिन उन्होंने उत्तर प्रदेश मे जो हो रहा है जहां संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, के बारे में एक भी शब्द नहीं कहा.....**(व्यवधान)** महोदय अगर इजाज़त हो तो मैं अत्यन्त विनम्रतापूर्वक यह बताता हूं कि केरल में कल और आज क्या घटना घटी?

केरल में स्थिति नाजुक हो गई है क्योंकि मस्जिद का मुद्दा बहुत ही संवेदनशील है। कल राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के लोगों ने उत्तेजक नारे लगाते हुए एक जुलूस निकाला था। दुर्भाग्य से वहां कुछ अनचाही घटना हो गई जिसके कारण वहां तनाव बढ़ गया (**व्यवधान**) मुझे एक घटना की जानकारी है जिसके बारे में इस गरिमामय सदन में बताना चाहूंगा। मैं बहुत ही दुःख के साथ आज सुबह त्रिवेन्द्रम के सवादसपुरम में जो घटना हुई बता रहा हूं। वहां राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के लोगों के द्वारा एक मस्जिद पर हमला किया गया और उसे अपवित्र किया गया। (**व्यवधान**)

मैं यह कहना चाहूंगा कि केरल एक शांति-प्रिय राज्य है और वहां ऐसी घटनाओं का होना बहुत ही दुखद है। उपरोक्त घटना में तीन लोग घायल हुए हैं जिनमें से दो की हालत गंभीर है। राज्य सरकार और और प्रशासनिक तंत्र ने वहां तत्काल कदम उठाकर स्थिति को नियंत्रण में कर लिया है। आज राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने वहां सांप्रदायिक दंगा भड़काया है। वहां अल्पसंख्यक समुदाय के कुछ लोगों को यह आशंका है कि कुछके पुलिस अधिकारी पक्षपातपूर्ण व्यवहार कर रहे हैं। मैं राज्य सरकार से भी स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिये तत्काल उपचारात्मक कदम उठाने का अनुरोध करता हूं। हर जगह पुलिस का पक्षपात रहित व्यवहार सुनिश्चित किया जाना चाहिए अन्यथा स्थिति नियंत्रण से बाहर हो सकती है। (**व्यवधान**) आज उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है (**व्यवधान**)

[हिन्दी]

श्री राम कापसे: मालेगांव में जो कुछ हुआ है उसके लिए कौन जिम्मेदार है?.....(**व्यवधान**).....

श्री दाऊ दयाल जोशी (कोटा): केरल में तीन हिन्दू मारे गए हैं। .....(**व्यवधान**)।

[अनुवाद]

श्री ई० अहमद: महोदय, मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह सदन में आकर यह बताए कि वह उत्तर प्रदेश में न्यायालय के आदेश लागू करवाने के सम्बन्ध में क्या कदम उठाने पर विचार कर रही है।

इस देश के अल्पसंख्यकों सहित सभी सही सोच वाले लोगों ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। सरकार का कर्तव्य है कि वह लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरे और देश की एकता और अखंडता को बनाये रखे। मैं यह कहना चाहूंगा कि देश की एकता और अखंडता को बनाये रखने और सांप्रदायिक सौहार्द लाने में अल्पसंख्यक समुदाय के सभी लोग सरकार के साथ हैं (**व्यवधान**)।

[हिन्दी]

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर): शाहबानो प्रकरण में आपने क्या किया? .....(**व्यवधान**).....

श्री राजवीर सिंह (आवंला): अध्यक्ष जी, आज प्रश्नकाल स्थगित करने के लिए फिर शोर मचाया गया है। जब से सत्र शुरू हुआ है तब से यह यहां का रिवाज सा बन गया है और हमेशा अयोध्या के नाम पर यहां शोर मचाया जाता है, अयोध्या के मामले को उठाया जाता है। पिछले दिनों अयोध्या के मामले को लेकर सदन का जितना समय बरबाद किया गया है इसकी हानि देश की गरीब जनता को अपने खून-पसीने की कमाई से खर्च करके देनी पड़ी है।.....(**व्यवधान**).....। सुन लीजिए, हम आपको सुनते रहे हैं।

अध्यक्ष जी, मेरा कहना यह है कि अयोध्या में कतई अशांति नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश में शांति है। मैं आज सवेरे वहीं से आ रहा हूं। वहां पर इस अयोध्या के मंदिर निर्माण के कारण हिन्दुस्तान की जो सबसे बड़ी समस्या थी उसका बहुत बड़ा समाधान निकल आया है। आज अयोध्या की कार-सेवा करने के लिए सिख संगत के लोग गए हैं। कार-सेवा करते समय की उनकी फोटो आई है। जो सिख हिन्दुस्तान की मुख्यधारा से अलग हो रहे थे, राम के नाम ने उनको भी जोड़ दिया है। आज अयोध्या में वह मंदिर निर्माण के लिए काम कर रहे हैं।.....(**व्यवधान**)।

अध्यक्ष जी, मैं एक दूसरी बात कहना चाहता हूं। हिन्दुस्तान में मस्जिद के नाम को लेकर मुसलमान लोगों को भड़काया जा रहा है। मुसलमानों को यह कहा जा रहा है कि तुम्हारे अधिकारों पर कुठाराघात हो रहा है, यह सुनकर आपको बड़ा दुःख होगा मगर एक बात सुनकर आपको ही नहीं बल्कि पूरे देश को खुशी होगी कि आज उस मंदिर के निर्माण की कार सेवा के लिए सैकड़ों मुसलमान नौजवान वहां पर काम कर रहे हैं। यह स्थिति है। ......(व्यवधान)......। अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश शांत है। वहां कोई दंगा नहीं हो रहा है। उत्तर प्रदेश में दंगा नहीं हो रहा है इसलिए हमारे उन नेताओं को, जिनको उत्तर प्रदेश की जनता ने रिजेक्ट करके भेज दिया है, वह परेशान हैं। उनको लग रहा है कि हम तो हमेशा के लिए रिजेक्ट हो गए। इसलिए वे शोर मचा रहे हैं। हिन्दू-मुसलमान झगड़ा करवाने की कोशिश कर रहे हैं मगर उनका मकसद सफल नहीं हो रहा है। वह उत्तर प्रदेश में आग नहीं लगा पा रहे हैं तो वह इस देश को जलाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार इतनी हिम्मत से, इतनी ईमानदारी से काम कर रही है कि वहां पर इनकी दाल नहीं गल रही। इस लिए आज ये वहां जा रहे हैं जहां कमजोर सरकारें हैं, जैसे केरल में, महाराष्ट्र में दंगा करा दिया। जैसे केरल और महाराष्ट्र में इन्होंने दंगे करा दिये। केरल में दंगा करा दिया, जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा पर वहां के एक संगम के लोगों ने हमला कर दिया, जहां तीन लोग मारे गये। इसी तरह, अध्यक्ष जी, महाराष्ट्र में, माले गांव में जनता दल के एक विधायक दंगा करते समय पकड़े गये, जिन्होंने हमला किया था....(व्यवधान, ...। अनेक जनता दल के नेता यहां सदन में मौजूद हैं, अखिल भारतीय स्तर के नेता बैठे हैं, कोई उठकर घोषणा करे कि** आपकी पार्टी का एम॰एल॰ए॰ नहीं था, जिसने वहां दंगा कराया। इसलिये इनकी पार्टी ही सबसे ज्यादा देश में दंगा कराती रही है।.....(व्यवधान)।

श्री राम कापसे: उसने पब्लिकली बताया है कि मेरी गलती हो गयी, उसने पत्रकारों को बयान दिया है कि मेरी गलती हो गयी। आप पूछिये, अगर नहीं पता है तो, पूछिये। ......(व्यवधान)।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़): अध्यक्ष जी, मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं आपको अनुमति दूंगा, लेकिन (व्यवधान)।

[हिन्दी]

श्री राजवीर सिंह: मैं अपनी बात पूरी करने से पहले कैसे बैठ जाऊं, इस वक्त प्वाइंट आफ आर्डर कैसे हो सकता है।

श्री चन्द्रजीत यादव: आप, अध्यक्ष जी, इनको बिठाईये। तभी मैं कुछ कहूं।

अध्यक्ष महोदय: मेरे हाथ में नहीं है।

श्री राजवीर सिंह: अध्यक्ष जी, मैं यहां यील्ड नहीं कर रहा हूं। प्वाइंट आफ आर्डर तो केवल एक ही हो सकता है कि इस समय क्वैश्चन-आवर चलना चाहिये था, दूसरा कोई प्वाइंट आफ आर्डर नहीं हो सकता। (व्यवधान)।

**अध्यक्षपीठ के आदेश से कार्यवाही-वृतान्त से निकाल दिया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं आपको बोलने की अनुमति दूंगा, लेकिन प्रश्न काल में कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं होता है।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान: भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा, लीडर आफ द अपोजीशन की हैसियत से कहा कि इसमें भारतीय जनता पार्टी का हाथ नहीं है(व्यवधान)। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष स्वयं वहां चले गये कार-सेवा करने के लिये। उन्होंने सदन को गुमराह करने की कोशिश की है। (व्यवधान)। क्या इससे ज्यादा असत्य बात कोई दूसरी हो सकती है।

श्री राम नाईक: जब आपके नेता श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी बोल रहे थे तो हम सब शांति से बैठे थे, अब आप हमें बोलने नहीं दे रहे हैं, यह बड़ी अजीब स्थिति है। आपको ऐसे अधिकार नहीं दिये जा सकते कि जब चाहें आप खड़े हो जायें और बोलने लगें। (व्यवधान)।

हमें भी अपनी बात को कहने का अधिकार है, कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती।

श्री राम विलास पासवान: यदि आप हमें नहीं बोलने देंगे तो हम किसी को नहीं बोलने देंगे।

श्री राम नाईक: आप हमें बोलने से क्यों रोक रहे हैं, इंटरप्ट कर रहे हैं। (व्यवधान)।

श्री राजवीर सिंह: अध्यक्ष जी, आज मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि अभी तक सदन में किसी बड़े नेता के भाषण पर ही डिस्टर्ब किया जाता था.....(व्यवधान)।

अध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाईये।

(व्यवधान)

श्रीमती सरोज दुबे (इलाहाबाद): अध्यक्ष जी, जंगल राज को बंद करवा दीजिये। न्यायपालिका का सम्मान होना चाहिये। संविधान की रक्षा होनी चाहिये। जंगल राज बहुत दिनों तक चल चुका है। (व्यवधान)।

अध्यक्ष महोदय: मैं बार-बार कह रहा हूं कि अगर यह विषय गम्भीर है तो इसकी चर्चा भी गम्भीरता से होनी चाहिये। अगर आप लोग ऐसे ही, एक के बोलने पर, कोई दूसरा मैम्बर उठकर खड़ा हो जायेगा और उसका विरोध करने लगेगा तो न आपकी बात सुनायी देगी और न कुछ रिकार्ड में जा सकेगा। अगर आप संविधान का संरक्षण करना चाहते हैं तो संसद के अंदर, यहां ऐसे ढंग से चर्चा करें कि उसमें से कुछ निष्कर्ष निकल कर सामने आये। बार-बार यह कहने की जरूरत हमें महसूस नहीं होनी चाहिए। आप जैसे सम्माननीय सदस्य, जानकार सदस्यों के होने पर, एक-एक करके आप अपनी बात कह दीजिये, आपको अपनी बात कहने से कोई रोकता नहीं है। इसके बावजूद भी अगर आप यहां इस तरह से चर्चा करेंगे, जैसे हो रही है तो उससे कुछ निष्कर्ष नहीं निकलता है। मेरी आपसे रिक्वैस्ट है कि आप एक-एक करके अपनी बात को कहें, जो कहना चाहते हैं।

श्री राजवीर सिंह: अध्यक्ष जी, मुझे आज इस बात की बड़ी प्रसन्नता हुई कि मेरे बोलने पर, राष्ट्रीय स्तर के एक नेता यहां खड़े हो गये—क्या आप मुझे अपने बराबर समझ रहे हैं। उसके लिये, बहुत धन्यवाद। मैं तो पिछली पंक्ति में बैठने वाला हूं।

अध्यक्ष महोदय: यहां पर सब बराबर है।

श्री राजवीर सिंह: अध्यक्ष जी, मुझे दूसरी बात कहनी है कि उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ यहां पर

बोला जाता है। अयोध्या के मामले में, उच्च न्यायालय ने एक फैसला दिया, प्रदेश के मुख्य मंत्री ने, प्रदेश की सरकार ने उस फैसले को लागू कराने के लिए, अपने प्रशासनिक अधिकारियों को कह दिया। अब नहीं पालन हो पा रहा है, निर्माण नहीं रुक पा रहा है, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, वहां पर लाखों लोग मौजूद हैं। वहां पर खून-खच्चर नहीं करना चाहते हैं।

मैं माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी से पूछना चाहता हूं कि आप भी वहां नारायण दत्त तिवारी जी से पहले मुख्य मंत्री रहे थे, 130 साल मुकदमा चलने के बाद एक फैसला हुआ, बनारस के कब्रिस्तान के बारे में कि वहां दो सुन्नियों की कब्रें शियों के कब्रिस्तान में बना दी गई थीं, उनको हटाया जाए। शियाओं ने कहा, अब तो कोर्ट का फैसला आ गया है, इनको हटाओ। सुन्नी वहां बहुसंख्यक हैं, दमदार हैं, वे नहीं हटाते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने कब्रें क्यों नहीं हटवाई? सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू क्यों नहीं किया? 130 साल तक मुकदमा चलने के बाद हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू क्यों नहीं किया गया? इन्होंने यह कहा कि हम यह फैसला इसलिए लागू नहीं कर सकते कि ला एण्ड आर्डर खत्म हो जाएगा, शांति और व्यवस्था भंग हो जाएगी। क्या ये चाहते हैं कि हम अयोध्या में गोली चलवा दें और हजारों लोगों को मरवा दें? आप 10 लोगों को नहीं मरवा सके, आप कब्रिस्तान में से कब्रें नहीं हटवा पाए। आज ऐसे लोगों को यहां कोर्ट के फैसले की अवमानना की बात कहने का कोई अधिकार नहीं है। आप अपने समय को याद कीजिए। **(व्यवधान)**

सुन लीजिए। कांग्रेस के मुख्य मंत्री रहे, वे नहीं हटा पाए, जनता दल के मुख्य मंत्री रहे, वे नहीं हटा पाए, स०ज०पा० के मुख्य मंत्री रहे, वे नहीं हटा पाए। हर दल का एक-एक मुख्य मंत्री उत्तर प्रदेश में रह चुका है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन क्यों नहीं करवाया? अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से इन मित्रों से, जो कोर्ट की बात बार-बार कह रहे हैं, पूछना चाहता हूं कि शाहबानो के मामले में क्या हुआ। शाहबानो ने मामले में तो इतनी शर्मनाक स्थिति है और न्यायालय की इतनी बड़ी अवमानना हुई कि आपने संविधान में संशोधन ही कर दिया, अपनी नाक बचाने के लिए। हम शांति और व्यवस्था को भंग नहीं करना चाहते। उत्तर प्रदेश में आज भी शांति है। उत्तर प्रदेश में एक वर्ष से दंगे नहीं हुये हैं। जिस समय उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी उससे पहले 33 जिलों में कर्फ्यू लगा हुआ था।.....**(व्यवधान)**

श्री राजवीर सिंह: बनारस में कुछ मित्रों ने दंगा कराने की कोशिश की थी। मेरे प्रदेश की सरकार ने उस दंगे को तुरन्त दबा दिया और सिर्फ दबा ही नहीं दिया, बल्कि दंगाइयों को नंगा कर दिया, तो हमारे मित्रों को बुरा लगा। उसमें इनके मित्र पकड़े गए, जो दंगाई थे, उनकी कारें पकड़ी गई वे कत्ल के इल्जाम में पकड़े गए। इनको कष्ट हो रहा है। उत्तर प्रदेश की सरकार का हर मामले में विरोध हो रहा है।

अध्यक्ष जी, आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने नकल विरोधी विधेयक प्रस्तुत किया था, तो हमारे जनता दल के साहिबान खड़े हो गए, बोले कि यह तो बड़ा अन्याय हो गया, विद्यार्थियों पर जुल्म हो गया। मैंने उस समय कहा था अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश में नकल के ठेकेदारों की दुकानें बन्द हो गईं; मगर उत्तर प्रदेश के विद्यार्थी खुश हैं, उत्तर प्रदेश के गार्जियन खुश हैं, उत्तर प्रदेश के मतदाता खुश हैं, मगर पता नहीं हमारे मित्रों को क्यों बुरा लगता है।

अभी अध्यक्ष जी, 8 तारीख के बाद, अयोध्या में निर्माण कार्य शुरू होने के बाद, उत्तर प्रदेश में मुहर्रम का त्यौहार मनाया गया। मुहर्रम का त्यौहार बड़ा संवेदनशील होता है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश में हमेशा दंगे होते हैं। उत्तर प्रदेश में अध्यक्ष जी, आपको सुनकर आश्चर्य और प्रसन्नता होगी कि इस बार मुहर्रम के त्यौहार पर एक भी दंगा नहीं हुआ है। यहां पर केन्द्र सरकार बैठी है वह बताए यदि कहीं भी उत्तर प्रदेश में मुहर्रम के अवसर पर दंगा हुआ हो? शांतिपूर्ण ढंग से हमने मुहर्रम का त्यौहार मनवाया।

अध्यक्ष जी, लखनऊ में मुहर्रम के त्यौहार पर हर वर्ष दंगा होता है। दंगा हिन्दू और मुसलमान में नहीं होता है। दंगा मुसलमान और मुसलमान में होता है। शिया और सुन्नी में होता है। हमने कोशिश की और दंगा नहीं होने दिया। हमने शियाओं का भी जुलूस निकलवाया और सुन्नियों का भी जुलूस निकलवाया।

अध्यक्ष महोदय, आज उत्तर प्रदेश में दंगा नहीं हो रहा है। दंगा हमारे इन नेताओं के दिमागों में हो रहा है। ये नहीं चाह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में शांति हो। इनको बुरा लगा रहा है कि आज उत्तर प्रदेश में शांति क्यों है। ये समझ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की शांति के कारण उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोकप्रिय क्यों हो रही है। ये दंगा करवाना चाहते हैं। ये लोक सभा में गड़बड़ करना चाहते हैं और यहां पर अशांति पैदा कर के और यहां से एक ध्वनि देना चाहते हैं जिससे देश अशान्त हो जाए। ये वे लोग हैं, जो देश में दंगा करवाकर अपनी राजनीति करना चाहते हैं। इनकी वही स्थिति है जैसे "चोर मचाए शोर"। अंधाधुंध शोर मचाया जा रहा है।

इन्हीं शब्दों के साथ अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं और निवेदन करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में शांति है और शांति बनी रहेगी।

श्री शरद यादव (मधेपुरा): अध्यक्ष महोदय, मैं इस मामले में ज्यादा विवाद में नहीं जाना चाहता। निहाल अहमद की बाबत बी०जे०पी० के साथियों का आरोप है। मैं सरकार से अपील करता हूं निहाल अहमद को मैं अच्छी तरह जानता हूं और मुझे फक्र है। मैं चुनौती के साथ कहता हूं कि निहाल अहमद इस तरह की तरकतों में नहीं है। ... **(व्यवधान)** केरल में यदि किसी व्यक्ति की हत्या हुई तो कानून के तहत उसपर पक्की कार्यवाही हुई। ...**(व्यवधान)** जो भी हत्या करता है वह निन्दनीय है। आपने जिस तरह से करोड़ों लोगों को मरवाया है वह भी निन्दनीय है। ...**(व्यवधान)** मेरा निवेदन है कि यह मामला इतना संगीन नहीं था। वहां पर ताला खुला है, मूर्ति रखी गई है। कानून और संविधान को दबाने और तोड़ने के लिए आडवाणी जी की ऐलानियां, रथ यात्रा हुई तो ऐलान किया गया कि इस देश के संविधान को नहीं मानेंगे। हालत यह है कि हिन्दुस्तान के बहुसंख्यक समाज की भावनाओं को इतना बढ़ा दिया गया। 8 तारीख से लगातार इस सदन में आपके सामने हम सब निवेदन करते रहे हैं।

बहुत जगह कानून का पालन नहीं होता है, मैं इसको कोई बुरी बात नहीं मानता हूं। बहुत कातिल लोग घूमते रहते हैं। लेकिन हिन्दुस्तान के 80 करोड़ लोगों के सामने संकट की तलवार लटक रही हो और पायलट साहब खड़े होकर कहे कि कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने नहीं कहा कि धारा 356 लगाओ। हम सरकार नहीं चला रहे हैं, हम तो आपके खिलाफ वोट दे चुके हैं। यह देखा गया है कि हमारे** और**देश के संविधान में गरीब लोगों को इस लोकतंत्र के चलते कभी न्याय नहीं मिला।... **(व्यवधान)**

श्री ताराचंद खण्डेलवाल (चांदनी चौक): हमें आपत्ति है। ये हमारे देश को ... नहीं कह सकते। यह हमारे सैन्टीमैंटस का सवाल है। ... **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं इसे देखूंगा

**अध्यक्षपीठ के आदेश से कार्यवाही-वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर): हम यहां पर देश का सम्मान बढ़ाने के लिए शपथ लेते हैं..:(व्यवधान) आप इतना बता दीजिए कि वह शब्द निकाल दिया जाएगा।... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा। आप बोलते जाएंगे तो कैसे पता चलेगा। आप जो कह रहे हैं उसके बारे में मैं क्या कहने जा रहा हूं क्या आप यह भी सुनेंगे? आपको तो बोलने में मजा है, सुनने में मजा नहीं है।...

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह अतिशय है। मैं कह चुका हूं कि मैं इसे देखूंगा। आप प्रश्न उठाते है और अब मैं जवाब दे रहा हूं तो आप उसे सुनते नहीं है। यह बहुत ही विचित्र बात है, ऐसा लगता है कि सिर्फ आपको ही बोलने का अधिकार है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री शरद यादव: मेरा कहना है कि सदियों से इस देश के गरीबों को हक नहीं मिला था। पहली बार लोकतंत्र और आजादी की जंग ने हिन्दुस्तान के गरीबों को संविधान के तहत अधिकार दिए। हमारे जैसे गरीब लोग इस सदन में आकर पहली बार बोल रहे हैं।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि देश का लोकतंत्र, लोकशाही, उसका संविधान, न्यायपालिका, आज दुनिया के सामने खुलेआम इस हालत में पहुंचा दी गई है। 8 तारीख से लगातार कहने के बावजूद भी यह जो देरी न्याय में हो रही है, यह हमारे कानून को तोड़ रही है। उनकी जो ऐलानियां हो रही हैं, वे भी कानून को तोड़ रही है। इन** पर विश्वास करके देश का मुख्यमंत्री एक बात बोलता है और विरोधी दल का नेता संविधान की रक्षा और न्यायपालिका के सम्मान को व्यक्त करने की कहता है कि मैंडेट हम को मिला है। आडवाणी जी मैंडेट आपको इसलिये नहीं मिला है कि आप हिन्दुस्तान के लोकतंत्र को दफना दो, आपको मैंडेट इसलिये नहीं मिला है कि इस देश के कांस्टीट्यूशन को आप दफना दो, **

अध्यक्ष जी, मैं आपका वक्त ज्यादा नहीं लेना चाहता हूं। ये नादान लोग हैं, ये बीमार दिमाग के लोग है, मैं इनसे कहना चाहता हूं कि पक्के इरादों के बगैर काम नहीं चलता है ....(व्यवधान)

श्री राम कापसे: यह पाखंडी पापी नादान शब्दों का जो इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या पब्लिक मीटिंग में बोल रहे हैं। (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: असंसदीय शब्द रिकार्ड में नहीं जायेगा।

[हिन्दी] (व्यवधान)

श्री शरद यादव: अध्यक्ष जी, मैं 2—4 बातें अंत में साफ कह देना चाहता हूं कि आप ऐक्शन लो। ऐक्शन में अगर जमीन एक्वायर कर सकते हो, वह एक्वायर करो, सरकार को पंग कर सकते हो तो वह करो। हम और देश की समूची सैकुलर जनता आपसे कह रही है। आप हिन्दुस्तान भर के लाखों लोगों की जिन्दगी

**अध्यक्षपीठ के आदेश से कार्यवाही-वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

की बरबादी का इन्तजार कर रहे हो। इस इंतजार को समाप्त करने का आप काम करिये। आप यह बात पक्की जान लीजिये कि इन्हें ये सब परम्परागत संस्कार में मिला है।* **झूठ को फैलाना इसके संस्कारों में है। आजादी के दौर में ये लोग अपने घरों में बैठे हुए थे। शायद आप नहीं जानते कि जब एमरजेंसी लगी थी तो इन्होंने क्या किया था? यह माफी मांगने वालों की जमात है। सरकार को एक मिनट भी विलम्ब नहीं करना चाहिये। .... (व्यवधान).... आप सब को**बोलने की आदत है। देश में लाखों लोगों की आज पूरी तरह से बरबादी का इंतजाम हो गया है। यदि सरकार ने चार घंटे भी विलम्ब किया तो वह गुनाह होगा। आज से तो आपने गुनाह किया ही है और आगे और गुनाह करोगे। इनका सिंघल कुछ बोलता है, मुरली कुछ बोलता है, आडवाणी जी कुछ बोलते हैं और कल्याण जी कुछ कहते हैं। ये सब एक ही तरह के लोग हैं ....(व्यवधान)....

श्री मदन लाल खुराना: अध्यक्ष जी, यह ठीक शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। आप इस तरह से इन्हें क्यों बोलने की इजाजत दे रहे हैं। दूसरे सदन के माननीय सदस्य के बारे में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल न किया जाये।

श्री तारा चन्द खापर्डेलवाल: आपने अभी कहा था कि सदन के सभी सदस्य एक बराबर हैं। आप इनको इस तरह से और इतने समय के लिये बोलने की इजाजत क्यों दे रहे हैं।

श्री शरद यादव: यह जो कुछ अब बोल रहे हैं, उसके ये आदी हैं। इनके पास इसके सिवाय दूसरा कोई रास्ता नहीं है। यह गरीब, भूख और दूसरे सवालों पर कोई राजनीति नहीं करते हैं। यह कभी गाय का सहारा ले कर और कभी मन्दिर का सहारा ले कर कभी न कभी अपने रास्ते पर चलते रहते हैं। मेरी सरकार से विनती है कि इस देश के करोड़ों लोगों की तरफ से यह सरकार सोचे और जागे। वह नहीं जागेगी तो मुल्क बरबाद होगा, जल रहा है, जितनी आप देर कर रहे हैं, विलम्ब कर रहे हैं, देरी कर रहे हैं, उतना ही आप हिन्दुस्तान की आजादी के आन्दोलन के मूल्यों को खत्म करने का काम कर रहे हैं। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि आजादी की जंग की सारी कुर्बानी आज इन जैसे लोग, जो सिर्फ चुनाव के जरिये और चुनाव के चलते सिर्फ भावनाओं के सवालों को उठा-उठा कर यहां और वहां, यानि देश में बर्बादी का एक सिलसिला बना रहे हैं। हम लोगों ने आपसे कई बार निवेदन किया, यदि नहीं कर सकते हो, अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से इस देश के करोड़ों लोगों की तरफ से कहता हूं, नरसिंह राव जी, आप यदि लचर आदमी हो, आप यदि कमजोर हो तो छोड़ों इस गद्दी को या करो चुनाव, किसी नये आदमी को आने दो लेकिन कार्रवाई नहीं करते हो तो गद्दी छोड़ों या तत्काल कार्रवाई करो। जो करना है करो। करने के लिए अब समय बचा नहीं है।

वहां लाखों लोग इकट्ठा करके ये लोग पहुंचा रहे हैं। वहां कोई पहुंच नहीं रहा है, यह जबरिया सरकार के जरिये, चारों सरकारें वहां जबरिया लोगों को बसों में पहुचाने का काम कर रही हैं और बसों से लोग पहुंचाकर वहां इकट्ठा किया जा रहा है जिससे वहां भीड़ बढ़ाकर ये लोग अपने ही लोगों को कानून की रक्षा में वहां एक दंगा और कत्ले आम का वातावरण बनाना चाहते हैं। वहां बम पहुंचाये गये हैं, वहां तलवारें पहुंचाई गई हैं, वहां टैप्ट लग गये हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जितनी देरी होगी, उतना ही हिन्दुस्तान में खून-खराबा होगा और उस खूनखराबे के लिए यह सदन जिम्मेदार होगा, यह सरकार होगी। मैं इनसे आशा नहीं करता, यह तो कभी जिम्मेदार नहीं रहे, न जिम्मेदार आगे रहने वाले हैं। यह तो हिन्दुस्तान में नफरत की खेती करने वाले लोग हैं। हमेशा हिन्दुस्तान में ये लोग हिन्दुस्तान के गरीबों के किसी सवाल पर, किसी बात पर किसी तरह की कभी भी चर्चा नहीं करते, इन्हें राज मिलेगा सिर्फ भावनाओं के चलते।

अध्यक्ष जी, मैं आपसे विनती करना चाहता हूं, इस सरकार को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। नहीं करती

*अध्यक्षपीठ के आदेश से कार्यवाही-वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

तो इस सरकार को निश्चित तौर पर जाना चाहिए, नये आदमी को आना चाहिए या नये चुनाव होने चाहिए। हम लोग तैयार हैं, हिन्दुस्तान में इस सवाल पर इनके साथ मुकाबला करने के लिए...

श्री राजवीर सिंह: अध्यक्ष जी, एक सूचना देना चाहता हूं कि माननीय सदस्य ने यह कहा कि बसों में वहां लोगों को पहुंचाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने कारसेवकों को लाने को पाबन्द किया है, अनेक लोगों पर रोक लगाई गई है कि लोग वहां न जायें।

श्री चन्द्र शेखर (बालिया): अध्यक्ष जी, पिछले करीब 7-8 दिनों से यह दुखद प्रसंग बार-बार इस सदन में आता है और इस पर चर्चा भी बार-बार होती है। राष्ट्रीय परिषद् में भी इसकी चर्चा हुई।

हमारे जैसे लोग यह समझते थे कि वहां कोई हम सद्भावना के साथ रास्ता निकालने का काम करेंगे। दुर्भाग्य है कि वहां भी कुछ कदम हम तय नहीं कर पाये, जिसमें सब लोग मिल जुलकर कोई इसकी राह निकालें।

अध्यक्ष महोदय, यहां भाषण दोनों तरफ से होते हैं। मैं किसी के भाषण की चर्चा नहीं करूंगा लेकिन हर भाषण, जो बाहर उत्तेजना है, उसको और बढ़ाने में मददगार होता है। इसलिए मैं समझता हूं कि अब ऐसा समय आ गया है कि जो इस उत्तेजना से चिन्तित हैं और जो इससे परेशान हैं, वह लोग इस सदन की कार्यवाही में हिस्सा न लें। मेरे जैसे लोगों के लिए इस सदन में बैठना असम्भव सा हो गया है, क्योंकि, एक तरफ से एक बात और दूसरी तरफ से दूसरी बात होती है। मुझे इस बात से दुख होता है कि राजेश पायलट जी यह कहें कि सोमनाथ चटर्जी 356 लगाना चाहते हैं या नहीं, मैं नहीं जानता, राजेश पायलट सरकार चला रहे हैं या सोमनाथ चटर्जी की मदद से चला रहे हैं...(**व्यवधान**)...

अध्यक्ष महोदय, हम नहीं जानते कि वह क्या करना चाहते हैं लेकिन जिम्मेदारी केवल दो पार्टियों की है। एक पार्टी तो उत्तर प्रदेश सरकार चला रही है और दूसरी पार्टी जो भारत सरकार को चला रही है। दोनों लोग अपने मौन रहने से या भाषण करने से स्थिति को और उत्तेजनात्मक बनाते जायें और हम लोग भी उसमें हिस्सेदार होते जायें, यह बात कुछ अजीब दिखाई पड़ती है। मैं, हो सकता है गलत हूं लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक अन्धकारमय भविष्य की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, चाहे कुछ लोगों की सक्रियता से हो, चाहे दूसरों की निष्क्रियता से हो।

अध्यक्ष जी, मैं अपनी उत्तेजना में आपसे नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक इस मसले का कोई हल नहीं निकलता, चाहे वह शान्तिपूर्ण समझौते से हो, चाहे सरकारी कार्रवाई से हो... मेरे जैसा व्यक्ति तो कम से कम इसमें हिस्सेदारी नहीं लेगा। मैं यह समझता हूं कि यह संसद अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रही है। जो कुछ वहां पर हो रहा है या जिस तरह के तेवर दिखाए जा रहे हैं, यह देश को चलाने की बात नहीं है। राष्ट्रीय परिषद् की बैठक के बाद, क्षमा करेंगे हमारे मित्र खुरशा साहब और जसवन्त सिंह जी यहां बैठे हैं, जो ब्यान आज अखबारों में आए हैं आपके अध्यक्ष महोदय के और जो बयान वहां से दिए गए हैं, वे कोई शान्ति के रास्ते पर चलने वाले बयान नहीं है। पॉयलट साहब, आप अगर दिन काट रहे हों, काट लें दिन, लेकिन इतिहास दिन काटने से नहीं बनता है। इतिहास न इंतजार मेरी करेगा और न उन की करेगा, न आपकी करेगा, आज नहीं तो कल इतिहास अपना कठोर निर्णय करेगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं औरों की नहीं जानता हूं, बिना किसी से पूछे हुए मैं कह रहा हूं मेरे जैसा व्यक्ति इस सदन में इस सवाल पर किसी कार्यवाही में, किसी बहस में हिस्सा नहीं लेगा, क्योंकि मैं समझता हूं कि जितने बहादुरी के भाषण होते हैं, वह हर बहादुरी का भाषण उत्तेजना फैलाता है। अगर हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र यह समझते हैं कि इस शौर्य-प्रदर्शन से वह देश को नए रास्ते पर ले जायेंगे, तो उनको मुबारक हो।

अध्यक्ष महोदय: अभी भूतपूर्व प्रधान मंत्री, श्री चन्द्र शेखर जी, ने जो कहा है, उसमें बहुत तथ्य है। ऐसी

कोई बात यहां नहीं होनी चाहिए, न करनी चाहिए, जिस की वजह से बाहर परिस्थिति बिगड़ जाए। जिसको जो कर्तव्य करना है, वह कर्तव्य करें और हम लोगों को जो बोलना है, वह इस प्रकार से बोलें...

...(व्यवधान)...

[अनुवाद]

श्री श्रीकांत जेना (कटक): अब हमें सदन को स्थगित कर देना चाहिये, शांति रखें और सरकार से कार्यवाही करने को कहिए। उसके बाद हमें इस बारे में और बहस नहीं करनी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने जो कहा है हमें उनकी भावना को समझना चाहिये। उन्होंने यह नहीं कहा है.....

....(व्यवधान)....

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप मेरी बात पहले सुन लें। आप में इतनी कट्सी नहीं कि मैं जब बोल रहा हूं, आप मेरी बात सुन लें। मैं आपको कह रहा हूं कि हाउस एडजॉर्न करना बहुत आसान है, मैं यह कह दूं कि हाउस एडजॉर्न हो गया, तो हाउस एडजॉर्न हो जाएगा। ऐसा नहीं है।

....(व्यवधान)....

अध्यक्ष महोदय: देखिये, आप मुझे बोलने दीजिए। अगर आप इस तरह से करते जायेंगे, तो कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा।

....(व्यवधान)....

अध्यक्ष महोदय: जब मैं खड़ा हूं, तो भी मुझे बोलने नहीं देते हैं। मैं यह कहा रहा हूं कि हम यहां पर बैठक कर इस प्रकार से बात करें कि एक बड़ा मसला हमारे सामने है, वह मसला किस प्रकार से हल किया जा सकता है और हल करते समय हम लोगों के मन में कोई चोट न लगे और परिस्थितियां न बिगड़ें, इस बात को ध्यान में रख कर चर्चा करनी है। इसको कोई रोक नहीं रहा है, मगर ऐसी जब चर्चा आती है तो एक दफा में चार-चार इकट्ठे होकर बोलें और जब एक भी बोले, तो इस भाषा में बोले की लोगों के मन दुखें, ऐसा मत कीजिये। यह मेरी विनती आपसे है। भावना तीव्र है और आपके मन की भावना तीव्र शब्दों में भी प्रकट हो सकती है। उससे किसी को आरोप नहीं लग रहा है, मगर इसके असरात क्या होते हैं, यह आपको ध्यान में रखना चाहिये।

....(व्यवधान)....

श्री दिग्विजय सिंह (राजगढ़): अध्यक्ष महोदय, आदरणीय चन्द्रशेखर जी ने जो मत यहां व्यक्त किया है, वाकयी जिस गंभीर दौर से यह देश गुजर रहा है, उसमें यह आवश्यक है कि कोई-न-कोई निर्णय हमारे केन्द्रीय शासन को शीघ्र लेना चाहिये। मुझे इस बात का अचम्भा है कि आज भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिन्दु परिषद्, आर०एस०एस० और बजरंग दल के रवैये से देश को अचम्भा हो रहा है। ये तो शुरू से इस बात के हिमायती रहे हैं, आई-विटनैस में आडवाणी जी ने कहा है कि हम कोर्ट के आदेश को नहीं मानेंगे। रथ यात्रा के दौरान, उन्होंने कहा है कि हम कोर्ट के आदेश को नहीं मानेंगे। सिंघल जी कह रहे हैं कि देश के 33 करोड़ देवता भी आ जायें, तो हम काम को रोकने वाले नहीं है। ये कोर्ट का आदेश मानेंगे! राज्य सरकार का यह ढोंग ज्यादा दिन तक नहीं चलना चाहिये। वहां अयोध्या में जो स्थिति उत्पन्न हो रही है, उसके गंभीर परिणाम निकल सकते हैं। आज के हालात जिस तरीके के हैं, उसमें पूरे देश में साम्प्रदायिक शक्तियों को जो बढ़ावा मिल रहा है, उस पर गंभीरता से सोचना पड़ेगा। चाहे आर०एस०एस० हो, चाहे बजरंग दल हो, चाहे विश्व हिन्दू

परिषद् हो, जो समाज में एक दूसरे के प्रति नफरत फैलाता है ....उसको समाज में और इस देश में मान्यता देने का, रहने का कोई अधिकार नहीं हो सकता।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज यह समय आ गया है जब यह देश इस बात पर विचार करे, क्या ऐसी साम्प्रदायिक कटुता फैलाने वाले लोगों को इस देश में रहने का हक है। उनको अपनी विचार धारा प्रतिपादित करने का अधिकार है मध्य प्रदेश में जगह-जगह बोर्ड लगे हुए हैं, हिन्दू राष्ट्र के गठन के लिए, बजरंग दल आपसे सहयोग चाहता है, इस देश में सशस्त्र क्रांति की ओर चलिए। क्या इस तरह से ये भारतीय परम्परा के अनुसार यह जनतंत्र चल सकता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आज पहल की है, मैं चाहता हूं कि हमारी जितने भी देश में धर्मनिरपेक्ष पार्टियां हैं, धर्मनिरपेक्ष पर विश्वास रखने वाले लोग हैं उनका आज यह दायित्व है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथ मजबूत करें, उन्हें आज एक निर्णय लेने के लिये उनके हाथ मजबूत करें; क्योंकि इस तरह से काम नहीं चलेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जो वहां पर अयोध्या में हालात हैं, केवल अधिग्रहण से काम नहीं चलेगा, अधिग्रहण करके आप क्या करिएगा। अधिग्रहण रह कर उनकी पुलिस से आप कंट्रोल करिएगा। उनके शासन से, प्रशासन से आप कंट्रोल करिएगा। आज के हालात को देखते हुये इस बात को मानना पड़ेगा कि आर्टीकल 356 के तहत शीघ्रातिशीघ्र कार्यवाही करनी चाहिये अन्यथा न तो संविधान रहेगा और न हम यहां प्रजातंत्र इस देश में रख पाएंगे। मैं माननीय प्रधान मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि जिस तरह से हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया जा रहा है, जिस प्रकार आज अयोध्या में और अयोध्या के माध्यम से पूरे देश में साम्प्रदायिकता फैलाई जा रही है उस पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है।

आज ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में दंगे नहीं हो रहे (व्यवधान) अरे, अगर दंगे कराने वाले नहीं चाहेंगे तो कैसे हो जाएंगे। आज केरल में दंगे हुये तो किस ने कराए। आर०एस०एस० और आई०एस०एस० दोनों ने करवाए। (व्यवधान) आर०एस०एस० और आई०एस०एस० को कोई समझौता है। ये जितने भी साम्प्रदायिक संगठन हैं, एक सिक्के के दो पहलू हैं इसलिये इन दोनों पर रोक लगाना चाहिये। मालेगांव में झगड़ा किस ने करवाया, इस देश में जितने भी दंगे होते हैं। (व्यवधान) चाहे हिन्दू या मुस्लिम संगठन हो, ऐसे संगठन जोकि इस देश में साम्प्रदायिकता फैलाते हैं, जो साम्प्रदायिक कटुता फैलाते हैं उन पर तत्काल रोक लगनी चाहिये, नहीं तो न कोई समाज रहेगा और न कोई देश रहेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे शरद् यादव जी ने जो बात कही है कि हमारा देश नहीं हो सकता है, लोग हो सकते हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: नहीं। वे शब्द रिकार्ड में नहीं जायेंगे।

[हिन्दी]

श्री दिग्विजय सिंह: मैं आपसे और माननीय चन्द्रशेखर जी से निवेदन करता हूं कि यह समय पीछे हटने का नहीं है, यह समय सदन से हटने का नहीं है। इस समय आप और हम सब मिल कर इस देश की घोर साम्प्रदायिकता के विरुद्ध संघर्ष छेड़े, सदन के अंदर और सदन के बाहर भी, गली कूचे में, नगर-कस्बों में, तब जाकर हम साम्प्रदायिकता पर अंकुश लगा पाएंगे। आज मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पूरे देश की साम्प्रदायिकता से लड़ने वाली शक्तियां, साम्प्रदायिक सदभाव में विश्वास रखने वाली शक्तियां, आज माननीय प्रधानमंत्री जी का हाथ मजबूत करें ताकि वे इस देश से साम्प्रदायिक कटुता से

लड़ने के लिये और अपना सद्भाव कायम करने के एक मजबूत कदम उठा सकें। हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार जोकि अपने आप से परे संवैधानिक अधिकार खो चुकी है उसे तत्काल बर्खास्त करें। (व्यवधान)

श्री तरित बरन तोपदार (बैरकपुर): महोदय, यह निरोनियन सरकार जो किसी तरह अनेक पार्टियों को तोड़कर किसी तरह से अविश्वास प्रस्ताव से तो बच गई है लेकिन उसका इस मुद्दे पर टाल-मटोल का रवैया अपनाना बहुत ही खतरनाक है। इसलिये, मैं इस मुद्दे पर कुछ नहीं कहूंगा। भाषण तो बहुत दिये जा सकते हैं लेकिन देश जल रहा है और यह 'नीरो सरकार' अंतिम क्षण में बच जाने की खुशी मना रही है। महोदय, मैं आपको यह निवेदन करना चाहूंगा कि कुछ दिनों से जो यहां तथ्य और विचार प्रकट किये जा रहे हैं उससे आप भली-भांति समझ गये होंगे कि उत्तर प्रदेश में संवैधानिक ताने-बाने को बर्बाद किया जा रहा है। न्यायपालिका के आदेश को नहीं माना जा रहा है। उच्च न्यायालय की निर्णय को रौंदा जा रहा है। इसलिये मेरा सरकार से तत्काल कदम उठाने का आग्रह है। हम जानना चाहते हैं कि वह क्या कदम उठाने जा रही है। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे यह अनुरोध है कि आप शीघ्र ही बल्कि अभी अपनी ओर से इस आशय का एक प्रस्ताव प्रस्तुत करें कि यह सदन उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को पालन नहीं करने की कार्यवाही की निंदा करता है। यह मेरा प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

श्री रामनगीना मिश्र (पडरौना): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है.....।

श्री तेज नारायण सिंह (बक्सर): अध्यक्ष महोदय, हम लोग बड़ी देर से हाथ उठा रहे हैं, यदि कुछ ही लोगों को बुलवाना है तो हम लोग चले जाते हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आपको भी बोलने का समय दिया जाएगा, आप बैठ जाइए। एक-एक करके ही तो सब बोलेंगे, सब एक साथ तो नहीं बोल सकते।

(व्यवधान)

श्री रामनगीना मिश्र: माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से पूरे सदन से एक प्रार्थना करना चाहता हूं, सत्ता पक्ष के नेताओं से और विपक्ष के नेताओं से, यहां बैठ कर सारे पक्ष के लोगों के विचार हमने सुने हैं, आज देश की जो परिस्थिति है, इस पर अगर सदन गंभीरता से विचार नहीं करेगा और विपक्ष तथा पक्ष के नेताओं द्वारा उत्तेजक भाषण दिए जाएंगे तो उससे स्थिति बनने के बजाए और बिगेड़गी।

मैं एक प्रार्थना करना चाहता हूं कि अविश्वास प्रस्ताव पर बोलते समय माननीय प्रधान मंत्री जी ने यह बयान दिया था और सभी पक्ष के नेताओं ने, श्री सैयद शाहाबुद्दीन हों, चाहे मुस्लिम लीग के नेता हों, शुरू से ही सब का यह विचार रहा है कि जो विवादित ढांचा है, जिसको मंदिर-मस्जिद कहा जा रहा है, उसको नुकसान न हो, झगड़ा सिर्फ यह था, किंतु जिस जगह पर मंदिर बन रहा है और कांग्रेस के समय में जहां शिलान्यास हुआ है, जिसके बारे में हमारे दो-दो गृह मंत्री बयान दे चुके हैं, भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री वी०पी० सिंह के समय में और कांग्रेस के समय में भी यह जगह विवादित नहीं थी, वहां पर मंदिर बन रहा है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मुझे थोड़ा सा बोलने का समय दीजिए।

अध्यक्ष महोदय: आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं, थोड़ा संक्षेप में बोलिए तो अच्छा रहेगा।

श्री रामनगीना मिश्र: अब प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने उस विवादित ढांचे के बारे में कहा है कि हम उसको नुकसान नहीं होने देंगे। उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी कहा है कि हम नुकसान नहीं होने देंगे।

डिसप्यूटिड जगह को छोड़ कर बाकी जगह राम का मन्दिर बनाया जाएगा। (व्यवधान) अगर विरोधी दल के नेता जो कम्यूनिस्ट पार्टी के हैं, जनता दल के हैं वे उसका विरोध करें और कांग्रेस के लोग विरोध न करें तो बात समझ में नहीं आती है। आखिर आप देश को कहां ले जाना चाहते हैं। देश का बटवारा हिन्दू मुसलमान के नाम पर हुआ था, झगड़े पर हुआ था। हिन्दू सदैव से सहानुभूति वाला है और विरोध की भावना नहीं रखता है। वह दूसरों को गले से लगाने की बात करता है, गले से लगाने की भावना रखता है। हिन्दू सोचते हैं कि मुसलमान हमारा छोटा भाई है हम बड़े भाई हैं। उसकी भावना यह नहीं है कि उससे नफरत करें। आज हमें देखने में आ रहा है कि हमारे दल के लोगों पर आपेक्ष लगा रहे हैं। जो सदन में विरोधी दल के भाई बैठे हुए हैं, क्या यह बात उनको मालूम नहीं है कि झगड़ा केवल विवादित मन्दिर मस्जिद का था, जहां मन्दिर बन रहा है उसका नहीं है। झगड़ा मन्दिर-मस्जिद का नहीं है, मन्दिर जो बन रहा है उसका झगड़ा नहीं है। साथ ही मैं कहूंगा कि इतने उत्तेजनापूर्ण भाषण यहां पर दिए गए हैं। (व्यवधान)

श्री राजेश कुमार (गया): अध्यक्ष जी, हम सबुह से कह रहे हैं, आप हमें बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं। यदि मौका नहीं देंगे तो हम सदन से वाक-आउट कर रहे हैं। (व्यवधान)

12.22 मध्य•

(तत्पश्चात् श्री राजेश कुमार और श्री मुमताज अंसारी ने सदन से बहिर्गमन किया।) (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य, आप संक्षेप से बोलिए, आपको बहुत ज्यादा नहीं बोलना है। [हिन्दी]

श्री राम नगीना मिश्र: अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि प्रधान मंत्री जी कहा कि विवादित ढांचे को छोड़ कर बाकी जगह राम मन्दिर बने, हम भी चाहते हैं। मैं निवेदन करूंगा सारे नेताओं से कि जहां मन्दिर बन रहा है उस पर विवाद नहीं होना चाहिए। हाई कोर्ट का जो फैसला है उसमें तरमीम होनी चाहिए। मैं तो नम्र निवेदन कर रहा था, लेकिन जनता दल के माननीय सदस्य खड़े हो गए। व्यवधान...

अध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाइये।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर): अध्यक्ष महोदय, हमें सुबह से टाईम नहीं मिला।

अध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाइये, मैं टाईम दे दूंगा।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह बहुत ही गलत बात है। मैं कह रहा हूं, आपको समय दे दूंगा, आप बैठ जाइये।

अध्यक्ष महोदय: मैं नहीं बोल रहा हूं। वह बोल रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री: अध्यक्ष महोदय, मैं बार-बार निवेदन कर रहा हूं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाइये, यह गलत तरीका है। मैंने कह दिया आपको टाईम दे दूंगा, फिर भी आप उठकर कह रहे हैं।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री: यह गलत है, हम अपनी बात आपसे कह रहे हैं। (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं अभी सभा को स्थगित करके चला जाऊंगा। यह ठीक नहीं है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री: अध्यक्ष जी, हम आपको अपनी बात कह रहे हैं।..

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: यह बेकार की बात है।...

(व्यवधान)

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री: मैंने प्वाइंट ऑफ आर्डर उठाया था, लेकिन आपने समय नहीं दिया।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: यह बेकार की बात है। मैं नहीं बोल रहा हूं, मैम्बर्स बोल रहे हैं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री सोनकर शास्त्री जी, अपना स्थान ग्रहण कीजिये। आपकी पार्टी के तीन चार लोग बोल चुके हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: सोनकर जी, अपना स्थान ग्रहण कीजिये। मैं आपको सदन में इस प्रकार के आचरण की अनुमति नहीं दे सकता।

(व्यवधान)

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री: यदि आप समय नहीं देते हैं तो मैं सदन से वाक-आउट कर करता हूं।

12.24 म०प०

[अनुवाद]

(तत्पश्चात् श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री ने सदन से बहिर्गमन किया।)

[हिन्दी]

श्री राम नगीना मिश्र: अध्यक्ष जी, हमारे जो दूसरे पक्ष के नेता हैं वे आज प्रधान मंत्री से यह चाहते हैं कि प्रधान मंत्री वह काम करें जो हमारे भूतपूर्व प्रधान मंत्री वी० पी० सिंह साहब ने और मुलायम सिंह जी ने किया। मैं सदन को आग्रह करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि अगर उसकी पुनरावृत्ति हुई तो मैं समझता हूं कि देश का भला होने वाला नहीं है। अगर शान्ति कायम रखनी है तो प्रधान मंत्री जी ने जो बयान दिया है, जहां पर मन्दिर बन रहा है वहां पर मन्दिर बनने दिया जाए।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह (फतेहपुर): अध्यक्ष महोदय, एक चीज क्लीयर कर देना चाहता हूं कि राम नगीना मिश्र जी ने यह कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार ने माना था कि विवादित स्थल पर शिलान्यास नहीं है और नेशनल फ्रन्ट की गवर्नमेंट ने भी यह माना था। पिछली सरकार जब हमारी थी, कागजात के आधार पर टीम लेकर हम गहराई में इस मामले में हम गए तो यह मालूम हुआ कि वह जगह भी विवादित है।

(व्यवधान)

श्री तेजनारायण सिंह (बक्सर): माननीय अध्यक्ष जी, सवाल यह है कि जो हाई कोर्ट का जजमेंट हुआ है तो उस जजमेंट को राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद के सवाल पर लागू किया जाए। उस पर सरकार को दो टूक जवाब देना चाहिए कि आखिर वह उस निर्णय को लागू करेगी या नहीं। उत्तर प्रदेश की सरकार हाई कोर्ट के आदेश को मानने के लिए तैयार नहीं है, यह साफ हो चुका है, चाहे उनके लीडर कितना बयान दें। सारे ब्यानों से यह आता है कि वह कोर्ट के आदेश को नहीं मानेंगे। देश के सामने सवाल यह है कि पूरे देश में उस कानून को रहने दिया जायेगा या छोड़ दिया जायेगा।..... **(व्यवधान)** अगर कोई लोक सभा का चुनाव जीतकर मैम्बर आता है और अगर उसके खिलाफ इलैक्शन पेटीशन फाईल होती है, कोर्ट के आदेश को मानने की बजाय अगर यह निर्णय हो गया कि आपका इलैक्शन नाजायज डिक्लेयर किया जाता है और इसके बावजूद अगर वह सभा का मैम्बर रहे और यह कहे कि आखिर हमें जनता ने यह चुनवा जीताकर भेजा है और हम कोर्ट का आदेश नहीं मानेंगे। क्या सरकार उसे लोक सभा में आने के लिए हुकूमत देगी। मैं समझता हूं कि सरकार हुकूमत नहीं देगी। सरकार को सख्ती से इस कानून का पालन करना चाहिए। अगर इस कानून का पालन नहीं किया जाता है तो देश में तब कानून का मखौल बनकर रह जायेगा। स्थिति यह होगी कि देश को टूटने से नहीं बचाया जा सकता है। हमारे नेता लोग आह्वान करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग हिन्दू राज बनाना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि हिन्दू ठेकेदार नहीं है। किसका हिन्दू राज बनाना चाहते हैं। मंदिर में भोग लगाने वाले का राज बनाना चाहते हैं या जिसको मंदिर में जाने का हुक्म नहीं देते उसका राज बनाना चाहते हैं। खेत-खलिहान में रहने वाले लोग मंदिर बनाने के विरोधी है। मस्जिद ढाहकर मंदिर बनाने का कोई आदेश नहीं दिया है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने केवल 32 परसेंट वोटों पर चुनाव जीता है। तमाम जनता का आपको समर्थन प्राप्त नहीं है और हिन्दुओं का समर्थन प्राप्त नहीं है। मैं, भारतीय जनता पार्टी से कुछ नहीं कहना चाहता इसलिए नहीं कहना चाहता कि कानून नहीं मानना है और कानून को तोड़ना है। हम जब जीतकर आते हैं तो यह शपथ लेते हैं कि देश की रक्षा करेंगे और देश के कानून का पालन करेंगे। हाई कोर्ट का फैसला जब इसके खिलाफ हो गया तो आज उसका मखौल बनाया जा रहा है। जिस दल के द्वारा कानून का मखौल बनाया जा रहा है तो वह देश को तोड़ने का काम कर रहा है और वह देश की एकता के पक्ष में नहीं है। अगर आपको देश को एक रखना है तो ठोस निर्णय लीजिए। इसके बाद यहां दूसरी कार्यवाही होगी। हमारे दल का फैसला है। उस फैसले को मानना है तो उसको तत्काल लागू कीजिए, अगर आपको कोई अलग फैसला है। रोगी नहीं जानता कि उसे कौन सी दवा खाने से आराम होगा। डॉक्टर जानता है कि किस दवा से रोगी को आराम मिलेगा। आप समझिए कि लापरवाही कैसी रुकेगी। आप उसका फैसला कीजिए। अगर नहीं किया गया और आप उस कानून को लागू नहीं करते हैं तो एक मिनट भी ईमानदारी से आपको गद्दी पर रहने का अधिकार नहीं है। सरकार में अगर ईमानदारी नहीं है तो मिनटों में फैसला लें। अभी जो काम हो रहा है वहां जो कानून का उल्लंघन हो रहा है तो उस कानून का उल्लंघन नहीं होने दे। कानून के मुताबिक जो भी पावर है तो उस पावर का इस्तेमाल करके जल्दी से जल्दी कार्यवाही की जाए। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। **(व्यवधान)**

श्री इब्राहिम सुलेमान सेट (पोन्नानी): अध्यक्ष महोदय, मैं स्थिति की गंभीरता से पूर्ण रूपेण परिचित हूं। मैं विषय से हटकर कोई मामला नहीं लाना चाहता। श्री चन्द्रशेखर ने जोरदार अपील की है। वह मामले को अच्छी तरह से समझते हैं। आज तथ्य यह है कि संविधान समाप्ति के कगार पर है। देश की अखंडता खंडित होने जा रही है क्योंकि अयोध्या में 10 दिन पहले इस महीने की नौ तारीख को निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश इस महीने की 15 तारीख को अर्थात् पांच दिन पहले आये। लापरवाही नहीं दिखा सकते। हम अनिश्चय की स्थिति में नहीं रह सकते। न्यायालय के आदेशों का पालन हो, इसके लिए पुरजोर कोशिश होनी चाहिये। इस देश की अखंडता तथा संविधान को बचाने का केवल यही एक तरीका है।

हम अच्छी तरह से जानते है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार न्यायालय के आदेशों को लागू करने के मामले में गंभीर नहीं है। हमने उनकी यह घोषणा सुनी है कि जो निर्माण कार्य शुरू हो चुका है उसे इस धरती की कोई ताकत नहीं रोक सकती और यह बात भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री जोशी ने कही है। यह कल के समाचार पत्रों में आया है। यह बहुत स्पष्ट है। श्री सिंघल ने कहा है कि लोग हजारों की संख्या में काम को जारी रखने के लिए वहां इकट्ठे हो रहे हैं, स्थिति यही है। केन्द्र सरकार को कार्यवाही करनी होगी। यह आकर्मण्य होकर नहीं बैठ सकती। अगर केन्द्र सरकार अनिश्चिया की स्थिति में रही तो राष्ट्र उन्हें कभी माफ नहीं करेगा क्योंकि वे संविधान और देश को विभाजित करने के लिए उत्तरदायी होंगे। अतः उन्हें कार्यवाही अवश्य ही करनी चाहिये। केवल सोचने से ही कुछ नहीं हो सकता। इस प्रकार से कुछ भी नहीं किया जा सकता। इसलिए, प्रधानमंत्री को यहां आकर बताना चाहिये कि वह क्या करने जा रहे हैं।

मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि यह अनुच्छेद 352 है या 356। अगर राज्य सरकार यह सोचती है कि उससे कुछ नहीं हो सकता तो केन्द्रीय सरकार को कार्यवाही करनी चाहिये। मैं जानता हूं कि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राज्य बलों और केन्द्रीय बलों में संघर्ष होगा। इसलिये केवल अनुच्छेद 356 के अंतर्गत ही कार्यवाही की जा सकती है।

केन्द्र सरकार राज्य सरकार को भंग करे और निर्माण कार्य को रोकने के लिए प्रशासन कार्य अपने हाथ में ले। यही केन्द्रीय सरकार को करना है। असंगत बातों पर चर्चा करने से कोई लाभ नहीं है। हमें असली मुद्दे पर बात करनी चाहिये। प्रधान मंत्री को यहां आना चाहिये और बताना चाहिये कि वह यह काम कब करने जा रहे हैं और तब तक सभा की कार्यवाही स्थगित रहनी चाहिये।

श्री वासुदेव आचार्य: महोदय, सरकार प्रतिक्रिया जाहिर क्यों नहीं कर रही हैं। **(व्यवधान)** महोदय, प्रधान मंत्री कब आयेंगे? हम मांग करते आ रहे हैं कि प्रधान मंत्री आयें और सभा को इस बारे में सूचित करें।

श्री सूरज मंडल (गोड्डा): अध्यक्ष महोदय, 8 तारीख से लोक सभा का सदन शुरू हुआ उसी दिन से अयोध्या के मामले को लेकर सदन में कई बार चर्चा हुई। उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भारत के गृह मंत्री के बीच में वार्ता हुई। फिर सदन में उस पर वक्तव्य दिया गया, उसके बाद राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक हुई जिसमें सारे देश के नेता, सभी पार्टीज़ के लोगों ने उसमें भाग लिया। सारे लोग आज सरकार को इस मामले पर समर्थन दे रहे हैं, सिवाय भारतीय जनता पार्टी के सभी राजनैतिक दल एकमत हैं कि वहां अयोध्या में आज उत्तर प्रदेश की सरकार कानून और व्यवस्था बनाये रखने में विफल हुई है। लेकिन अध्यक्ष महोदय आज लोक सभा और राष्ट्रीय एकता परिषद की हालत यह हो गई है जैसे गांव में जमीन के बंटवारे को लेकर पंचायत बैठती है तो उसमें ताकतवर और गरीब दोनों ही मौजूद रहते हैं। लेकिन ताकतवर कहता है कि पंचायत में हम बैठेंगे, बात सुनेंगे लेकिन खूंटा हम वहीं पर गाड़ेंगे जहां हमारी मर्जी होगी।

आज लोक सभा में, राष्ट्रीय एकता परिषद में भी यही बात हो रही है। उत्तर प्रदेश की सरकार और भारत सरकार के बीच में बात हो रही है लेकिन आज भारत के संविधान का और कोर्ट का जो आदेश है वह लागू करने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार सक्षम नहीं है, बल्कि वह नहीं चाहती है कि वहां पर कानून लागू हो, उनका पक्का इरादा है कि वहां मंदिर बनायेंगे। यह सरकार स्पष्ट करे कि दोनों के बीच क्या हो रहा है, क्योंकि ऐसे तो एक ओर मंदिर बनाने की चलती रहेगी और दूसरी ओर मंदिर का भी काम चलता रहेगा। क्या यह हिंदुस्तान में दंगा कराने की साजिश नहीं है। अगर भारत सरकार चाहती है कि शांति हो तो फिर भारत सरकार के जो कानून हैं उनका वह इस्तेमाल करे और इस देश को टूटने से बचाये। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं केवल श्री विश्वनाथ शास्त्री को अनुमति दे रहा हूं।

[हिन्दी]

श्री विश्वनाथ शास्त्री (गाजीपुर): अध्यक्ष जी, 8 तारीख से सदन में अयोध्या के मामले पर बहस हो रही है। हर प्रकार से जो प्रयास करना था, सारे प्रयास हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर एन०आई०सी० की बैठक तक बातचीत हुई है लेकिन अभी तक कोई...

अध्यक्ष महोदय: कोई नई बात कहिये, पुरानी बात दोहराने से कोई फायदा नहीं...

श्री विश्वनाथ शास्त्री: यह बात सही है कि आज हमारे देश के ऊपर सारी दुनिया की निगाह लगी हुई है कि हम अपने धर्मनिरपेक्ष सिद्धांत की रक्षा कर पायेंगे या नहीं? भारतीय संविधान की रक्षा होगी कि नहीं, भारत में रूल ऑफ लॉ लागू होगा कि नहीं? अब उत्तर प्रदेश की सरकार जो खुल्लम-खुल्ला कर रही है, मैं साफतौर पर कहना चाहता हूं कि ये मारीच बुद्धि लोग हैं, ये कालिनेम के भक्त हैं, वे वास्तविक रामभक्त नहीं हैं। जो भूमिका रामायण में मारीच और कालिनेमा ने की, वह भूमिका ये लोग निभा रहे हैं। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि भारत सरकार धर्मनिरपेक्षता की रक्षा करना चाहती है, संविधान की रक्षा करना चाहती है, कानून की रक्षा करना चाहती है या नहीं?

अध्यक्ष महोदय, यदि थोड़ी सी भी कानून के प्रति श्रद्धा है, धर्मनिरपेक्षता के प्रति लगाव है, भारतीय संविधान के प्रति आस्था है तो इसकी रक्षा के लिए फौरन कदम उठाये और यदि यह कदम नहीं उठता है तो जनता के सामने यह साफतौर पर आयेगा कि नूरा कुश्ती लड़ रहे हैं और आज जिस तरीके से चल रहा है, देश के प्रधानमंत्री रोम के नीरू की तरह बंसी बजा रहे हैं इसलिए मैं मांग करता हूं कि इसपर फौरन कदम उठाये जायें। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री तरित बरण तोपदार (बैरकपुर): महोदय, श्री अर्जुन सिंह वहां थे। प्रधानमंत्री वहां नहीं थे। हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री यहां आयें। अन्यथा, कोई फायदा नहीं। जब आपने मुझे अनुमति दी, तो मैंने कुछ नहीं बोला। यह बोलने का सवाल नहीं है। हम निश्चित कार्यवाही चाहते हैं और यह जानना चाहते हैं कि सरकार क्या करने जा रही है। हम जानते हैं कि वे क्या करने जा रहे हैं।

12.37 म०प०

(इस समय श्री तरित बरण तोपदार तथा कुछ अन्य सदस्य सभा पटल के निकट आकर खड़े हो गये।)

अध्यक्ष महोदय: सभा को 2 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित किया जाता है।

12.38 म०प०

(तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये 2.00 म०प० तक के लिये स्थगित हुई।)

2.02 मध्य०

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 2.02 मध्य० पर पुनः समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

बौद्ध तीर्थ स्थान

*163. **श्री प्रभु दयाल कठेरिया:** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार देश में बौद्ध तीर्थ स्थानों का विकास करने का है;

(ख) यदि हां, तो तीर्थ स्थान-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या किसी अन्य देश ने इस प्रयोजनार्थ सहायता की पेशकश की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) जापान सरकार के विदेशी आर्थिक सहयोग कोष से प्राप्त ऋण सहायता द्वारा एक परियोजना कार्यान्वित की जा रही है जिसमें उत्तर प्रदेश तथा बिहार के अनेक स्थान शामिल हैं। जहां तक बौद्ध तीर्थाटन के अन्य स्थानों का संबंध है, राज्य सरकारों को विशिष्ट परियोजना प्रस्तावों के लिए उनके गुण-दोष, धन की उपलब्धता और पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर रहते हुए वित्तीय सहायता दी जाती है।

(ग) और (घ) जी; हां। जापान सरकार के विदेशी आर्थिक सहयोग कोष के उत्तर प्रदेश तथा बिहार राज्यों में अभिनिर्धारित बौद्ध परिपथ पर आधारभूत सुविधाओं का विकास करने के लिए सहायता देने की पेशकश की है। विदेशी आर्थिक सहयोग कोष इस परियोजना के लिए 9.244 बिलियन जापानी येन उपलब्ध कराएगा।

[अनुवाद]

अंगूरी विद्युत संयंत्र

*164. **श्री उद्धव बर्मन:** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) असम में गैस-आधारित अंगूरी विद्युत संयंत्र इस समय किस चरण में है;

(ख) क्या इसका निर्माण कार्य आरम्भ हो गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय): (क) से (ग) असम में अंगूरी में 360 मेगावाट क्षमता के गैस-आधारित संयुक्त साइकिल विद्युत संयंत्र की प्रतिष्ठापना संबंधी स्कीम को योजना आयोग द्वारा 408.25 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर अगस्त, 1991 में स्वीकृति प्रदान की गई है। परियोजना के लिए भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है और समतलन कार्य प्रगति पर है। मुख्य संयंत्र एवं उपस्कर के लिए अभी आर्डर नहीं दिए गए हैं। राज्य सरकार का इस परियोजना को एशियाई विकास बैंक की ऋण सहायता से

कार्यान्वित किए जाने का प्रस्ताव है। ऋण सहायता अभी सुनिश्चित नहीं की गई है।

असम की राज्य सरकार द्वारा इस परियोजना के निजी क्षेत्र में कार्यान्वयन के सन्दर्भ में भावी निवेशकों से भी प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं।

बिहार में डाकघरों और पंचायतघरों में टेलीफोन

*165. **श्री साईमन मरांडी:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार में कितने डाकघरों में अब तक टेलीफोन नहीं लगाये गये हैं तथा कितने डाकघरों से टेलीफोन हटाकर पंचायतघरों में लगा दिये गये हैं;

(ख) राज्य में कितने पंचायतघरों में अब तक टेलीफोन सुविधा प्रदान नहीं की गई है; और

(ग) कितने पंचायतघरों में टेलीफोन सुविधा प्रदान की गई है तथा इस प्रयोजनार्थ 1990-91 और 1991-92 के दौरान कितनी धनराशि खर्च की गई है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट): (क) 31.3.1992 की स्थिति के अनुसार देश में 7960 डाकघर बिना टेलीफोन सुविधा के हैं। उन डाकघरों की संख्या के बारे में आंकड़े एकत्र किए जा रहे हैं जहां से टेलीफोन हटाकर पंचायत भवनों में संस्थापित किए गए हैं।

(ख) 11,678 पंचायत ग्रामों में से 4384 ग्रामों में टेलीफोन सुविधाएं हैं। अब तक (15 जुलाई 92 को) 7294 पंचायत ग्रामों में टेलीफोन सुविधा प्रदान नहीं की जा सकी है।

(ग) ब्यौरा इस प्रकार है:—

वर्ष	पंचायत ग्रामों की संख्या जहां यह सुविधा प्रदान की गई	व्यय की गई अनुमानित राशि
1990-91	35	43,75,000 रु०
1991-92	1005	15,07,05,000 रु०

[अनुवाद]

दूरसंचार सेवाओं का उदारीकरण

*166. **श्री मनोरंजन भक्त:**
श्री जार्ज फर्नान्डीज:

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरसंचार विशेषज्ञों ने दूरसंचार सेवाओं के उदारीकरण की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य विशेषताएं क्या हैं और सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या दूरसंचार विशेषज्ञों ने यह बताया है कि दूरसंचार के किन-किन प्रमुख क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं का उदारीकरण किया जाये; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट): (क) जी हां, एक विशेषज्ञ समिति ने सिफारिश की है कि मूल्य वर्धित दूरसंचार सेवाओं का संचालन विधिवत् रूप से प्राधिकृत विशेष विक्रय अधिकार धारक द्वारा किया जा सकता है।

(ख) से (घ) टेलीफोन, टेलीग्राफ, टेलेक्स आदि को छोड़कर अन्य मूल्य वर्धित दूरसंचार सेवाएं गैर आमूल दूरसंचार सेवाएं हैं। सरकार ने निम्नलिखित सेवाओं के विक्रय अधिकार देने का निर्णय लिया है ताकि इन सेवाओं की व्यवस्था और इनका परिचालन पंजीकृत भारतीय कंपनियों द्वारा लाइसेंस के अन्तर्गत किया जा सके:

1. सेलुलर मोबाइल रेडियो टेलीफोन

2. रेडियो पेजिंग

3. इलेक्ट्रानिक मेल

4. वीडियो टेक्स

5. वॉयस मेल

6. वीडियो कानफ्रेंसिंग

7. मानिंग अलार्म सेवा

सेलुलर मोबाइल रेडियो टेलीफोन सेवा तथा रेडियो पेजिंग सेवा के लिए टेंडर आमंत्रित किए गए थे और टेंडर खोले गए। इन टेंडरों का मूल्यांकन किया जा रहा है।

भारतीय कम्पनियों के क्रम संख्या 3 से 7 तक की सेवाओं के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किये गए जो लाईसेंस के अंतर्गत इन सेवाओं को प्रदान करेंगी।

ताप विद्युत केन्द्र

*167: **श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये:** क्या विद्युत मंत्री 3 सितम्बर, 1991 के अतारांकित प्रश्न सं० 5470 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में सभी ताप विद्युत केन्द्रों की उत्पादकता में अल्प "प्लांट लोड फेक्टर" के संदर्भ में इस बीच कोई सुधार हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय): (क) और (ख) राष्ट्रीय औसत प्लांट लोड फैक्टर (पी०एल०एफ०) जोकि वर्ष 1990-91 में 53.8% था, 1991-92 में बढ़कर 55.3% हो गया है। वर्ष

1990-91 और 1991-92 के दौरान देश के ताप विद्युत केन्द्रों के प्लांट लोड फैक्टर का राज्यवार/प्रणालीवार/केन्द्रवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

राज्य/प्रणाली/केन्द्र का नाम	संयंत्र भार गुणक(%)	
	1990-91	1991-92
1	2	3
दिल्ली		
इन्द्रप्रस्थ	57.8	60.8
राजघाट	34.0	49.5
दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान	50.9	57.1
बदरपुर	67.2	64.2
दिल्ली	61.4	61.5
हरियाणा		
फरीदाबाद विस्तार	47.9	56.6
पानीपत	30.2	43.2
हरियाणा राज्य विद्युत बोर्ड	34.6	45.9
हरियाणा	36.8	46.9
राजस्थान		
कोटा	42.8	66.3
राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड	42.8	66.3
पंजाब		
भटिण्डा	56.4	49.8
रोपड़	51.2	54.5
पंजाब	53.0	52.8
उत्तर प्रदेश		
ओबरा	63.4	50.6
पनकी	29.2	15.6
हरदुआगंज "क"	9.9	—
हरदुआगंज "ख" एवं "(ग)"	19.2	21.3
परीछा	25.4	29.5
अनपरा	67.8	72.0
टाण्डा	39.4	23.3
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड	52.1	44.4
ऊँचाहार (यूपीआरवीयूएन)	—	35.4
नेशनल थर्मल पॉवर स्टेशन (सिंगरौली)	68.5	77.9

1	2	3
रिहन्द	55.9	74.2
उत्तर प्रदेश	58.3	59.1
गुजरात		
धुवरण	61.7	63.6
उकाई	62.4	51.4
गांधी नगर	59.9	63.5
वानकबोरी	53.3	52.7
सिक्का	46.2	53.5
कच्छ लिग्नाइट	71.6	47.5
गुजरात विद्युत बोर्ड	57.7	57.0
ए०ई० कम्पनी	62.0	49.7
साबरमती	67.8	69.5
गुजरात [illegible]	67.1	67.2
गुजरात	58.7	58.0
महाराष्ट्र		
नासिक	58.6	60.6
कोराडी	60.4	63.7
पारस	41.3	61.9
भुसावल	74.2	65.1
परली	45.1	42.5
चन्द्रपुर	57.6	68.9
खापरखेड़ा	66.4	68.0
महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड	58.2	61.3
ट्राम्बे	54.7	53.0
महाराष्ट्र	57.4	59.4
मध्य प्रदेश		
सतपुड़ा	141.51	43.6
कोरबा	61.6	41.6
अमरकंटक	38.2	40.6
कोरबा वैस्ट	68.8	63.2
मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड	52.7	49.1
एनटीपीसी कोरबा	61.9	70.8
एनटीपीसी विन्ध्याचल	61.3	69.5
मध्य प्रदेश	57.4	60.7
आन्ध्र प्रदेश		
कोठागुडम	50.5	50.5
विजयवाड़ा	83.8	72.5
रामागुण्डम "ख"	73.2	56.5

1	2	3
नैल्लौर	23.6	45.2
आन्ध्र प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड	65.8	62.1
एनटीपीसी (रामागुण्डम)	51.9	61.4
आन्ध्र प्रदेश	58.3	61.7
कर्नाटक		
रायचुर	76.3	59.1
तमिलनाडु		
एन्नौर	51.0	47.6
तूतीकोरिन	71.4	70.1
मैत्तूर	51.1	48.5
तमिलनाडु बिजली बोर्ड	58.3	55.4
नैवेली	69.6	66.8
तमिलनाडु	63.0	60.1
बिहार		
पतरातू	24.8	19.7
बरौनी	25.0	19.6
मुजफ्फरपुर	20.1	28.8
बिहार	24.0	21.3
उड़ीसा		
तलचेर	34.0	30.2
पश्चिम बंगाल		
बन्देल	39.9	44.2
सन्यालडीह	21.6	15.9
पश्चिमी बंगाल राज्य बिजली बोर्ड	30.9	30.7
कोलाघाट (डब्ल्यूबीपी॰ डेवलपमेंट कारपोरेशन)	57.3	61.1
दुर्गापुर प्रोजेक्ट लिमिटेड	24.5	17.7
कलकत्ता बिजली सप्लाई कम्पनी	60.8	58.3
एनटीपीसी फरक्का	53.5	60.6
पश्चिमी बंगाल	43.8	46.0
दामोदर घाटी निगम		
चन्द्रपुर	28.1	29.7
दुर्गापुर	34.2	34.1
बोकारो	42.8	40.5
दामोदर घाटी निगम	33.3	33.6

1	2	3
असम		
चन्द्रपुर	45.6	45.5
नामरूप	35.9	28.6
बोंगईगांव	18.6	18.9
गैस टर्बाइन	28.0	20.4
असम	27.7	24.7
अखिल भारत	53.8	55.3

उत्तर प्रदेश में टेलीफोन एक्सचेंजों को इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों में बदलना

*168. श्री राजबीर सिंह:

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश में 1991-92 के दौरान कितने टेलीफोन एक्सचेंजों को इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों में बदले जाने का प्रस्ताव था;

(ख) उनमें से कितने एक्सचेंज इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों में बदले जा चुके हैं और कितने एक्सचेंजों को अभी बदला जाना है; और

(ग) शेष एक्सचेंजों को कब तक इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों में बदल दिए जाने की संभावना है तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट): (क) 1991-92 के दौरान उत्तर प्रदेश में 217 टेलीफोन एक्सचेंजों को इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों में बदलने का प्रस्ताव था।

(ख) यथा प्रस्तावित 217 के विरुद्ध 225 टेलीफोन एक्सचेंजों को इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों में बदला गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

गांवों में टेलीफोन सुविधाएं

*169. प्रो० रीता वर्मा:

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्यवार कितने गांवों में टेलीफोन सुविधाएं उपलब्ध हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार वर्ष 1992-93 के दौरान और अधिक गांवों में यह सुविधा देने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट): (क) प्रान्तीय दूरसंचार सर्किल कुछ मामलों में राज्यों की सीमाओं के साथ आबद्ध नहीं हैं। देश में सर्किलवार टेलीफोन सुविधा युक्त गांवों की संख्या संलग्न विवरण-1 में दी गई है। राज्य-वार ब्यौरे एकत्र किए जा रहे हैं और सभा-पटल पर रख दिए जाएगें।

(ख) जी, हां।

(ग) 1992-93 के लिए 36,509 पंचायत गांवों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसका सर्किलवार ब्यौरा संलग्न विवरण-2 में दिया गया है। राज्य-वार ब्यौरे एकत्र किए जा रहे हैं।

विवरण-1

31.3.92 की स्थिति के अनुसार टेलीफोन सुविधा युक्त गांवों की सर्किलवार स्थिति

क्रम सं०	सर्किल	ग्रामों की कुल संख्या	टेलीफोन सुविधा युक्त गांवों की सं०
1.	आंध्र प्रदेश	27,221	11,183
2.	असम	22,224	1,098
3.	बिहार	67,566	5,936
4.	गुजरात	18,518	4,053
5.	हरियाणा	6,731	2,358
6.	हिमाचल प्रदेश	16,916	1,810
7.	जम्मू एवं कश्मीर	6,503	685
8.	कर्नाटक	26,826	4,441
9.	केरल	1,451	1,462
10.	मध्य प्रदेश	71,352	8,292
11.	महाराष्ट्र	36,187	6,731
12.	उत्तर-पूर्व	15,192	678
13.	उड़ीसा	46,992	3,173
14.	पंजाब	12,188	1,930
15.	राजस्थान	33,305	3,927
16.	तमिलनाडु	15,735	7,843
17.	उत्तर प्रदेश	1,12,561	7,428
18.	पश्चिम बंगाल	38,679	2,047
19.	दिल्ली संघ शासित प्रदेश	243	182
	जोड़	5,76,390	75,257

विवरण-2

वर्ष 1992-93 के लिए लक्ष्य

क्रम सं०	सर्किल	लक्ष्य
1.	आंध्र प्रदेश	3050
2.	असम	550
3.	बिहार	2000
4.	गुजरात	3000
5.	हरियाणा	1200
6.	हिमाचल प्रदेश	200
7.	जम्मू एवं कश्मीर	125
8.	कर्नाटक	1500
9.	केरल	100
10.	मध्य प्रदेश	5000

क्रम सं॰	सर्किल	लक्ष्य
11.	महाराष्ट्र	5000
12.	उत्तर-पूर्व	417
13.	उड़ीसा	1000
14.	पंजाब	2000
15.	राजस्थान	1800
16.	तमिलनाडु	1900
17.	उत्तर प्रदेश	6858
18.	पश्चिम बंगाल	800
19.	दिल्ली संघ शासित प्रदेश	9
	जोड़	36,509

[हिन्दी]

यमुना नदी बोर्ड

*170. **श्री राम वचन:**

क्या जल संसाधन मंत्री 27 अप्रैल, 1992 के तारांकित प्रश्न सं॰ 758 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यमुना नदी के समन्वित विकास और प्रबंधन के लिए यमुना नदी बोर्ड का गठन कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके सदस्य कौन-कौन हैं;

(ग) इसके निवेशपद क्या हैं; और

(घ) इस बोर्ड द्वारा अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

टेलीफोन कनेक्शन

*171. **श्री ए॰ चार्ल्स:**
श्री हाराधन राय:

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में अब तक, राज्य-वार और श्रेणी-वार, टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा-सूची में कितने व्यक्ति दर्ज हैं;

(ख) वर्ष 1992-93 के दौरान, राज्य-वार और श्रेणी-वार कितने टेलीफोन कनेक्शन मंजूर किए जाने की संभावना है; और

(ग) प्रतीक्षा-सूचियों में दर्ज सभी व्यक्तियों को कब तक टेलीफोन कनेक्शन दे दिए जायेंगे?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट): (क) 30.6.92 की स्थिति के अनुसार राज्य-वार और श्रेणी-वार प्रतीक्षा-सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) वर्ष 1992-93 के दौरान राज्य-वार मंजूर किये जाने वाले संभावित टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या अनुबंध-1 में दी गई है। विभिन्न राज्यों में जारी करने के लिए उपलब्ध कनेक्शनों में से विभिन्न तीन श्रेणियों के अंतर्गत आबंटन के लिए टेलीफोन कनेक्शनों का प्रतिशत इस प्रकार है:—

ओ वाई टी	:	40%
गैर-ओ वाई टी विशेष	:	20%
गैर-ओ वाई टी सामान्य	:	40%

(ग) नये टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने के लिए आठवीं योजना के उद्देश्यों में निम्नलिखित शामिल हैं:—

— ग्रामीण और जन जातीय क्षेत्रों में वस्तुतः मांगे जाने पर टेलीफोन प्रदान करना।

— बड़ी टेलीफोन प्रणालियों में प्रतीक्षा-सूची को दो वर्ष की अवधि तक सीमित रखना।

अतः यह आशा की जाती है कि वर्तमान प्रतीक्षा-सूची आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्तरोत्तर रूप से निपटा दी जाएगी।

विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	30.6.92 की श्रेणीवार प्रतीक्षा-सूची				1992-93 के दौरान प्रस्तावित अतिरिक्त सीधी एक्सचेंज लाइनों के लक्ष्य
		ओवाईटी	विशेष	सामान्य	कुल	
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	8808	9533	122076	140417	66000
2.	असम	462	756	11719	12937	10000
3.	बिहार	498	225	18098	18821	28000
4.	गुजरात (दमन दादर और नागर (हवेली सहित)	14513	9146	174390	198049	94000
5.	हरियाणा	3730	2522	68421	74673	26000
6.	हिमाचल प्रदेश	147	111	13203	13461	7000
7.	जम्मू एवं कश्मीर	1055	1447	20563	23065	3500
8.	कर्नाटक	7652	8079	133838	149569	46000
9.	केरल	16463	9768	205432	231663	80000
10.	मध्य प्रदेश	2434	3174	82656	88264	50000
11.	महाराष्ट्र (गोवा सहित)	45724	11597	408362	465683	116500
12.	उत्तर-पूर्व (अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड और त्रिपुरा सहित)	580	430	5830	6840	7000
13.	उड़ीसा	23	80	6383	8486	9000

1	2	3	4	5	6	7
14.	पंजाब (चंडीगढ़ सहित)	8701	10467	137227	156395	23000
15.	राजस्थान	6280	8363	131129	145772	32000
16.	तमिलनाडु (पांडिचेरि सहित)	20087	14619	213717	248423	65000
17.	उत्तर प्रदेश	3566	5734	112245	121545	70000
18.	पश्चिम बंगाल	2470	2064	62628	67162	37000
19.	संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली	20671	3657	312324	336652	80000
	जोड़	163864	101772	2240241	2505877	850000

खानों की खोज

*172. **श्री के० पी० रेड्डय्या यादव:**

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण के माध्यम से आन्ध्र प्रदेश में नई खानों का पता लगा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्य में किन-किन स्थानों पर सर्वेक्षण किया जा रहा है?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव): (क) जी हां।

(ख) और (ग) भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण (जी० एस० आई०) द्वारा आन्ध्र प्रदेश के विभिन्न भागों में खनिज-वार प्राथमिक अन्वेषण और गवेषण निम्नवत किया जा रहा है:—

खनिज	गवेषण वाले क्षेत्र
स्वर्ण	कोटापल्ली, रामपुरम-भद्रमपल्ली, पंका चेरला, चाबला-विदुपंकालू तथा कादिरी क्षेत्र (जिला अनन्तपुर), विसनाथम तथा कालाहस्ती क्षेत्र (जिला चित्तूर), जोनागिरी क्षेत्र (जिला कुरनूल) तथा गेंडवाल क्षेत्र (जिला महबूबनगर)।
हीरा	वेंकटमपल्ली, चिगी चेरला क्षेत्र (जिला कुरनूल), कोलूरु-वेंकटवपल्ली क्षेत्र (जिला गुंटूर) तथा सागीलेरु क्षेत्र (जिला प्रकाशम)।
आधार धातुएं (सीसा-जस्ता-तांबा)	अग्निगुंडाला क्षेत्र (जिला गुंटूर)
प्लेटिनायड खनिज	कोन्डापल्ली गंगीनेनी क्षेत्र (जिला कृष्णा)
टंगस्टन	पूर्वीघाट (जिला विशाखापटनम)

केरल में सिंचाई परियोनजाएं

*173 श्री बाइल जान अंजलोज:

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार को केरल सरकार से सिंचाई परियोजनाओं के विकासार्थ सहायता हेतु कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में कितनी सहायता दी गई है?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) से (ग) केरल सरकार के अनुरोध पर तीन लघु सिंचाई स्कीमें नामशः (i) केरल के लिए सामुदायिक सिंचाई (ii) केरल में लघु सिंचाई टैंकों का आधुनिकीकरण और (iii) सिंचित कृषि के विकास की परियोजना बाह्य सहायता के लिए प्रस्तुत की गयी हैं। केरल भी विश्व बैंक सहायता से निष्पादित की जा रही राष्ट्रीय जल प्रबन्ध परियोजना में एक सहभागी राज्य है। केरल सरकार द्वारा प्रस्तुत की गयी 18.03 करोड़ रुपए की कुल लागत की 6 स्कीमों में से इस परियोजना के अन्तर्गत कुल 9.15 करोड़ रुपए की लागत की 3 स्कीमें पहले ही स्वीकार कर ली गयी हैं।

[हिन्दी]

दूरदर्शन कार्यक्रमों की योजना

*174 श्री मृत्युंजय नायक:

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बाहरी निर्माताओं की सहायता से दूरदर्शन द्वारा स्वयं कार्यक्रमों का निर्माण किये जाने की योजना संबंधी औपचारिकताएं सरकार ने पूरी कर ली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास): (क) जी, हां।

(ख) मार्गदर्शी सिद्धान्तों की मुख्य बातें विवरण में संलग्न हैं।

(ग) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

विवरण

दूरदर्शन की कमीशंड कार्यक्रम स्कीम के संबंध में दिनांक 17 मार्च, 1992 के संशोधित मार्गदर्शी सिद्धान्तों की मुख्य बातें

1. कमीशंड कार्यक्रम अनिवार्य रूप से दूरदर्शन का कार्यक्रम होगा लेकिन दूरदर्शन द्वारा उसकी अवधारणा तथा अन्य अनिवार्य सीमाओं का अनुमोदन कर दिये जाने के बाद कार्यक्रम का वास्तविक निर्माण बाहरी निर्माता द्वारा किया जायेगा जिसे कार्यपालक निर्माता कहा जायेगा।

2. कार्यपालक निर्माता द्वारा, दूरदर्शन के विचारार्थ सभी प्रकार से संपूर्ण प्रस्ताव भेजा जायेगा, जिसके साथ संबद्ध ब्यौरा और 2,000 रुपये का मांग ड्राफ्ट होगा।

3. स्कीम के परिचालन के प्रयोजन के लिए दूरदर्शन के द्वारा विख्यात निर्माताओं, निर्देशकों का उनके निरंतर अच्छे रिकार्ड के आधार पर पैनल बनाया जायेगा।

4. इस पैनल में महानिदेशक के अनुमोदन से निम्नलिखित मापदंडों के आधार पर नाम जोड़े जा सकते हैं :

(क) माध्यम का विगत अनुभव

(ख) भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान, पुणे, फिल्म और टेलीविजन संस्थान, मद्रास के डिपलोमाधारी

(ग) जामिया मिलिया के स्नातक और नेशनल स्कूल आफ ड्रामा के डिप्लोमाधारी।

5. किसी विषय विशेष पर प्राप्त प्रस्तावों पर मूल्यांकन समिति द्वारा विचार किया जायेगा। मूल्यांकन समिति द्वारा उन कार्यक्रमों के बारे में विचार किया जाना जरूरी नहीं है जिनकी एक दो कड़ी हो और जिनकी अवधि 30 मिनट से अधिक न हो अथवा जो सामयिक विषयों के कार्यक्रम हों।

6. मूल्यांकन समिति के सदस्य निम्नलिखित होंगे:

(क) विषय विशेष से संबद्ध उप-महानिदेशक

(ख) उप-महानिदेशक (केन्द्रीय वाणिज्यिक यूनिट)

(ग) 3 गैर-सरकारी विशेषज्ञ

(घ) मुख्य निर्माता/उप-मुख्य निर्माता (केन्द्रीय वाणिज्यिक यूनिट) समिति का संयोजक।

7. मूल्यांकन समिति निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर प्रस्ताव की स्वीकार्यता के बारे में निर्णय लेगी :

(क) कथा/विषय की दूरदर्शन की अपेक्षाओं के अनुरूप प्रासंगिकता

(ख) विषय का प्रतिपादन

(ग) प्रसारण संहिता के प्रति अनुरूपता

(घ) निदेशक, कार्यपालक निर्माता, तकनीकी दल का विगत रिकार्ड।

8. मूल्यांकन समिति द्वारा कड़ियों की संख्या और धारावाहिक दूरदर्शन कार्यक्रमों के मामले में प्रत्येक कड़ी की अवधि का भी निर्णय लिया जायेगा।

9. मूल्यांकन समिति द्वारा अनुशंसित प्रस्ताव लागत समिति के समक्ष रखे जायेंगे। लागत समिति के सदस्य निम्नलिखित होंगे :

(1) विभिन्न श्रेणियों के कार्यक्रमों को कमीशंड करने से संबद्ध महानिदेशक

(2) अपर महानिदेशक (प्रशासन)/उप महानिदेशक (वित्त)/निदेशक (वित्त)

(3) संबद्ध मुख्य निर्माता/उप मुख्य निर्माता

(4) मुख्य निर्माता (केन्द्रीय वाणिज्यिक यूनिट)—संयोजक/सदस्य स. अ

10. लागत समिति, मूल्यांकन समिति की सिफारिशों, निदेशक आदि के विगत रिकार्ड, फिल्मों के प्रमाणीकरण के लिए निर्धारित दूरदर्शन के मार्गदर्शी सिद्धान्तों तथा बजट की युक्तियुक्तता के परिप्रेक्ष्य में प्रस्ताव की स्वीकार्यता के बारे में निर्णय लेगी।

11. लागत समिति प्रस्ताव को रद्द करने के कारण स्पष्ट करेगी और उसके द्वारा अनुमोदित कार्यक्रमों के बारे में कुल बजट का तर्क भी बतायेगी।

12. लागत समिति, आवश्यकतानुसार, कार्यपालक निर्माता के अधिकारों की भागीदारी के बारे में भी निर्णय लेगी।

13. लागत समिति की सिफारिशें अनुमोदन के लिए महानिदेशक के समक्ष प्रस्तुत की जाएंगी।

14. दूरदर्शन द्वारा कार्यक्रम की आवश्यकताओं के अनुसार, एक ही विषय पर एक से अधिक कार्यक्रम आबंटित किए जा सकते हैं। साथ ही एक ही कार्यपालक निर्माता को एक ही समय एक से अधिक कार्यक्रम आबंटित किए जा सकते हैं।

15. दूरदर्शन द्वारा भुगतान की विधि इस प्रकार होगी:—

करार पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद	40 प्रतिशत
शूटिंग शुरू होने पर	20 प्रतिशत
रफ कटों के अनुमोदन पर	20 प्रतिशत
अंतिम प्रिंट के अनुमोदन पर	20 प्रतिशत

16. कार्यपालक निर्माता द्वारा उसे अग्रिम के रूप में दी गई राशि के लिए करार के साथ अप्रतिसंहरणीय बैंक गारंटी प्रस्तुत की जायेगी। जब तक करार का पूरी तरह से निष्पादन नहीं हो जाता तब तक बैंक गारंटी का यथासमय नवीकरण किया जाना होगा।

17. दूरदर्शन द्वारा आयकर की राशि संबद्ध अनुदेशों के अनुरूप स्रोत पर काट ली जाएगी।

18. सामाजिक विषयों के कार्यक्रमों अथवा 30 मिनट तक के कार्यक्रमों के लिए बैंक गारंटी की आवश्यकता नहीं होगी।

19. कार्यपालक निर्माता द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम के रफ कटों का पूर्वावलोकन, एक पूर्वावलोकन समिति द्वारा किया जायेगा।

20. पूर्वावलोकन समिति द्वारा सुझाए गये संशोधन कार्यपालक निर्माता द्वारा निष्पादित किए जायेंगे और उनके लिए कोई अतिरिक्त राशि का भुगतान नहीं किया जायेगा।

21. कार्यक्रम करार में निर्दिष्ट समय सूची के अनुसार पूरा किया जाना चाहिए। लिखित कारणों के साथ अवधि बढ़ाये जाने का अनुरोध महानिदेशक द्वारा स्वीकार किया जा सकता है।

22. यदि करार की किसी शर्त का उल्लंघन किया जाता है तो करार को समाप्त कर दिया जायेगा। दूरदर्शन द्वारा बैंक गारंटी का सहारा लिया जायेगा और अग्रिम के रूप में दी गई समस्त राशि 12 प्रतिशत ब्याज के साथ वसूल करने के लिए कार्रवाई शुरू की जायेगी।

23. किसी प्रकार का मतभेद होने की सूरत में सूचना और प्रसारण सचिव एकमात्र मध्यस्थ होंगे।

24. प्रादेशिक केन्द्रों के लिए कार्यक्रमों के मामले में यही मार्गदर्शी सिद्धान्त इसी संशोधन के साथ लागू होंगे कि मूल्यांकन समिति के सदस्य केन्द्र निदेशक, दो अधिकारी और दो गैर-सरकारी व्यक्ति होंगे।

[अनुवाद]

संयुक्त सड़क परिवहन कम्पनी

*175. श्री अटल बिहारी वाजपेयी:
श्री शंकर सिंह वाघेला:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण का प्रस्ताव कुछ निजी क्षेत्र की मोटरवाहन निर्माता कम्पनियों के सहयोग से संयुक्त उद्यम के रूप में एक सड़क परिवहन कम्पनी की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अभी तक कितनी प्रगति हुई है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सत्यनारायण जटिया): (क) से (ग) "सेल" ने 1990 में निजी क्षेत्र के सहयोग से एक संयुक्त सड़क परिवहन कम्पनी की स्थापना करने का एक प्रस्ताव सरकार को भेजा था। इस प्रस्ताव में सेल, निजी प्रवर्तकों और साधारण जनता की समान रूप से भागीदारी की परिकल्पना की गई थी। कम्पनी को आंशिक रूप से अपने और आंशिक रूप से पट्टे पर लिए गए वाहनों के एक बेड़े को प्रचालन करना था।

संयुक्त उद्यम की इस कम्पनी में मुख्य रूप से वृहत सड़क नेट वर्क बनाने का प्रस्ताव किया गया था ताकि लोहे और इस्पात की मदों का संचलन सुचारू रूप से हो सके।

बदले हुए आर्थिक परिदृश्य और लागत में हुई वृद्धि को ध्यान में रखते हुए "सेल" उक्त प्रस्ताव की समीक्षा कर रहा है।

[हिन्दी]

गुजरात में नये विद्युत संयंत्र

*176. श्री महेश कनोडिया:
श्री काशीराम राणा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार गुजरात के विद्युत संकट को देखते हुए वहां और अधिक विद्युत उत्पादन हेतु नये विद्युत संयंत्रों की स्थापना करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इन संयंत्रों की स्थापना किन-किन स्थानों पर किए जाने का प्रस्ताव है?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय): (क) और (ख) विवरण संलग्न है।

विवरण

गुजरात राज्य में स्थापित किए जाने हेतु प्रस्तावित नई विद्युत स्कीमों का ब्यौरा निम्नानुसार है:—

क्र.सं.	स्कीम का नाम	क्षमता (मे.वा.)	स्थान
1.	गंधार गैस टर्बाइन कम्बाइन्ड साइकिल चरण-1 (एनटीपीसी)	650	धनोर गांव जिला भड़ूच
2.	गंधार गैस टर्बाइन कम्बाइन्ड साइकिल (गुजरात पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड)	615	पगुथन और कसद गांव, भड़ूच
3.	पिपावाव गैस टर्बाइन कम्बाइन्ड साइकिल (गुजरात पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड)	615	दक्षिणी सौराष्ट्र में महुआ जाफराबाद
4.	वणकबोरी गैस टर्बाइन कम्बाइन्ड साइकिल (गुजरात बिजली बोर्ड)	600	वणकबोरी

गुजरात राज्य में निम्नलिखित विद्युत परियोजनाएं क्रियान्वयनाधीन हैं:—

	राज्य क्षेत्र		
1.	सिक्का विस्तार-2	12[illegible]	जामनगर
2.	उतरान संयुक्त साइकिल	3 3 गैस टर्बाइन + 45 भाप टर्बाइन	सूरत
3.	कच्छ लिग्नाइट विस्तार-3	7[illegible]	कच्छ
4.	कडाना पम्पड स्टोरेज स्कीम-2	2×60	जिला पंचमहल
5.	सरदार सरोवर परियोजना		
क.	रिवर बैड पॉवर हाउस	6×200	जिला भड़ूच
ख.	केनाल हैड पॉवर हाउस	5×50	जिला भड़ूच
	केन्द्रीय क्षेत्र		
1.	कवास संयुक्त साईकिल गैस आधारित विद्युत संयंत्र	1×106 गैस टर्बाइन 2×110 भाप टर्बाइन	सूरत
2.	गंधार गैस आधारित विद्युत संयंत्र	3×131 गैस टर्बाइन	भड़ूच
3.	काकरापार परमाणु विद्युत संयंत्र	1×255 भाप टर्बाइन 220	सूरत

[अनुवाद]

सिंचाई क्षमता

*177. **श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाडडे:** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बड़ी मझोली तथा लघु सिंचाई योजनाओं के माध्यम से सृजित अनुमानित सिंचाई क्षमता का नवीनतम ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 1991-92 के अन्त तक, कितनी सिंचाई क्षमता का सृजन किया गया तथा उपयोग किया जा रहा है;

(ग) सृजित किन्तु उपयोग में न लाई गयी क्षमता का उपयोग करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि की आवश्यकता है; और

(ङ) इस योजना के वित्तपोषण में केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों का हिस्सा कितना कितना है?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) से (ङ) वर्ष 1991-92 के अन्त तक सृजित तथा उपयोग की गयी प्रत्याशित सिंचाई क्षमता निम्नवत् है:—

(मिलियन हैक्टेयर में)

	क्षमता	उपयोग
वृहद और मध्यम	31.2	26.9
लघु	50.8	47.1
कुल	82.0	74.0

चुनिन्दा वृहद और मध्यम परियोजनाओं में केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के रूप में वर्ष 1974-75 से कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम शुरू किया गया है ताकि सृजित सिंचाई क्षमता के उपयोग में अन्तर को कम किया जा सके। इस अन्तर को कम करने के लिए उठाए गए अन्य कदमों में अन्य बातों के साथ-साथ संशोधित जल प्रबन्ध पद्धतियों को अपनाना तथा सृजित सिंचाई क्षमता का पुनर्मूल्यांकन करना शामिल है ताकि राज्यों द्वारा बढ़ा चढ़ा कर सूचित किए गए ब्यौरे को सही किया जा सके।

क्षमता का सृजन और उपयोग एक जारी रहने वाली प्रक्रिया है। जिसके लिए कमान क्षेत्र विकास पर नियमित व्यय होना अपेक्षित है ताकि इस अन्तर को कम से कम स्तर पर रखा जा सके। केन्द्रीय और राज्य क्षेत्र में आठवीं योजना के लिए कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के वास्ते प्रस्तावित परिव्यय क्रमशः 830 करोड़ रुपए तथा 1639.84 करोड़ रुपए है।

उड़ीसा में ताप विद्युत संयंत्र

*178. **श्री के० पी० सिंह देव:**
श्री के० प्रधानी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा में कुछ और ताप विद्युत संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो ये संयंत्र कहां-कहां स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है तथा प्रत्येक संयंत्र पर कितनी लागत आने का अनुमान है; और

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इन संयंत्रों को चालू करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय): (क) से (ग) आठवीं योजना के दौरान निम्नलिखित विद्युत परियोजनाओं को चालू किए जाने की परिकल्पना की गई है:—

(1) उड़ीसा सरकार के एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम उड़ीसा पॉवर जनरेशन कारपोरेशन द्वारा स्थापित की जा रही इब घाटी ताप विद्युत परियोजना (4×210 मेगावाट) परियोजना की अद्यतन अनुमानित लागत 1746.30 करोड़ रुपये है।

(2) नैशनल थर्मल पॉवर कारपोरेशन (एनटीपीसी) द्वारा स्थापित की जा रही तलचेर ताप विद्युत परियोजना (2×500 मेगावाट) परियोजना की अद्यतन अनुमानित लागत 2133.60 करोड़ रुपये है।

देश में निर्माणाधीन ताप विद्युत परियोजनाओं से सम्बद्ध विभिन्न कार्यकलापों की प्रगति की केन्द्रीय विद्युत प्राधिकारण द्वारा सम्बन्धित परियोजना प्राधिकारियों के परामर्श से नियमित रूप से मानीटरिंग की जाती है और समस्या वाले मामले का पता लगाया जाता है ताकि उनके सम्बन्ध में उपयुक्त उपाय किए जा सकें।

प्रति व्यक्ति बिजली की खपत

*179. **श्रीमती गिरिजा देवी:**
श्री मोहन सिंह (देवरिया):

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विकसित देशों की तुलना में भारत में प्रति व्यक्ति बिजली की वार्षिक खपत कितनी है;

(ख) पिछले तीन साल के दौरान जनसंख्या में हुई वृद्धि के अनुरूप बिजली की खपत में प्रति व्यक्ति कितने प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी हुई है; और

(ग) सातवीं योजना अवधि के लिए निर्धारित लक्ष्य की तुलना में ताप और जल विद्युत दोनों क्षेत्रों में कितनी अतिरिक्त बिजली पैदा करने की क्षमता प्राप्त की गई?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय): (क) देश में वर्ष 1990-91 के दौरान बिजली की प्रति व्यक्ति वार्षिक खपत 253.41 किलोवाट ऑवर (अनंतिम) थी। यह विकसित देशों में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत की तुलना में कम है। कुछ विकसित देशों में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान, देश में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत 1988-89 में 220.94 किलोवाट

ऑवर से बढ़कर 1989-90 में 237.95 किलोवाट ऑवर और 1990-91 में 253.41 किलोवाट ऑवर हो गई है। यह पिछले तीन वर्षों के दौरान 14.7% वृद्धि का सूचक है।

(ग) अपेक्षित सूचना निम्नानुसार है:—

(आंकड़े मेगावाट में)

स्वरूप	सातवीं योजना	
	लक्ष्य	उपलब्धि
जल विद्युत	5541	3827.44
ताप विद्युत	15999	17093.40
न्यूक्लीय	705	470.00
अपारम्परिक	शून्य	10.80
जोड़	22245	21401.64

विवरण

वर्ष 1988 के दौरान विकसित देशों में बिजली की प्रति व्यक्ति वार्षिक खपत*

देश का नाम	प्रति व्यक्ति वार्षिक खपत (कि०वा०आवर)
1. कनाडा	17486
2. फ्रांस	5870
3. जर्मनी (एफ०आर०जी०)	6900
4. स्वीडन	17078
5. स्विट्जरलैंड	7275
6. इटली	3867
7. यू०एस०एस०आर०	5892
8. यू०के०	5477
9. यू०एस०ए०	11204
10. जापान	5733

*सन्दर्भ:—एनर्जी स्टेटिस्टिक्स - 1988
यू०एन० पब्लिकेशन।

[हिन्दी]

बिजली उत्पादन

*180. **श्री आनन्द रत्न मौर्य:**
श्री विलासराव नागनाथराव गूंडेवार:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत एक वर्ष के दौरान बिजली उत्पादन का सरकार ने कितना ल .. निर्धारित किया था तथा कितना लक्ष्य प्राप्त किया गया है;

(ख) क्या बिजली का उत्पादन निर्धारित लक्ष्य से कम हो रहा है; और

(ग) यदि हां तो बिजली की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए प्रत्येक राज्य में बिजली का उत्पादन बढ़ाने हेतु सरकार क्या कदम उठा रही है?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय): (क) और (ख) वर्ष 1991-92 के दौरान वास्तविक ऊर्जा/विद्युत उत्पादन 286.70 बिलियन यूनिट था जोकि 283.45 बिलियन यूनिट के निर्धारित कार्यक्रम से 1.1% अधिक है।

(ग) देश में विद्युत उत्पादन संबंधी स्थिति में सुधार करने हेतु किए जा रहे विभिन्न उपायों में ये शामिल है:— नई विद्युत उत्पादन क्षमता चालू करना, पुराने यूनिटों का नवीकरण एवं आधुनिकीकरण करना संयंत्र सुधार कार्यक्रमों को आरंभ करने हेतु बिजली बोर्डों को सहायता प्रदान करना, अपेक्षित गुणवत्ता वाले कोयले की अपेक्षित मात्रा में सप्लाई की व्यवस्था करना, प्रचालन एवं अनुरक्षण कार्यों में लगे कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान करना और पारेषण एवं वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करना।

[अनुवाद]

नर्मदा सागर परियोजना

*181. **श्री संदीपान भगवान घोरात:**
श्री राम विलास पासवान:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नर्मदा सागर परियोजना की पुनरीक्षा के लिए विश्व बैंक द्वारा नियुक्त किये गए स्वतंत्र बोर्ड की रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हो गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?;

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) नर्मदा सागर परियोजना के लिए विश्व बैंक द्वारा कोई पुनरीक्षा नहीं की गई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की विद्युत परियोजनाओं को विश्व बैंक से ऋण

*182. **श्री रवि राय:** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक के उच्चस्तरीय दल ने भारत के राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की विद्युत परियोजनाओं के वित्त पोषण हेतु ऋण देने के बारे में बातचीत करने के लिए जून, 1992 में भारत की यात्रा की थी; और

(ख) यदि हां, तो विश्व बैंक दल द्वारा वित्त पोषण के लिए चुनी गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय): (क) और (ख) एन०टी०पी०सी० की नई विद्युत परियोजनाओं के वित्तपोषण के संबंध में विश्व बैंक के साथ विचार-विमर्श चल रहा है और इसी सिलसिले में विश्व बैंक के अधिकारियों ने जून, 1992 में भारत का दौरा किया था। वित्तपोषण की जाने वाली परियोजनाओं के बारे में अभी निर्णय लिया जाना है।

[हिन्दी]

खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम के अन्तर्गत किसी खनिज को आरक्षित रखने के लिए अनुमति

1666. **श्री रामदेव राम:**
श्री ललित उरांव:

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 के अन्तर्गत किसी खनिज को आरक्षित रखने से पहले राज्य सरकारों को केन्द्र सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है;

(ख) क्या बिहार सरकार ने केन्द्र सरकार की अनुमति लिए बिना ही 14 नवम्बर, 1990 को अलग-अलग अधिसूचनाएं जारी करके क्रोमाइट, बाक्साइट, ग्रेफाइट, फेलसपार, क्वार्टजाइट, डोलोमाइट, चीनी मिट्टी और चूनापत्थर को आरक्षित घोषित कर दिया है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव): (क) जी हां।

(ख) और (ग) बिहार सरकार ने 14 नवम्बर, 1990 को अनेक अधिसूचनाएं जारी की हैं जिनमें बाक्साइट, ग्रेफाइट, कायनाइट, चूना-पत्थर, चीनी मिट्टी, डोलोमाइट क्वार्ट ज़ाइट और फेल्सफार वाले क्षेत्रों को आरक्षित किया गया है और इसके लिए खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम के अंतर्गत केन्द्र सरकार का अनुमोदन मांगा है। आमतौर पर, इन मामलों में राज्य सरकार केन्द्र सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करती है। तथापि, कुछ परिस्थितियों में कार्योत्तर अनुमोदन प्राप्त करने पर कोई रोक नहीं है।

राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, रुड़की

1667. **श्री एन० जे० राठवा:** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, रुड़की ने मई, 1992 में शिमला में पर्वतीय क्षेत्रों के जलस्रोतों के संबंध में एक तीन दिवसीय विचारगोष्ठी आयोजित की थी,

(ख) यदि हां, तो इसमें विचारविमर्श का ब्यौरा क्या है और पर्वतीय क्षेत्रों में बहते जल के विकास और उपयोग हेतु क्या-क्या सुझाव दिये गये हैं, और

(ग) इस संबंध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) जी हां

(ख) उपर्युक्त विचार-गोष्ठी में इन पहलुओं पर विचार-विमर्श किया गया तथा अन्य बातों के साथ-साथ , निम्नलिखित के संबंध में सुझाव दिए गए:

(i) हिमालय में उपयुक्त बर्फ प्रवोधन प्रणाली का विकास,
(ii) जल वैज्ञानिक अन्वेषणों के लिए आधुनिक उच्च प्रोद्योगिकी, न्यूक्लीयर तथा दूरस्थ संवेदन तकनीकों का प्रयोग,
(iii) चुनिंदा हिमखण्डों (ग्लेशियरों) का ग्लेशियर अभियान ताकि उनके पिघलने की विशेषता के संबंध में जाना जा सके,
(iv) ऊंचाई पर स्थित झीलों का अध्ययन,
(v) झरना प्रवाह का अध्ययन,
(vi) पर्वतीय क्षेत्रों के जल संतुलन अध्ययन,
(vii) उपयुक्त भूमि और जल प्रबंध पद्धतियों का विकास तथा कार्य बल का गठन, तथा
(viii) बर्फ पिघलने से उत्पन्न जल सहित जल की उपलब्धता का अनुमान लगाने के लिए उपयुक्त माडलों का विकास

(ग) इन सिफारिशों की यथासमय जांच की जाएगी।

पर्यटन उद्योग के लिए जनशक्ति

1668. **श्री गोपीनाथ गजपति**: क्या नागर और विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार वर्ष 1992-93 के दौरान पर्यटन जनशक्ति के लिए मास्टर प्लान कार्यान्वित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इसके कार्यान्वयन के लिए कितनी धनराशि रखी गई है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया): (क) से (ग) केन्द्र सरकार ने 5 मई, 1992 को पर्यटन के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना की घोषणा की है। पर्यटन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना में पर्यटन उद्योग के लिए मानव-शक्ति प्रशिक्षण हेतु वर्तमान सुविधाओं के पुर्ननिर्माण और सुदृढ़ीकरण की कल्पना की गई है। इन सुविधाओं में राष्ट्रीय परिषद, होटल प्रबंध और केटरिंग तकनालाजी, भारतीय पर्यटन और यात्रा प्रबंध संस्थान जैसी संस्थाएं और पर्यटन विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा चलाए जा रहे गाइड प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल हैं।

हवाई यातायात नियंत्रण सेवा का आधुनिकीकरण

1669. **श्री ललित उरांव:**
श्री जार्ज फर्नांडीज:

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने विभिन्न विमानपत्तनों पर हवाई यातायात नियंत्रण सेवा के आधुनिकीकरण की कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर कितना खर्च होने की संभावना है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया): (क) से (ग) विभिन्न हवाई अड्डों पर हवाई यातायात नियंत्रण सेवाओं का आधुनिकीकरण एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है और यह उपयोग करने वाली एयरलाइनों की अनुमानित आवश्यकताओं, संसाधनों और भूमि आदि की उपलब्धता पर निर्भर करते हुये चरण-बद्ध तरीके से किया जाता है।

इस समय राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण 210 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर दिल्ली और बंबई हवाई अड्डों पर हवाई यातायात सेवाओं के आधुनिकीकरण संबंधी एक परियोजना पर कार्रवाई कर रहा है।

नए उपग्रह टी॰वी॰ चैनल की शुरूआत

1670. **श्री यशवंतराव पाटिल:**
श्री विजय एन॰ पाटील:
श्री श्रवण कुमार पटेल:
श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे:
श्री गोपीनाथ गजपति:
श्री गुरूदास कामत:

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एशियन टेलीविजन नेटवर्क की सहायता से एक नया उपग्रह टी॰वी॰ चैनल शुरू करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक शुरू किया जायेगा?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ये सवाल पैदा ही नहीं होते।

विद्युत उत्पादन लक्ष्य

1671. **श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी:** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1991-92 के लिए विभिन्न स्रोतों से विद्युत उत्पादन का लक्ष्य 3810.8 मेगावाट निर्धारित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या यह लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय): (क) से (ग) वर्ष 1991-92 के लिए 283.45 बिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन के लक्ष्य की तुलना में उपलब्धि 286.71 बिलियन यूनिट थी।

दूरसंचार उपकरण निर्माता एककों का बन्द होना

1672. **श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरसंचार उपकरण निर्माता उद्योग बुरी तरह से ऋणग्रस्त हो गया है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या इसके कारण इस उद्योग के अनेक एककों के बन्द होने के आसार पैदा हो गये हैं, और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रेंगय्या नायडू): (क) जी नहीं, जहां तक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का संबंध है। जहां तक प्राइवेट सैक्टर का संबंध है, सरकार को स्थिति की जानकारी नहीं है।

(ख) से (घ) उपर्युक्त भाग "क" के उत्तर को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय विद्युत संप्रेषण निगम द्वारा पूर्वोत्तर राज्यों को विद्युत का वितरण

1673. **श्रीमती विलासकुमारी भंडारी:** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्वोत्तर राज्यों की समूची विद्युत वितरण प्रणाली को राष्ट्रीय विद्युत संप्रेषण निगम के नियंत्रणाधीन करने का केन्द्र सरकार का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन राज्यों ने इस पहल पर अपना असंतोष व्यक्त किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

आन्ध्र प्रदेश में टेलीफोन एक्सचेंजों को इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों में बदलना

1674. **श्री धर्मभिक्षमः** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) इस समय आन्ध्र प्रदेश में जिला-वार कितने मानव-चालित टेलीफोन एक्सचेंज हैं; और

(ख) इन सभी एक्सचेंजों को कब तक इलैक्ट्रॉनिक एक्सचेंजों में बदल दिए जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू): (क) आंध्र प्रदेश में 34 मैनुअल एक्सचेंज है जिनकी सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) इन एक्सचेंजों की 31.3.1993 तक इलैक्ट्रॉनिक एक्सचेंजों में बदलने की योजना है।

विवरण

क्र०सं०	जिला	मैनुअल एक्सचेंजों की संख्या
1.	आदिलाबाद	2
2.	अनन्तपुर	—
3.	चित्तूर	2
4.	कुडघाट	4
5.	पर्व गोदावरी	—
6.	गुन्टुर	3
7.	करीमनगर	5
8.	खम्माम	—
9.	कृष्णा	2
10.	कुरनूल	—
11.	महबूबनगर	1
12.	मेडक	3
13.	नालगोण्डा	2
14.	नेलोर	
15.	निजामाबाद	
16.	प्रकासम	
17.	रंगारेड्डी	
18.	श्रीकाकुल्लम	
19.	विशाखापट्टनम	
20.	विजयनगर	
21.	वारंगल	
22.	पश्चिम गोदावरी	
	जोड़	—

डाभोल, महाराष्ट्र में तरलीकृत प्राकृतिक गैस पर आधारित विद्युत संयंत्र की स्थापना

1675. **श्री बापू हरि चौरे:** क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने डोभाल, महाराष्ट्र में अमरीका की "इनरान" कम्पनी और जनरल इलेक्ट्रिक कम्पनी के सहयोग से तरलीकृत प्राकृतिक गैस पर आधारित 2000 मेगावट का एक विद्युत संयंत्र स्थापित करने के महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में इनरान / जनरल इलेक्ट्रिक कम्पनी और महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड के बीच हुए समझौता ज्ञापन का ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

वीरचन्द्र सिंह गढ़वाली और हेमवती नन्दन बहुगुणा पर डाक टिकट

1676. **मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली और स्वतन्त्रता सेनानी हेमवती नन्दन बहुगुणा पर स्मारक डाक टिकट जारी करने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो ये डाक टिकट कब तक जारी किये जायेंगे; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी०वी० रंगय्या नायडू): (क) जी हां।

(ख) और (ग) वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर डाक-टिकट कब जारी किया जाए, इस पर अभी निर्णय लिया जाना है।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा पर डाक-टिकट जारी करने का प्रस्ताव फिलैटलिक सलाहकार समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। डाक टिकट कब जारी होगा, इस पर विचार, समिति की सिफारिशों को अंतिम रूप देने के बाद ही किया जाएगा।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र में विद्युत परियोजनाओं की अधिष्ठापित क्षमता

1677. **श्री मणिकराव होडल्या गावित:** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जनवरी, 1992 की स्थिति के अनुसार, महाराष्ट्र में विद्युत परियोजनाओं की अधिष्ठापित क्षमता कितनी है;

(ख) क्या महाराष्ट्र, बिजली की कमी वाले राज्यों में से एक है; और

(ग) यदि हां, तो आठवीं पंचवर्षीय योजना-अवधि के दौरान राज्य में बिजली का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं।

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय): (क) 31 जनवरी, 1992 की स्थिति के अनुसार महाराष्ट्र में (ह्रासित) अधिष्ठापित विद्युत उत्पादन क्षमता 8890 मेगावट थी।

(ख) अखिल भारत में 10.1% की ऊर्जा की कमी की अपेक्षा अप्रैल-जून, 92 की अवधि के दौरान महाराष्ट्र में 5.5% ऊर्जा की कमी थी।

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान महाराष्ट्र में विद्युत उत्पादन में वृद्धि किए जाने हेतु किए जा रहे विभिन्न उपायों में ये शामिल हैं:— (1) नई विद्युत उत्पादन क्षमता को चालू करना (2) संयंत्र सुधार कार्यक्रम को हाथ में लेने के लिए बिजली बोर्ड को सहायता देना (3) पुरानी विद्युत यूनिटों का नवीकरण तथा

आधुनिकीकरण करना (4) पारेषण एवं वितरण सम्बन्धी हानियों को कम करना (5) आनुसंगिक बिजली की खपत को कम करना इत्यादि।

औरंगाबाद, बिहार में कम शक्ति का ट्रांसमीटर

1678. **श्री राम नरेश सिंह:** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री 31 जुलाई, 1991 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1109 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार में औरंगाबाद के लिए प्रस्तावित कम शक्ति के ट्रांसमीटर के लिए आवश्यक उपकरणों की खरीद कर ली गई है; और

(ख) यदि हां, तो यह ट्रांसमीटर वहां पर कब तक चालू हो जायेगा?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास): (क) औरंगाबाद में लगाए जा रहे अल्पशक्ति (300 वाट यू०एच०एफ०) टी०वी० ट्रांसमीटर के लिए आदेशित मुख्य उपकरण की सप्लाई अभी प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) वर्तमान संकेतों के अनुसार इस ट्रांसमीटर को वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान चालू कर दिए जाने की आशा है।

"एअर टैक्सी" सेवा

1679. **श्री सैयद शाहबुद्दीन:** क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री विमान टैक्सी सेवाओं के बारे में 9 मार्च, 1992 के तारांकित प्रश्न संख्या 174 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 मार्च, 1992 को कौन-कौन सी कम्पनियां एअर टैक्सी सेवायें चला रही थीं;

(ख) वे किन किन मार्गों पर चलायी जा रही हैं;

(ग) क्या उनके द्वारा किये जाने वाले भाड़े सरकार द्वारा स्वीकृत हैं; और

(घ) उनकी कम्पनीवार साप्ताहिक यात्री क्षमता कितनी है तथा प्रत्येक कम्पनी द्वारा उड़ाये जा रहे कि की संख्या कितनी है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया): (क) से (घ) 31-3-92 की स्थि अनुसार, सात कंपनियों को देश में हवाई टैक्सी सेवाओं के परिचालन की अनुमति दी गयी है। जिन मा इन कम्पनियों द्वारा हवाई टैक्सी सेवाएं परिचालित की जा रह हैं तथा परिचालित किये जाने वाले विमा संख्या संलग्न अनुबंध में दी गयी है। हवाई टैक्सी प्रचालक कोई भी किराये वसूल करने के लिए स्वतंत्र हैं इसके लिए सरकार के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। हवाई टैक्सी परिचालन गैर-अनुसूचित प्रकार के के कारण सप्ताह के दौरान उपलब्ध कराई गई यात्री क्षमता उस सप्ताह में परिचालित उड़ानों की संख्या से होती है।

विवरण

क्र० सं०	प्रचालक का नाम	परिचालन मार्ग	प्रयोग किये जाने वाले विमानों की संख्या
1	2	3	4
1.	दिल्ली गल्फ एयरवेज सर्विसिस प्राइवेट लि०, नई दिल्ली।	दिल्ली-लखनऊ-आगरा-दिल्ली दिल्ली-देहरादून-दिल्ली दिल्ली-जयपुर-दिल्ली दिल्ली-इंदौर-दिल्ली	दो
2.	मैसर्स इंडिया इंटरनेशनल एयरवेज प्राइवेट लि०, नई दिल्ली।	दिल्ली-चंडीगढ़-दिल्ली दिल्ली-अहमदाबाद-बम्बई दिल्ली-मद्रास-दिल्ली दिल्ली-देहरादून-दिल्ली दिल्ली-चंडीगढ़-लुधियाना-दिल्ली दिल्ली-मद्रास-तिरूपति-हैदराबाद-दिल्ली दिल्ली-बंगलौर-कोचीन-मंगलौर-अहमदाबाद-दिल्ली दिल्ली-लखनऊ-दिल्ली दिल्ली-वाराणसी-दिल्ली दिल्ली-कानपुर-दिल्ली दिल्ली-गुवाहाटी-लीलाबाड़ी-इम्फाल-एजवाल-पटना-दिल्ली दिल्ली-बम्बई-दिल्ली	दो
3.	मैसर्स यू० बी० एयर प्राइवेट लि०, बंगलौर	परिचालन 13-9-91 से अस्थायी रूप से स्थगित।	एक
4.	मैसर्स ट्रांस भारत एविएशन प्राइवेट लि०, नई दिल्ली।	दिल्ली-आगरा-दिल्ली दिल्ली-वाराणसी-दिल्ली दिल्ली-पंतनगर-दिल्ली दिल्ली-जयपुर-कोटा-उदयपुर-भोपाल-रायपुर-बिलासपुर-खजुराहो-सतना-जबलपुर-भोपाल-अहमदाबाद-दिल्ली दिल्ली-लुधियाना-दिल्ली दिल्ली-शिमला-शिमला-दिल्ली दिल्ली-चंडीगढ़-दिल्ली दिल्ली-कुल्लू-दिल्ली दिल्ली-लखनऊ-पटना-लखनऊ-भुवनेश्वर-दिल्ली दिल्ली-जयपुर-दिल्ली दिल्ली-लखनऊ-कानपुर-दिल्ली	एक
5.	मैसर्स कांटिनेंटल एविएशन प्रा० लि०, भोपाल	बम्बई-पूना-रायपुर-जबलपुर-औरंगाबाद-गोवा-इंदौर	दो

1	2	3	4
6.	मैसर्स ईस्ट वेस्ट ट्रेवल्स एंड ट्रेड लिंक लि०, बम्बई।	बम्बई-कोचीन-मंगलौर	एक
7.	मैसर्स जैगसन एयरलाइन, नई दिल्ली।	कुल्लु-शिमला-देहरादून	एक

टेलीफोन कनेक्शन हेतु जमा राशि में वृद्धि करना

1680. **श्री सनत कुमार मंडलः**
श्री गुरुदास कामतः

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार टेलीफोन कनेक्शन हेतु जमा कराई जाने वाली राशि में वृद्धि करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जिन लोगों ने पहले ही यह राशि जमा करा दी है उन्हें भी बढ़ी हुई राशि जमा करानी होगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू): (क) जी हां, प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

(ख) मुख्यतया टेलीफोन कनेक्शन देने में लागत में वृद्धि होने तथा विभाग के विस्तार कार्यक्रमों पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए आंतरिक संसाधन जुटाने के लिए वृद्धि का प्रस्ताव है।

(ग) और (घ) यह प्रस्ताव अभी भी सरकार के विचाराधीन है।

[हिन्दी]

भोपाल हवाई अड्डे पर एअर बस सेवाएं

1681. **श्री सुशील चन्द्र वर्माः** क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भोपाल हवाई अड्डे पर एअरबस विमान के उतरने के लिये आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) वहां एअरबस सेवा कब तक आरंभ की जायेगी?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया): (क) से (घ) भोपाल के धावनपथ का 6700 फुट तक विस्तार किया गया है और इसे अगस्त, 1992 के अंत तक उसी सीमा तक परिचालनात्मक हो जाने की आशा है। 220 लाख रुपए की अनुमानित लागत पर वर्तमान टर्मिनल भवन के विस्तार / संवर्धन की

योजना बनाई गई है। ए-320 प्रकार के विमानों के परिचालन के लिए पर्याप्त लंबाई उपलब्ध करने की दृष्टि से धावनपथ का आगे और विस्तार केवल तभी संभव हो सकेगा जब राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण को यह भूमि मिल जायेगी। इस स्थिति में यह पूर्वानुमान लगाना होगा कि अब तक भोपाल के लिए एअरबस का आर्थिक रूप से सक्षम परिचालन संभव हो सकेगा।

[अनुवाद]

चिल्ड्रन फिल्म्स सोसायटी आफ इंडिया द्वारा फिल्मों का निर्माण

1682. श्री एन॰ डेनिस: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चिल्ड्रन फिल्म्स, सोसायटी आफ इंडिया (भारतीय बाल चित्र समिति) का अपने सामान्य क्रियाकलापों के अंतर्गत बच्चों के लिए फीचर फिल्मों, लघु फिल्मों आदि का निर्माण करने का प्रस्ताव है जिनमें डबिंग वाली और उपशीर्षकों वाली फिल्में भी सम्मिलित होंगी;

(ख) क्या निर्माण सुविधाओं के आधुनिकीकरण तथा इनमें वृद्धि के अतिरिक्त बच्चों के लिए कुछ विदेशी फिल्में खरीदने की कोई योजना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास): (क) जी, हां।

(ख) जी हां।

(ग) राष्ट्रीय बाल एवं युवा चलचित्र केन्द्र साधनों की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए नवीनतम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म समारोह की पुरस्कृत फिल्मों को खरीदता/प्राप्त करता है।

मुम्बई हेतु दूरसंचार सलाहकार समिति

1683. श्री मोहन रावले: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मुम्बई में टेलीफोन सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया गया है, यदि हां, तो इसके सदस्यों के नाम क्या है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) वहां पर समिति का गठन कब तक किया जायेगा?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी॰ जी॰ रेंगया नायडू): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) मार्च, 1991 में गठित मुंबई टेलीफोन सलाहकार समिति को जून, 1991 में निरस्त कर दिया गया था। समिति के गठन की सरकार द्वारा पुनरीक्षा की जा रही है और नई समिति का पुनर्गठन शीघ्र किया जाएगा।

दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान को सरकारी एजेंसियों तथा स्थानीय निकायों द्वारा देय राशि

1684. श्री पीयूष तीरकी: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज तक दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान को सरकारी एजेंसियों तथा स्थानीय निकायों द्वारा कितनी-कितनी धनराशि का भुगतान किया जाना है; और

(ख) इसे वसूल करने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय): (क) और (ख) 30 जून, 1992 की स्थिति के अनुसार दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा विभिन्न सरकारी एजेंसियों तथा स्थानीय निकायों से 397 करोड़ रुपये की राशि की वसूली की जानी शेष है। डेसू द्वारा इस बकाया राशियों की वसूली किए जाने के लिए सम्बन्धित संगठनों के साथ मामले में सतत रूप से कार्यवाही की जा रही है।

[हिन्दी]

रत्नागिरि के लिए उच्च शक्ति का टी॰ वी॰ ट्रांसमीटर

1685. श्री गोविन्दराव निकाम: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने के कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने रत्नागिरि में वर्तमान कम क्षमता वाले ट्रांसमीटर से कार्यक्रमों के स्पष्ट न दिखाई देने के कारण वहां उच्च शक्ति वाला ट्रांसमीटर स्थापित करने हेतु प्राप्त निवेदनों पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है;

(ग) वहां उच्च शक्ति ट्रांसमीटर कब तक स्थापित कर दिया जाएगा; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास): (क) से (घ) जी, हां। रत्नागिरि जिले में दूरदर्शन सेवा को सुदृढ़ करने के लिए पर्याप्त साधनों की उपलब्धता और परस्पर प्राथमिकताओं पर निर्भर करते हुए महाराष्ट्र के रत्नागिरि जिले के हाथीखम्बा में एक उच्च शक्ति टी॰ वी॰ ट्रांसमीटर स्थापित करने का कार्यक्रम है। इस तरह की परियोजनाओं के पूरा होने में, औपचारिक अनुमोदन के पश्चात्, करीब चार वर्ष का समय लग जाता है।

[अनुवाद]

आठवीं योजना में कमान क्षेत्र के विकास के लिये आवंटन

1686. कुमारी पुष्पा देवी सिंह: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम में क्रियान्वयन के लिये राज्यों को वित्त पोषित करने का ढांचा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों में इस कार्यक्रम के लिये विभिन्न राज्यों को प्रति वर्ष कितनी धनराशि का आवंटन किया गया; और

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना में प्रत्येक राज्य के लिये इस प्रयोजन हेतु कितनी धनराशि निर्धारित की गयी है?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) केन्द्रीय प्रयोजित कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत वित्त पोषण का पैटर्न संलग्न विवरण-1 में दिया गया है।

(ख) पिछले तीन वर्षों में इस कार्यक्रम के अंतर्गत भिन्न-भिन्न राज्यों को किया गया वर्षवार आवंटन संलग्न विवरण-2 में दिया गया है।

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए आवंटित की गयी धनराशि संलग्न विवरण-3 में दी गयी है।

विवरण-1

1 अप्रैल, 1986 से केन्द्रीय प्रायोजित कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता का पैटर्न

(क) **अनुदान :**

(i) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के परियोजना प्रतिपादन, आयोजना, क्रियान्वयन, पर्यवेक्षण और प्रबोधन के लिए अपेक्षित सभी स्थापना लागत का आधा, जिसमें कमान क्षेत्र विकास प्राधिकरणों और प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना भी शामिल है।

(ii) कमान क्षेत्र विकास परियोजना रिपोर्टों को तैयार करने, फील्ड चैनलों के कार्य के अभिकल्प और आयोजना करने, फील्ड चैनलों को पक्का करने, भूमि समतलन और आकार देने खेत नालियों फार्म की सड़कों और बाराबंदी का सरेखण करने आदि के लिए अपेक्षित स्थलाकृतिक, मृदा एवं अन्य सर्वेक्षणों के लिए हुए व्यय की लागत का आधा।

(iii) सिंचाई चैनलों की मरम्मत सहित जलनिकास कमानों में बाराबंदी प्रणाली के अभिकल्प, आयोजन और प्रवर्तन की लागत का आधा। इसमें, बेहतर संचार के लिए बेतार नेटवर्क पर आने वाला व्यय भी शामिल होगा।

(iv) अपरिहार्य मामलों में भूमि समतलन में बर्बाद होने वाली खड़ी फसलों/रबी की फसलों का 2/3 मूल्य के लिए किसानों को दिए जाने वाले फसल मुआवजा लागत का आधा।

(v) भारत सरकार से पूर्व अनुमोदित कराये जाने वाली स्कीमों पर अनुकूली परीक्षण, प्रदर्शन और प्रशिक्षण के लिए खर्च की गयी लागत का आधा।

(vi) निम्नलिखित कार्यों पर प्रचलित आई आर डी पी पैटर्न से छोटे और सीमान्त किसानों, सहकारी-समितियों तथा सामुदायिक कार्यों के लिए ऋण के प्रति समायोजित की जाने वाली आर्थिक सहायता देने के वास्ते लागत का आधा।

(क) संयुक्त उपयोग के लिए भूजल विकास संरचनाए।

(ख) जल ले जाने वाली प्रणालियों को पक्का करने तथा भूमिगत पाइप बिछाने सहित फील्ड चैनल।

(ग) खेत नालियां।

(घ) भूसमतलन और आकार देना।

(ङ) स्प्रिंकलर और ड्रिप सिंचाई।

(vii) (क) जलनिकास से 5-8 हेक्टेयर ब्लाकों तक नए जलमार्गों/फील्ड चैनलों के निर्माण की लागत का आधा।

(ख) 5-8 हेक्टेयर ब्लाकों के अंदर सिंचाई जल ले जाने के लिए नयी फील्ड चैनलों के निर्माण की लागत का 25%।

फील्ड चैनलों के निर्माण में आवश्यक और अपेक्षित नियंत्रण एवं अन्य संरचनाएं तथा पक्का करने के कार्य में रेतीली मृदा पहुंचों अथवा भारी भराव वाली पहुंचों में खम्भों अथवा मेहरावों के माध्यम से भूमिगत अथवा ऊपर पाइपलाइने बिछाना शामिल है।

(viii) आवश्यक संरचनाओं सहित खेत नालियों के निर्माण की लागत का 25%।

(ix) निम्न स्तर से नीचे जल वितरण का प्रबंध लेने के लिए छोटे स्तर पर बनाए गए कृषक संघों के वास्ते पहले दो वर्षों के लिए 100.00 रुपए प्रति हेक्टेयर तथा तीसरे वर्ष के लिए 75.00 प्रति हेक्टेयर की दर से प्रबंधकीय आर्थिक सहायता की लागत का 50%। यह कमान क्षेत्र विकास स्थापना के एक भाग के रूप में शामिल होगी।

(x) वरिष्ठ स्तरीय अधिकारियों के लिए अभिविन्यास प्रशिक्षण के वास्ते 100% केन्द्रीय सहायता।

(xi) राज्य योजना अथवा मूल्यांकन निदेशालयों, राज्य में पहले से विद्यमान संस्थानों यदि कोई है, और इस उद्देश्य के लिए या तो नया निदेशालय बनाने या विद्यमान निदेशालय को सुदृढ़ करने जैसे स्वतंत्र अभिकरणों (निजी परामर्शदात्री फर्में नहीं) को सौंपे जाने वाले क्रियान्वयन के गुण-दोषों का पता लगाने के लिए निर्माणधीन कमान क्षेत्र विकास परियोनजाओं के क्रमबद्ध मूल्यांकन अध्ययनों की लागत का आधा।

(ख) ऋण :

(i) 5-8 हेक्टेयर के ब्लाकों के अंदर फील्ड चैनलों के निर्माण की लागत का 25%।

(ii) आवश्यक संरचनाओं सहित खेत नालियों के निर्माण की लागत का 25%।

(iii) भूमि और भूजल विकास के लिए उपस्करों तथा मशीनरी की खरीद।

(iv) भूमि विकास निगमों तथा कृषक सर्विस सोसाइटी आदि को समान सहायता प्रदान करना।

(v) आन फार्म विकास कार्यों के निष्पादन के लिए अपात्र किसानों को वित्तीय सहायता के लिए प्रदान हेतु एक विशेष ऋण खाता खोलना।

विवरण-2

वर्ष 1989-90 से 1991-92 तक के दौरान कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए आवंटन

(लाख रुपए में)

क्रम सं॰	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1989-90	1990-91	1991-92
1.	आन्ध्र प्रदेश	700	700	547
2.	अरूणाचल प्रदेश	—	10	35
3.	असम	285	300	310
4.	बिहार	960	1000	1373
5.	गोवा	115	142	192
6.	गुजरात	900	1175	1940
7.	हरियाणा	1820	2450	2873

(लाख रुपए में)

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1989-90	1990-91	1991-92
8.	हिमाचल प्रदेश	50	40	46
9.	जम्मू एवं कश्मीर	108	170	187
10.	कर्नाटक	1859	1784	1808
11.	केरल	800	965	827
12.	मध्य प्रदेश	2332	2366	2491
13.	महाराष्ट्र	5005	4500	4000
14.	मणिपुर	45	50	150
15.	मेघालय	—	—	65
16.	मिजोरम	—	—	—
17.	नागालैण्ड	—	—	11
18.	उड़ीसा	300	394	453
19.	पंजाब	600	600	1100
20.	राजस्थान	4777	4660	6266
21.	सिक्किम	—	—	—
22.	तमिलनाडु	890	890	900
23.	त्रिपुरा	5	10	10
24.	उत्तर प्रदेश	2275	1200	1800
25.	पश्चिम बंगाल	155	155	175
कुल राज्य:		23981	23561	27559
संघ राज्य क्षेत्र				
26.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	—	—	—
27.	चण्डीगढ़	—	—	—
28.	दादर एवं नगर हवेली	25	50	50
29.	दिल्ली	—	—	—
30.	लक्षद्वीप	—	—	—
31.	पांडिचेरी	—	—	—
32.	दमन एवं दीव	30	—	—
	कुल संघ राज्य क्षेत्र	55	50	50
	कुल राज्य + संघ राज्य क्षेत्र	24036	23611	27609
	केन्द्रीय सैक्टर	11515	11000	9000

विवरण-3

आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए आवंटित धनराशि

क्रम सं॰	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	(करोड़ रुपए में) कमान क्षेत्र विकास के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना परिव्यय
1.	आन्ध्र प्रदेश	55.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	1.70
3.	असम	16.79
4.	बिहार	70.65
5.	गोवा	6.40
6.	गुजरात	80.00
7.	हरियाणा	45.77
8.	हिमाचल प्रदेश	2.45
9.	जम्मू एवं कश्मीर	10.00
10.	कर्नाटक	130.00
11.	केरल	60.00
12.	मध्य प्रदेश	128.05
13.	महाराष्ट्र	323.93
14.	मणिपुर	7.00
15.	मेघालय	0.00
16.	मिजोरम	0.00
17.	नागालैण्ड	0.50
18.	उड़ीसा	33.40
19.	पंजाब	140.00
20.	राजस्थान	412.69
21.	सिक्किम	1.50
22.	तमिलनाडु	45.00
23.	त्रिपुरा	0.50
24.	उत्तर प्रदेश	90.00
25.	पश्चिम बंगाल	18.00
कुल राज्य		1679.33
संघ राज्य क्षेत्र		
26.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0.00
27.	चण्डीगढ़	0.00
28.	दादर एवं नगर हवेली	0.20
29.	दमन एवं दीव	0.60
30.	दिल्ली	0.00
31.	लक्षद्वीप	0.00
32.	पांडिचेरी	0.00
	कुल संघ राज्य क्षेत्र	0.80
	कुल राज्य क्षेत्र + राज्यों का जोड़	1680.13
	केन्द्रीय क्षेत्र	630.00
	कुल जोड़	2310.13

राजस्थान में जस्ते का उत्पादन

1687. **श्रीमती वसुन्धरा राजे:** क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किन-किन राज्यों में जस्ते का उत्पादन हो रहा है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान राजस्थान में जस्ते का औसत वार्षिक उत्पादन कितना रहा;

(ग) सरकार ने राजस्थान में जस्ते का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये हैं; और

(घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव): (क) प्राथमिक जस्ते के उत्पादन के लिए प्रगालक राजस्थान, आंध्र प्रदेश और केरल में हैं।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान राजस्थान में जस्ता धातु का औसत वार्षिक उत्पादन इस प्रकार है:

1989-90	38145 टन
1990-91	44310 टन
1991-92	57368 टन

(ग) कम्पनी ने 1991-92 में एक एकीकृत परियोजना चालू की है जिसमें भीलवाड़ा जिले में रामपुरा-अगूचा खान तथा राजस्थान के जिला चित्तौड़गढ़ में चन्देरिया में सीसा-जस्ता प्रगालक कम्पलेक्स शामिल है। इसकी वार्षिक क्षमता 70,000 टन वार्षिक जस्ता और 35,000 टन वार्षिक सीसा है। इस नए संयंत्र द्वारा 1992-93 के दौरान 46,000 टन जस्ते का उत्पादन करने की आशा है।

(घ) कम्पनी को, 8वीं योजना के दौरान अपने राजस्थान के प्रगालकों से 5,30,250 टन जस्ता धातु का उत्पादन होने की आशा है।

[हिन्दी]

दामोदर घाटी निगम द्वारा विस्थापित लोगों को रोजगार

1688. **श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता:** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दामोदर घाटी निगम ने तिलैय्या बांध और कान्ति परियोजना के अन्तर्गत कितनी भूमि अधिग्रहीत की है और कितने किसानों की भूमि अधिग्रहीत की गई है;

(ख) इन दोनों परियोजनाओं से कितने गांव प्रभावित हुए हैं और उन गांवों के कितने परिवार विस्थापित कर दिए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने इन लोगों को रोजगार देने के साथ-साथ इनके पुनर्वास की कोई योजना बनाई है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और अब तक कितने परिवारों का पुनर्वास किया गया है तथा अभी कितने परिवारों का पुनर्वास होना है;

(ङ) शेष परिवारों का पुनर्वास कब तक किए जाने की सम्भावना है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय): (क) और (ख) दामोदर घाटी निगम के अधीन कम्पनी में कोई परियोजना नहीं है। दामोदर घाटी निगम द्वारा तलैय्या बांध का निर्माण किए जाने हेतु

7902 एकड़ कृषि योग्य भूमि का अधिग्रहण किया गया था जिससे 53 गाँव प्रभावित हुए तथा 2691 परिवार विस्थापित हुए।

(ग) से (च) बिहार सरकार के परामर्श से विस्थापित परिवारों की पुनर्स्थापना करने के लिए एक स्कीम तैयार की गई थी जिसमें उन परिवारों को भूमि के बदले भूमि देना, भूमि के बदले नकद राशि देना तथा पुनर्वास गांवों की स्थापना करना शामिल है। सभी विस्थापित परिवारों को पुनर्स्थापित कर दिया गया है।

[अनुवाद]

जापान की सहायता से छोटी पनविद्युत परियोजनाएं स्थापित करना

1689. **श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल:** क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्रामीण विद्युतीकरण निगम का जापान की वित्तीय सहायता से कुछ राज्यों में छोटी-छोटी पनविद्युत परियोजनाएं स्थापित करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय): (क) और (ख) जी हां। ओवरसीज़ इक्नोमिक कोआपरेशन (ओ०ई०सी०एफ०) जापान से वित्तीय सहायता के अन्तर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आर०ई०सी०) के माध्यम से आन्ध्र प्रदेश की गुन्टूर लघु जल विद्युत परियोजना और कर्नाटक की वृन्दावन लघु जल विद्युत परियोजना को वित्तीय सहायता के लिए सम्मिलित किया गया है। परियोजना का विवरण निम्नानुसार है:—

क्र० सं०	राज्य	परियोजना का नाम	क्षमता (सं०×मे०वा०)	लागत (करोड़ रुपये में)
1.	आन्ध्र प्रदेश	गुन्टूर	2×2.5 मे०वा०	10.34
2.	कर्नाटक	वृन्दावन	2×6.0 मे०वा०	18.51

[हिन्दी]

बिहार के जिलों में सार्वजनिक टेलीफोन बूथों की स्थापना

1690. **श्री भोगेन्द्र झा:** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का बिहार के मधुबनी और दरभंगा जिलों में एसटीडी सुविधा युक्त सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों की स्थापना करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वे किन-किन स्थानों पर स्थापित किये जायेंगे; और

(ग) उपर्युक्त सुविधा कब तक उपलब्ध करा दी जायेगी?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी०वी० रंगय्या नायडू): (क) से (ग) बिहार के मधुबनी और दरभंगा जिलों में लम्बी दूरी वाले 7 टेलीफोन (एलडीपीटी) अर्थात् दुल्लीपट्टी, बालाट, मधवापुर, बालोर, बेर, गंगद्वार और विजय में प्रयोगात्मक आधार पर एसटीडी सुविधा प्रदान की गई है। एसटीडी लिंक के चालू हो जाने पर शेष पीसीओ को भी धीरे-धीरे यह सुविधा प्रदान कर दी जाएगी।

[अनुवाद]

पश्चिम बंगाल में स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज

1691. **श्री सत्यगोपाल मिश्र:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पश्चिम बंगाल में विशेषकर, मिदनापुर जिले में एसटीडी सुविधायुक्त स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी०वी० रंगय्या नायडू): (i) पचिम बंगाल में 458 टेलीफोन एक्सचेंजों में से 419 को पहले ही स्वचालित कर दिया गया है। शेष 39 मैनुअल एक्सचेंजों में से 22 को 1992-93 के दौरान और 17 को 1993-94 के दौरान स्वचालित करने की योजना है।

पश्चिम बंगाल में 59 एक्सचेंजों को पहले ही एसटीडी सुविधा प्रदान की जा चुकी है। 26 अतिरिक्त टेलीफोन एक्सचेंजों को 1992-93 के दौरान एलटीडी सुविधा प्रदान करने की योजना है बशर्ते उपस्कर उपलब्ध हों। शेष एक्सचेंजों को 31.3.97 तक एसटीडी प्रदान किये जाने की आशा है।

(ii) मिदनापुर जिले में 72 एक्सचेंजों में से केवल 7 मैनुअल एक्सचेंज हैं इन सात एक्सचेंजों को 92-93 के दौरान स्वचालित करने की योजना है।

मिदनापुर में 9 टेलीफोन एक्सचेंजों से एसटीडी सुविधा उपलब्ध है। 4 अतिरिक्त एक्सचेंजों को 92-93 के दौरान एसटीडी सुविधा प्रदान करने की योजना है।

खुला मंच दूरदर्शन कार्यक्रम

1692. **डा० आर० मल्लू:** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार दूरदर्शन पर खुला मंच कार्यक्रम पुनः शुरू करने का है; और

(ख) यदि हां, तो कब से और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास): (क) और (ख) दूरदर्शन अपनी कार्यक्रम आवश्यकताओं और प्रासंगिकता के आधार पर विभिन्न फार्मेटों में कार्यक्रम तैयार करने का प्रयास करता है। अतः खुला मंच कार्यक्रम और ऐसे ही कार्यक्रमों का प्रसारण दूरदर्शन की कार्यक्रम आवश्यकताओं पर निर्भर करता है जो समय-समय पर भिन्न-भिन्न होती हैं।

[हिन्दी]

बिहार में अभ्रक की खानों को बन्द करना

1693. **श्री राम टहल चौधरी:** क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अभ्रक की कई खानें बन्द कर दी गई हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन खानों को बन्द करने के परिणामस्वरूप बेरोजगार हुए श्रमिकों को रोजगार मुहैया कराने के लिए सरकार का विचार क्या उपाय करने का है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव): (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बिहार में विकलांगों के लिए आरक्षित डाकियों के पदों पर भर्ती

1694. **श्री सूर्य नारायण यादवः** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) बिहार में विकलांगों के लिए आरक्षित कोटे के अन्तर्गत डाकियों के कितने पदों पर भर्ती नहीं की गई है; और

(ख) इन आरिक्षत पदों पर भर्ती करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू): (क) सात।

(ख) शारीरिक रूप से विकलांग उपयुक्त उम्मीदवार नामित करने के लिए रोजगार कार्यालय को कहा गया है।

[अनुवाद]

हिमाचल प्रदेश में डाकघरों में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र

1695. **मेजर डी० डी० खनोरियाः** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) हिमाचल प्रदेश में कितने डाकघरों / उप-डाकघरों में सार्वजनिक टेलीफोन सुविधा उपलब्ध नहीं है;

(ख) क्या सरकार का विचार यह सुविधा ऐसे सभी डाकघरों / उप-डाकघरों में उपलब्ध कराने का है; और

(ग) यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू): (क) हिमाचल प्रदेश के उन डाकघरों / उप-डाकघरों की संख्या नीचे दी गई है जिनमें सार्वजनिक टेलीफोन सुविधा नहीं हैः—

प्रधान डाकघर	9
उप डाकघर	62
अतिरिक्त विभागीय उप डाकघर	3
अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर	1819

(ख) और (ग) हालांकि, सभी डाकघरों में टेलीफोन सुविधा प्रदान करने की अलग से कोई योजना नहीं है, फिर भी, सरकार ने 31 मार्च, 1995 तक सभी पंचायत-ग्रामों में उत्तरोत्तर रूप से टेलीफोन सुविधा प्रदान करने की योजना बनाई है, बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध रहें। ऐसे टेलीफोन लगाने के लिए जिन स्थानों का सुझाव दिया गया है, उनमें से डाकघर भी एक है।

राजस्थान में पर्यटन विकास योजनाएं

1696. **श्री राम नारायण बैरवाः** क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा राजस्थान में पयर्टन के विकास के लिए स्वीकृत योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा ऐसी योजनाओं के लिए कितनी वित्तीय सहायता दी गई?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) इन स्कीमों में पर्यटक परिसरों का निर्माण, मार्गस्थ सुख-सुविधाएं, रेस्तरां, पर्यटक स्वागत केन्द्र, जन सुविधाएं शामिल हैं और स्मारकों की प्रकाशपुंज व्यवस्था, साहसिक खेलों के उपकरणों की खरीद, परिवहन कोचों तथा मेलों और उत्सवों को

आयोजित करने के लिए वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराई गई है। गत तीन वर्षों के दौरान राजस्थान सरकार को विभिन्न स्कीमों और परियोजनाओं के लिए 362.90 लाख रुपए स्वीकृत किए गए थे।

केरल में दूरसंचार केन्द्र

1697. **श्री कोडी कुन्नील सुरेश:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय केरल में कुल कितने दूरसंचार केन्द्र हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार 1992-93 के दौरान केरल में और दूर-संचार केन्द्र खोलने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वे कहां-कहां खोले जायेंगे?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी॰ वी॰ रंगय्या नायडू): (क) केरल में इस समय 57 दूरसंचार केन्द्र हैं।

(ख) जी हां।

(ग) केरल में 1992-93 के दौरान 12 दूरसंचार केन्द्र खोले जाने का प्रस्ताव है जिनका विवरण इस प्रकार है:

1. पुत्तूर
2. पंडलम
3. परावूर
4. परिपल्ली
5. नोदुमंगद
6. कुमारनेल्लूर
7. कोट्टयम मेडिकल कालेज
8. पुतुकडे
9. थोप्पुमपडी (एरनाकुलम)
10. मन्नार
11. मनन्ताकडी, और
12. चित्तूर (पी जी)।

उड़ीसा में प्रेफाइट के भंडार

1698. **श्री सुबास चन्द्र नायक:** क्या **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग ने देश में प्रेफाइट के भंडार वाले समस्त क्षेत्रों का कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा में प्रेफाइट के अनुमानित भंडारों का स्थानवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इसके समुचित खनन तथा निर्यात हेतु क्या कदम उठाये हैं?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव): (क) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) और राज्य सरकार की विभिन्न एजेंसियों ने देश में समस्त प्रेफाइट निक्षेपों का सर्वेक्षण किया है।

(ख) उड़ीसा में 4 परियोजना में ग्रेफाइट निक्षेप मिले हैं तथा सर्गीपल्ली पट्टी जिला-संभलपुर-बोलनगीर), तीतलगढ़ पट्टी (जिला-कालाहांडी-बोलनगीर), टुमदीबन्द पट्टी (जिला-फूलबनी-कोरापुट) और डंडाटोपा पट्टी (जिला-धेंकनाल) उड़ीसा में ग्रेफाइट के जिलावार भंडार इस प्रकार है:—

जिला	भंडार (टन में)
1. बोलनगीर	208,203
2. कालाहांडी	8,873
3. फुलबनी	167,775
4. संभलपुर	221,432
कुल	606,283

सभी ग्रेड (5—40% नियत कार्बन)

(ग) उड़ीसा का ग्रेफाइट के उत्पादन में देश में अग्रणीय स्थान है और खनिज उत्पादन में उसका 80% योगदान है। ग्रेफाइट और ग्रेफाइट उत्पादों का निर्यात भी किया जाता है।

विकलांग व्यक्तियों को टेलीफोन कनेक्शन देना

1699. श्री अन्ना जोशी: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विकलांग व्यक्तियों, खिलाड़ियों, कलाकारों, पूर्व-सैनिकों और उनके संगठनों को प्राथमिकता के आधार पर टेलीफोन कनेक्शन देने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू): (क) से (ग) जी, नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि अभी सार्वजनिक टेलीफोन घर / सार्वजनिक टेलीफोन की मंजूरी देने में शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों और भूतपूर्व सैनिकों को वरीयता दी जानी है।

[हिन्दी]

उड़ीसा में डाक और तार घर तथा टेलीफोन एक्सचेंज

1700. **श्री गोविन्द चन्द्र मुन्डा:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उड़ीसा में 1992-93 के दौरान जिला वार कितने डाक घर, तार घर और टेलीफोन एक्सचेंज खोलने का विचार है;

(ख) इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि का नियतन किया गया है; और

(ग) गत वर्ष के दौरान क्योंझर, मयूरभंज और राउरकेला जिलों में एस० टी० डी० और आई० एस० टी० डी० के कितने कनेक्शन उपलब्ध कराये गये?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू): (क) हालांकि उड़ीसा में 1992-93 के दौरान नए डाकघर खोले जाने का प्रस्ताव है, लेकिन जिला-वार ब्यौरा देना संभव नहीं है क्योंकि इस संबंध में लक्ष्यों को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

1992-93 के दौरान, औचित्य होने पर उड़ीसा में खोले जाने वाले प्रस्तावित तारघरों एवं टेलीफोन एक्सचेंजों की जिला-वार संख्या इस प्रकार है:—

क्र० सं०	राजस्व जिला का नाम	खोले जाने वाले तारघरों की संख्या	खोले जाने वाले टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या
1.	बालासोर	35	3
2.	बोलनगीर	20	2
3.	कटक	150	6
4.	धेनकनाल	30	3
5.	गंजाम	35	8
6.	कालाहान्डी	20	1
7.	क्योंझर	30	2
8.	कोरापुट	15	2
9.	मयूरभंज	30	2
10.	फूलबनी	15	1
11.	पुरी	45	5
12.	सम्बलपुर	60	3
13.	सुन्दरगढ़	15	2

(ख) 8वीं पंचवर्षीय योजना में नए डाकघर, तारघर और टेलीफोन एक्सचेंज खोलने के लिए पर्याप्य निधि का प्रावधान है।

(ग) पिछले वर्ष के दौरान उड़ीसा के क्योंझर, मयूरभंज और राउरकेला जिलों में प्रदान किए गए एस०टी०डी० / आई०एस०टी०डी० कनक्शनों की संख्या इस प्रकार है:—

क्रम सं०	जिला	प्रदान किए गए एस०टी०डी० / आई०एस०टी०डी० कनेक्शनों की संख्या
1.	क्योंझर	7
2.	मयूरभंज	4
3.	राउरकेला	6

[अनुवाद]

दूरदर्शन पर कृषि संबंधी कार्यक्रमों का निर्धारित समय

1701. **श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे:** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार दूरदर्शन पर कृषि और कृषि से जुड़े कार्यक्रमों के लिये नियत किये गये समय में वृद्धि करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास): (क) से (ग) समिति प्रसारण समय को देखते हुये कृषि कार्यक्रमों के लिये पहले से आवंटित समय में वृदिध करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

उपक्रमों/संगठनों में कथित भ्रष्टाचार

1702. **श्री राम लखन सिंह यादव:**
श्री काशीराम राणा:

क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को उनके मंत्रालय के अधीन कार्यरत उपक्रमों/संगठनों में भ्रष्टाचार की गत तीन वर्षों के दौरान कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या दोषी पाये गये अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस मामले में सरकार द्वारा कौन से उपचारात्मक उपाय किये गये हैं/किये जा रहे हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) एक विवरण संलग्न है।

(घ) मंत्रालय तथा इसके संगठनों/उपक्रमों में सरकार के अनुदेशों के अनुसार व्यवस्थित सतर्कता ढांचा विधिवत रूप से गठित किया गया है।

विवरण

संक्षेप में शिकायतों का विषय	की गई शिकायतें	की गई कार्रवाई का ब्यौरा
केन्द्रीय जल आयोग में मूल रूप से सर्वश्री नरेन्द्र सिंह, कनिष्ठ इंजीनियर एवं लोअर यमुना प्रभाग, केन्द्रीय जल आयोग, आगरा के स्टाफ द्वारा श्री ओ०पी० गुप्ता, निदेशक (पी०पी०), केन्द्रीय जल आयोग के विरुद्ध की गई पांच शिकायतें प्राप्त हुई थीं।	शिकायतों में केन्द्रीय जल आयोग के लोअर यमुना प्रभाग में तत्कालीन निदेशक के विरुद्ध स्थानान्तरणों में भ्रष्टाचार और सरकारी वाहनों के दुरूपयोग का आरोप था।	प्रारम्भिक जांच के बाद केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के अंतर्गत श्री ओ०पी० गुप्ता के विरुद्ध औपचारिक कार्रवाई की गयी थी। अनुशासनिक प्राधिकारी ने संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से यह निर्णय दिया कि सरकारी वाहन के दुरुपयोग का आरोप सिद्ध हो गया था तथा 30.8.1990 को उन्हें "निन्दा" का दण्ड दिया गया था।

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के भूतपूर्व चेयरमैन द्वारा किये गये प्रमुख सौदों की जांच

1703. **श्री जनार्दन मिश्र:**
श्री नरेश कुमार बालियान:
श्री रामेश्वर पाटीदार:
श्री मोहन रावले:

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के भूतपूर्व चेयरमैन व प्रबंध निदेशक के कार्यकाल के दौरान अंतिम रूप दिये गये सभी प्रमुख सौदों की जांच के आदेश दिये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) जांच रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू): (क) से (ग) महानगर टेलीफोन निगम लि० द्वारा अभी हाल में किये गये कुछ प्रमुख सौदों की जांच की गई है। इस जांच के आधार पर केन्द्रीय जांच ब्यूरो को एक विशेष औपचारिक जांच करने के लिये मामला सौंपा गया है। विभाग ने भी तत्कालीन चेयरमैन और प्रबंध निदेशक, जो अब सेवानिवृत्त हो गये हैं को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

[अनुवाद]

भारतीय पर्यटन विकास निगम की सम्पदा का विदेशी बैंकों के द्वारा मूल्यांकन

1704. **श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक:** क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कुछ विदेशी बैंकों को भारतीय पर्यटन विकास निगम की सम्पदा का मूल्यांकन करने तथा उसका बाजार भाव निर्धारित करने की जिम्मेदारी सौंपी है;

(ख) क्या इन बैंकों ने अपनी मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या स्वतंत्र मूल्यांकन करने हेतु एक विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति करने की सरकार की कोई योजना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया): (क) जी, हां। भारत पर्यटन विकास निगम ने चार विदेशी बैंकों को अपनी 26 होटल सम्पत्तियों के मूल्यांकन का कार्य सौंपा था।

(ख) और (ग) जी, हां। इन बैंकों ने अपनी मूल्यांकन रिपोर्ट में 26 होटलों का निवल मूल्य आंका है।

(घ) और (ङ) जी, नहीं। भारत पर्यटन विकास निगम की सम्पत्तियों का चार विदेशी बैंकों द्वारा किया गया मूल्यांकन एक स्वतंत्र मूल्यांकन है जिसका उपयोग संसाधन जुटाने, पूंजी-निवेश की योजना तैयार करने और निगम की आर्थिक आय का निर्धारण करने के लिये परिचायक आंकड़ों के रूप में किया जा सकता है।

भारत पर्यटन विकास निगम में "गोल्डन हैण्डशेक" योजना

1705. **श्री गुरुदास कामत:**
श्री मोहन रावले:

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मार्च, 1992 में भारत पर्यटन विकास निगम के कर्मचारियों को "गोल्डन हैण्डशेक"/स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना की पेशकश की गई थी;

(ख) इस योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले लाभों का ब्यौरा क्या है;

(ग) कितने कर्मचारियों ने इस योजना को चुना; और

(घ) इन कर्मचारियों को अब तक कुल कितनी धनराशि का भुगतान किया गया है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया): (क) जी, हां।

(ख) स्वैच्छिक सेवा-निवृत्त स्कीम के अंतर्गत सेवा-निवृत्ति के सामान्य लाभों के अलावा कर्मचारी सेवा के पूरे किए गए प्रत्येक वर्ष के लिए डेढ़ महीने की परिलब्धियों (वेतन एवं महंगाई भत्ता) के बराबर या सेवा-निवृत्ति के समय मिल रही मासिक परिलब्धियों को सेवा के शेष महीनों से गुणा करने से प्राप्त होने वाली राशि के बराबर, जो भी कम हो, अनुग्रह राशि पाने के पात्र होंगे।

(ग) 980 कर्मचारियों ने इस योजना को चुना है।

(घ) कुल अनुमानित देयता 12.17 करोड़ रुपये बैठती है।

[हिन्दी]

बिहार के हजारीबाग में सुपर ताप विद्युत परियोजना

1706. **श्री छेदी पासवान:** क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार के हजारी बाग जिले में तेंदवा में एक सुपर ताप विद्युत परियोजना की स्थापना के प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति नहीं देने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में अपने निर्णय पर पुनर्विचार किए जाने के सम्भावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय): (क) से (ग) बिहार के हजारीबाग जिले के उत्तरी करनपुरा में तेंदवा में कोयला आधारित सुपर ताप विद्युत परियोजना (2×500 मेगावट) स्थापित किए जाने से संबंधित राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) के प्रस्ताव को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से स्वीकृति प्रदान कर दी है बशर्ते कुछेक अपेक्षित शर्तों में पर्यावरणीय दृष्टि से स्वीकृति, जल की सुनिश्चित उपलब्धता तथा दामोदार घाटी क्षेत्र में बिहार सरकार द्वारा बांध बनाए जाने के लिए दामोदार घाटी निगम की स्वीकृति आदि भी शामिल की गई हो। आरक्षित तथा सुरक्षित वनों की सन्निकटता के प्रमुख कारणवश पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एनओईएफ़) ने परियोजना के लिए प्रस्तावित स्थल हेतु अपनी स्वीकृति प्रदान नहीं की है। इन मुद्दों का समाधान किए जाने के पश्चात् ही इस परियोजना के लिए निवेश संबंधी अनुमोदन अपेक्षित होगा।

[अनुवाद]

उपग्रह निगरानी केन्द्र

1707. **श्री अंकुशराव टोपे:** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र में जलास में नया उपग्रह निगरानी केन्द्र स्थापित किया जा रहा है; और
(ख) यदि हां, तो यह केन्द्र कब से कार्य करना शुरू कर देगा और इसका कार्यक्षेत्र क्या होगा?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी॰वी॰ रंगय्या नायडू): (क) जी, हां।

(ख) आशा है कि यह केन्द्र 1992 के अंत तक कार्य करना आरंभ कर देगा। यह केन्द्र 20° पूर्व—140° पूर्व में भारत के ऊपर पृथ्वी की गति के समतुल्य चल रहे उ. .ह की कक्षा से दिखाई देने वाले आर्क में उपग्रह से हो रहे उत्सर्जनों के तकनीकी पैरामीटरों की निगरानी करने की क्षमता प्रदान करेगा। इससे अंतरिक्ष रेडियो संचार प्रणाली शासित करने वाले राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रेडियो विनियमों को लागू करने में सुविधा होगी। । कथित केन्द्र द्वारा प्रस्तुत मापों से भारतीय उपग्रह और स्थानीय रीडियो संचार प्रणालियों का अंतराय मुक्त प्रचालन करने में आसानी होगी।

[हिन्दी]

हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कम्पनी लिमिटेड को बन्द किया जाना

1708. **श्री पंकज चौधरी:** क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंपनी लिमिटेड को बन्द करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश में गैस पर आधारित विद्युत संयंत्र

1709. **श्री संतोष कुमार गंगवार:** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गैस पर आधारित विद्युत संयंत्र स्थापित करने के लिए उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों का सर्वेक्षण कराया गया था;

(ख) क्या सरकार ने इस योजना पर अब और आगे कार्यवाही न करने का निर्णय लिया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय): (क) से (ग) उत्तर प्रदेश में गैस पर आधारित विद्युत संयंत्र स्थापित करने के लिए किसी प्रकार का सर्वेक्षण किए जाने के बारे में विद्युत मंत्रालय को जानकारी नहीं है। तथापि के०वि० प्राधिकरण (सीईए) को उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड (यू पी एस ई बी) से निम्नलिखित गैस आधारित विद्युत संयंत्र स्थापित किए जाने के बारे में प्रस्ताव प्राप्त हुए थे:—

(1) जिला गाजियाबाद में दादरी स्थित गैस आधारित संयुक्त साइकिल संयंत्र—600 मेगावाट

(2) बरेली जिले में बनोला गैस आधारित संयुक्त साइकिल गैस टर्बाइन परियोजना—600 मेगावाट

(3) जिला बदांयू में बवराला गैस आधारित संयुक्त साइकिल गैस टर्बाइन परियोजना—600 मेगावाट

(4) शाहजहांपुर जिले में गैस आधारित संयुक्त साइकिल गैस टर्बाइन परियोजना—600 मेगावाट

(5) रायबरेली जिले में जगदीशपुर गैस आधारित संयुक्त साइकिल गैस टर्बाइन परियोजना—210 मेगावाट

तथापि, गैस की अनुपलब्धता को ध्यान में रखते हुए तथा अन्य निवेशों की असुनिश्चितता के कारण के०वि०प्रा० ने इन परियोजनाओं पर आगे कार्यवाही नहीं की। उ०प्र०रा०वि० बोर्ड से इन निवेशों को सुनिश्चित किये जाने के बाद परियोजनाओं में संशोधन किए जाने का अनुरोध किया गया था।

इसके अलावा नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन ने भी उत्तर प्रदेश के फर्रूखाबाद में 800 मेगावाट का गैस आधारित विद्युत संयंत्र स्थापित करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। गैस की अनुपलब्धता तथा अन्य निवेश सुनिश्चित न किए जाने के कारण इस परियोजना पर आगे कार्यवाही करना संभव नहीं हो पा रहा है।

[अनुवाद]

हासन, कर्नाटक में हवाई अड्डा

1710. **श्री एच॰डी॰ देवगौड़ा:** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने कर्नाटक के हासन में हवाई अड्डा बनाने के लिए जमीन का अधिग्रहण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर कितना खर्च किया गया है;

(ग) हवाई अड्डे की अनुमानित लागत कितनी है; और

(घ) इसका निर्माण कार्य कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

संसद सदस्यों को कार टेलीफोन दिया जाना

1711. **श्री अवतार सिंह भड़ाना:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संसद सदस्यों को पिछले तीन वर्षों के दौरान कार टेलीफोन उपलब्ध/मंजूर किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी॰ वी॰ रंगय्या नायडू): (क) से (ग) संसद सदस्य की हैसियत से, वे कार टेलीफोन के हकदार नहीं हैं। तथापि पिछले 3 वर्षों के दौरान केवल एक संसद सदस्य को एक सचल टेलीफोन निजी कनेक्शन के तौर पर प्रदान किया गया था।

इंडियन एयरलाइंस की उड़ानों को रद्द किया जाना

1712. **श्री याइमा सिंह युमनाम:** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अप्रैल तथा मई, 1992 के दौरान इम्फाल के लिये निर्धारित उन उड़ानों का ब्यौरा क्या है जिन्हें गुवाहाटी पहुंचने पर रद्द कर दिया गया;

(ख) उसके क्या कारण हैं और इंडियन एयरलाइंस को इस कारण कुल कितनी हानि हुई; और

(ग) भविष्य में उड़ानों को इस प्रकार रद्द करने की प्रक्रिया को रोकने के लिये अब तक क्या उपाय किये गये हैं?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) अप्रैल, 1992 में, गुवाहाटी पहुंचने के पश्चात इम्फाल जाने वाली उड़ान को रद्द किये जाने की कोई घटना नहीं हुई। मई, 1992 के दौरान आईसी 889 की तीन उड़ानें रद्द की गयी थी जो इस प्रकार थी— (1) 13 मई, 1992 को इम्फाल बन्द तथा हवाई अड्डा बन्द होने के कारण (2) 16 मई, 1992 को खराब मौसम तथा तकनीकी कारणों से और (3) 25 मई, 1992 को इंजीनियरी खराबी के कारण। इंडियन एयरलाइंस को यात्रियों के लिए होटल आवास, परिवहन आदि के उपलब्ध कराने के कारण लगभग 1.75 लाख रुपये का घाटा हुआ।

(ग) केवल अपरिहार्य परिस्थिति में ही उड़ानों को रद्द किया जाता है। सभी तकनीकी खामियों का विश्लेषण किया जाता है ताकि उनकी पुनरावृत्ति न हो। साथ ही, समय पर बेहतर निष्पादन तथा उड़ान रद्द किये जाने से बचाव के लिये निम्नलिखित उपाय किये जाते हैं:—

(1) क्षेत्रीय तथा मुख्यालय स्तर पर समय पर निष्पादन की सूक्ष्म निगरानी करना।

(2) उड़ानों के बीच अंतराल के रूप में संशोधित ब्लाक टाइम और वर्धित ग्राउंड टाइम का समावेश करते हुए अनुसूची को युक्तिसंगत बनाना।

(3) क्षेत्रों तथा साथ ही मुख्यालयों में खामियों को दूर करने के लिए की गई कार्रवाई की समीक्षा।

[हिन्दी]

इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज

1713. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय देश में कितने इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज कार्य कर रहे हैं;

(ख) चालू वर्ष के अन्त तक ऐसे कितने नये एक्सचेंज स्थापित करने का विचार है; और

(ग) इसके फलस्वरूप कितने व्यक्तियों को टेलीफोन कनेक्शन मिलने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू): (क) 31.3.92 को स्थिति के अनुसार देश में कुल 7044 इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज काम कर रहे हैं।

(ख) चालू वर्ष के दौरान 3148 नये इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज स्थापित करने का प्रस्ताव है।

(ग) नये एक्सचेंज खोलने/मौजूदा एक्सचेंजों का विस्तार करने के परिणामस्वरूप 1992-93 के दौरान करीब 8.5 लाख टेलीफोन कनैक्शन प्रदान करने का प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

उड़ीसा में इस्पात संयंत्र

1714. **डा० कार्तिकेश्वर पात्र:** क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उड़ीसा में दैतारी इस्पात संयंत्र की स्थापना की कुल परिव्यय कितना है;

(ख) उसमें राज्य सरकार तथा डा० स्वराज पाल के "कैप्रो ग्रुप आफ यू०के०" के शेयर कितने-कितने हैं तथा इससे कितने रोजगार के अवसर पैदा होंगे; और

(ग) राज्य सरकार तथा डा० स्वराज पाल के बीच हुए समझौते का अन्य संगत ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव): (क) राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार प्रतिवर्ष 10 लाख टन परिसज्जित माल का उत्पादन करने के लिए इस्पात संयंत्र की पूंजीगत लागत 4250/- करोड़ रुपये आंकी गयी थी।

(ख) साम्य में राज्य सरकार की भागीदारी 100 करोड़ रुपये होगी जो अवसंरचना सहायता के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी। साम्य का शेष भाग और ऋण वसूल करने की जिम्मेवारी कापरो ग्रुप की होगी। रोजगार सृजन के बारे में ब्यौरे का अभी मूल्यांकन किया जाना है।

(ग) उड़ीसा में दैतारी के समीप एक एकीकृत इस्पात संयंत्र की स्थापना करने के लिए राज्य सरकार और ब्रिटेन के कापरो ग्रुप के डा० स्वराजपाल के बीच 1-11-91 को एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। समझौता ज्ञापन के अनुसार:—

(i) उड़ीसा सरकार की पूर्ण सहायता से कलिंग स्टील लिमिटेड की निजी क्षेत्र में होने की संभावना है।

(ii) उड़ीसा सरकार के परामर्श से कापरो ग्रुप अपने सहयोगियों सहित कलिंग स्टील के प्रबंधन मंडल का गठन करेगा।

(iii) कापरो विभिन्न प्रौद्योगिकी विकल्पों के मूल्यांकन की व्यवस्था करेगा।

(iv) विदेशी मुद्रा और रुपये सहित वित्तीय पैकेज की व्यवस्था कापरो करेगा।

(v) इस परियोजना का कार्य तत्काल शुरू करने के लिए दोनों पक्ष सहमत हैं। समझौता ज्ञापन यथासमय उपयुक्त रूप से परिवर्धित और संशोधित किया जाएगा और विस्तृत रूप से करार किया जाएगा।

"कोलार गोल्ड फील्ड" के कर्मचारियों की छंटनी, सेवानिवृत्ति और पुनर्वास

1715. **श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स:** क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) "कोलार गोल्ड फील्ड" में अब तक कितनी छंटनी की गई है;

(ख) क्या "कोलार गोल्ड फील्ड" में 1992-93 के दौरान भी छंटनी किए जाने का विचार है;

(ग) कितने कर्मचारियों ने "गोल्डन हैंडशेक स्कीम" के अन्तर्गत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली;

(घ) कितने कर्मचारियों ने पुनर्वास कार्यक्रम चाहा है; और

(ङ) इस समय वास्तव में कितने कर्मचारी कार्यरत हैं?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव): (क) भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड में अब तक कर्मचारियों की कोई छंटनी नहीं की गई है।

(ख) कोलार गोल्ड फील्ड में 1992-93 के दौरान कर्मचारियों की छंटनी का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है किन्तु इससे इंकार भी नहीं किया जा सकता।

(ग) भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड में अब तक 1183 कर्मचारियों ने स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति के अंतर्गत सेवा-निवृत्ति ली है।

(घ) भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड ने कोई पुनर्वास कार्यक्रम तैयार नहीं किया है।

(ङ) भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड में 30.6.1992 को कर्मचारियों की कुल संख्या 8751 थी।

मुम्बई में डाकियों की हड़ताल

1716. **श्री राम कापसे:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मुम्बई में डाकिये जून, 1992 के दौरान हड़ताल पर चले गये थे;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) हड़ताल के कारण कितनी क्षति हुई है; और

(घ) इस प्रकार की हड़तालों को टालने हेतु सरकार क्या उपाय कर रही है?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी०वी० रंगय्या नायडू): (क) जी हां।

(ख) बम्बई, मुख्य डाकघर जी०पी०ओ० में 1.6.92 से वितरण सेटों का युक्तिसंगत पुनर्गठन किए जाने विरुद्ध तीन दिवसीय हड़ताल की गई थी।

(ग) कुल 11,741 श्रम-दिनों (मैन डेज) का नुकसान हुआ और कार्य को निपटाने के लिए ओवरटाइम भत्ते, कुली चार्ज और होमगार्डों की नियुक्त पर 68000/- रुपये खर्च हुए।

(घ) सरकार का यह सुनिश्चित करने का प्रयास रहता है कि डाक सेवाओं में बाधा उत्पन्न न हो। कर्मचारियों की शिकायतों को दूर करने के लिए संयुक्त सलाहकार तंत्र और अनिवार्य मध्यस्थता की व्यवस्था है।

ट्यूरियल, मिजोरम में विमान क्षेत्र का विस्तार

1717. **डा० सी० सिलवेरा**: क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मिजोरम ट्यूरियल मिजोरम में वर्तमान विमान क्षेत्र का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) उंची लागत और पर्वतीय अवरोधों को देखते हुये, टयूरिल (एजवाल) हवाई अड्डे का उन्नयन करना एक व्यवहार्य प्रस्ताव नहीं है।

दूरदर्शन/आकाशवाणी के आधुनिकीकरण और विस्तार की योजनायें

1718. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति:**
श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद:

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरदर्शन और आकाशवाणी के आधुनिकीकरण और विस्तार की योजनायें देश में विदेशी टेलीविजन नेटवर्कों के प्रवेश से बुरी तरह प्रभावित हुई है;

(ख) यदि हां, तो आठवीं पंचवर्षीय योजना में दूरदर्शन और आकाशवाणी के आधुनिकीकरण और विस्तार के लिए किये गए आवंटनों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकर का विचार विदेशी टेलीविजन नेटवर्कों के प्रवेश को ध्यान में रखते हुए अपनी योजनाओं की पुनरीक्षा करने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास): (क), (ग) और (घ) जी, नहीं।

(ख) आकाशवाणी तथा दूरदर्शन की विभिन्न स्कीमों के लिए आठवीं योजना में क्रमशः 1134.95 करोड़ रुपये तथा 2300 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की गई है।

आन्ध्र प्रदेश में गैस पर आधारित विद्युत संयंत्र

1719. **श्री दत्तात्रेय बंडारु:** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम और आन्ध्र प्रदेश राज्य को आन्ध्र प्रदेश के कृष्णा गोदावरी बेसिन में गैस पर आधारित विद्युत संयंत्रों की स्थापना हेतु वर्ष 1990-91 और 1991-92 के दौरान कितनी प्राकृतिक गैस आवंटित की गई थी;

(ख) क्या गैस के आवंटन में भारी कटौती कर दी गई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) गैस पर आधारित विद्युत संयंत्रों की स्थिति क्या है जिनके लिए अनिवासी भारतीयों ने मूल आवंटन के आधार पर निवेश किया था?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय): (क) से (ग) नैशनल थर्मल पावर कारपोरेशन तथा आन्ध्र प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड द्वारा राज्य क्षेत्र में कृष्णा-गोदावरी बेसिन में स्थापित किए जाने वाली 400-400 मेगावाट क्षमता वाले दो गैस आधारित विद्युत संयंत्रों के लिए सितम्बर, 1990 में कृष्णा-गोदावरी बेसिन से 3.00 एमसीएमडी प्राकृतिक गैस का आबंटन किया गया था। तथापि, कृष्णा-गोदावरी बेसिन में गैस की कम उपलब्धता के कारण गैस लिंकेज समिति ने दोनों परियोजनाओं के लिए 1.5 एमसीएमडी गैस आबंटित करने की सिफारिश की है।

(घ) आन्ध्र प्रदेश सरकार ने जगुरुपाडु विद्युत परियोजना की निजी क्षेत्र में स्थापित करने के लिए मैसर्स जी०वी०के० इण्डस्ट्रीज नामक एक अनिवासी भारतीय (एन०आर०आई०) कम्पनी को चुना है। मैसर्स स्पैक्ट्रम टैक्नोलोजीज इन्क० जिसे आन्ध्र प्रदेश सरकार ने अन्य 400 मेगावाट क्षमता वाली गैस आधारित विद्युत परियोजना स्थापित करने के लिए चुना है, ने गोदावरी परियोजना को नैशनल थर्मल पावर कारपोरेशन के साथ संयुक्त उपक्रम के रूप में स्थापित करने का प्रस्ताव किया है। दोनों परियोजनाओं के लिए व्यवहार्यता रिपोर्ट केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में प्राप्त नहीं हुई है।

गुजरात में बाढ़ नियंत्रण

1720. **श्री हरिसिंह जाधव:** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात सरकार ने राज्य में बाढ़ पर नियंत्रण पाने संबंधी कोई योजना केन्द्र सरकार को स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक स्वीकृति दिये जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) और (ख) लोअर तापी बेसिन में तापी नदी बाढ़ सुरक्षा उपायों के लिए 33.99 करोड़ रुपये की लागत का अंतिम संशोधित अनुमान दिसम्बर, 1991 में प्राप्त हुआ था। यह स्कीम अप्रैल, 1991 में पहले 5.21 करोड़ रुपये की लागत पर अनुमोदित की गयी थी।

(ग) इस स्कीम को स्वीकृति प्रदान किए जाने वाला समय इस बात पर निर्भर करता है कि कितनी जल्दी राज्य सरकार केन्द्रीय मूल्यांकन अधिकरणों की टिप्पणियों की अनुपालना करती है।

हवाई पट्टियों को पक्का बनाना

1722. **प्रो० के०वी० थामस:**
श्री राधिका रंजन प्रमाणिक:
श्री के० मुरलीधरन:

क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के विभिन्न हवाई अड्डों पर हवाई पट्टियों का विस्तार/निर्माण, आधुनिकीकरण करने और उन्हें पक्का करने संबंधी प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस प्रयोजन हेतु कितनी धनराशि निर्धारित की गयी है; और

(ग) यह आधुनिकीकरण कार्यक्रम कब तक पूरा किया जायेगा?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया): (क) से (ग) देश में विभिन्न हवाई अड्डों पर धावनपथों का विस्तार/आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण एक सतत् प्रक्रिया है और इसे अनुमानित आवश्यकताओं तथा संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर चरणबद्ध रूप से शुरू किया जाता है।

गुजरात में रेडियो टेलीफोन

1723. **डा० खुशीराम डूंगरोमल जेस्वणी:** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले वर्षों के दौरान गुजरात में जिलावार कितने गावों में रेडियो टेलीफोन सुविधा प्रदान की गई है; और

(ख) 1992-93 के दौरान कितनी सुविधा प्रदान करने का क्या प्रस्ताव है?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी०वी० रंगय्या नायडू): (क) ब्यौरे संलग्न विवरण दिये गए हैं।

(ख) वर्ष 1992-93 के दौरान 3000 पंचायत गांवों को टेलीफोन सुविधा प्रदान करने का प्रस्ताव है, बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हों। संचारण माध्यम की किस्म का निर्णय तकनीकी व्यवहार्यता का परीक्षण करने के बाद किया जाएगा।

विवरण

वर्ष 1990-91 और 1991-92 के दौरान गुजरात के जिन गांवों को रेडियो टेलीफोन सुविधा प्रदान की गई उनकी जिलावार संख्या

क्रम सं०	जिले के नाम	जिन पंचायत ग्रामों को रेडियो टेलीफोन सुविधा प्रदान की गई उनकी संख्या
1	2	3
1.	अहमदाबाद + गांधीनगर	13
2.	अमरेली	27
3.	बनासकांठा पालनपुर	22
4.	भावनगर	28
5.	भावेघ	02
6.	जामनगर	02

1	2	3
7.	जूनागढ़	28
8.	भूज	30
9.	मेहसाणा	24
10.	गोधरा पंचमहल	11
11.	राजकोट	41
12.	हिम्मतगनर साबरकांठा	17
13.	सुरेन्द्रनगर	16
14.	सूरत	37
15.	बड़ोदा (वडोदरा)	11
16.	वुल्सर (वालसड़)	13
17.	दादरा और नगर हवेली दमन और द्वीप	शून्य
	जोड़	358

बोलंगीर, उड़ीसा में आकाशवाणी केन्द्र

1724. **श्री शरत् चन्द्र पटनायक:** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उड़ीसा में बोलंगीर में आकाशवाणी भवन का निर्माण कार्य इस समय किस चरण में है;

(ख) क्या सरकार को इसे शीघ्र पूरा करने हेतु कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का इस संबंध में क्या कदम उठाने का विचार है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास): (क) आकाशवाणी बोलंगीर के लिए भवन का निर्माण किया जा चुका है।

(ख) और (ग) जी, हां। उपकरण लगाने का काम प्रगति पर है। इस परियोजना को मार्च, 1993 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश और उड़ीसा में तार के लिए समय सीमा

1725. **श्री श्रीकान्त जेना:**
श्री अर्जुन सिंह यादव:

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उत्तर प्रदेश और उड़ीसा के अनेक क्षेत्रों में तार से भेजे गये संदेश देर से पहुंचते हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार का इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय करने का विचार है;

(ग) क्या तार के अपने गन्तव्य स्थान तक पहुंचने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू): (क) जी हां। उत्तर प्रदेश और उड़ीसा में तार यदाकदा विलंब से पहुंचते हैं।

(ख) सुधार के उद्देश्य से, आधुनिकीकरण की एक योजना शुरू की गई है। इसमें निम्नलिखित शामिल है:—

(एक) तारों के संचारण में मैनुअल कारणों से होने वाले विलंब से बचने के लिए कंप्यूटर पर आधारित स्टोर तथा फारवर्ड तार प्रणालियों की व्यवस्था;

(दो) कम रफ्तार के मोर्स उपकरणों के स्थान पर इलेक्ट्रानिक की-बोर्ड तथा इलेक्ट्रो-मेकेनिकल टेलीप्रिंटरों के स्थान पर दोष रहित इलेक्ट्रानिक टेलीप्रिंटरों को शुरू करना; और

(तीन) उन खुली तार लाइनों के स्थान पर अत्यधिक विश्वसनीय माइक्रोवेव/यू०एच०एफ० प्रणालियों द्वारा बदलना जो अक्सर खराब हो जाती हैं।

(ग) जी हां।

(घ) 90 प्रतिशत तारों को 12 डे-लाइट घंटों में वितरित करने की योजना है। आपातकालीन किस्म के तारों को अत्यधिक प्राथमिकता दी जाती है।

[हिन्दी]

राज्यों द्वारा प्रस्तुत की गयी जलाशय योजनाएं

1726. **श्री लाल बाबू राय:**
श्री सुधीर सावंत:

क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों द्वारा प्रस्तुत की गयी जलाशय योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) केन्द्रीय सरकार को ये योजनाएं किस तारीख को मिलीं; और

(ग) संबंधित राज्य सरकारों को ये किस तारीख को वापस भेजी गयीं?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) से (ग) विवरण संलग्न है।

विवरण

राज्य सरकारों से 1.7.89 की अवधि के दौरान प्राप्त हुई जलाशय स्कीमें

	परियोजना के नाम	के०ज०आ० में प्राप्ति की तारीख	राज्य सरकार को लौटाने की तारीख
	1	2	3
1.	**वृहद सिंचाई/बहु प्रयोजनी**		
	क. निम्नलिखित टिप्पणियों के अध्यधीन स्वीकार्य पायी गयी परियोजनाएं		
1.	सुवर्णरेखा बहु-प्रयोजनी परियोजना (बिहार)	7/89	—
2.	पुनासी नदी परियोजना (बिहार)	10/89	—

	1	2	3
3.	बतरक जलाशय परियोजना (गुजरात)	1/90	—
4.	थानवार टैंक (मध्य प्रदेश)	12/89	—
5.	महुआ बांध (उत्तर प्रदेश)	3/90	—
6.	मेजा बांध, ऊपर उठाना (उत्तर प्रदेश)	3/92	—
7.	कोलार (मध्य प्रदेश)	10/91	—
	ख. परामर्शदात्री समिति को प्रस्तुत किन्तु विचार विमर्श आस्थगित		
1.	पगलादिया बांध (असम)	6/90	—
	ग. परियोजनाएं जिन पर राज्य सरकार के साथ पत्राचार किया जा रहा है		
1.	कुरहई जलाशय परियोजना (बिहार)	12/90	—
2.	बेनीथोरा (कर्नाटक)	8/91	—
3.	महानदी जलाशय (मध्य प्रदेश)	2/90	—
4.	सिंघ नदी चरण-II (मध्य प्रदेश)	12/90	—
5.	हयूमैन नदी परियोजना (महाराष्ट्र)	9/91	—
6.	तुलतुली (महाराष्ट्र)	11/90	—
7.	बिसालपुर (राजस्थान)	11/91	—
8.	केलो जलाशय परियोजना (मध्य प्रदेश)	4/90	—
9.	अपर तुंगा परियोजना (कर्नाटक)	2/92	—
	घ. राज्य सरकारों को वापिस भेजी गयी परियोजनाएं		
1.	गलेरू मेगारी सुजाला सवन्ती (आन्ध्र प्रदेश)	1/91	2/92
2.	कुरियार कुट्टी कारापारा (केरल)	6/90	6/91
3.	अपर नर्मदा (मध्य प्रदेश)	9/89	11/89
4.	इदामलयार (केरल)	6/90	10/90
1. मध्यम परियोजनाएं			
	क. टिप्पणियों की अनुपालना के अध्यधीन परामर्शदात्री समिति द्वारा स्वीकार्य पायी गयी परियोजनाएं		
1.	उबेन सिंचाई (गुजरात)	8/90	—
2.	मच्छु की मरम्मत (गुजरात)	6/90	—
3.	शिवनातकली (महाराष्ट्र)	1/91	—
4.	साक्कोल (महाराष्ट्र)	12/90	—
5.	रायगोहन (महाराष्ट्र)	12/90	—
6.	मसलगा (महाराष्ट्र)	5/92	—
7.	बेनातुरे (महाराष्ट्र)	1/91	—
8.	पथराई (उत्तर प्रदेश)	12/90	—
9.	मुकेशवार (गुजरात)	8/90	—
10.	चाऔली (राजस्थान)	10/90	—
	ख. परामर्शदात्री को प्रस्तुत की गयी परियोजनाएं लेकिन विचार आत्यधिक कर दिया गया		
1.	वालन (गुजरात)	3/91	—

	1	2	3
	ग. राज्य सरकार से पत्राचार की जा रही परियोजनाएं		
1.	आलौरा (गुजरात)	2/91	—
2.	उन्द-II (गुजरात)	12/91	—
3.	न्यारी-II (गुजरात)	12/91	—
4.	महुआर (मध्य प्रदेश)	2/91	—
5.	बारगार (मध्य प्रदेश)	1/90	—
6.	सैकी मकारचीकरा (महाराष्ट्र)	8/91	—
7.	कोरदीनल्ला (महाराष्ट्र)	12/90	—
8.	तेम्बापुरी (महाराष्ट्र)	12/90	—
9.	बोरदाहगांव (महाराष्ट्र)	3/90	—
10.	गोमई (महाराष्ट्र)	4/90	—
11.	मनजोर (उड़ीसा)	9/91	—
12.	गरारदा (राजस्थान)	3/91	—
13.	बेताली सिंचाई (राजस्थान)	10/91	—
14.	सुकली सिंचाई (राजस्थान)	10/91	—
15.	गोमा (गुजरात)	7/90	—
	घ. राज्य सरकार को वापिस भेजी गयी परियोजनाएं		
1.	अपर कळलसनाला (आन्ध्र प्रदेश)	7/90	5/91
2.	चेलमेलवगु (आन्ध्र प्रदेश)	11/90	12/90
3.	बिशनपुर (बिहार)	8/89	1/91
4.	इर्गा (बिहार)	8/89	2/91
5.	बागनीनाला (बिहार)	10/89	1/91
6.	तजना (बिहार)	9/89	6/90
7.	बढ़नाला (बिहार)	9/89	12/90
8.	रारू (बिहार)	12/89	12/90
9.	अमनट (बिहार)	3/90	9/90
10.	वर्षा (गुजरात)	8/91	12/91
11.	चनकुइया (गुजरात)	8/91	12/91
12.	युगता (गुजरात)	8/91	11/91
13.	पेनतकली (महाराष्ट्र)	11/90	12/90
14.	चन्द्रभागा (महाराष्ट्र)	4/91	5/91
15.	गाड (महाराष्ट्र)	9/90	9/90
16.	लोअर पंचारा (महाराष्ट्र)	11/90	11/90
17.	नागन (महाराष्ट्र)	11/90	11/90
18.	बोरी (महाराष्ट्र)	3/90	5/90
19.	कलपथरी टैंक (महाराष्ट्र)	7/90	7/90
20.	ब्रह्मण गांव (महाराष्ट्र)	1/91	1/91
21.	कटरा (उड़ीसा)	9/89	9/91
22.	बरनी (राजस्थान)	3/91	3/[illegible]
23.	लूहसी (राजस्थान)	10/91	10/91
24.	गुलंडी (राजस्थान)	3/91	3/91
25.	करेली (राजस्थान)	3/91	3/91

1	2	3
26. [illegible] (राजस्थान)	2/91	3/91
27. [illegible] (राजस्थान)	2/91	3/91
28. [illegible] (राजस्थान)	11/91	12/91
29. [illegible] बांध (उत्तर प्रदेश)	1/90	3/90

[अनुवाद]

अंतर्राष्ट्रीय विमान कंपनियों द्वारा कलकत्ता हवाई अड्डे का उपयोग किया जाना

1727. **श्री राधिका रंजन प्रमाणिक:**
प्रो० के० वी० थामस:

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय विमान कंपनियों ने कलकत्ता हवाई अड्डे का उपयोग करने की इच्छा व्यक्त की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मध्य प्रदेश में ग्रामीण विद्युतीकरण

1728. **श्री चन्दूलाल चन्द्राकर:** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश में प्रतिवर्ष कितने गांवों में बिजली लगाई गई; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी जिलावार ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय): (क) मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड ने सूचित किया है कि 1989-90, 1990-91 और 1991-92 के दौरान क्रमशः 4071, 2980 और 1856 गांवों का विद्युतीकरण किया गया है।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान विद्युतीकरण किए गए गांवों की जिलेवार संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

मध्य प्रदेश में 1989-90, 1990-91 और 1991-92 के दौरान विद्युतीकरण किए गए गांवों का जिलेवार ब्यौरा

क्र० सं०	जिला	1989-90	1990-91	1991-92
1	2	3	4	5
1.	बालाघाट	82	66	17
2.	छिन्दवाड़ा	0	1	0
3.	जबलपुर	170	142	48
4.	मण्डला	119	119	42
5.	नरसिंहपुर	[illegible]	5	0

1	2	3	4	5
6.	सिओनी	104	49	19
7.	रवा	152	150	68
8.	सतना	97	90	54
9.	शहडोल	195	104	38
10.	सिधी	45	28	109
11.	छतरपुर	16	26	0
12.	दामोह	77	66	21
13.	पन्ना	79	59	153
14.	सागर	74	83	15
15.	टिकमगढ़	12	03	0
16.	बिलासपुर	300	208	126
17.	राघगढ़	195	149	57
18.	सरगुजा	155	160	28
19.	बस्तर	290	298	113
20.	दुर्ग	78	59	50
21.	राजनन्दगांव	184	126	72
22.	रायपुर	302	226	146
23.	बेतुल	81	55	143
24.	भोपाल	0	0	0
25.	होशंगाबाद	37	57	25
26.	रायसिन	131	91	50
27.	राजगढ़	139	83	67
28.	सिहोर	32	20	0
29.	विदिशा	100	104	54
30.	भिण्ड	0	0	0
31.	दतिया	0	0	0
32.	गुना	138	31	0
33.	ग्वालियर	0	0	0
34.	मुरेना	107	40	0
35.	शिवपुरी	1	0	0
36.	इन्दौर	0	0	0
37.	खाण्डवा	25	45	34
38.	खारगौन	162	67	53
39.	धार	147	56	98
40.	झाबुआ	132	72	72
41.	मन्दसौर	0	0	0
42.	रतलाम	45	26	84
43.	देवास	3	2	0
44.	शाजापुर	32	14	0
45.	उज्जैन	0	0	0
	जोड़	4071	2980	1856

आंध्र प्रदेश में श्रीराम सागर परियोजना

1729. **श्री डी० वेंकटेश्वर राव:** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आंध्र प्रदेश में श्रीराम सागर परियोजना की प्रारंभिक अनुमानित लागत कितनी थी तथा वर्तमान बढ़ी हुई लागत कितनी है;

(ख) यदि हां, तो अन्य किन-किन सिंचाई परियोजनाओं की लागत में वृद्धि हुई है;

(ग) दस वर्ष से अधिक समय से लम्बित सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है; और

(घ) इन परियोजनाओं की लागत व्यय को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) श्रीराम सागर परियोजना को 40.10 करोड़ रुपए की लागत पर वर्ष 1964 में योजना आयोग द्वारा अनुमोदित किया गया था। इस परियोजना की नवीनतम अनुमानित लागत 1027.00 करोड़ रुपए है।

(ख) इसके अतिरिक्त, आंध्र प्रदेश में 9 वृहद और 13 मध्यम सिंचाई परियोजनाएं हैं, वहां नवीनतम अनुमानित लागत योजना आयोग द्वारा अनुमोदित की गयी अनुमानित लागत से अधिक है।

(ग) और (घ) आठवीं योजना कार्य नीति में निर्माणाधीन परियोजनाओं को पूरा करने पर बल दिया गया है। इसके अतिरिक्त योजना आयोग ने राज्य में भिन्न-भिन्न सिंचाई परियोजनाओं के परिव्यय निर्धारित करने शुरू कर दिए हैं ताकि उन्हें समय पर पूरा किया जा सके। केन्द्रीय जल आयोग भी राज्य में महत्वपूर्ण वृहद परियोजनाओं का प्रबोधन कर रहा है।

असम में नये टेलीफोन एक्सचेंज

1730. **श्री प्रवीन डेका:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) असम में टेलीफोन एक्सचेंजों का विस्तार संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार असम में वर्ष 1992-93 के दौरान नये टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू): (क) वर्ष 1992-93 के दौरान जिन टेलीफोन एक्सचेंजों का विस्तार किए जाने की संभावना है, उनका ब्यौरा इस प्रकार है:

(i) **बड़े एक्सचेंज**

एक्सचेंजों का नाम	क्षमता (वृद्धि)
1. गुवाहाटी इलैक्ट्रॉनिक	13,300 लाइनें
2. जोरहाट इलैक्ट्रॉनिक	1,000 लाइनें

(ii) **छोटे और मध्यम आकार के एक्सचेंज**

"85 इलैक्ट्रॉनिक एक्सचेंज	8,466 लाइनें

(ख) जी, हां।

(ग) निम्नलिखित स्थानों पर ग्यारह नए इलैक्ट्रॉनिक एक्सचेंजों की स्थापना करने का प्रस्ताव है:—

(1) नूनमाटी (2) मुराझार में पहले ही चालू हो चुका है।
(3) जोईपुर (4) घोड़मारा (5) गोरमूर
(6) जुगीजान (7) खाटकोटी (8) बैथालंग्शू
(9) डाकमारा (10) नागरबाड़ा (11) अमीनगांव

गुजरात, बिहार और राजस्थान में मंझोली सिंचाई परियोजनाएं

1731. **श्रीमती दीपिका एच० टोपीवाला:** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान गुजरात, बिहार और राजस्थान में कितनी मंझोली सिंचाई परियोजनाएं कार्यान्वित की गई हैं; और

(ख) इन राज्यों में वर्ष 1992-93 के दौरान जिन मंझोली सिंचाई परियोजनाओं पर काम आरंभ किया जाएगा, उनका ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) गुजरात में 57 मध्यम स्कीमें, बिहार में 29 मध्यम स्कीमें तथा राजस्थान में 9 मध्यम स्कीमें वार्षिक योजना 1990-91 में सातवीं योजना से आगे लायी गयी हैं। तथापि, 4/1990 से 3/1992 तक की अवधि के दौरान उपर्युक्त स्कीमों में से कोई भी स्कीम पूरी नहीं हुई।

(ख) योजना आयोग के कार्य दल ने वर्ष 1992-93 के लिए गुजरात में 27 मध्यम स्कीमों, बिहार में 23 मध्यम स्कीमों तथा राजस्थान में 9 मध्यम स्कीमों के लिए परिव्यय की सिफारिश की है।

कर्नाटक में सी०-डॉट एक्सचेंज

1732. **श्री जी० माडेगौडा:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कर्नाटक में किन-किन स्थानों में सी०-डॉट एक्सचेंज हैं; और

(ख) राज्य में वर्ष 1992-93 के दौरान किन-किन स्थानों पर सी०-डॉट एक्सचेंज स्थापित करने का विचार है?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू): (क) 341 स्थानों में।

(ख) 198 स्थानों में।

पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में गंगा का भू-कटाव

1733. **श्री चित्त बसु:** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिला के विशाल क्षेत्र के जनजीवन तथा रेलवे लाइन और राष्ट्रीय राजमार्ग के अस्तित्व को गंगा के भू-कटाव से गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो भू-कटाव रोकने के लिए अब तक क्या कदम उठाये गए हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) और (ख) ऐसे किसी खतरे की अभी संभावना नहीं है। तथापि, कुछ पहुंचो में कटाव देखा गया है लेकिन स्थिति समय-समय पर बदलती

रहती है तथा नदी के टेढ़े-मेढ़े होकर बहने की प्रवृत्ति के कारण मुर्शिदाबाद की पहुंचो में एक सी स्थिति संभव नहीं है। 587.58 लाख रुपए की लागत की स्कीमें निष्पादित की गयी हैं ताकि आखरीगंज के समीप भारी कटाव को रोका जा सके।

राष्ट्रीय एकता और कल्याण संबंधी विषयों पर वृत्तचित्र

1734. **श्री अर्जुन चरण सेठी:** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) या सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एकता, परिवार कल्याण, साम्प्रदायिक सद्भाव जैसे विषयों पर फिल्में / वृत्तचित्र खरीदने का सरकार का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास): (क) इस मंत्रालय का फिल्म प्रभाग सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एकता, साम्प्रदायिक सद्भाव, परिवार कल्याण आदि के विषयों पर न केवल वृत्तचित्रों का निर्माण करता है बल्कि इन विषयों पर स्वतंत्र निर्माताओं द्वारा निर्मित अच्छी फिल्में खरीदता भी है। स्वतंत्र निर्माताओं द्वारा खरीद के लिए प्रस्तुत फिल्मों पर वृत्तचित्र फिल्म क्रय समिति द्वारा विचार किया जाता है जिसका इस प्रयोजन के लिए गठन किया गया है। जिन फिल्मों की खरीद के लिए सिफारिश की जाती है उनका मूल्य एक और समिति अर्थात् मूल्य समिति द्वारा तय किया जाता है। किसी एक वर्ष में खरीदी जाने वाली फिल्मों की संख्या फिल्म प्रभाग के पास उस वर्ष फिल्मों की खरीद के लिए उपलब्ध धनराशि पर निर्भर करती है।

(ख) एक विवरण संलग्न है जिसमें 1987-88 से खरीदी गई / खरीद के लिए प्रस्तावित फिल्मों का ब्यौरा दिया गया है।

विवरण

1. राष्ट्रीय एकता और साम्प्रदायिक सद्भाव खरीद के लिए अनुमोदित / प्रस्तावित फिल्में

क्र० सं०	फिल्म का नाम	निर्माता
1.	यात्रा एकता की	श्री शिव कुमार
2.	सनाम (वीडियो फिल्म)	अभिनव कला निकेतन
3.	प्रकाश की ओर	फिल्म्स एंड फिल्म्स मुकुल इन्टरनेशनल

2. परिवार कल्याण खरीद के लिए अनुमोदित और प्रस्तावित फिल्में

1.	कसूर किसका	मैसर्स शकिल खान प्रोडक्शन
2.	संकल्प	मैसर्स स्वर्णिम प्रोडक्शंस
3.	मां	मैसर्स मनोहर कृष्ण प्रोडक्शंस
4.	सुख और दुःख	मैसर्स मित्री फिल्म्स इंडिया
5.	समाधान	मैसर्स आदित्य क्रिएटिव फिल्म मेकर्स
6.	संसार और परिवार	मैसर्स राजदीप प्रोडक्शंस, बम्बई
7.	शर्मा गए सिनेमा	मैसर्स फिल्म गंगा
8.	बच्चे लगते अच्छे	मैसर्स स्वप्नी प्रोडक्शंस
9.	झूठा संकोच	श्री प्रसुन बनर्जी, बम्बई

[हिन्दी]

दिल्ली में बिजली की चोरी

1735. **प्रो॰ अशोक आनन्दराव देशमुख:**
श्री विलासराव नागनाथराव गुंडेवार:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान दिल्ली में बिजली की चोरी के कितने मामलों का पता चला है;

(ख) दोषी पाये गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) सरकार दिल्ली में बिजली की चोरी रोकने के लिए क्या कदम उठा रही है/उठाने का विचार है; और

(घ) इसके कारण दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान को प्रतिवर्ष कितना घाटा हो रहा है?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय): (क) से (घ) डेसू ने 1990-91 में 1309 और 1991-92 में 30100 विद्युत चोरी / दरुपयोग से संबंधित मामलों का पता लगाया है। विद्युत चोरी में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध पुलिस में 1138 प्राथमिकी दर्ज कराई गई। डेसू द्वारा पहले से ही विद्युत चोरी / दुरुपोग के विरुद्ध सघन छापे मारे जाने के लिए तेजी से कार्यवाही की जा रही है। विद्युत चोरी को भारतीय बिजली अधिनियम, 1910 के तहत संज्ञेय अपराध घोषित किया गया है। विद्युत चोरी के कारण हुई हानियों को समग्र पारेषण एवं वितरण हानि से भिन्न नहीं किया जा सकता।

उत्तर प्रदेश में दूरदर्शन केन्द्रों के प्रसारण क्षेत्र

1736. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री:** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश के वाराणसी, इलाहाबाद, गोरखपुर, आगरा तथा लखनऊ दूरदर्शन केन्द्रों के प्रसारण क्षेत्र में वृद्धि करने की कोई योजना तैयार की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इलाहाबाद, वाराणसी, आगरा तथा गोरखपुर केन्द्रों को माइक्रोवेव के माध्यम से लखनऊ दूरदर्शन से जोड़ने की लम्बित पड़ी योजना पर पुनर्विचार शुरू कर दिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसे कब तक कार्यान्वित किये जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास): (क) जी, नहीं।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) दूरसंचार विभाग से प्राप्त वर्तमान संकेतों के अनुसार इलाहाबाद, वाराणसी और आगरा के ट्रांसमीटरों को दूरदर्शन केन्द्र, लखनऊ से 1992-93 के दौरान और गोरखपुर के ट्रांसमीटर को 1993-94 के दौरान जोड़े जाने की आशा है।

[अनुवाद]

देश में औसत भू-जल

1737. श्री रामेश्वर पाटीदार:
श्री अनन्त राव देशमुख:

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में भू-जल संसाधन के बारे में कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में उपलब्ध औसत भू-जल का पता लगाने के लिए कोई मूल्यांकन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या देश के कुछ क्षेत्रों में भू-जल स्तर तेजी से गिरा है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) जी, हां।

(ख) भू-जल संसाधनों के आकलन की राज्यवार स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) विवरण में उल्लिखित राज्यवार भू-जल उपलब्धता का आकलन औसत वार्षिक वर्षापात के आधार पर किया गया है।

(ङ) जी, हां।

(च) भू-जल स्तर में तेजी से गिरावट कम वर्षापात और भू-जल के अतिदोहन के कारण आयी है।

विवरण

क्रम सं॰	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	संभावित और अनंतिम कुल पुनर्निरणीय भु-जल संसाधन (मि॰ ह॰ मी॰/वर्ष)
1.	आंध्र प्रदेश	4.3366
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.1439
3.	असम	2.3528
4.	बिहार	3.3773
5.	गुजरात	
	असीमित	2.0377
	सीमित	0.2175
6.	गोवा	0.0605
7.	हरियाणा	0.8524
8.	हिमाचल प्रदेश	0.0357
9.	जम्मू व कश्मीर	0.4426
10.	कर्नाटक	1.6187
11.	केरल	0.8117
12.	मध्य प्रदेश	5.9718
13.	महाराष्ट्र	3.8836
14.	मणिपुर	0.0118

क्रम सं॰	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	संभावित और अनंतिम
15.	मेघालय	0.0425
16.	मिजोरम	—
17.	नागालैंड	0.0052
18.	उड़ीसा	2.3280
19.	पंजाब	1.7971
20.	राजस्थान	1.6224
21.	सिक्किम	—
22.	तमिलनाडु	3.0162
23.	त्रिपुरा	0.0629
24.	उत्तर प्रदेश	8.0450
25.	पश्चिम बंगाल	2.0708
	कुल राज्य	45.1447
संघ राज्य क्षेत्र		
1.	अंडमान व निकोबार	—
2.	चण्डीगढ़	0.0035
3.	दादर व नगर हवेली	0.0075
4.	दिल्ली	0.0504
5.	दमन और दिव	—
6.	लक्षद्वीप	—
7.	पांडेचेरी	0.0175
	कुल संघ राज्य क्षेत्र	0.0789
	कुल सारा भारत	45.2236

[हिन्दी]

इस्पात का उत्पादन और खपत

1738. **डा॰ महादीपक सिंह शाक्य:**
श्री नीतीश कुमार:

क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चालू वर्ष में इस्पात की मांग और पूर्ति में अंतर आया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए सरकार इस्पात का आयात कर रही है;

(घ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान औसतन कितने इस्पात का आयात किया गया और आयात को कम करने के लिये कया कदम उठाने का विचार है; और

(ङ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस अंतर को कम करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव): (क) जी, हां।

(ख) 1992-93 के लिए 177.6 लाख टन इस्पात की आंकी गई मांग की तुलना में घरेलू उत्पादन 161 लाख टन होने की संभावना है और इस प्रकार इनमें 16.6 लाख टन का अंतर है।

(ग) जी, नहीं। विद्यमान नीति के अनुसार इस्पात का आयात निर्बाध रूप से किया जा सकता है।

(घ) और (ङ) 1991-92 को समाप्त तीन वर्षों के दौरान भारत में परिसज्जित इस्पात का औसतन वार्षिक आयात 12.4 लाख टन था।

आंकी गई मांग और घरेलू उत्पादन के अंतर को न्यूनतम करने के लिए सरकार ने इस्पात का उत्पादन बढ़ाने हेतु अनेक कदम उठाए हैं।

लोहा और इस्पात को सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की सूची से निकाल दिया गया है। इसे अनिवार्य लाइसेंसिंग की शर्त से भी छूट दे दी गई है। इस्पात के मूल्य और वितरण पर से नियंत्रण को भी समाप्त कर दिया गया है। इन उपायों से लोहा और इस्पात क्षेत्र में अतिरिक्त क्षमताओं का सृजन करने के लिए निजी क्षेत्र द्वारा निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा।

इस्पात प्रगलन स्क्रैप और दूसरे मध्यवर्ती उत्पादों पर आयात शुल्क भी कम कर दिया गया है ताकि गौण क्षेत्र उत्पादन बढ़ा सके। एकीकृत इस्पात संयंत्र आधुनिकीकरण / विस्तार की प्रक्रिया में हैं।

मुख्य उत्पादकों और गौण उत्पादकों के बढ़े हुए उत्पादन से भारत 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक इस्पात की अधिकांश श्रेणियों के बारे में आत्मनिर्भर हो जाएगा।

उत्तर प्रदेश में ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु धनराशि

1739. **श्री हरिकेवल प्रसाद:** क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश में ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु आवंटित धनराशि का पूरी तरह उपयोग नहीं किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा प्रति वर्ष आबंटित तथा ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा राज्य में प्रतिवर्ष खर्च की गई राशि का ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय): (क) और (ख) विगत के तीन वर्षों के दौरान ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा आबंटित निधियों तथा उत्तर प्रदेश में ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत समुपयोजित राशि का ब्यौरा निम्न प्रकार से था:—

वर्ष	आवंटन	समुपयोजन
1989-90	139.35	87.94
1990-91	73.00	46.25
1991-92	68.32	86.52 (अनन्तिम)

हिमाचल प्रदेश में आकाशवाणी और दूरदर्शन केन्द्र

1740. **प्रो॰ प्रेम धूमल:** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हिमाचल प्रदेश में आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आकाशवाणी और दूरदर्शन के कितने नये केन्द्र स्थापित किये जा रहे हैं;

(ख) हमीरपुर आकाशवाणी केन्द्र का कब तक उद्घाटन किये जाने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार का विचार वहां दूरदर्शन का एक "रिले टावर" स्थापित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो कब?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास): (क) **आकाशवाणी:** सातवीं योजना में अनुमोदित आकाशवाणी के 6 नए रेडियो केन्द्रों का कार्य इस समय विभिन्न चरणों में चल रहा है। हिमाचल प्रदेश में आठवीं योजना अवधि के दौरान कोई अतिरिक्त रेडियो केन्द्र स्थापित करने की योजना नहीं है।

दूरदर्शन

शिमला में दूरदर्शन केन्द्र (स्टूडियो और उच्च शक्ति ट्रांसमीटर) के अलावा सुंदरगढ़ में एक अल्पशक्ति ट्रांसमीटर और आहजू फोर्ट तथा पालमपुर में एक-एक (अर्थात् दो) अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटरों का कार्यान्वयन विभिन्न चरणों में हो रहा है। साधनों की उपलब्धता और परस्पर प्राथमिकताओं पर निर्भर करते हुए धर्मशाला के मौजूदा अल्पशक्ति ट्रांसमीटर को उच्च शक्ति ट्रांसमीटर से बदलने का भी कार्यक्रम है।

(ख) से (घ) हमीरपुर में आकाशवाणी केन्द्र, तकनीकी रूप से तैयार है। केन्द्र को चलाने और इसके रखरखाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम स्टाफ तैनात कर दिए जाने पर इसे चालू कर दिया जाएगा। हमीरपुर में एक अति अल्पशक्ति टी॰वी॰ ट्रांसमीटर पहले से ही कार्यरत है।

[अनुवाद]

देश में बिजली की स्थिति

1741. **श्री ताराचन्द खण्डेलवाल:** क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने समय-समय पर राज्य बिजली बोर्डों को बिजली की स्थिति बेहतर बनाने के अनुदेश जारी किये हैं;

(ख) क्या उत्तरी क्षेत्र में राज्य बिजली बोर्ड तथा अन्य संगठन बिजली की स्थिति बेहतर बनाने के लिए कदम उठाने पर सहमत हो गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय): (क) से (ग) केन्द्र सरकार वार्षिक योजनाएं तैयार करने तथा राज्य बिजली बोर्डों के समग्र कार्यनिष्पादन में सुधार करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों के संबंध में विभिन्न परियोजनाओं को स्वीकृति देते समय राज्य प्राधिकारियों के साथ नियमित रूप से विचार विमर्श करती हैं।

इसी प्रकार की 18 जून, 1992 को आयोजित एक बैठक में उत्तरी क्षेत्र के इन घटकों पर सहमति हुई: (1) ग्रिड संबंधी आवर्तता को सुरक्षित सीमा में बनाए रखना, (2) उनके द्वारा ग्रिड से बिजली के आहरण को उनकी

हकदारी तक प्रतिबंधित रखना, (3) विद्युत की कुल उपलब्धता के अंतर्गत उनके भार को व्यवस्थित करना, तथा (4) ग्रिड संबंधी अपेक्षाओं को बनाए रखना तथा उत्तरी भार संप्रेषण केन्द्र के अनुदेशों का पालन करना इत्यादि।

सोने की नयी खानों का पता लगाना

1742. **डा० वसंत पवार:** क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में सोने की नयी खानों का पता लगाने के लिये कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन खानों में सोने के कितने भंडार होने का अनुमान है;

(ग) क्या कोलार स्वर्ण खानों में सोने की प्राप्ति और शोधन में कोई गिरावट आयी है; और

(घ) यदि हां, तो कोलार स्वर्ण खानों में पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार कितने सोने का शोधन किया गया?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव): (क) जी हां।

(ख) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जी०एस०आई०) द्वारा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश में लगभग 40 अन्वेषण कार्यक्रमों में स्वर्ण के लिए सर्वेक्षण और गवेषण किया जा रहा है। हाल के वर्षों में किए गए गवेषण के अनुरूप भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में निम्नलिखित स्वर्ण भंडारों की पुष्टि की गई है:

राज्य/क्षेत्र	भंडार (मिलियन टन)	ग्रेड (ग्राम/टन)
आंध्र प्रदेश		
(1) भद्रमपल्ली	0.062	3.05
(2) सुरापल्ली	0.077	3.97
(3) चिगारगुंटा	4.16	4.75
कर्नाटक		
(1) चिनचेरंगी	0.091	5.00
(2) टुप्पाधर	0.085	3.96
(3) सांगली खान	1.16	4.06
(4) केमपिनकोट	0.65	4.09
(5) अजानहल्ली	0.677	2.50
(6) उटी	0.88	4.5
(7) वनडाल्ली	0.65	2.75-7.56
(8) कडोनी	0.065	1.20-8.70
(9) मैसूर खान	0.23	1.70-2.8
(10) होसुर चैम्पियन	0.569	2.0-4.8

(ग) जी हां।

(घ) कोलार गोल्ड फील्ड स्वर्ण खानों से उत्पादित सोने और गत तीन वर्षों के दौरान कोलार गोल्ड फील्ड में शोधित सोने की मात्रा इस प्रकार है:—

वर्ष	उत्पादन के॰जी॰एफ॰ द्वारा सोने का उत्पादन	(मात्रा कि॰ग्राम में) (शोधित स्वर्ण)*
1989-90	554	641
1990-91	432	609
1991-92	340	459

*इसमें आंध्र प्रदेश चिगारगुंटा खान का क्षेत्र भी शामिल है।

स्वीकृति हेतु बिहार की लम्बित सिंचाई परियोजनाएं

1743. **श्री रामकृष्ण कुसमारिया:**
श्री विजयकुमार यादव:
श्री रमेश चन्द्र तोमर:
श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता:

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय सरकार के पास स्वीकृति हेतु लम्बित सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन्हें स्वीकृति कब तक दे दी जायेगी;

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल करने हेतु प्रस्तावित बिहार की सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक परियोजना पर कुल कितना व्यय होगा; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा प्रत्येक परियोजना के लिए अब तक जारी की गई धन-राशि का ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) और (ख) विवरण संलग्न है।

(ग) निर्माणाधीन स्कीमों की बहुत अधिक स्पिलओवर प्रतिबद्धताओं को देखते हुए, योजना आयोग के कार्यदल ने आठवीं पंचवर्षीय योजना में कोई अननुमोदित अथवा नयी सिंचाई परियोजना शामिल नहीं की है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

(लाख रुपए)

क्र०सं०	परियोजना का नाम	केन्द्रीय जल आयोग में प्राप्ति की तारीख	अनुमानित लागत
1.	2.	3	4
	(क) बृहद/बहुप्रयोजनी परियोजनाएं		
I. तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन पूरा हो गया, परामर्शदात्री समिति द्वारा स्वीकार्य पाई गई बशर्ते कि कुछ टिप्पणियों की अनुपालना की जाये:			
	1. पुनसी जलाशय परियोजना	10/89	2609.00
	2. सुवर्णरेखा बहुप्रयोजनी परियोजना	7/89	48090.00
	3. सिकतिया बराज	1/88	11076.00
	4. कोसी बराज की मरम्मत	2/86	1242.00
	5. सोन नहर आधुनिकीकरण	8/83	24700.00
	6. उत्तरी कोइल जलाशय स्कीम	3/86	43903.00
II. तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन पूरा हो गया है परन्तु परामर्शदात्री समिति द्वारा विचार-विमर्श आस्थगित कर दिया गया।			
	1. कोनार सिंचाई परियोजना	8/88	9361.46
	2. तिलैया धाधर परियोजना	10/74	4674.00
III. केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों की अनुपालना राज्य सरकार द्वारा की जानी अपेक्षित है।			
	1. सुखसेनघाट पम्प नहर	11/89	2061.65
	2. कोसी परियोजना चरण II	12/90	8164.40
	3. गण्डक परियोजना चरण II	12/90	7802.85
	4. जमालिया पम्प नहर	11/90	9487.40
	5. बुरहई जलाशय स्कीम	12/90	11249.60
	ख. मध्यम परियोजनाएं		
I. तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन पूरा हो गया है, सलाहकार समिति द्वारा स्वीकार्य पाई गई बशर्ते कि कुछ टिप्पणियों की अनुपालना की जाये।			
	1. सलैया जलाशय स्कीम	8/83	595.24
	2. रामरेखा जलाशय स्कीम	8/88	686.00
	3. धनसिंह तोली जलाशय स्कीम	8/88	476.20
	4. सतपोटका जलाशय स्कीम	8/90	595.00
	5. कन्नी जलाशय स्कीम	8/90	718.34
	6. कुण्डघाट जलाशय स्कीम	11/82	560.94

टिप्पणी: परियोजनाओं की निवेश स्वीकृति इस बात पर निर्भर करती है कि राज्य सरकारें कितनी जल्दी केन्द्रीय मूल्यांकन अधिकरणों की टिप्पणियों की अनुपालना करती हैं, अन्तर्राज्यीय मामलों को हल करती हैं, पर्यावरण और वन मंत्रालय तथा कल्याण मंत्रालय से क्रमशः पर्यावरण, वन तथा पुनर्वास एवं पुर्नस्थापना पहलुओं पर स्वीकृति प्राप्त करती है और योजना में पर्याप्त निधियों की व्यवस्था करती है।

[हिन्दी]

इस्पात विकास निधि

1744. **श्री जगमीत सिंह बरार:**
श्री नीतीश कुमार:

क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण ने गत वर्ष लाभ कमाया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसने चालू वर्ष के दौरान इस्पात विकास निधि को पर्याप्त धन दिया है;

(ग) वर्ष 1989-90, 1990-91 तथा 1991-92 के दौरान इसने इस्पात विकास निधि को अलग अलग कुल कितना धन दिया;

(घ) उक्त वर्षों के दौरान इस्पात के विकास पर इस निधि में से अलग-अलग कितना व्यय किया गया; और

(ङ) उक्त निधि में से इस्पात के विकास पर किये गये व्यय के परिणामस्वरूप इस दिशा में प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): (क) जी, हां।

(ख) स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि० (सेल) द्वारा इस्पात विकास निधि देयताओं का भुगतान निर्धारित कार्य पद्धति के अनुसार नियमित रूप से किया जाता है।

(ग) वर्ष 1989-90, 1990-91 तथा 1991-92 के दौरान "सेल" दर द्वारा इस्पात विकास निधि को क्रमशः 466.94 करोड़ रुपये, 506.08 करोड़ रुपये और 583.48 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था। इन आंकड़ों में ऋण की वापसी तथा ब्याज का भुगतान भी शामिल है।

(घ) वर्ष 1989-90, 1990-91 तथा 1991-92 के दौरान "सेल" ने इस्पात विकास नीधि से क्रमशः 459.41 करोड़ रुपये 506.08 करोड़ रुपये तथा 583.48 करोड़ रुपये की राशि विभिन्न पूंजीगत खर्च योजनाओं के निधियन के लिए निकाली थी।

(ङ) इस्पात विकास निधि से ऋण के रूप में ली गई राशि आंशिक रूप से विभिन्न पूंजीगत व्यय योजनाओं, जो आधुनिकीकरण, प्रौद्योगिकीय, उन्नयन, परिवर्धन, संशोधन तथा अवसंरचनात्मक सुविधाओं के प्रतिस्थापन एवं उन्हें तैयार करने से संबंधित होती हैं, के लिए उपयोग की जाती है। कम्पनी द्वारा पिछले कुछ वर्षों के दौरान उन्नत उत्पादन का निष्पादन और प्रौद्योगिकीय प्राचल, इन निवेशों के हितकारी प्रयासों के संकेत हैं।

[अनुवाद]

विमानों को उपयोग में न लाना

1745. **प्रो० उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु:**
श्री गोविन्द राव निकाम:

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस, एअर इंडिया और वायुदूत के कई विमान उपयोग में नहीं लाये जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी श्रेणीवार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इन विमानों को कब तक पुनः विमान सेवा में लाया जाएगा?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) विमानों को मुख्यतः रख-रखाव, निरीक्षण और अतिरिक्त पुर्जों की कमी के कारण ग्राउंड किया गया है। वायुदूत के केवल एक विमान को छोड़कर जिसके लिए अतिरिक्त पुर्जे अभी दृष्टि में नहीं हैं, सभी विमानों के निर्धारित अनुसूची के अनुसार, रखरखाव कार्य पूरा होने के बाद सेवा में लगाये जाने की संभावना है।

विवरण

इस समय ग्राउंड किये गए विमानों के ब्यौरा निम्न प्रकार है:—

	विमान का प्रकार	संख्या
(1) इंडियन एयरलाइंस	ए-300	3
	ए-320	1
	बी-737	4
(2) वायुदूत लिमिटेड	डी०ओ०-228	2
	एच०एस०-748	4
(3) एअर इंडिया	शून्य	

केन्द्र द्वारा प्रायोजित परियोजनाओं को राज्यों को सौंपना

1746. **श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति:** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार केन्द्र द्वारा प्रायोजित परियोजनाओं को संबंधित राज्यों को सौंपने का है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) विभिन्न राज्यों को सौंपी जाने वाली परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय): (क) से (ग) राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसरण में विद्युत मंत्रालय ने केन्द्र द्वारा प्रायोजित निम्नवत स्कीमों को राज्यों को हस्तान्तरित किए जाने के लिए इच्छा व्यक्त की है:—

"जम्मू व कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में जल विद्युत परियोजनाओं के सर्वेक्षण एवं अन्वेषण संबंधी कार्य के लिए अनुदान सहायता।"

चमेरा-दो, पनबिजली परियोजना, हिमाचल प्रदेश

1747. **श्री चन्द्रजीत यादव:**
श्री राम विलास पासवान:
श्री श्रवण कुमार पटेल:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हिमाचल प्रदेश में चमेरा-दो, पनबिजली परियोजना के निर्माण हेतु कनाडा के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा कनाडियन कन्सोर्टियम ने इसे किस लागत मूल्य पर पूरा करने हेतु कार्य शुरू किया है;

(ग) क्या किसी भारतीय सरकारी अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्यमी ने इसके निर्माण का प्रस्ताव किया है;

(घ) यदि हां, तो इसकी अनुमानित लागत कितनी है और उसने क्या शर्तें रखी हैं; और

(ङ) किसी भारतीय उद्यमी को इस परियोजना का निर्माण कार्य न सौंपने के क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय): (क) जी, नहीं

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) एक भारतीय कम्पनी द्वारा इस परियोजना को राष्ट्रीय जल विद्युत निगम के साथ संयुक्त उद्यम के रूप में क्रियान्वित करने के लिए रूचि दिखाई गई थी।

(घ) कम्पनी ने परियोजना की अनन्तिम लागत लगभग 1000 करोड़ रुपये इंगित की है। उनके द्वारा विस्तृत तथा सुनिश्चित प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता क्योंकि अभी तक परियोजना को दिए जाने के बारे में अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में नये डाकघर

1748. **श्री भीम सिंह पटेल:**
श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री:

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1992-93 में मध्य प्रदेश में नये डाकघर खोलने का केन्द्रीय सरकार का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी जिला-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू): (क) से (ग) मध्य प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में वर्ष 1992-93 के दौरान डाक नेटवर्क का विस्तार करने पर विचार किया गया है। तथापि, इस संबंध में जिला-वार ब्यौरा देना संभव नहीं है क्योंकि 1992-93 के वार्षिक योजना लक्ष्यों को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

दिल्ली-पटना विमान सेवा

1749. श्री सूरज मण्डलः क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या दिल्ली-पटना की आई सी 809 तथा आई सी 810 विमान सेवाएं विलंब से चल रही है;

(ख) यदि हां, तो गत छः महीनों के दौरान हुए विलंब के क्या कारण है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने विलंब के कारणों की जांच की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका क्या परिणाम निकला; और

(ङ) विमान सेवा में समय की पाबंदी बनाये रखने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया): (क) से (घ) जनवरी से जून, 1992 के दौरान, 364 उड़ानों में से 72 में विलंब हुआ तथा 9 उड़ानें रद्द की गईं। जबकि 21 उड़ानों में विलंब, विमान रखरखाव तथा हैंडलिंग के कारण हुआ था शेष उड़ानों में विलंब खराब मौसम, हवाई अड्डा प्रतिबंधों, विविध तथा परिणामी कारणों से हुआ था जो कि इंडियन एयरलाईंस के नियंत्रण से बाहर थे।

(ङ) विमानों की समयबद्धता बनाए रखने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैः—

(1) क्षेत्रीय एवं मुख्यालय स्तर पर समयबद्ध निष्पादन की सूक्ष्म निगरानी करना।

(2) उड़ानों के बीच अंतराल के रूप में संशोधित ब्लाक टाइम और वर्धित ग्राउंड टाइम का समावेश करते हुये अनुसूची को युक्तिसंगत बनाना।

(3) क्षेत्रों एवं मुख्यालयों में खामियों को दूर करने के लिए की गई कार्रवाई की समीक्षा करना।

मध्य प्रदेश के शहरों को राज्य की राजधानी से एस०टी०डी० के साथ जोड़ना

1750. श्री बारे लाल जाटवः क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) मध्य प्रदेश में उन शहरों के नाम क्या हैं, जिन्हें एस०टी०डी० से राज्य की राजधानी से अभी नहीं जोड़ा गया है,

(ख) क्या सरकार का विचार वर्ष 1992-93 के दौरान यह सुविधा उपलब्ध कराने का है, और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या और यदि नहीं तो इसके क्या कारण है?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी०वी० रंगय्या नायडू):(क) मध्य प्रदेश में केवल शहर कोर्बा को ही अभी एस०टी०डी० सुविधा से नहीं जोड़ा जा सका है।

(ख) जी हां।

(ग) वर्ष 1992-93 के दौरान कोर्बा को एस०टी०डी० सुविधा से जोड़ दिया जाएगा।

[अनुवाद]

पर्यटन मंत्रालय में कर्मचारी

1751. श्री वी० देवराजन: क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय में पदों की कुल संख्या, श्रेणीवार कितनी है;

(ख) उनमें से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के पदों की संख्या कितनी है और प्रत्येक में उनका श्रेणीवार प्रतिशत कितना है;

(ग) क्या सरकार का यह सुनिश्चित करने का विचार है कि नौकरियों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों का निर्धारित प्रतिशत बनाये रखा जाये; और

(घ) यदि हां, तो यह प्रतिशत बनाये रखने और पिछली आरक्षित रिक्तियां भरने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) जी, हां।

(घ) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित कोटा में पिछली बकाया रिक्तियों को भरने के लिए विशेष भर्ती प्रक्रिया चलायी गयी है। चयन/पदोन्नति समितियों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों को मनोनित किया जाता है।

इस्पात सेवा केन्द्रों की स्थापना

1752. डा० अमृतलाल कालिदास पटेल:
डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड द्वारा संयुक्त उद्यम कम्पनी के रूप में इस्पात सेवा केन्द्र स्थापित करने का विचार है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव): (क) से (ग) "सेल" बोर्ड की मंजूरी के आधार पर सेवा केन्द्रों को स्थापित करने की कार्रवाई 1988 में शुरू की गई थी। इस योजना में उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं के अनुरूप साइज/आकृति में इस्पात उत्पादों की सप्लाई करके उपभोक्ता सन्तुष्टि में वृद्धि करने और अतिरिक्त प्रक्रिया प्रचालन उपलब्ध कराने की परिकल्पना की गई है। तदनुसार, अग्रणी समाचार पत्रों के जरिए "बिड्स" आमंत्रित की गई थीं और इस क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त पार्टियों को सूचीबद्ध किया गया तथा उन्हें विस्तृत परियोजना रिपोर्ट भेजने के लिए कहा गया था ताकि "सेल" उनका मूल्यांकन कर सके। विस्तृत परियोजना रिपोर्टों का मूल्यांकन किया जा रहा है।

[हिन्दी]

कम लागत वाला उपग्रह टर्मिनल

1753. **श्री विलास मुत्तेमवार:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पर्वतीय तथा सीमावर्ती क्षेत्रों में कम लागत वाला उपग्रह टर्मिनल स्थापित करने हेतु कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक क्रियान्वित किये जाने की सम्भावना है?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू): (क) जी, हां।

(ख) पर्वतीय और उत्तर पूर्व के सीमावर्ती क्षेत्रों (7 राज्यों), हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, सिक्किम और उत्तर प्रदेश में 41 कम लागत वाले टर्मिनल पहले से कार्य कर रहे हैं।

हिमाचल प्रदेश, उत्तरपूर्व और उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में 32 उपग्रह टर्मिनलों की स्थापना करने के लिए 3 योजनाएं भी मंजूर की जा चुकी हैं।

(ग) आशा है कि ये योजनाएं तीन वर्षों के भीतर कार्यान्वित हो जाएंगी।

पर्वतीय और वन क्षेत्रों में टेलीफोन का कार्यकरण

1754. **श्री उपेंद्र नाथ वर्मा:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के ग्रामीण क्षेत्रों और विशेष रूप से दूरस्थ वनों और पर्वतीय क्षेत्रों में लगाए गए टेलीफोन खराब रहते हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या बिहार के गया जिले में वर्षों पूर्व लगाए गए टेलीफोन भी खराब पड़े हैं;

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) क्या ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के टेलीफोनों के रखरखाव व्यय में कोई अन्तर है और यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी०वी० रंगय्या नायडू): (क) कई बार टेलीफोन खराब हो जाते हैं।

(ख) इसके कारण संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) बिहार के गया जिले में भी इस प्रकार के टेलीफोन में उपर्युक्त (ख) में उल्लिखित कारणों से व्यवधान उत्पन्न होता है।

(घ) लंबी दूरी के पी०सी०ओ० टेलीफोन एक्सचेंज से 8 कि०मी० से अधिक दूरी पर स्थित होने पर न केवल गया जिले में बल्कि पूरे बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित लंबी दूरी के सभी नए सार्वजनिक टेलीफोन रेडियो प्रणालियों (एम०ए०—आर०आर० अथवा सिंगल चैनल की एच०एफ०) पर खोले जाने की योजना है।

(ङ) ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन के रखरखाव का खर्च शहरी क्षेत्रों के टेलीफोनों की तुलना में बहुत अधिक

होता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित टेलीफोन या तो लंबी ओवरहैड लाइनों पर अथवा रेडियो प्रणालियों के माध्यम से प्रदान किए जाते हैं, जिनपर रखरखाव की लागत अधिक आती है। जबकि शहरों में स्थित टेलीफोन पहले से मौजूदा भूमिगत केबिल नेटवर्क से छोटी लाइनों के अतिरिक्त एक्सटेंशन लेकर प्रदान किए जाते हैं। शहरी क्षेत्रों में संकेंद्रित परिसंपत्तियों को मद्देनजर रखते हुए प्रति उपभोक्ता पर रखरखाव का कार्य/खर्चा अपेक्षाकृत कम आता है।

विवरण

देश के ग्रामीण क्षेत्रों विशेषकर दूरस्थ वनों और पहाड़ी क्षेत्रों में संस्थापित टेलीफोनों के खराब कार्य-निष्पादन के कारण

1. एक्सचेंजों से टेलीफोन या तो लंबी ओवरहैड लाइनों के जरिए जुड़े हुए हैं, अथवा रेडियो प्रणालियों (एम०ए०आर०आर० अथवा सिंगल चैनल वी०एच०एफ०) के माध्यम से जुड़े हुए है। कुछ स्थानों पर जहां रेडियो प्रणाली के लिए उस स्थान की लाइन उपलब्ध नहीं होती है वहां उपयुक्त वैकल्पिक माध्यम से सेवा बहाल की जाती है। ओवरहैड लाइनों वाले माध्यम में खराबियां उत्पन्न होती रहती है और उसे ठीक करने के लिए खराबी वाले स्थान तक पहुंचना (मौसम की स्थिति तथा दुर्गम क्षेत्रों से होकर गुजरने वाली ओवरहैड लाइनों तक पहुंचना) कठिन होता है। रेडियो प्रणालियों की जटिलताओं के लिए सुविज्ञ रख रखाव की आवश्यकता होती है। कभी-कभी विशेषज्ञों को दूरस्थ स्थानों से बुलाना पड़ता है।

2. टेलीफोन से संबद्ध उपस्कर के लिए नियमित पावर सप्लाई उपलब्ध न होना।

उत्तर प्रदेश में पर्यटन केन्द्र, होटल और यात्री निवास

1755. **श्री सत्यदेव सिंह:** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में केन्द्रीय सहायता से कितने पर्यटन केन्द्र, होटल और यात्री निवास स्थापित किये गये तथा इस प्रयोजनार्थ कितनी वित्तीय सहायता दी गयी;

(ख) इस संबंध में केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन उत्तर प्रदेश सरकार के प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार ने उन्हें शीघ्र निपटाने के लिए क्या कदम उठाये हैं?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया): (क) पिछले तीन वर्षों यथा 1989-90 से 1991-92 के दौरान, पर्यटन विभाग ने 12 मोटलों, 5 पर्यटक परिसरों और 3 यात्री निवासों के निर्माण हेतु 281.65 लाख रुपयों की केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की है।

(ख) और (ग) उत्तर प्रदेश राज्य में गहन विकास हेतु एक यात्रा परिपथ अभिनिर्धारित किया गया है जिसमें ऋषिकेश-नरेन्द्र नगर-गंगोत्री-बद्रीनाथ सम्मिलित हैं। केन्द्रीय वित्तीय सहायता के प्रस्तावों को राज्य सरकार के साथ परामर्श करके अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

[अनुवाद]

राज्यों में विद्युत शुल्क

1756. **श्री गिरधारी लाल भार्गव:** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनेक राज्यों में विद्युत शुल्क बढ़ाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) किन-किन राज्यों में उनके मंत्रालयों द्वारा जारी किये गये निर्देशों के अनुसार विद्युत शुल्क बढ़ाया गया है?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय): (क) से (ग) अधिकांश राज्यों में विद्युत की बिक्री की वर्तमान टैरिफ विद्युत उत्पादन और सप्लाई की लागत से काफी कम है। राज्य बिजली बोर्डों को वाणिज्यिक सिद्धांतों के अनुरूप कार्य निष्पादन करना पड़ता है, इस वास्तविकता के अलावा विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 के प्रावधानों के अनुसार राज्य बिजली बोर्डों को वर्ष के प्रारंभ में निर्धारित निवल परिसम्पत्तियों पर सांविधिक न्यूनतम 3% का अधिशेष भी अर्जित करना होता है। 4.4.92 को हुये राज्यों के विद्युत मंत्रियों के सम्मेलन में भी यह निश्चय किया गया था कि राज्य बिजली बोर्डों को सशक्त वाणिज्यिक सिद्धांतों के अनुरूप कार्य निष्पादन करना चाहिये और विद्युत ऊर्जा के लिये कृषि टैरिफ की न्यूनतम दर इस समय 50 पैसे प्रति यूनिट निर्धारित की जानी चाहिये।

1991-92 के दौरान 14 राज्य बिजली बोर्डों ने अपनी टैरिफ की दरों में संशोधन किया है,। उपलब्ध सूचना के अनुसार उड़ीसा, मणिपुर और असम राज्यों ने कृषि टैरिफ की दर 50 पैसे प्रति यूनिट और इससे अधिक निर्धारित की है।

वायुदूत विमानों की आर्थिक रूप से लाभप्रदता

1757. **श्री श्रवण कुमार पटेल:** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वायुदूत के अधिकांश विमान आर्थिक रूप से लाभप्रद नहीं है;

(ख) यदि हां, तो वायुदूत बेड़े के विमानों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इनमें से कितने विमानों ने अपनी उड़ान अवधि पूरी कर ली है और उनका ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन्हें उड़ान भरने योग्य बनाये रखने की दृष्टि से इनकी वर्तमान लागत उपादेयता क्या है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया): (क) जी, हां।

(ख) वायुदूत के पास इस समय उसके विमान बेड़े में आठ डोर्नियर 228, आठ एचएस-748 और एक एफ-27 विमान है।

(ग) और (घ) किसी भी विमान ने अभी तक अपना परिचालन कार्यकाल पूरा नहीं किया है। वर्तमान किराये ढांचे पर, वायुदूत के परिचालन लागत उपादेयता के अनुरूप नहीं है।

आकाशवाणी/दूरदर्शन पर विज्ञापन

1758. श्री के॰ तुलसिऐया वान्डायार: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दूरदर्शन और आकाशवाणी पर विज्ञापन स्वीकार करने के लिये क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है;

(ख) दूरदर्शन पर राष्ट्रीय नेटवर्क तथा क्षेत्रीय कार्यक्रमों में दिये जाने वाले विभिन्न प्रकार के विज्ञापनों की दरें क्या हैं; और

(ग) क्या इन दरों को संशोधित करने का कोई प्रस्ताव है; और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास): (क) दूरदर्शन और आकाशवाणी पर विज्ञापन समय की उपलब्धता और विज्ञापन प्रसारण संहिता के अनुसार "प्रथम आओ प्रथम पाओ" आधार पर स्वीकार किए जाते हैं।

(ख) केन्द्र/चैनल/राष्ट्रीय नेटवर्क और समय की भिन्न-भिन्न श्रेणियों पर निर्भर करते हुये 10 सेकेंड के (स्पाट बाई) विज्ञापन की दर 1500/- से 1,20,000/- रु॰ तक होती है।

(ग) जी, नहीं।

गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में पानी की खोज

1759. श्रीमती भावना चिखलिया:
श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा):

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के किन-किन जिलों में पानी की खोज के लिये भूसर्वेक्षण कराया गया है;

(ख) उपर्युक्त प्रत्येक राज्य में पृथक-पृथक रूप से कुल कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(ग) उक्त राज्यों के जिलों में कितना पानी उपलब्ध है?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) केन्द्रीय भूजल बोर्ड ने गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों में क्रमबद्ध जल भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण पूरे कर लिये हैं। भूजल के लिये अन्वेषणात्मक ड्रिलिंग में शामिल किये गये जिलों के नाम विवरण-I में दिये गये हैं।

(ख) गुजरात, राजस्थान, मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों में भूजल के सर्वेक्षण, अन्वेषण तथा पुर्वेक्षण के लिये वर्ष 1991-92 के दौरान व्यय की गयी कुल राशि क्रमशः 2.95, करोड़ रुपये, 3.95 करोड़ रुपये, 4.58 करोड़ रुपये और 13.86 करोड़ रुपये है।

(ग) गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश में भूजल संसाधनों की उपलब्धता की जिलेवार स्थिति विवरण-II में दी गयी है।

विवरण-I

गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश राज्यों में किये गये भूजल अन्वेषण की जिलेवार

राज्य	भूजल अन्वेषणात्मक ड्रिलिंग में शामिल किये गये जिलों के नाम
गुजरात	अहमदाबाद, अमरेली, बनासकांठा, भावनगर, बड़ौच, डांग्स, गांधीनगर, जामनगर, जुनागढ़, कच्छ, खेडा, मेहसाना, पंचमहल, राजकोट, साबरकांठा, सूरत, सुरेन्द्रनगर, बडोदरा।
राजस्थान	अजमेर, अलवर, बांसवारा, बारमेर, भरतपुर, बीकानेर, चितौरगढ़, चुरू, जैसलमेर, जैलोर, झुनझुन, जोधपुर, झालावर, कोटा, नागौर, पाली, सवाई माधोपुर, सीकर, सिरोही, डूंगरपुर, उदयपुर।
मध्य प्रदेश	भिंड, भोपाल, धार, दुर्ग, होशंगाबाद, इंदौर, जबलपुर, झबुआ, खंडवा (ऐ-निमार), खड़गांव (बे-निमार), मंडसौर, मोरेना, नरसिंहपुर, रायपुर, रैसन, राजगढ़, सागर, सरगुजा, सेहोर, शाहडोल, सिद्धी, विदिशा।
उत्तर प्रदेश	आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, आजमगढ़, बहराइच, बलिया, बांदा, बरेली, बाराबंकी, बस्ती, बिजनौर, देहरादून, इटावा, फैजाबाद, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, गाजीपुर, गोंडा, गोरखपुर, हमीरपुर, हरदोई, जालौन, जौनपुर, कानपुर (देहात), कानपुर (शहर), लखीमपुर, खीरी, ललितपुर, लखनऊ, मैनपुरी, मथुरा, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, नैनीताल, प्रतापगढ़, राय बरेली, रामपुर, सहारनपुर, शाहजहांपुर, सीतापुर, सुल्तानपुर, उन्नाव, वाराणसी।

विवरण-II

क्रम सं॰	जिले का नाम	कुल पुनर्भरणीय भूजल संसाधन (बिलियन घन मीटर/वर्ष)
(असीमित)	गुजरात	
1.	अहमदाबाद	1254.15
2.	अमरेली	822.69
3.	बानसकांठा	1450.17
4.	बड़ौदा	1186.47
5.	भावनगर	1329.72
6.	बड़ौच	840.16
7.	बलसार	1143.18
8.	डांग	144.28
9.	गांधीनगर	122.84
10.	जामनगर	993.55
11.	जुनागढ़	1251.11
12.	खेदा	1602.58
13.	कच्छ	802.93
14.	पंचमहल	1116.03
15.	राजकोट	1361.67
16.	साबरकांठा	1263.46
17.	सूरत	1960.21

क्रम सं॰	जिले का नाम	कुल पुनर्भरणीय भूजल संसाधन (मिलियन घन मीटर/वर्ष)
18.	सुरेन्द्रनगर	867.24
19.	मेहसाना	864.30
	कुल:	20376.74
(सीमित)		
1.	बड़ौदा	175.20
2.	बड़ौच	162.12
3.	बनासकांठा	429.00
	अहमदाबाद	
	गांधीनगर	219.91
	साबरकांठा	
5.	मेहसाना	611.86
6.	खेदा	433.21
7.	कच्छ	139.62
8.	सुरेन्द्रनगर	13.05
		2174.97
	राजस्थान	
1.	अजमेर	544
2.	अलवर	794
3.	बांसवाड़ा	408
4.	बाड़मेर	319
5.	भीलवाड़ा	897
6.	भरतपुर	605
7.	बीकानेर	147
8.	बूंदी	464
9.	चित्तौड़गढ़	997
10.	चुरू	251
11.	धौलपुर	282
12.	डूंगरपुर	299
13.	श्रीगंगानगर	327
14.	जयपुर	1629
15.	जालौर	613
16.	जैसलमेर	143
17.	झालावार	587
18.	झुन्झुनू	356
19.	जोधपुर	511
20.	कोटा	1222
21.	नागौर	656

क्रम सं॰	जिले का नाम	कुल पुनर्भरणीय भूजल संसाधन (बिलियन घन मीटर/वर्ष)
22.	पाली	673
23.	सवाई माधोपुर	1148
24.	सीकर	549
25.	सिरोही	341
26.	टोंक	513
27.	उदयपुर	949
	कुल	16224

मध्य प्रदेश

1.	बालाघाट	1095
2.	बस्तर	6128
3.	बेतुल	1055
4.	भिंड	921
5.	भोपाल	278
6.	बिलासपुर	2833
7.	छतरपुर	1036
8.	छिंदवाड़ा	1136
9.	दमोह	829
10.	दतिया	313
11.	देवास	712
12.	धर	748
13.	दुर्ग	1202
14.	गैना	1316
15.	ग्वालियर	1024
16.	होशंगाबाद	2368
17.	इंदौर	433
18.	जबलपुर	1148
19.	झबुआ	484
20.	खंडवा	835
21.	खडगांव	1122
22.	मुंडेसौर	1005
23.	मंडला	2536
24.	मोरेना	1995
25.	नरसिंहपुर	979
26.	पन्ना	812
27.	रायगढ़	2135
28.	रायपुर	3838
29.	रेसन	898
30.	राजगढ़	689

क्रम सं॰	जिले का नाम	कुल पुनर्भरणीय भूजल संसाधन (मिलियन घन मीटर/वर्ष)
31.	राजनंदगांव	1322
32.	रतलाम	604
33.	रेवा	719
34.	सागर	1434
35.	सतना	932
36.	सेहोर	872
37.	सिवनी	1139
38.	सहडोल	1800
39.	शुजापुर	621
40.	शिवपुरी	1147
41.	सिद्धी	1271
42.	सरगुजा	3529
43.	टीकमगढ़	818
44.	उज्जैन	633
45.	विदिशा	982
	कुल	59719

उत्तर प्रदेश

1.	आगरा	1044
2.	अलीगढ़	1665
3.	एटा	1404
4.	मैनपुरी	1712
5.	मथुरा	1285
6.	इलाहाबाद	2231
7.	एटावा	1320
8.	फतेहपुर	1324
9.	फर्रुखाबाद	876
10.	कानपुर	1498
11.	बांदा	1426
12.	हमीरपुर	1229
13.	जालौन	1239
14.	ललितपुर	669
15.	झांसी	896
16.	बहराइच	2355
17.	बाराबंकी	2161
18.	फैजाबाद	1869
19.	गोंडा	2444
20.	प्रतापगढ़	1224
21.	सुल्तानपुर	1918

क्रम सं॰	जिले का नाम	कुल पुनर्भरणीय भूजल संसाधन (मिलियन घन मीटर/वर्ष)
22.	आजमगढ़	2335
23.	बस्ती	3104
24.	देवरिया	2854
25.	गोरखपुर	2896
26.	हरदोई	1626
27.	खीरी	2967
28.	लखनऊ	678
29.	रायबरेली	1713
30.	सीतापुर	2180
31.	उन्नाव	1501
32.	बुलन्दशहर	1659
33.	गाजियाबाद	1069
34.	मेरठ	1761
35.	मुजफ्फरनगर	1721
36.	सहारनपुर	2221
37.	बिजनौर	1172
38.	मुरादाबाद	1869
39.	रामपुर	722
40.	बरेली	1681
41.	बदायूं	1222
42.	पीलीभीत	1876
43.	शाहजहांपुर	1512
44.	बलिया	962
45.	गाजीपुर	935
46.	जौनपुर	1549
47	मिर्जापुर	1831
48.	वाराणसी	1248
49.	देहरादून	584
50.	नैनीताल	1213
	कुल	80450

अजोध्या पम्प स्टोरेज प्रोजेक्ट

1760. **श्री बीर सिंह महतो:** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिम बंगाल में अजोध्या पम्प स्टोरेज प्रोजेक्ट की तकनीकी और आर्थिक दृष्टि से स्वीकृति प्रदान कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह परियोजना इस समय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पास लंबित है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय): (क) और (ख) पश्चिम बंगाल में पुरूलिया (अजोध्या) पम्प स्टोरेज स्कीम के संबंध में पश्चिम बंगाल राज्य बिजली बोर्ड द्वारा

तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति हेतु प्रस्तुत परियोजना रिपोर्ट के संबंध में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा की जा रही जांच अग्रिम अवस्था में है।

(ग) और (घ) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा सूचित किया गया है कि आवश्यक स्वीकृतियों हेतु नवम्बर, 1989 में प्राप्त प्रस्ताव को राज्य सरकार को दिसम्बर, 1989 में वापस लौटा दिया गया था और उनसे उसे निर्धारित प्रोफार्मा में प्रस्तुत करने को कहा गया था। संशोधित प्रस्ताव अभी तक उन्हें प्राप्त नहीं हुआ है।

लक्षद्वीप में एस०टी०डी० सुविधा

1761. **श्री पी० एम० सईद:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लक्षद्वीप में आमिनी, कडमठ, किल्टन और बिटरा द्वीप समूह में एस०टी०डी० सुविधा प्रदान करने की मांग की गई है; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1992-93 के दौरान उक्त द्वीप समूहों में एस०टी०डी० सुविधा प्रदान करने हेतु क्या प्रस्ताव किये गये हैं?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू): (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1992-93 के दौरान केवल किलटान में एस०टी०डी० सुविधा प्रदान करने की योजना है, बशर्ते कि सैटलाइट माध्यम उपलब्ध हो।

तमिलनाडु के तंजावूर जिले में होटलों का निर्माण

1762. **श्री के० राममूर्ति टिंडिवणम:** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) यूनेस्को द्वारा तमिलनाडु के तंजावूर जिले के विश्व विरासत क्षेत्र घोषित किये जाने को ध्यान में रखते हुये सरकार का विचार वहां पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के होटलों का निर्माण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का विचार स्थानीय तथा विदेशी पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिये एक बोर्ड की स्थापना करने का है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया): (क) भारत पर्यटन विकास निगम की वार्षिक योजना 1992-93 में तमिलनाडु के तंजावूर जिले में होटलों के निर्माण के लिये किसी योजना प्रावधान/स्कीम की परिकल्पना नहीं की गई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

डिश एन्टीना के लिये लाइसेंस

1763. **श्री अनन्तराव देशमुख:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डिश एन्टीना प्रणाली के लिये लाइसेंस देने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी०वी० रंगय्या नायडू): (क) और (ख) डिश एन्टीना अधिग्रहण और प्रचालन की लाइसेंसिंग व्यवस्था देश में पहले से ही विद्यमान है।

रक्षित विद्युत संयंत्र

1764. श्री वी० एस० विजयराघवन: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का कोई प्रस्ताव निजी क्षेत्र में रक्षित ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना को प्रोत्साहन देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन्हें कब तक क्रियान्वित किये जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय): (क) से (ग) विद्यमान नीति, निजी अथवा सार्वजनिक क्षेत्र में केप्टिव विद्युत संयंत्र अधिष्ठापित किये जाने के लिये किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाती है। 25 मेगावाट से कम क्षमता वाले संयंत्र के लिये राज्य बिजली बोर्ड की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होता है और इससे अधिक क्षमता वाले संयंत्र के लिये केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सी०ई०ए०) की सहमति प्राप्त करना अपेक्षित होता है।

विद्युत उत्पादन, सप्लाई और वितरण में निजी क्षेत्र की भागीदारी से संबंधित अनुमोदित नीति के प्रावधानों के अनुसार अधिशेष विद्युत राज्य बिजली बोर्डों को बेचने के लिये केप्टिव विद्युत संयंत्रों को प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा।

पंजाब में टेलीफोन एक्सचेंजों को बदलना

1765. श्री कमल चौधरी: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पंजाब में विशेषकर होशियारपुर जिले में हस्तचालित टेलीफोन एक्सचेंजों को इलैक्ट्रानिक एक्सचेंजों में बदलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रत्येक मामले में कितनी प्रगति हुई है?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू): (क) जी, हां।

(ख) पंजाब में कार्यरत कुल 42 मैनुअल टेलीफोन एक्सचेंजों में से 34 को, जिसमें होशियारपुर जिले में कार्यरत सभी 6 मैनुअल एक्सचेंज भी शामिल हैं, वर्ष 1992-93 के दौरान स्वचालित बनाने की योजना तैयार की गई है तथा पंजाब के शेष 8 एक्सचेंजों को वर्ष 1993-94 के दौरान स्वचालित बनाया जाएगा।

(ग) (i) इन मैनुअल एक्सचेंजों को स्वचालित बनाने के लिये उपस्कर का निर्धारण कर लिया गया है।

(ii) वर्ष 1992-93 के दौरान, होशियारपुर जिले सहित पंजाब में एक्सचेंजों को स्वचालित बनाने के लिये आवश्यक सभी इलैक्ट्रानिक एक्सचेंजों के लिये खरीद आदेश दिये जा चुके हैं।

[हिन्दी]

द्वीपों में ज्वालामुखी का अध्ययन

1766. श्रीमती सुमित्रा महाजन: क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निर्जन द्वीपों में ज्वालामुखी के कारणों पर अध्ययन के लिये वहां एक अध्ययन दल भेजा गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त दल ने अपनी रिपोर्ट दे दी है;

(ग) यदि हां, तो उसका निष्कर्ष क्या रहा; और

(घ) इस पर क्या कार्यवाही की गई?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव): (क) और (ख) जी, हां।

(ग) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) द्वारा किये गये अध्ययनों से अब तक यह मालूम हुआ है कि बैरन द्वीप का ज्वालामुखी विश्वव्यापी परिदृश्य में एक अकेली घटना नहीं है, किन्तु यह गहरी भू-पृष्ठीय प्रक्रियाओं की लघु अभिव्यंजना है जो बैरन द्वीप में प्रकट हो रही है। ज्वालामुखी सबडक्शन से संबंधित है और एशिया प्लेट के नीचे भारतीय महासागरीय स्थल मंडल के पूर्व की ओर सबडक्शन का परिणाम है।

बैरन नार्कोन्डम तथा अल्कोक सीमाऊंट के समुद्रीतल का सर्वेक्षण करने पर उत्तर-उत्तर पूर्व, दक्षिण-दक्षिण पश्चिम दिशा में बैरन द्वीप ज्वालामुखी के सहारे एक भूमिगत पर्वत विद्यमान है। इस द्वीप के 16—18 कि०मी० पश्चिम में एक दूसरे उपसमानान्तर रिज का भी पता लगा है।

(घ) ज्वालामुखी एक प्राकृतिक घटना है और इस ज्वालामुखी के फटने से एकत्र किये गये नमूनों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जा रहा है।

[अनुवाद]

उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक नलकूप परियोजना

1767. श्री जगत वीर सिंह द्रौण: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने परियोजना चरण-II सार्वजनिक नलकूप संबंधी कोई प्रस्ताव विश्व बैंक सहायतार्थ केन्द्रीय सरकार को भेजा है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव इस समय किस अवस्था में है; और

(ग) परियोजना को कब तक स्वीकृति दे दी जाएगी?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) विश्व बैंक ने अन्य बातों के साथ-साथ विश्व बैंक की सहायता से लगाए गये पहले नलकूपों की कार्य क्षमता, उथले कुओं में कृषकों के निवेश, और कृषक समूहों, जल उपयोक्ता संघों अथवा पंचायतों को विद्यमान गहरे नलकूप के स्वामित्व का स्थानांतरण, ग्रामीण विद्युत पर बहुत अधिक सब्सिडी तथा भूजल के अति दोहन के खतरे से संबंधित अनेक मामले उठाए हैं। विश्व बैंक ने यह भी सुझाव दिया है कि उत्तर प्रदेश के अधिकारियों को भारत के उत्तरी और दक्षिणी राज्यों तथा बंगलादेश का दौरा करना चाहिये ताकि वे सार्वजनिक नलकूपों को निजी अथवा सामुदायिक स्वामित्व को हस्तांतरित करने का अनुभव प्राप्त कर सकें। इन मुद्दों के हल के लिये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उठाए गये कदमों से विश्व बैंक संतुष्ट नहीं है।

आकाशवाणी, मुम्बई से कोंकणी भाषा में समाचार बुलेटिन

1768. **श्री प्रतापराव बी० भोंसले:** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आकाशवाणी का मुम्बई केन्द्र से कोंकणी भाषा के दो समाचार बुलेटिन प्रसारित किये जाते हैं;

(ख) क्या इन बुलेटिनों को आकाशवाणी के पुणे और और गोवा केन्द्रों से भी प्रसारित किया जाता था;

(ग) क्या इन बुलेटिनों का प्रसारण अब रोक दिया गया है;

(घ) क्या महाराष्ट्र के विभिन्न संगठनों द्वारा इन बुलेटिनों के प्रसारण फिर शुरू करने की मांग की जा रही है;

(ङ) क्या इन संगठनों की यह भी मांग है कि इन बुलेटिनों का प्रसारण मुम्बई के बदले दिल्ली से किये जाएं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास): (क) और (ख) जी, हां।

(ग) जी, नहीं। कोंकणी समाचार बुलेटिनों को तैयार करने और प्रसारित करने का कार्य आकाशवाणी, बम्बई से आकाशवाणी पणजी को अंतरित कर दिया गया है।

(घ) और (ङ) जी, हां।

(च) कोंकणी समाचार बुलेटिनों का आकाशवाणी, पणजी में अंतरण प्रचालन के कारणों से किया गया। इन बुलेटिनों को दिल्ली से प्रसारित करना संभव नहीं पाया गया है।

कोंकण क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं का विकास

1769. **श्री सुधीर सावंत:** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय जल आयोग द्वारा महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में किये गये सर्वेक्षण का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं को विकसित करने की कोई योजना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) से (ग) केन्द्रीय जल आयोग ने महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में कोई सर्वेक्षण नहीं किया है। तथापि, कोंकण क्षेत्र में दक्षिण पूर्वी मानसून के दौरान प्राप्त वर्षा जल के संरक्षण से संबंधित समस्याओं का अध्ययन करने के लिये योजना आयोग द्वारा राज्य सरकार के परामर्श से जनवरी 1981 में डा० स्वामीनाथन की अध्यक्षता में पश्चिमी घाट जल संसाधन अध्ययन समिति गठित की गई थी। उसकी अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में, महाराष्ट्र सरकार ने कोंकण में जल संसाधन परियोजनाओं का सर्वेक्षण तीव्र किया। नवम्बर, 1991 में सूचित की गई प्रगति का स्तर निम्नवत है:

क्षमता (हेक्टेयर में)

परियोजनाओं का स्तर	अंततः	सृजित
(i) पूर्ण	—	20,007
(ii) निर्माणाधीन	1,13,000	19,294
(iii) प्रशासनिक रूप से अनुमोदित	84,746	—

टिप्पण: जब भी आवश्यकता होती है, पीने के लिये सिंचाई परियोजनाओं से 10% जल प्रदान किया जाता है।

आतंकवादी द्वारा मारे गये आकाशवाणी / दूरदर्शन के अधिकारी

1770. **श्री पाला के०एम० मैथ्यू:**
श्री मोहन सिंह (देवरिया):
श्रीमती गिरिजा देवी:

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आतंकवादियों द्वारा अब तक मारे गये आकाशवाणी/दूरदर्शन के अधिकारियों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकार ने मारे गये व्यक्तियों के प्रत्येक परिवार को अब तक किस प्रकार का और कितना मुआवजा दिया है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास): (क) और (ख) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

आतंकवादियों द्वारा मारे गये आकाशवाणी/दूरदर्शन के कर्मचारियों का ब्यौरा तथा मृतकों के परिवारों को दिया गया मुआवजा

क्र०सं०	मारे गये कर्मचारी का नाम	जिस तारीख को मारे गये	अदा किया गया मुआवजा
1.	श्री लासा कौल, निदेशक, दूरदर्शन केन्द्र, श्रीनगर।	13.2.90	1. प्रधान मंत्री राहत कोष 1.25 लाख रुपये 2. श्री कौल द्वारा लिए गए अंतिम वेतन के बराबर परिवार पेंशन 3. उनकी पुत्री की आकाशवाणी में प्रसारण निष्पादक के पद पर अनुकंपा आधार पर नियुक्ति 4. भुगतान आधार पर बिना बारी के डी०डी०ए० फ्लैट का आवंटन 5. परिवार को सभी अन्य सेवा-निवृत्ति लाभ दिए गए 6. जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल द्वारा भी 1.25 लाख रुपये की अनुग्रह राशि का भुगतान किया गया।
2.	श्री आर०के० तालिब, केन्द्र निदेशक, विज्ञापन प्रसारण सेवा, आकाशवाणी, चंडीगढ़।	6.12.90	1. प्रधान मंत्री राहत कोष 1.25 लाख रुपये 2. श्री तालिब द्वारा लिए गए अंतिम वेतन के बराबर परिवार पेंशन। 3. उनके पुत्र की आकाशवाणी में प्रसारण निष्पादक के पद पर अनुकंपा आधार पर नियुक्ति। 4. परिवार को सभी अन्य सेवानिवृत्ति लाभ दिए गए।
3.	श्री गोविंद प्रसाद मल्लाह, मोटर ड्राइवर, दूरदर्शन महानिदेशालय, नई दिल्ली।	13.6.1991	1. अनुग्रह राशि का भुगतान 1.00 लाख रुपये 2. श्री गोविंद प्रसाद द्वारा लिए गए अंतिम वेतन के बराबर परिवार पेंशन 3. उनकी पत्नी को दूरदर्शन महानिदेशालय में अवर श्रेणी लिपिक के पद पर अनुकंपा आधार पर नियुक्ति 4. सभी अन्य सेवानिवृत्ति लाभ उनके परिवारों को दिए गए।

क्र०सं०	मारे गये कर्मचारी का नाम	जिस तारीख को मारे गये	अदा किया गया मुआवजा
4.	श्री एम०एल० मनचंदा, केन्द्र अभियंता, आकाशवाणी, पटियाला।	27.5.1992	1. प्रधान मंत्री राहत कोष 2.00 लाख रुपये 2. सूचना और प्रसारण मंत्रालय 2.00 लाख रुपये 3. श्री मनचंदा द्वारा लिए गए अंतिम वेतन के बराबर परिवार पेंशन 4. सभी अन्य सेवानिवृत्त लाभ उनके परिवार को दिए गए 5. पंजाब तथा हरियाणा की राज्य सरकारों ने स्वर्गीय श्री मनचंदा के परिवारों को दो-दो लाख रुपये का भुगतान किया।

धौलपुर, राजस्थान में ताप विद्युत संयंत्र

1771. **श्री गंगा राम कोली:** क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या धौलपुर, (राजस्थान) में ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना करने संबंधी प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो इसकी स्थापना कब तक होने की संभावना है; और

(ग) प्रस्तावित संयंत्र की अनुमानित लागत कितनी है?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय): (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण से स्कीम के लिये तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति प्राप्त नहीं हो पाई क्योंकि यह अभी तैयार किए जाने की स्थिति में नहीं है। कोयला लिंकेज, जल की उपलब्धता सम्बद्ध प्रारेषण प्रणाली आदि जैसे आवश्यक निवेश सुनिश्चित किए जाने तथा परियोजना प्राधिकारियों द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति सहित सभी आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त कर लिए जाने के पश्चात् ही इसे तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति दी जा सकती है।

(ग) परियोजना की अनुमानित लागत 1473.19 करोड़ रुपये है।

यमुना-पार इलाके में टेलीफोनों का कार्यकरण

1772. **श्री जी०एल० शर्मा प्रेम:**
श्री फूल चन्द वर्मा:

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली के यमुना पार क्षेत्र के अधिकांश टेलिफोन खराब रहते हैं और शिकायत दर्ज कराने के पश्चात् भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्रवाई करने का प्रस्ताव है कि इन शिकायतों पर अविलम्ब कार्रवाई की जाए?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी०वी० रंगय्या नायडू): (क) और (ख) जी नहीं।

बरसात का मौसम और शाहदरा में ओवरहेड ब्रिज का निर्माण कार्य होने के बावजूद खराब हुए टेलीफोनों का प्रतिशत 0.72 है। खराबियों को ठीक करने के लिए रिपोर्ट मिलते ही तुरंत कार्रवाई की जाती है।

(ग) खराबियों को ठीक करने के लिए एक सुव्यवस्थित निश्चित प्रक्रिया है और उसी का पालन किया जाता है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में सार्वजनिक टेलीफोन

1773. **श्री महेन्द्र कुमार सिंह ठाकुर:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश के खंडवा, खरगौन और देवास जिलों में कितने सार्वजनिक टेलीफोन कार्य कर रहे हैं; और

(ख) इन क्षेत्रों में सार्वजनिक टेलीफोन लगाने के लिए क्या मापदंड अपनाया गया?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी०वी० रंगय्या नायडू): (क) खण्डवा, खरगौन और देवास जिलों में कार्य कर रहे सार्वजनिक टेलीफोनों की संख्या इस प्रकार है:-

(i) खण्डवा	277
(ii) खरगौन	215
(iii) देवास	156
जोड़	648

(ख) विभाग की उदार नीति के अंतर्गत सार्वजनिक टेलीफोन उन सभी को प्रदान किये जाते हैं जो इनकी मांग करते हैं, बशर्ते कि ऐसा कर पाना व्यवहार्य हो, क्षमता उपलब्ध हो और निर्धारित शर्तें पूरी की गई हों।

[अनुवाद]

वर्ष 1992-93 में बिजली उत्पादन का लक्ष्य

1774. **श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा):**
श्रीमती रीता वर्मा:
श्रीमती दीपिका एच० टोपीवाला:
श्री चेतन पी०एस० चौहान:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में 1992-93 के दौरान बिजली उत्पादन का राज्यवार कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(2) प्रत्येक राज्य में वित्तीय वर्ष के पहले तीन महीनों (अप्रैल—जून) के दौरान बिजली का वास्तव में कितना उत्पादन हुआ है; और

(ग) उक्त मांग (ख) में उल्लिखित अवधि के दौरान उत्पादन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक राज्य बिजली बोर्ड को कितनी सहायता राशि दी गई?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय): (क) और (ख) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण-1 में दी गई है।

(ग) अप्रैल, 1992-जून 1992 के दौरान विभिन्न राज्यों को प्रदान की गई सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण-2 में दिया गया है।

विवरण-1

वर्ष 1992—93 के दौरान विद्युत उत्पादन सम्बन्धी कार्यक्रम और अप्रैल—जून, 1992 के दौरान वास्तविक उपलब्धि का राज्यवार ब्यौरा

(आंकड़े मिलियन यूनिट में)

राज्य/प्रणाली	कार्यक्रम 1992-93	उपलब्धि अप्रैल—जून, 1992
1	2	3
भाखड़ा व्यास, प्रबन्ध बोर्ड (हाइडरो)	11010	3250
दिल्ली (थर्मल)	6905	1903
जम्मू एवं कश्मीर		
ताप विद्युत	60	2
जल विद्युत	2900	944
जोड़	2960	946
हिमाचल प्रदेश (जल विद्युत)	1875	705
हरियाणा		
तापविद्युत	3550	800
जल विद्युत	240	61
जोड़	3790	861
राजस्थान		
ताप विद्युत	6000	1556
न्यूक्लीय	1540	176
जल विद्युत	1140	145
जोड़	8680	1870
पंजाब		
ताप विद्युत	7600	1692
जल विद्युत	2790	750
जोड़	10390	2442
उत्तर प्रदेश		
ताप विद्युत	40200	9861
न्यूक्लीय	1950	248
जल विद्युत	5570	1138
जोड़	47720	11247
गुजरात		
ताप विद्युत	23200	6068
जल विद्युत	900	113
जोड़	24100	6181

1	2	3
महाराष्ट्र		
ताप विद्युत	34980	8614
न्यूक्लीय	2080	230
जल विद्युत	5200	1128
जोड़	42260	9972
मध्य प्रदेश		
ताप विद्युत	32140	7409
जल विद्युत	1890	134
जोड़	34030	7543
आन्ध्र प्रदेश		
ताप विद्युत	22385	5432
जल विद्युत	7950	1102
जोड़	30335	6534
कर्नाटक		
ताप विद्युत	3600	820
जल विद्युत	9335	2310
जोड़	12935	3130
केरल (जल विद्युत)	5350	1373
तमिलनाडु		
ताप विद्युत	20075	5241
न्यूक्लीय	1780	629
जल विद्युत	3910	987
जोड़	25765	6857
बिहार		
ताप विद्युत	4110	554
जल विद्युत	265	20
जोड़	4375	574
उड़ीसा		
ताप विद्युत	1300	383
जल विद्युत	3780	595
जोड़	5080	978
पं बंगाल		
ताप विद्युत	15195	3650
जल विद्युत	100	20
जोड़	15295	3670
दामोदर घाटी निगम	6000	1175
ताप विद्युत	350	29
जल विद्युत	6350	1204
जोड़		

1	2	3
मिजोरम (जल विद्युत)	45	9
नागालैंड		0
ताप विद्युत	1650	259
जल विद्युत	10	0
जोड़	1660	259
मेघालय (जल विद्युत)	1215	240
त्रिपुरा		31
ताप विद्युत	400	15
जल विद्युत	50	46
जोड़	150	
मणिपुर (जल विद्युत)	410	37
अरुणाचल प्रदेश (जल विद्युत)	15	0
जोड़ अखिल भारत		
ताप विद्युत	229050	55450
न्यूक्लीय	7350	1285
जल विद्युत	66300	15105
जोड़	302700	71840

विवरण-2

ऊर्जा की अन्तर्राज्यीय/अन्तर्क्षेत्रीय आधार पर सहायता

(आंकड़े मिलियन यूनिट में)

राज्य	जिनसे सहायता दी गई	सहायता अप्रैल, 92—जून, 92
1	2	3
उत्तरी क्षेत्र	एस॰एस॰टी॰पी॰एस॰	19.5
चंडीगढ़		
दिल्ली	भाखड़ा व्यास प्रबन्ध बोर्ड	6.1
	पंजाब	2.6
	हिमाचल प्रदेश	133.2
हरियाणा	हिमाचल प्रदेश	0.0
हिमाचल प्रदेश	एस॰एस॰टी॰पी॰सी॰	0.1
	पंजाब	18.5
	उत्तर प्रदेश	81.0
पंजाब	हिमाचल प्रदेश	0.0

1	2	3
जम्मू एवं कश्मीर	एस॰एस॰टी॰पी॰एस॰	81.3
	भाखड़ा व्यास प्रबन्ध बोर्ड	2.0
	हिमाचल प्रदेश	
राजस्थान	पंजाब	77.0
	मध्य प्रदेश	65.2
		37.3
उत्तर प्रदेश	भाखड़ा व्यास प्रबन्ध बोर्ड	34.6
एस॰एस॰टी॰पी॰एस॰ बी॰बी॰एम॰बी॰	विन्ध्याचल एस॰टी॰पी॰एस॰	34.6
भाखड़ा व्यास प्रबन्ध बोर्ड	एस॰एस॰टी॰एस॰	0.5
प॰ क्षेत्र		
गुजरात	महाराष्ट्र	143.8
	(उत्तरी क्षेत्र)	3.4
मध्य प्रदेश	राजस्थान	63.9
	आन्ध्र प्रदेश	3.2
	उत्तरी क्षेत्र	124.6
महाराष्ट्र	गुजरात	69.3
गोवा	महाराष्ट्र	0.0
दमन, दीव एवं दादर नगर हवेली	गुजरात	69.4
दक्षिणी क्षेत्र		
आन्ध्र प्रदेश	कर्नाटक	0.0
	महाराष्ट्र	0.8
	मध्य प्रदेश	40.8
	गुजरात	10.7
	गोवा	11.8
कर्नाटक	केरल	0.0
	तमिलनाडु	0.0
	महाराष्ट्र	0.0
केरल	कर्नाटक	0.0
	तमिलनाडु	0.0
तमिलनाडु	केरल	0.0
पूर्वी क्षेत्र		
बिहार	उड़ीसा	0.0
	एन टी पी सी (एसएसटीपीएस)	0.0
	एन टी पी सी (अन्ता)	28.4
	एन टी पी सी (औरैया)	54.4
दामोदर घाटी निगम	बिहार	0.0

1	2	3
उड़ीसा	बिहार	0.0
	नैल्को	307.0
	आई सी सी एल	106.1
	मध्य प्रदेश	43.3
	आर० एस० पी०	3.3
	आन्ध्र प्रदेश	9.8
प० बंगाल राज्य वि० बोर्ड	उत्तर-पूर्वी (असम)	5.4
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र		
असम	पूर्वी क्षेत्र	34.8

टेलीफोनों का स्थानान्तरण

1775. **श्री चन्द्रेश पटेल:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने टेलीफोन को देश में कहीं भी स्थानान्तरित करने के बारे में हाल में कोई निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी०वी० रंगय्या नायडू): (क) और (ख) जी हां। पूरे देश में टेलीफोनों को शिफ्ट करने की अनुमति देने का निर्णय लिया गया है। जिन शर्तों के अन्तर्गत पूरे देश में टेलीफोन शिफ्ट किए जा सकते हैं, वे इस प्रकार हैं:—

(i) जब नए टेलीफोन के लिए प्रारम्भिक आवेदन जिस एक्सचेंज में टेलीफोन शिफ्ट किया जाना हो उसकी विशिष्ट श्रेणी के अन्तर्गत कनेक्शन जारी करने की अवधि के भीतर किया गया हो या जहां से टेलीफोन शिफ्ट किया जाना है उस एक्सचेंज एरिया में शिफ्ट किया जाने वाला टेलीफोन कम से कम तीन वर्ष से लगा हो, जो भी पहले हो, सामान्यतया तभी टेलीफोन शिफ्ट करने की अनुमति दी जाए।

(ii) जब कोई उपभोक्ता भारत में कहीं भी टेलीफोन शिफ्ट करना चाहता है तो उसे टेलीफोन शिफ्ट करने के निर्धारित प्रपत्र में उस पर सक्षम प्राधिकारी को, जिसके अन्तर्गत वह क्षेत्र आता हो जहां से टेलीफोन शिफ्ट किया जाना है एक आवेदन करना होगा और वह सक्षम प्राधिकारी उस टेलीफोन को बंद करने का प्रमाणपत्र उपभोक्ता को देगा जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ जिस तारीख से वह टेलीफोन कार्य कर रहा है और टेलीफोन कनेक्शनों आदि के पंजीकरण संबंधी ब्यौरों का उल्लेख हो। उपभोक्ता उस सक्षम दूरसंचार प्राधिकारी को, जिसके अन्तर्गत वह क्षेत्र आता हो जहां टेलीफोन शिफ्ट किया जाना हो, उपर्युक्त प्रमाणपत्र सहित आवेदन करेगा और वह सक्षम प्राधिकारी उपर्युक्त शर्तें पूरी किए जाने पर नए स्थान पर टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करेगा।

(iii) नए स्थान पर टेलीफोन की संस्थापना करने के लिए फिर से संस्थापना प्रभार देने होंगे।

(iv) ओ वाई टी उपभोक्ताओं के मामलों में, वह सक्षम दूरसंचार प्राधिकारी, जिसके अन्तर्गत वह क्षेत्र आता हो जहां से टेलीफोन शिफ्ट किया जाना है, उपभोक्ता का प्रमाणपत्र सहित ओ वाई टी श्रेणी की शेष जमा राशि, यदि कोई हो, वापिस करेगा। शिफ्ट के लिए आवेदनकर्त्ता को अपने आवेदन के साथ नए स्थान पर उपर्युक्त शेष राशि को जमा करना होगा ताकि वह उपभोक्ता भी ओ वाई टी श्रेणी के अन्तर्गत ही माना जाए।

ये अनुदेश 1.7.1992 से प्रभावी होंगे।

[हिन्दी]

खामगांव, महाराष्ट्र में टेलीविजन रिले केन्द्र

1776. **श्री पांडुरंग पंढुलिक फुंडकर:** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र के बुलढाना जिले के खामगांव में दूरदर्शन रिले केन्द्र निर्माणाधीन है;

(ख) यदि हां, तो इस रिले केन्द्र को चालू करने के लिए अब तक क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ग) यह रिले केन्द्र कब से काम करना आरंभ करेगा?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास): (क) महाराष्ट्र के बुलढ़ाना जिले के खामगांव में इस समय एक अल्प शक्ति टी०वी० ट्रांसमीटर लगाने का कार्य चल रहा है।

(ख) और (ग) खामगांव में प्रस्तावित ट्रांसमीटर लगाने के लिए उपयुक्त इमारत तय कर ली गई है और ट्रांसमीटर तथा अन्य अनुषंगी उपकरण के लिए निर्माताओं को आर्डर दे दिए गए हैं। वर्तमान संकेतों के अनुसार खामगांव का ट्रांसमीटर 1992-93 के दौरान सेवा के लिए चालू करने की आशा है।

[अनुवाद]

राउरकेला इस्पात संयंत्र द्वारा सेकेन्डरी उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि करना

1777. **कुमारी फ्रिडा तोपनो:** क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राउरकेला इस्पात संयंत्र ने सेकेन्डरी उत्पादों के मूल्य में 60 प्रतिशत वृद्धि कर दी है जबकि भारतीय इस्पात प्राधिकरण ने प्राइम इस्पात के मूल्य में 15 प्रतिशत की वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो सेकेन्डरी उत्पादों के मूल्य कम करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बिहार और उत्तर प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में दूरसंचार सुविधाएं

1778. **श्री राजेश कुमार:**
श्रीमती शीला गौतम:

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विशेषत: बिहार और उत्तर प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में दूरसंचार की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध नहीं है;

(ख) क्या सरकार का विचार इन क्षेत्रों में अतिरिक्त सुविधाएं उपलब्ध कराने का है;

(ग) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ बनायी गयी योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन राज्यों में अतिरिक्त संचार सुविधाएं कब तक उपलब्ध कराने की सम्भावना है?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी०वी० रंगय्या नायडू): (क) पर्याप्त सुविधा उपलब्ध है।

(ख) जी हां,।

(ग) और (घ)

— आठवीं योजना के प्रस्ताव निम्नलिखित मुख्य विस्तृत उद्देश्यों को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं:—

— ग्रामीण तथा जनजातीय क्षेत्रों में मांग होने पर व्यवहारिक रूप से टेलीफोन प्रदान करना।

— सभी ग्राम पंचायतों में 1/4/95 तक टेलीफोन सुविधा प्रदान करना।

— शहरी क्षेत्रों में प्रत्येक 100 परिवार पर एक पी०सी०ओ० प्रदान करना।

— 01/4/91 तक सभी एक्सचेंजों में राष्ट्रीय उपभोक्ता डायल सुविधा प्रदान करना।

— 1992—97 की अवधि के दौरान जनजातीय क्षेत्रों में निम्नलिखित विशेषकर जोड़े जाने का प्रस्ताव है बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हों और रजिस्टर्ड मांग हो।

	बिहार	उत्तर प्रदेश
नए कनेक्शन	15000	510
एल०डी०पी० टी०	140	327
यू०एच०एफ० (रूट कि०मी०)	1500	500
तार घर	70	65

[अनुवाद]

बिहार की कोयल कारो परियोजना को स्वीकृति

1779. **श्री कड़िया मुन्डा:** क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार की कोयल कारो परियोजना की स्वीकृति की स्थिति इस समय किस चरण में है;

(ख) क्या इस परियोजना पर कार्य चालू वर्ष के दौरान शुरू करने का विचार है; और

(ग) इस परियोजना का कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय): (क) बिहार की कोयल कारो जल विद्युत परियोजना को राष्ट्रीय जल विद्युत निगम द्वारा केन्द्रीय क्षेत्र में क्रियान्वित किये जाने के लिये नवम्बर, 1991 में स्वीकृति प्रदान कर दी गई थी।

(ख) और (ग) यद्यपि परियोजना को 8 वर्ष की अवधि में चालू किये जाने का कार्यक्रम है किन्तु निधियों संबंधी बाधाओं के कारण परियोजना का कार्य रुक गया है।

दूरदर्शन पुरस्कार

1780. **श्री प्रकाश वी० पाटिल:** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने टेलीविजन कार्यक्रमों का स्तर सुधारने की दृष्टि से कुछ राष्ट्रीय दूरदर्शन पुरस्कार शुरू करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास): (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय दूरदर्शन पुरस्कारों के लिये मार्गदर्शी सिद्धांतों की मुख्य-मुख्य बातें विवरण के रूप में संलग्न हैं।

विवरण

राष्ट्रीय दूरदर्शन पुरस्कारों के मार्गदर्शी सिद्धांतों की मुख्य-मुख्य बातें

1. स्कीम का उद्देश्य टी०वी० कार्यक्रमों के स्तर और उसकी गुणवत्ता को बढ़ाना है।
2. पुरस्कारों का आयोजन भारत सरकार की ओर से दूरदर्शन महानिदेशालय द्वारा किया जाएगा।
3. पुरस्कार दो तरह के होंगे अर्थात् (क) सर्वोत्तम प्रस्तुति पुरस्कार और (ख) वैयक्तिक उत्कृष्टता पुरस्कार।

सर्वोत्तम प्रस्तुति पुरस्कार निम्नलिखित वर्गों के लिये होंगे:—

(1) राष्ट्रीय एकता पर टी०वी० शो (विविज प्रकार या अन्य दर्शक सहभागिता कार्यक्रम/वृत्तचित्र/टी०वी० रूपक)।

(2) बाहरी निर्माताओं/प्राइवेट कम्पनियों द्वारा निर्मित प्रायोजित धारावाहिक/टी०वी० सीरियल (कथा साहित्य)

(3) दूरदर्शन ड्रामा/टेली प्ले।

(4) टेली फिल्में।

(5) सर्वोत्तम लोक सेवा संचार संदेश (6 मिनट तक की अवधि के लिये)

(6) वन्य जीवन पर कार्यक्रमों सहित शैक्षणिक/वैज्ञानिक कार्यक्रम।

(7) विकासात्मक कार्यक्रम/वृत्तचित्र/टी०वी० रूपक।

(8) परिवार कल्याण कार्यक्रम /महिलाकार्यक्रम।

(9) बाल कार्यक्रम।

(10) लोकगीत और पारंपरिक कलाओं सहित संगीत, नृत्य और नृत्य-नाटिका कार्यक्रम।

(11) भारतीय मूल की समाचार क्लिपों सहित समसामयिक विषयों पर कार्यक्रम (45 सेकेन्ड से 5 मिनट की अवधि की)।

वैयक्तिक उत्कृष्टता पुरस्कार निम्नलिखित वर्ग में होंगे:—

(1) सर्वश्रेष्ठ अभिनेता।
(2) सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री।
(3) सर्वश्रेष्ठ बाल अभिनेता/अभिनेत्री।
(4) सर्वश्रेष्ठ लेखक/पटकथा लेखक।
(5) सर्वश्रेष्ठ निर्देशक
(6) सर्वश्रेष्ठ कला निर्देशक/सैट डिजाइनर।
(7) सर्वश्रेष्ठ तकनीकी निर्देशक।
(8) सर्वश्रेष्ठ कैमरा मैन।
(9) सर्वश्रेष्ठ सम्पादक।

सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुति पुरस्कारों में निर्माताओं को 30,000 रुपये का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। वैयक्तिक उत्कृष्टता पुरस्कारों में बाल कलाकारों को छोड़कर नकद पुरस्कार 10,000 रुपये का होगा। बाल कलाकारों को केवल 5,000 रुपये दिये जाएंगे।

4. प्रविष्टियों के लिये दूरदर्शन केन्द्रों के लिये कोई प्रविष्टि शुल्क नहीं होगा जबकि बाहरी निर्माताओं से 500 रुपये प्रविष्टि शुल्क लिया जाएगा।

5. पुरस्कारों का चयन महानिदेशक, दूरदर्शन द्वारा नियुक्त जूरी द्वारा किया जाएगा जिसका गठन सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अनुमोदन से किया जाएगा। प्रत्येक जूरी में पांच सदस्य होंगे। इनमें दो सरकारी और तीन गैर-सरकारी सदस्य होंगे। जूरियों की अधिकतम संख्या 6 होगी।

[हिन्दी]

दिल्ली में पर्यटन स्थलों का विकास

1781. **श्री फूल चन्द वर्मा :** क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली में वर्ष 1992-93 के दौरान पर्यटन स्थलों के विकास संबंधी केन्द्र सरकार की योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया): संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में पर्यटन की आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए अभी तक निम्नलिखित स्कीमें/परियोजनाएं अभिनिर्धारित की गई हैं :

क्रम सं॰	परियोजना का नाम	अनुमानित लागत (रुपए लाखों में)
1.	पुराने किले में ध्वनि एवं प्रकाश प्रदर्शन	25
2.	कुतुब मीनार, लाल किला, सफदरजंग मकबरा और निज़ामुद्दीन मकबरा में जन सुविधाएं	20
3.	मेले और उत्सव	10

[अनुवाद]

केरल में कम शक्ति के नए टी॰ वी॰ ट्रांसमीटर

1782. **श्री रमेश चेन्निथला:** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का वर्ष 1992-93 के दौरान केरल में कम शक्ति के नये टी॰ वी॰ ट्रांसमीटरों की स्थापना करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास): (क) दूरदर्शन की वर्ष 1992-93 की वार्षिक योजना के अंतर्गत देश में लगाए जाने वाले अल्प शक्ति/अति अल्प शक्ति टी॰ वी॰ ट्रांसमीटरों के स्थानों को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

डाक विभाग की पुनर्संरचना

1783. **श्री ललित उरांव:** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार डाक विभाग में रेल डाक सेवा जैसे कुछ क्षेत्रों के कार्यकरण की पुनर्संरचना करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी॰ वी॰ रंगय्या नायडू): (क) डाक विभाग में रेल डाक सेवा जैसे कुछ क्षेत्रों की कार्यप्रणाली का पुनर्गठन का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) उपर्युक्त (क) को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

श्री लाल बहादुर शास्त्री पर दूरदर्शन धारावाहिक

1784. **श्री एन॰ जे॰ राठवा:** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भूतपूर्व प्रधान मंत्री स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री पर एक धारावाहिक प्रसारित करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) और (ख) श्री लाल बहादुर शास्त्री के जीवन और उपलब्धियों पर एक आठ भाग वाले धारावाहिक का निर्माण कार्य दूरदर्शन द्वारा 18 लाख रुपये की लागत पर मैसर्स उषा इन्टरप्राइजेज को सौंपा गया है। कार्यक्रम का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

[अनुवाद]

सिक्किम में विद्युत परियोजनाएं

1785. **श्रीमती दिल कुमारी भंडारी :** क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सिक्किम में केन्द्रीय सहायता से कितनी विद्युत परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन परियोजनाओं के पूरा होने पर सिक्किम विद्युत के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो जाएगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय): (क) और (ख) इस समय, सिक्किम में रंगीत जल विद्युत परियोजना (60 मेगावाट) केन्द्रीय क्षेत्र परियोजना के रूप में निर्माणाधीन है। परियोजना से 349 मिलियन यूनिट का वार्षिक ऊर्जा उत्पादन किए जाने की सम्भावना है जिसे पूर्वी क्षेत्र के राज्यों के बीच आबंटित किया जायेगा। परियोजना को सितम्बर, 1995 तक चालू किए जाने की सम्भावना है।

(ग) जी, हां,।

(घ) 14वें भारतीय विद्युत सर्वेक्षण के अनुसार, रंगीत सहित विभिन्न स्वीकृत एवं निर्माणाधीन स्कीमों को ध्यान में रखते हुए सिक्किम में वर्ष 1994-95 के दौरान ऊर्जा की उपलब्धता 355 मिलियन यूनिट होगी। जबकि

आवश्यकता 61 मिलियन यूनिट की होगी। इसी प्रकार, 1994-95 के अन्त में व्यस्ततमकालीन उपलब्धता, 32 मेगावाट की व्यस्ततमकालीन आवश्यकता की तुलना में 49 मेगावाट होगी।

आन्ध्र प्रदेश में ग्राम पंचायतों को टेलीफोन

1786. **श्री धर्मभिक्षम:**
श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी:

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जिलावार कितने ग्राम पंचायतों को टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराई गई है;

(ख) आन्ध्र प्रदेश में ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कराई गई टेलीफोन सुविधा पर कुल कितना धन खर्च किया गया;

(ग) जिलावार कितने ग्राम पंचायतों को यह सुविधा उपलब्ध कराई जानी है; और;

(घ) 1992-93 के दौरान ग्राम पंचायतों और गांवों में टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं या उठाने का विचार है?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू): (क) 30 जून, 1992 तक 10,031 पंचायत गांवों को टेलीफोन सुविधा प्रदान की जा चुकी है। जिले-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) 30 जून, 1992 तक 24 करोड़ रुपए।

(ग) 9502 1 ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) वर्ष 1992-93 के दौरान 3050 पंचायत गांवों को टेलीफोन सुविधा प्रदान करने का प्रस्ताव है, बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हो।

विवरण

क्रम सं०	जिले का नाम	30.6.1992 तक टेलीफोन सुविधा युक्त पंचायत ग्राम	अनुबंध '30.6.1992 के पश्चात टेलीफोन सुविधा प्रदान किए जाने वाले पंचायत ग्राम
1.	आदिलाबाद	134	592
2.	अनन्तपुर	513	352
3.	चित्तूर	609	683
4.	कुडपाह	314	427
5.	पूर्व गोदावरी	759	177
6.	गुंटूर	709	250
7.	करीमनगर	503	528
8.	खम्माम	402	206
9.	कृष्णा	721	209
10.	कुरनूल	672	191
11.	महबूबनगर	444	660
12.	मेडक	417	392
13.	नालगोंडा	301	710

क्रम सं॰	जिले का नाम	30.6.1992 तक टेलीफोन सुविधा युक्त पंचायत ग्राम	30.6.1992 के पश्चात टेलीफोन सुविधा प्रदान किए जाने वाले पंचायत ग्राम
14.	नेल्लूर	416	526
15.	निजामाबाद	285	336
16.	प्रकाशम	251	704
17.	रंगारेड्डि	349	254
18.	श्रीकाकुलम	396	668
19.	विशाखापत्तनम	388	541
20.	विजयनगरम	324	565
21.	वारंगल	323	561
22.	पश्चिम गोदावरी	793	17
	जोड़	10,031	9,502

खण्ड मुख्यालओं को जिला मुख्यालयों से टेलीफोन द्वारा जोड़ना

1787. **मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खंडूरी:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार प्रत्येक खण्ड मुख्यालय को जिला मुख्यालय से तथा प्रत्येक ग्राम पंचायत को खण्ड मुख्यालय से टेलीफोन द्वारा जोड़ने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उत्तर प्रदेश में फिलहाल यह सुविधा कहां-कहां उपलब्ध है;

(घ) क्या इस योजना के अंतर्गत पिछड़े जनजातीय तथा पर्वतीय क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है;

(ङ) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिलों विशेषतौर पर पौड़ी और चमौली में यह सुविधा कहां-कहां उपलब्ध कराई गई है तथा कहां कहां उपलब्ध कराने का विचार है और कब तक; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी॰ वी॰ रंगय्या नायडू): (क) और (ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना में ब्लाक मुख्यालयों सहित सभी पंचायत गांवों को टेलीफोन सुविधा प्रदान करने पर विचार किया गया है, जिनका संपर्क जिला मुख्यालयों तक बढ़ाया जा सकता है।

(ग) उत्तर प्रदेश में कुल 73741 पंचायत गांवों में से 14 जुलाई, 1992 तक 6652 पंचायत गांवों को टेलीफोन सुविधा प्रदान कर दी गई है।

(घ) जी, हां।

(ङ) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं। इन पर्वतीय जिलों में शेष पंचायत गांवों को 31 मार्च, 1995 तक टेलीफोन सुविधा प्रदान की जाएगी।

(च) लागू नहीं होता।

विवरण

31.3.1992 की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिलों में टेलीफोन सुविधायुक्त पंचायत गांवों का ब्यौरा

क्रम सं॰	पर्वतीय जिले का नाम	पंचायत गांवों की कुल संख्या	टेलीफोन सुविधायुक्त पंचायत गांवों की संख्या
1.	अल्मोड़ा	1360	89
2.	चमोली	632	75
3.	देहरादून	252	87
4.	पौड़ी	1214	33
5.	नैनीताल	779	184
6.	पिथोरागढ़	827	71
7.	टेहरी	822	27
8.	उत्तर काशी	337	12
	जोड़	6223	578

पनधारा विकास पर नेपाल के साथ वार्ता

1788. **श्री रामनरेश सिंह:** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में भारत और नेपाल के बीच हिमालय से निकलने वाली नदियों के पनधारा विकास हेतु प्रयास के संबंध में कोई वार्ता हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो इन वार्ताओं के परिणामस्वरुप सामने आये प्रस्तावों/कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है?

जल संसाधान मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) और (ख) हाल ही में ऐसे विचार-विमर्श नहीं किए गए हैं। भारतीय विशेषज्ञों के एक दल ने मई, 1988 में नेपाल का दौरा किया था तथा जल विभाजक प्रबन्ध के लिए तमूर और सुनोकोसी नदी बेसिनों में नाजुक तथा अवक्रमित क्षेत्रों का पता लगाया था। नेपाल अपनी मास्टर प्लान में की गयी परिकल्पना के अनुसार मृदा संरक्षण और जल-विभाजक प्रबन्ध कार्यक्रम पर कागजात तैयार करने के लिए एक संयुक्त भारत नेपाल दल गठित करना चाहता है। मास्टर प्लान अथवा उसके ब्यौरे की प्रति अभी प्राप्त होनी है।

एयर इंडिया की क्षमता का उपयोग

1789. **श्री सैयद शाहबुद्दीन:** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) एयर इंडिया द्वारा वर्ष 1988-89, 89-90 तथा 1990-91 के दौरान प्रथम श्रेणी, एग्जीक्यूटिव श्रेणी तथा इकॉनामी श्रेणी की क्षमता उपयोग का, अलग-अलग वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या वास्तविक क्षमता उपयोग अलग अलग क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न है;

(ग) यदि हां, तो किन-किन क्षेत्रों में क्षमता उपयोग सर्वाधिक है और किन-किन क्षेत्रों में न्यूनतम हुआ है और कितना-कितना हुआ है;

(घ) क्या एयर इंडिया द्वारा किया गया क्षमता उपयोग अन्य अंतर्राष्ट्रीय विमान कम्पनियों के उसी अवधि के क्षमता उपयोग के अनुरूप रहा है; और

(ङ) क्षमता उपयोग में सुधार लाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया): (क) यात्रा के विभिन्न श्रेणियों में वर्ष 1988-89, 1989-90 तथा 1990-91 के लिये एयर इंडिया की क्षमता उपयोगिता निम्न प्रकार रही:—

(प्रतिशतता)

	1988-89	1989-90	1990-91
प्रथम श्रेणी	20.1	18.8	17.0
एक्जूक्यूटिव श्रेणी	39.4	26.5	26.7
इकानामी श्रेणी	72.1	71.6	71.0
संयुक्त	66.4	64.1	64.2

(ख) और (ग) जी, हां। सेक्टर-वार अधिकतम तथा न्यूनतम भार-गुणक दर्शाता हुआ एक विवरण संलग्न है।

(घ) एयर इंडिया की समग्र क्षमता उपयोगिता की अन्य अंतर्राष्ट्रीय विमान वाहकों के साथ पर्याप्त रूप से तुलना की जा सकती है। परन्तु प्रथम तथा एक्जूक्यूटिव श्रेणी के यात्रियों का वहन अन्य विमान की तुलना में कम है।

(ङ) एयर इंडिया अपने यात्रियों को दी जाने वाली सुविधाओं की सूक्ष्म निगरानी कर रही है तथा बेहतर समयबद्ध निष्पादन, आरक्षण, ग्राउंड हैंडलिंग, उड़ानगत मनोरंजन, भोजन आदि जैसी सेवाओं के सभी पहलुओं में सुधार लाने के लिये अनेक उपाय कर रही है।

विवरण

	मार्ग	प्रथम श्रेणी	एक्जूक्यूटिव श्रेणी	इकोनामी श्रेणी	संयुक्त
		1988-89			
अधिकतम भार गुणक	यू०एस०आर०	42.4	—	—	—
(प्रतिशतता)	पूर्वी-अफ्रीका	—	75.7	—	—
	आस्ट्रेलिया	—	—	82.3	—
	यू०एस०ए०	—	—	—	74.9
न्यूनतम भार गुणक	आस्ट्रेलिया	13.00	16.0	—	—
(प्रतिशतता)	पूर्वी अफ्रीका	—	—	61.3	—
	गल्फ	—	—	—	58.0
		1989-90			
अधिकतम भार गुणक	यू०एस०एस०आर०	48.4	—	—	—
(प्रतिशतता)	पूर्वी-अफ्रीका	—	72.0	—	—
	सिंगापुर	—	—	83.1	76.9
न्यूनतम भार गुणक	आस्ट्रेलिया	11.4	12.9	—	—
(प्रतिशतता)	गल्फ	—	—	65.5	59.5

	मार्ग	प्रथम श्रेणी	एक्जीक्यूटिव श्रेणी	इकोनामी श्रेणी	संयुक्त
		1990-91			
अधिकतम भार गुणक	यू०एस०एस०आर०	57.9	—	—	80.1
(प्रतिशतता)	हांगकांग	—	47.6	85.2	—
न्यूनतम भार गुणक	यूरोप	10.1	—	—	59.5
(प्रतिशतता)	आस्ट्रेलिया	—	11.5	—	—
	जापान	—	—	88.5	—

खाड़ी देशों में आकाशवाणी का प्रसारण

1790. **श्री सुशील चन्द्र वर्मा:** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) खाड़ी देशों में आकाशवाणी का प्रसारण उतना सशक्त नहीं है जितना कि पाकिस्तान का है;

(ख) खाड़ी देशों में विभिन्न कार्यक्रमों का प्रसारण करने वाली आकाशवाणी की प्रसारण शक्ति का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार आकाशवाणी की क्षमता बढ़ाकर प्रसारण को उन्नत करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो कब?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास): (क) और (ख) जी, नहीं। आकाशवाणी द्वारा 500 कि० वा० और 250 कि० वा० शार्टवेव ट्रांसमीटरों के जरिये खाड़ी क्षेत्र में हिन्दी सेवा प्रसारित की जा रही है।

(ग) और (घ) पणजी में 250 कि० वा० के 2 शार्टवेव ट्रांसमीटर लगाए जा रहे हैं, जिन्हें खाड़ी क्षेत्र में पूर्णरूपेण सेवा प्रदान करने के लिये इस्तेमाल किया जाएगा। इन ट्रांसमीटरों को दिसम्बर, 1992 तक तकनीकी रूप से तैयार करने का कार्यक्रम है।

केरल में टेलीफोन उप-केन्द्र

1791. **श्री थाइल जॉन अंजलोज:** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार केरल में टेलीफोन उप-केन्द्र खोलने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी जिलावार ब्यौरा क्या है तथा ये कहां-कहां खोले जायेंगे?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू): (क) जी, हां।

(ख) 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान खोले जाने वाले टेलीफोन एक्सचेंजों के प्रस्तावों के जिले-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

विवरण

पर्याप्त पंजीकृत मांग और उपस्कर उपलब्ध होने पर 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान खोले जाने वाले प्रस्तावित छोटे एक्सचेंजों (रिमोट लाइन यूनिट) के जिले-वार ब्यौरे

त्रिवेन्द्रम जिला
1. बलरामपुरम
2. कनियापुरम
3. कजिरमकूलम
4. कन्याकुलगारा
5. कट्टकाडा
6. मलयिंकिल
7. विझीजाम

क्वीलोन जिला
1. चतन्नूर
2. चवारा
3. कोट्टियम
4. मय्यनाड
5. परावूट

अल्लेपी जिला
1. अम्बालापूझा
2. चेंगनूर
3. एडाथुआ
4. हरिपड
5. कट्टनम
6. कयमकूलम
7. कोल्लाकडावू
8. एस॰ एल॰ पुरम

पतनमथिट्टा जिला
1. ईलवनथिट्टा
2. कैपट्टूर
3. कोन्नी
4. कोझनचेरी
5. मुरीनजकल
6. वडासेरीकारा
7. वयलथाला

कोट्टायम जिला
1. अयरकुन्नम
2. चिंगावनम
3. एट्टमनूर
4. गांधीनगर
5. कंगाझा
6. कांजीकुझी
7. कारूकयल
8. कुमारकम
9. मम्मोद
10. वझूर

एर्नाकुलम जिला
1. चोट्टानिकरा
2. ई॰ के॰ एम॰ वीट्टिला
3. मूलनतुरूती
4. नराकल
5. पूतेनोरूज
6. त्रिक्काकारा

त्रिचूर जिला
1. अल्नाप्पानगर
2. चेरपू
3. चौघाट
4. गुरूवयूर
5. केचरी
6. मूलंकुनतुकावू
7. ओल्लूर

पालघाट जिला
1. ओलावाक्कोट
2. पालघाट

मालापुरम जिला
1. एरियाकोडे
2. चेलारी
3. कोट्टाकल
4. मालापुरम

कालीकट जिला
1. चेवायूर
2. कालीकट-दक्षिणी
3. एलाथूर
4. कोडूवल्ली
5. कून्नामंगलम
6. मवूर

कन्नानूर जिला

1. अंजरकण्डी
2. बलियापट्टनम
3. कन्नानौर
4. चेरूकुन्नू
5. एडाक्कड
6. कूथूपूरम्बा
7. पनूर
8. पेरिंगथूर
9. तेल्लीचेरी
10. थूवाकुन्नू

मुम्बई में बल्क पंजीकृत डाक योजना

1792. **श्री राम नाईक:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डाक विभाग ने मुम्बई में डाक प्रेषक परिसरों से बल्क पंजीकृत डाक लेने और भेजने की योजना शुरू कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो कब से और डाक प्रेषकों के नाम और पतों का ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी०वी० रंगय्या नायडू): (क) जी हां।

(ख) पिछले दो वर्षों से निम्नलिखित प्रेषक से:—

(1) मैसर्स रिलायंस कंसलटेंसी सर्विसिज,
मोगरा गांव,
अंधेरी ईस्ट,
बम्बई-400 069.
और पिछले एक वर्ष से निम्नलिखित प्रेषकों से:—

(2) मैसर्स प्रोम्प्ट सर्विसिज,
गाला नं० 6/7/66/74
चन्दनबाड़ी,
मैरिन लाइन्स स्टेशन के निकट,
बम्बई, 400 002.

(3) मैसर्स गणेश बुक बाईंडिंग,
मर्कर बिल्डिंग, ग्राउंड फ्लोर,
गोडाउन नं० 15 "बी",
खेतवाड़ी, 11 वीं लेन,
बम्बई-400 004.

(4) मैसर्स मास मेलिंग सर्विसिज,
486, मोदी स्ट्रीट कॉस लेन,
नानाबाई मैंशन, ग्राउंड फ्लोर,
फोर्ट, बम्बई-400 001.

महाराष्ट्र में पर्यटन विकास

1793. **श्री मोहन रावले:**
श्री यशवंत राव पाटिल:

क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार को महाराष्ट्र सरकार की ओर से पर्यटन के विकास के लिए वित्तीय सहायता हेतु मिले प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इनको कब तक स्वीकृति दे दी जाएगी;

(ग) इस प्रयोजनार्थ 1992-93 के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा कितनी धनराशि मंजूर की गई है;

(घ) क्या सरकार ने महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में कुडे की बौद्ध कालीन गुफाओं का सर्वेक्षण इसे पर्यटन मानचित्र में शामिल करने हेतु कराया था; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया): (क) से (ग) वर्ष 1992-93 के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता हेतु निम्नलिखित परियोजनाएं/स्कीमें अभी तक सूचीबद्ध की गई हैं, जिनके संबंध में राज्य सरकार से विस्तृत प्रस्ताव अभी प्राप्त होने हैं:—

		अनुमानित लागत (लाख रु० में)
1.	पुणे में गांधी स्मारक आश्रम का विकास	30.00
2.	शनिवानवाड़ा में ध्वनि-व-प्रकाश प्रदर्शन	45.00
3.	नान्देड़ में पर्यटक सुविधाओं तथा मार्गस्थ सुख-सुविधाओं की व्यवस्था	15.00
4.	शौचालय तथा पेय जल सुविधाएं और जोतिबा में मार्गस्थ सुख-सुविधाएं	16.00

इसके अलावा, कोंकण क्षेत्र में गहन विकास हेतु एक पर्यटक परिपथ का अभिनिर्धारण किया गया है जिसमें रायगढ़ किला, जनजीरा किला, कुदा गुफाएं, श्रीवर्धन और हरिहरेश्वर शामिल हैं।

(घ) और (ङ) कुदा गुफाओं सहित रायगढ़ जिले की पर्यटन संभावना के बारे में पर्यटन विभाग ने सर्वेक्षण शुरू किया है जिसकी रिपोर्ट अभी मिलनी है।

अनिवासी भारतीयों द्वारा निवेश हेतु खनिजों का अनारक्षण

1794. **श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल:** क्या **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनिवासी भारतीयों के निवेश को बढ़ावा देने के लिए सभी खनिजों को अनारक्षित करने का कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के पास विचाराधीन है;

(ख) जी हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अनिवासी भारतीयों की ओर से मार्च, 1992 तक यदि कोई प्रतिक्रिया मिली हो, तो उसका ब्यौरा क्या है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव): (क) से (ग) जी नहीं। तथापि, सरकार इस बात की जांच कर रही है कि क्या कुछ खनिज, जो अभी सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित हैं, उनका आरक्षण समाप्त कर दिया जाए।

[हिन्दी]

समाचार पत्रों के पंजीयक के पास विचाराधीन आवेदन पत्र

1795. **श्री गोविन्द राम निकाम**: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) समाचार पत्रों के पंजीयक के पास 1 जून, 1992 तक पंजीयन हेतु कितने आवेदन-पत्र लम्बित पड़े हैं;

(ख) क्या पंजीयन की स्वीकृति देने हेतु कोई समय-सीमा निर्धारित की गयी है और क्या इस समय-सीमा का पालन किया जाता है; और

(ग) समय पर पंजीयन सुनिश्चित करने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास): (क) भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक के कार्यालय में रखे गए रिकार्ड के अनुसार 1 जून, 1992 को 212 आवेदन पत्र लम्बित पड़े थे।

(ख) समाचार पत्रों का रजिस्ट्रीकरण प्रकाशक द्वारा प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के अधीन अपेक्षित औपचारिकताओं को पूरा करने पर किया जाता है। अधिनियम में इसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

(ग) समय पर रजिस्ट्रकरण सुनिश्चित करने के लिए भारत के समाचार-पत्रों के पंजीयक के कार्यालय द्वारा रजिस्ट्रीकरण के मामलों का हर सप्ताह मानिटरिंग किया जाता है।

उड़ीसा में मैंगनीज का भंडार

1796. **श्री गोपीनाथ गजपति**: क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उड़ीसा में मैंगनीज की कितनी खानें हैं और राज्य में मैंगनीज का अनुमानित भंडार कितना है; और

(ख) मैंगनीज की उन खानों के विकास के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव): (क) वर्ष 1991-92 के दौरान उड़ीसा राज्य में मैंगनीज की 54 खानें कार्यरत थीं। 1.4.1990 को राज्य में मैंगनीज के खनन योग्य कुल भंडार 40.8 मिलियन टन थे।

(ख) वैज्ञानिक और आर्थिक आधार पर खानों का विकास सुनिश्चित करने के लिए नियम बना लिए गए हैं। मैंगनीज स्रोतों का तेजी से विकास करने के लिए मैंगनीज अयस्क के पट्टे सरकारी क्षेत्र की आवश्यकताओं को ध्यान में रखने के बाद निजी क्षेत्र को दिए जा रहे हैं।

बाक्साइट का खनन

1797. **श्री सुवास चन्द्र नायक:** क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने वर्ष 1992-93 के दौरान उड़ीसा के कालाहांडी जिले में बाक्साइट के खनन हेतु कोई योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

घग्गर नदी पर बांध

1798. **श्री पवन कुमार बन्सल:** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को संघ राज्य क्षेत्र चण्डीगढ़ में हो रही पानी की भारी किल्लत के बारे में जानकारी है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार का विचार चण्डीगढ़ और हरियाणा के पंचकुला के लिए पानी की नियमित एवं पर्याप्त सप्लाई के लिए हरियाणा में घग्गर नदी पर बांध बनाने का है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) से (ग) चंडीगढ़ प्रशासन ने घग्गर नदी पर हरियाणा में एक बांध का निर्माण करने के लिए हरियाणा सरकार से अनुरोध किया है ताकि चंडीगढ़ शहर तथा पंचकुला को जल आपूर्ति लाभ प्रदान किया जा सके। केन्द्र ने भी हरियाणा सरकार से अपेक्षित विस्तृत अन्वेषण शुरू करने तथा तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति के वास्ते व्यवहार्यता रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अनुरोध किया है।

महाराष्ट्र में नए दूरदर्शन और आकाशवाणी केन्द्र

1799. **श्री अन्ना जोशी:** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले एक वर्ष के दौरान महाराष्ट्र में किन-किन स्थानों पर नए दूरदर्शन और आकाशवाणी केन्द्रों की स्थापना की गई तथा उनकी क्षमता कितनी-कितनी है;

(ख) इस समय दूरदर्शन और आकाशवाणी के प्रसारण क्षेत्र के अन्तर्गत राज्य के कितने प्रतिशत क्षेत्र आते हैं;

(ग) क्या सरकार को विभिन्न केन्द्रों की क्षमता बढ़ाने और नए दूरदर्शन और आकाशवाणी केन्द्रों की स्थापना करने के लिए कोई अभ्यावेदन मिला है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है अथवा किए जाने का विचार है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास): (क) पिछले एक वर्ष के दौरान

महाराष्ट्र में अम्बाजोगई में एक उच्च शक्ति (10 कि०वा०) टी०वी० ट्रांसमीटर तथा औरंगाबाद में एक ट्रांसपोजर (10 वाट) तथा 6 कि०वा० एफ०एम० ट्रांसमीटर सहित 2 नए रेडियो स्टेशन, अर्थात् एक अकोला में तथा एक कोल्हापुर में स्थापित किए गए हैं।

(ख) दूरदर्शन द्वारा लगभग 69% तथा आकाशवाणी द्वारा 98%।

(ग) और (घ) महाराष्ट्र में टी०वी०/रेडियो की कवरेज में विस्तार के लिए समय-समय पर विभिन्न क्षेत्रों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। इस समय महाराष्ट्र में टी०वी०/रेडियो की मौजूदा कवरेज को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित स्कीमें विभिन्न चरणों में कार्यान्वयनाधीन हैं।

दूरदर्शन

1. बंबई में दूरदर्शन केन्द्र का विस्तार।

2. हिंगनघाट, खामगांव, अकलुज, कनकौली, वाशिम तथा अकोट में अल्प शक्ति ट्रांसमीटर।

आकाशवाणी

1. नासिक, धुले, चन्द्रपुर, उस्मानाबाद, यवतमाल तथा सतारा में नए रेडियो स्टेशन।

2. बम्बई, पुणे तथा नागपुर के ट्रांसमीटरों की शक्ति बढ़ाना।

[हिन्दी]

उपक्रमों/संगठनों में कथित भ्रष्टाचार

1800. **श्री काशीराम राणा:** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को गत तीन वर्षों के दौरान उनके मंत्रालय के नियंत्रणाधीन चल रहे उपक्रमों/संगठनों में व्याप्त भ्रष्टाचार के बारे में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या दोषी पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस मामले में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास): (क) और (ख) जी, हां।

(ग) और (घ) सरकार द्वारा की गई कार्रवाई और किए गए उपचारात्मक उपायों का ब्यौरण संलग्न है।

विवरण

भ्रष्टाचार के लिए दोषी पाए गए अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई और निम्नलिखित मामलों में बड़े/छोटे दंड दिए गए:

1. 1.4.89 से 31.3.90 :	6
2. 1.4.90 से 31.3.91 :	7
3. 1.4.91 से 31.3.92 :	35
योग :	48

2. सरकार द्वारा किए गए उपचारात्मक उपायों में समय-समय पर अचानक निरीक्षण करना और संवेदनशील पदों पर कर्मचारियों/अधिकारियों की बारी-बारी से तैनाती शामिल है।

[अनुवाद]

ऊर्जामापी उपकरणों का निर्माण

1801. **श्री गुरुदास कामत:** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यूरोप के ऊर्जामापी और प्रदूषण नियंत्रक उपकरणों के कुछ निर्माताओं ने भारत के साथ सहयोग करने में रूचि दिखलाई है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ऐसी कंपनियों से मिले प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय): (क) जी हां।

(ख) ऊर्जामापी तथा प्रदूषण नियंत्रण उपस्करों के विनिर्माण हेतु कुछ यूरोपीय कंपनियों से सहयोग के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इसका विस्तृत ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

प्रस्तावों का विस्तृत विवरण

क्र०सं०	सहयोगी तथा देश का नाम	उत्पाद
1.	मै० सप्स एन्टीक्रोसन, फ्रांस	प्रदूषण नियंत्रण मशीनरी तथा उपकरण
2.	हेनरिच लुचर स्टेचटैकनिक, जी०एम०बी०एच०, जर्मनी	प्रदूषण नियंत्रण उपकरण
3.	के-पैक सिस्टम इंटेल, हालैण्ड	शुद्धिकरण मशीनरी
4.	सी०डब्ल्यू०हैण्डेल एण्ड डाइन्स्टेलिसटंग एण्ड मेगु कनसल्टिंग, जर्मनी	शुद्धिकरण यूनिट
5.	मै० लिंडे ए०जी० प० जर्मनी	अपशिष्ट जल शुद्धिकारक प्रणाली
6.	मै० ऑल क्लियर वाटर सर्विसेज, लिमिटेड, यू०के०	अपशिष्ट जल नियंत्रण संयंत्र

क्र०सं०	सहयोगी तथा देश का नाम	उत्पाद
7.	इम्पीरियल मैकेनिकल इण्डस्ट्रीज, यू०के०	अपशिष्ट जल नियंत्रण संयंत्र
8.	मै० लेण्डिस एण्ड गि० इनर्जी मैनेजमैंट कारपोरेशन, स्विटजरलैंड	हाउस सर्विस मीटर

उड़ीसा में "नैल्को" के सहायक एकक

1802. **श्री के० पी० सिंह देव:** क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा में नैल्को के सम्बद्ध व सहायक एककों की स्थापना करने के लिए कदम उठाये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में निजी क्षेत्र से क्या प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं; और

(घ) उन प्रस्तावों को स्वीकृति देने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव): (क) से (घ) नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लि० (नैल्को) का अपने विस्तार कार्यक्रम के एक हिस्से के रूप में 36,000 टन वार्षिक एल्यूमिनियम रोल्ड उत्पादों का उत्पादन करने के लिए प्रोजेक्ट लगाने का प्रस्ताव है। मैसर्स मुकुंद लि०, बम्बई की भी नैल्को के अंगुल स्थित स्मैल्टर से तप्त तरल एल्यूमिनियम धातु पर आधारित 48,000 टन वार्षिक क्षमता की एल्यूमिनियम रोल्ड उत्पाद परियोजना लगाने की योजना है।

नाल्को ने सहायक यूनिटों की स्थापना के बारे में उड़ीसा सरकार के साथ परामर्श किया है। तथापि, अभी अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

[हिन्दी]

बिहार में प्रधान डाकघर

1803. **श्री साईमन मरांडी:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार में किन-किन जिला मुख्यालयों में अब तक प्रधान डाकघर नहीं खोले गए हैं;

(ख) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गये हैं; और

(ग) साहिबगंज और अन्य जिला मुख्यालयों में कब तक प्रधान डाकघर खोले जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू): (क) से (ग) मौजूदा नियमों के अनुसार, सर्किल अध्यक्ष के मुख्यालय में किसी राजपत्रित पोस्टमास्टर के प्रभार अधीन प्रथम श्रेणी के प्रधान डाकघर को जनरल पोस्ट ऑफिस कहा जाता है। बिहार में, पटना जो कि पोस्टमास्टर जनरल बिहार सर्किल का मुख्यालय है, वहां एक जनरल पोस्ट ऑफिस पहले से ही है। नियमानुसार, साहिबगंज और अन्य जिला मुख्यालयों में किसी अतिरिक्त जनरल पोस्ट ऑफिस की कोई गुंजाइश नहीं है।

उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में डाक और टेलीफोन सुविधाएं

1804. **श्री राजवीर सिंह:** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्ष के दौरान अब तक उत्तर प्रदेश के प्रत्येक ग्राम पंचायत में किन-किन स्थानों पर डाकघर और टेलीफोन मुहैया कराए गए हैं; और

(ख) वर्ष 1992-93 के दौरान किन-किन स्थानों पर उक्त सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू): (क) और (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

चूना-पत्थर की खानों का खरीदा जाना

1805. **श्री के० पी० रेड्डय्या यादव:** क्या **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में सीमेंट कंपनियों में किसानों से चूना-पत्थर की खानों को सस्ती दरों पर खरीद लिया है;

(ख) क्या खरीदी गयी भूमि कम्पनियों की आवश्यकता से कहीं अधिक है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार अतिरिक्त भूमि किसानों को वापस देने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि नहीं, तो क्या इन किसानों को मुआवजा देने का विचार है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव): (क) से (ङ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

अजन्ता और एलोरा के निकटवर्ती क्षेत्रों का विकास

1806. **श्री मृत्युंजय नायक:** क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस बीच जापान की वित्तीय सहायता से अजन्ता और एलोरा के निकटवर्ती क्षेत्रों का विकास कार्य शुरू किया गया है;

(ख) क्या इस योजना की अनुमानित लागत में वृद्धि होने की संभावना है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार जापान से अधिक वित्तीय सहायता मांगने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया): (क) से (घ) महाराष्ट्र में अजंता और एलोरा क्षेत्र के संरक्षण और विकास के लिए वित्तीय सहायता हेतु भारत सरकार और जापान सरकार के विदेशी आर्थिक सहयोग कोष द्वारा 9 जनवरी, 1992 को एक ऋण करार पर हस्ताक्षर किए गए थे। 4406 मिलियन जापानी येन की कुल परियोजना लागत में से विदेशी आर्थिक सहयोग कोष इस परियोजना के लिए 3745 मिलियन जापानी येन की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएगा। इस परियोजना पर कार्य शुरू किया जा चुका है।

[अनुवाद]

कैपरोलैक्टम का उत्पादन

1807. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी:**
श्री शंकर सिंह वाघेला:

क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का विचार कैपरोलैक्टम (नाइलॉन इन्टरमीडियेट) का उत्पादन करने के लिए संयुक्त उद्यम स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह कहां स्थापित किया जायेगा;

(ग) देश में कैपरोलैक्टम की खपत और अनुमानित मांग कितनी-कितनी है; और

(घ) इस सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव): (क) जी, हां।

(ख) सेल से उपलब्ध बेंजीन के आधार पर बिहार में एक कैपरोलैक्टम परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए 1987 में बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और श्रीराम फाइबर्स लिमिटेड ने एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। तदुपरान्त कैमिकल एण्ड फर्टिलाइजर कारपोरेशन (बिहार) लिमिटेड नामक एक संयुक्त उद्यम कम्पनी बनी। कम्पनी का 50,000 टन प्रति वर्ष क्षमता की कैपरोलैक्टम परियोजना को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है।

(ग) कैपरोलैक्टम का उपयोग नायलोन फिलामेन्ट यार्न और नायलोन टायर कॉर्ड के उत्पादन में किया जाता है। वर्ष 1994-95 में उक्त उत्पादन की मांग 1,91,000 टन आंकी गयी है जो वर्ष 1999-2000 में लगभग, 3,00,000 टन तक बढ़ सकती है।

(घ) परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम को आशय-पत्र जारी किया गया है और तकनीकी-आर्थिक शक्यता रिपोर्ट तैयार करना तथा इसके उत्पाद के लिए बाजार सर्वेक्षण जैसे प्रारम्भिक कार्य पूरे हो गए हैं। हाल में आर्थिक परिदृश्य में हुए परिवर्तन के कारण परियोजना की कार्य व्यवहार्यता का पता लगाने के लिए समीक्षा की जा रही है।

[हिन्दी]

वाराणसी में हवाई अड्डे का विकास

1808. **श्री आनन्द रत्न मौर्य:** क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वाराणसी में हवाई अड्डे के विकास के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं;

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान इस पर कितनी धन-राशि खर्च की गई; और

(ग) वर्ष 1992-93 के दौरान इस हवाई अड्डे पर विमान सेवाएं तथा सुविधाएं बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया): (क) वाराणसी में धावनपथ को 7100 फुट तक बढ़ाया गया है ताकि वहां ए बी-320 प्रकार के विमान उड़ान कर सकें।

(ख) रुपए 404.21 लाख।

(ग) इंडियन एयरलाइन्स की 1992-93 की शरदकालीन समयावलि में वाराणसी से दिल्ली, आगरा, खुजराहो और काठमांडू के लिये विमानक्षमता में वृद्धि करने की योजना है।

[अनुवाद]

सी-डॉट एक्सचेंजों का निर्माण

1809. **श्री संदीपान भगवान घोरात:** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सी-डॉट तकनीक पर आधारित टेलिफोन एक्सचेंजों का बड़े पैमाने पर निर्माण करने का कोई प्रस्ताव स्वीकृति हेतु लंबित पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक स्वीकृति दे दी जायेगी;

(ग) आठवीं योजना में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पृथक-पृथक, विशेष रूप से महाराष्ट्र में, टेलीफोन एक्सचेंजों की कुल कितनी मांग होने का अनुमान है; और

(घ) मांग को पूरा करने हेतु क्या कार्यवाही करने का विचार है?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू): (क) जी नहीं।

(ख) उपर्युक्त "क" को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) 8वीं योजना अवधि (1992-97) के दौरान महाराष्ट्र दूरसंचार सर्किल सहित देश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए नए टेलीफोन कनेक्शनों हेतु दर्शाई गई कुल मांग क्रमशः 72.03 लाख और 6.53 लाख है। एक्सचेंजों की संख्या मांग और उनकी अवस्थिति पर निर्भर करती है।

(घ) टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने के लिए प्रस्तावित उपायों में निम्नलिखित उपाय शामिल हैं:

(I) टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतिक्षा अवधि दो वर्ष से अधिक न हो।

(II) ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में व्यवहारिक रूप से मांग होने पर टेलीफोन कनेक्शन।

तदनुसार, महाराष्ट्र के लिए उपस्कर उपलब्ध कराने की योजना बनाई गई है।

उड़ीसा मे बाढ़ संरक्षण परियोजनाएं

1810. **डा० कार्तिकेश्वर पात्र:** क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने उड़ीसा के बालासोर जिले में कंसबेसा नदी पर बाढ़ संरक्षण संबंधी परियोजना केन्द्र सरकार की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो परियोजना की कुल अनुमानित लागत क्या है;

(ग) इसका लाभ कुल कितने एकड़ भू-क्षेत्र को होगा; और

(घ) परियोजना को स्वीकृति कब तक दिये जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

मेजिया ताप विद्युत संयंत्र

1811. **श्री हाराधन राय:** क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मेजिया ताप विद्युत संयंत्र के निर्माण कार्य को कब तक पूरा किये जाने का समय निर्धारित किया गया था;

(ख) निर्धारित समय पर कार्य पूरा न होने के क्या कारण हैं;

(ग) इस परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है; और

(घ) इससे कितनी मात्रा में विद्युत उत्पादन होगा और इस विद्युत संयंत्र से सप्लाई की गई बिजली से प० बंगाल का कितना क्षेत्र लाभान्वित होगा?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय): (क) मेजिया ताप विद्युत परियोजना के यूनिट-1, 2 व 3 को मूलतः क्रमशः 3/91, 12/91 तथा 9/92 तक चालू किए जाने का कार्यक्रम था।

(ख) निम्न कारणवश इनको चालू किए जाने में मुख्य रूप से विलम्ब हुआ है:—

(1) बायलर व जेनरेटर के डिजाइन में विलम्ब

(2) सी एण्ड आई के लिए आर्डर देने में विलम्ब

(3) बायलर उत्थापन और विद्युत घर (पीए०एच०) भवन का निर्माण कार्य आरम्भ करने में विलम्ब

(4) कार्य स्थल पर श्रमिक समस्या

(5) सिविल कार्यों की गति धीमी होना

(6) टर्बोजिनरेट कक्ष (टी०जी० हाल)/डेक तथा इलैक्ट्रिक आपरेटिड ट्राली (ई०ओ०टी०) क्रेन को तैयार करने में विलम्ब

(7) चौहद्दी दीवार को पूरा करने में विलम्ब

(8) विधिक समस्याओं के कारण स्टेक के रीआडरिंग की वजह से विलम्ब।

(ग) परियोजना की अद्यतन अनुमानित लागत 1275 करोड़ रुपये है।

(घ) परियोजना के पूरा हो जाने पर इसकी अधिष्ठापित क्षमता 630 मेगावाट होगी।

राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड

1812. **श्री रवि राय:** क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय विद्युत पारेषण आयोग निगम (दि नेशनल पावर ट्रांसमिशन कमीशन कारपोरेशन) ने आगामी पांच वर्षों में क्षेत्रीय विद्युत ग्रिडों को प्रस्तावित राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड के साथ जोड़ने के लिए बड़ी धनराशि व्यय करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय): (क) और (ख) राष्ट्रीय विद्युत पारेषण निगम (नेशनल पॉवर ट्रांसमिशन कारपोरेशन) ने अगले पांच वर्षों के दौरान कई अन्तःक्षेत्रीय पारेषण परियोजनाओं का निर्माण करने की योजना बनाई है तथा इन परियोजनाओं के लिए आठवीं योजनावधि के दौरान 1,778 करोड़ रुपये का आबंटन किये जाने का प्रस्ताव किया है।

आदर्श हवाई अड्डों का विकास

1814. **श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति:**
श्री डी० वेंकटेश्वर राव:
श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद:

क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार आदर्श हवाई अड्डों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो इनकी प्रमुख विशेषताओं सहित उनका ब्यौरा क्या है और वे कहां-कहां पर स्थापित किये जायेंगे; और

(ग) इन्हें कब तक स्थापित किये जाने की संभावना है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया): (क) से (ग) बारह हवाई अड्डे को "माडल हवाई अड्डों के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव है, ये हवाई अड्डे हैं, जयपुर, लखनऊ, नागपुर, इन्दौर, बडौदरा, हैदराबाद, कोयम्बतूर, कालीकट, पटना, भुवनेश्वर, गुवाहाटी और इम्फाल। आधुनिकीकरण कार्यक्रम में टर्मिनल भवन का निर्माण विस्तार, जहां कही संभव हो सके धावनपथ का 7500 फुट तक विस्तार और आधुनिक अवतरण सुविधाओं तथा अन्य परिचालनात्मक आधारभूत सुविधाओं की व्यवस्था करना शामिल है। कार्य के 1994 तक पूरा हो जाने की आशा है।

भू-जल उपयोग की नई प्रौद्योगिकी

1815. **श्री दत्तात्रेय बंडारू:**
श्रीमती दीपिका एच० टोपीवाला:

क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विशेषज्ञों ने भू-जल का सिंचाई के लिए उपयोग करने और देश में जलप्लावन तथा लवणता की समस्या के सामाधान हेतु नई प्रौद्योगिकी विकसित की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) और (ख) सिंचाई प्रयोजनों के लिए भू-जल पुनरुद्धार के वास्ते जल जमाव वाले प्रवण क्षेत्रों में भू-जल के संयुक्त प्रयोग का प्रचार किया जा रहा है। इसके अलावा, जल जमाव और लवणता की समस्या हल करने के लिए नहर प्रणालियों के कमानों में अपनाये जा रहे उपायों में कुशल जल प्रबन्ध और किसानों को शिक्षा और प्रशिक्षण के जरिए प्रभावी जल निकास प्रणाली जैसी पद्धतियां हैं।

कच्चे लोहे का उत्पादन

1816. **श्री हरि सिंह चावड़ा:** क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कच्चे लोहे का कितना उत्पादन होता है;

(ख) गुजरात में ढलाई कारखाने तथा अन्य एककों की कच्चे लोहे की अनुमानतः कितनी मांग है;

(ग) क्या कच्चे लोहे की कम सप्लाई के कारण इन एककों को संकट का सामना करना पड़ रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इन्हें पर्याप्त मात्रा में कच्चा लोहा उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव): (क) वर्ष 1991-92 के दौरान 15.9 लाख टन कच्चे लोहे का उत्पादन हुआ।

(ख) मांग का अनुमान अखिल भारतीय आधार पर लगाया जाता है न कि अलग-अलग राज्यों के आधार पर।

(ग) और (घ) देश में आमतौर पर कच्चे लोहे की कमी है। 1991-92 में 19.2 लाख टन की कुल अनुमानित मांग की तुलना में 15.9 लाख टन का उत्पादन हुआ। कच्चा लोहा निर्बाध रूप से आयात किया जा सकता है ताकि कच्चे लोहे के प्रयोक्ता उद्योग अपनी सम्पूर्ण आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। 16 जनवरी, 1992 से कच्चे लोहे पर से आयात शुल्क 55% से घटाकर 35% कर दिया गया है। सरकार ने निजी क्षेत्र में भी कच्चे लोहे के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए कदम उठाए हैं।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में टेलीफोन केबल

1817. **डा० लाल बहादुर रावत**: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1990-91 और 1991-92 के दौरान उत्तर प्रदेश में टेलीफोन के केबिलों के लिए भूमिगत पाइप लाइन बिछाने का काम शुरू किया था; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक जिले में कितनी प्रगति हुई है?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू): (क) जी हां।

(ख) 1990-91 और 1991-92 के दौरान चार टेलीफोन जिलों में रूट कि०मी० में टेलीफोन केबिलों (डक्ट) के लिए पूरी की गई भूमिगत पाइप लाइनें इस प्रकार हैं:-

		वर्ष 1990-91	वर्ष 1991-92
1.	आगरा	5.787	5.117
2.	मेरठ	0.800	—
3.	लखनऊ	0.270	—
4.	कानपुर	5.070	9.080
	योग:	11.927	14.197

[अनुवाद]

सरदार सरोवर बांध परियोजना

1818. प्रो॰ केन्थी॰ थामस:
श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह:
श्री राम नाईक:

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक ने सरदार सरोवर बांध परियोजना के निर्माण की समीक्षा करने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की या प्रतिक्रिया है;

(ग) परियोजना के निर्माण में अब तक क्या प्रगति की गयी है;

(घ) इस पर अब तक कितना व्यय किया गया है;

(ङ) इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत क्या है;

(च) परियोजना का वित्तपोषण कर रही एजेंसियों का ब्यौरा क्या है; और

(छ) परियोजना को निर्धारित समय में पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का प्रस्ताव है?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) जी हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जून, 1992 तक सरदार सरोवर परियोजना के निर्माण में की गयी प्रगति विवरण पर संलग्न है।

(घ) और (ङ) मई, 1992 के अन्त तक परियोजना पर आया व्यय 6406.04 करोड़ रुपए की कुल अनुमानित (1987) लागत के मुकाबले 1949.84 करोड़ रुपए है।

(च) यूनिट-I (बांध और विद्युत घर) तथा यूनिट-III (विद्युत घर और संचार प्रणाली) की लागत 16:57:27 के अनुपात में गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य सरकारों द्वारा बांटी जा रही है तथा यूनिट-II (नहर) की लागत 18:1 के अनुपात में गुजरात और राजस्थान राज्य सरकारों द्वारा बांटी जा रही है। इस परियोजना के लिए बाह्य सहायता अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ (आई डी ए) और अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक (आई बी आर डी) से प्राप्त हो रही है। कुछ सहायता ओ ई सी एफ, जापान से भी प्राप्त हुई थी।

(छ) इस परियोजना के निर्माण का प्रबोधन सरदार सरोवर निर्माण सलाहकार समिति द्वारा किया जा रहा है। पुनर्वास एवं पुर्नस्थापना पहलुओं तथा पर्यावर्णिक सुरक्षा उपायों के क्रियान्वयन का प्रबोधन नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है।

विवरण

यूनिट-I (बांध और संबंधित कार्य)

मुख्य बांध:

कार्य का विवरण	यूनिट	कुल अनुमानित मात्रा	जून, 1992 तक प्रगति	पूरा होने का प्रतिशत
1	2	3	4	5
(1) कंक्रीटिंग	एल सी एस	68.20	26.53	38%
(2) ड्रिलिंग और ग्राउटिंग	एल सी एस	2.82	2.09	74.11
(3) खुदाई	एल सी एस	60.78	46.67	76.79
यूनिट-III (जल विद्युत)				
(क) नदी तल विद्युत घर:		13.48	13.24	98.22
(1) खुली खुदाई	(14.731 संशोधित)			(89.85)
(2) भूमिगत खुदाई	एल सी एम	5.22 (5.69 संशोधित)	4.0	76.63 (70.59)
(3) पेनस्टाक का फेब्रिकेशन और इरेक्शन				
(क) इरेक्शन	एम टी	4711	401.93	88.53
(ख) फेब्रिकेशन	एम टी	4711	4422.77	93.88
(4) डी टी द्वारा				
(क) इरेक्शन	एम टी	1500	——	——
(ख) फेब्रिकेशन	एम टी	1500	290.56	19.37
(ख) नहर शीर्ष विद्युत घर;				
(1) कंक्रीटिंग	एल सी एम	1.09	0.70	64.46
(2) पेनस्टाक का फेब्रिकेशन और इरेक्शन				
(क) फेब्रिकेशन	एम टी	995	913	91.76
(ख) इरेक्शन	एम टी	995	787	79.10
(3) विविध द्वार:				
(क) फेब्रिकेशन	एम टी	1200	761.92	63.49
(ख) इरेक्शन	एस टी	1200	50.09	4.17
यूनिट-II (मुख्य नहर) (0 से 144 किलोमीटर तक) और संरचनाएं:				
(1) मिट्टी कार्य	एल सी एम	695.35	561.45	80.74
(2) पक्का करना	एल एस एम	154.54	58.09	38.11
(3) कंक्रीट संरचना	एल सी एस	20.82	7.50	36.02

1	2	3	4	5	
समूह-IV (संरचनाओं सहित शाखाएं और मिले):					
(1)	मिट्टी कार्य	एल सी एम	317.56	108.67	34.22
(2)	पक्का करना (ईंट और कंक्रीट)	एल एस एम	86.43	12.77	14.77
(3)	संरचनाएं	टी एच सी एम	352.64	124.83	35.04

(टिप्पण: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े संशोधित हैं)

अपर लैग्थ एण्ड लोअर सकतल सिंचाई परियोजना, उड़ीसा

1819. **श्री शरतचन्द्र पटनायक:** क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को उड़ीसा की अपर लैग्थ एण्ड लोअर सकतल सिंचाई परियोजनाओं के लिए सहायता देने हेतु राज्य सरकार का कोई प्रस्ताव मिला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इन परियोजनाओं को आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किये जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) से (ग) राज्य सरकार ने आठवीं योजना के दौरान लोअर सकतल सिंचाई परियोजना के लिए 30 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रस्ताव किया है। हालांकि कार्यकारी दल ने इस राशि को आठवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल करने की सिफारिश की है, लेकिन वर्ष 1992-93 के लिए कोई परिव्यय नहीं रखा गया है क्योंकि परियोजना अनुमोदित नहीं की गई है। राज्य सरकार द्वारा अपर लैग्थ सिंचाई परियोजना को आठवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल नहीं किया गया है।

दिल्ली में टेलीफोन के बिल

1820. **श्री लाल बाबू राय:**
श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा:

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) टेलीफोन लगाने के उपरांत शुरू में कितने समय के अंतराल के बाद उपभोक्ताओं को पहली बार टेलीफोन बिल भेजे जाते हैं और उसके बाद कितने समय के अंतराल के बाद भेजे जाते हैं;

(ख) उपभोक्ताओं को समय पर बिल भेजने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है;

(ग) क्या सरकार को गत छः महीनों के दौरान दिल्ली में टेलीफोन के अत्याधिक बढ़े हुए बिलों के बारे में शिकायतें मिली हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी०वी० रंगय्या नायडू): (क) सामान्यतः शुरू में टेलीफोन लगने के उपरांत 4 से 6 महीने के भीतर उपभोक्ताओं को टेलीफोन बिल जारी कर दिए जाते हैं और उसके बाद उपभोक्ताओं को द्वैमासिक आधार पर बिल जारी किए जाते हैं।

(ख) प्रत्येक महीने में पूर्व-निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार टेलीफोन बिल तैयार किए जाते हैं और उपभोक्ताओं को भेज दिए जाते हैं। बिलों को समय से भेजा जाए यह सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक स्तर पर प्रभावी ढंग से मॉनीटरी की जाती है।

(ग) जी हां।

(घ) जनवरी, 1992 से जून, 1992 तक की अवधि के दौरान जारी किए गए कुल 16,38,293 बिलों में से 5124 बिल ऐसे पाए गए जिनमें उपभोक्ताओं द्वारा अधिक राशि का बिल बनाने की शिकायत की गई थी।

(ङ) (i) शिकायत प्राप्त होने पर पिछली 6 द्वैमासिक अवधि के दौरान दर्ज की गई कॉलों की संख्या के संदर्भ में उपभोक्ताओं के कॉल करने की पद्धति की जांच की जाती है।

(ii) जिन मामलों में स्थानीय काल प्रभार पिछले 6 द्वैमासिक बिलों के स्थानीय काल प्रभारों की तुलना में दुगने से भी अधिक पाए जाते हैं, उनमें शिकायत की जांच की कार्रवाई को लंबित रखकर भुगतान के लिए उपभोक्ता को पिछले 6 महीनों की औसत कॉलों के बिल और उसमें 10% जोड़कर खंडित (अंनतिम) बिल जारी किए जाते हैं।

(iii) सभी शिकायतों को सभी पहलुओं से पूरी तरह से जांच की जाती है और जब कभी आवश्यक होता है उपभोक्ताओं के साथ व्यक्तिगत रूप से बातचीत की जाती है।

(iv) एक्सचेंज उपस्कर तथा बाह्य संयंत्र की जांच की जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनमें तकनीकी रूप से कोई दोष तो नहीं है।

[अनुवाद]

सुन्दरवन क्षेत्र में द्वीपों का भूमि कटाव

1821. **श्री राधिका रंजन प्रमाणिक:** क्या **जल-संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार ने पश्चिम बंगाल के घोरमारा, सागर, मौसमी तथा सुन्दरवन क्षेत्र के अन्य निकटवर्ती द्वीपों के भूमि कटाव को रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं;

(ख) इस प्रयोजनार्थ कितना धनाबंटन किया गया है और इस पर पहले ही कितना व्यय किया जा चुका है; और

(ग) इस संबंध में भावी कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है?

जल-संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) से (ग) राज्य सरकार ने द्वीपों और अन्य प्रभावित क्षेत्रों का कटाव रोकने के लिए मार्च, 92 तक लगभग 14 करोड़ रुपए की लागत के कार्य किये हैं। सुन्दरवन और तटीय क्षेत्रों में मुहानों की सुरक्षा के लिए उनके द्वारा एक स्कीम भी तैयार की गयी है।

इसके अतिरिक्त, कलकत्ता पत्तन न्यास ने हुगली नदी में नदी नियंत्रण कार्य शुरू किए हैं जिससे गोरामारा और निकटवर्ती द्वीपों का कटाव होना रुक गया है। मौसुमी तथा सागर द्वीपों के किनारे पर चैनल क्रीक में कलकत्ता पत्तन न्यास द्वारा व्यापक सर्वेक्षण भी किए गये हैं ताकि उपयुक्त किए जा सकें।

राज्य की वार्षिक योजन (1992-93) में कटावरोधी कार्यों के लिए परिव्यय 6.4 करोड़ रुपए है तथा 8वीं योजन प्रारूप के लिए 37.91 करोड़ रुपए है। राज्य सरकार द्वारा तैयार की गयी इस स्कीम में नाजुक पहुंचों की सुरक्षा के लिए 180 किलोमीटर लम्बे तटबंध के निर्माण की परिकल्पना की गयी है।

मध्य प्रदेश में लम्बित पड़ी सिंचाई परियोजनाएं

1822. **श्री बन्दूलाल बन्द्राकर:**
श्री आनन्द अहिरवार:

क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने मध्य प्रदेश की चालू सिंचाई परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करने के लिए कोई दल भेजा है;

(ख) क्या उक्त दल ने अपनी रिपोर्ट दे दी है;

(ग) यदि हां, तो इस रिपोर्ट में क्या-क्या मुख्य सिफारिशें हैं; और

(घ) सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की है?

जल-संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

नये विमान मार्ग

1823. **श्रीमती दीपिका एच टोपीवाला:** क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स का देश में कुछ नये मार्गों पर उड़ानें शुरू करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) नवम्बर, 1992 से प्रभावी अपनी शरदकालीन समयावलि में, इंडियन एयरलाइन्स की बम्बई-औरंगाबाद-भोपाल-खजुराहो और वापसी मार्ग पर सप्ताह में तीन बार की बी-737 सेवा आरंभ करने की योजनाएं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

मंगलौर सुपर ताप विद्युत संयंत्र

1824. **श्री जी० मांडेगौडा:**
श्री वी० धनंजय कुमार:
श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मंगलौर सुपर ताप विद्युत संयंत्र का निर्माण कार्य इस समय किस चरण में है;

(ख) क्या रूस इस परियोजना के लिए सहायता देने पर सहमत नहीं हुआ है;

(ग) केन्द्रीय सरकार का इस परियोजना के वित्त पोषण के लिए क्या वैकल्पिक प्रबंध करने का विचार है;

(घ) क्या कर्नाटक सरकार ने एक निजी अमरीकी कम्पनी से वित्तीय सहायता लेने संबंधी कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति के लिए भेजा;

(ङ) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(च) इस परियोजना से बिजली का कितना उत्पादन होगा और इस बिजली में कर्नाटक सरकार का कितना हिस्सा होगा; और

(छ) इस संयंत्र के कब तक चालू हो जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय): (क) मंगलौर सुपर ताप विद्युत परियोजना को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एम०ओ०ई०एफ०) द्वारा कुछेक शर्तों के अधीन पर्यावरण की दृष्टि से स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। चूंकि इनमें से कुछ शर्तों को राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) द्वारा क्रियान्वित किया जाना एक कठिन कार्य है इसलिये पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एम०ओ०ई०एफ०) से इन शर्तों की समीक्षा किए जाने के लिए अनुरोध किया गया है तथापि, प्रारम्भिक आधारभूत कार्य को हाथ में ले लिया गया है।

(ख) रूस फेडरेशन सरकार इस परियोजना के लिए तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए तैयार है। सहायता की मात्रा एवं शर्तों के बारे में आपसी रूप से समझौता किया जायेगा।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी हां, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) प्रथम चरण में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) की परियोजना की अधिष्ठापित क्षमता 420 मेगावाट होगी। केन्द्रीय ताप विद्युत परियोजनाओं के लिए विद्युत आबंटन से सम्बन्धित केन्द्रीय फार्मूले के अनुसार इस परियोजना से उत्पादित विद्युत को दक्षिणी क्षेत्र के राज्यों को सप्लाई किया जायेगा।

(छ) मुख्य संयंत्र उपस्कर के लिए ठेका दिए जाने की तारीख से 210 मेगावाट के प्रथम यूनिट को चार वर्ष के अन्दर और तदुपरान्त दूसरे यूनिट (210 मेगावाट) को छः महीने में चालू किए जाने का कार्यक्रम है।

[अनुवाद]

संसद सदस्यों के पत्रों के उत्तर

1825. **श्री छेदी पासवान:** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले छः महीनों के दौरान उन्हें संसद सदस्यों से कितने पत्र मिले हैं;

(ख) इनमें से कितने पत्रों की प्राप्ति-स्वीकृति इनकी प्राप्ति के पन्द्रह दिनों के भीतर भेज दी गई थी और उनमें से कितने पत्रों के अन्तिम उत्तर अभी तक नहीं भेजे गए हैं;

(ग) पन्द्रह दिनों के भीतर प्राप्ति-स्वीकृति और तीन महीने के भीतर अन्तिम उत्तर न भेजने के क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू): (क) पिछले छः महीनों के दौरान संचार राज्य मंत्री और संचार उप मंत्री को 4740 पत्र प्राप्त हुए। इनमें वे पत्र शामिल नहीं हैं जो बिना बारी के आधार पर टेलीफोन / पीसीओ मंजूर करवाने के लिए संसद सदस्यों से प्राप्त हुए हैं।

(ख) 4535 पत्रों की पावती, उनके प्राप्त होने के पन्द्रह दिनों के भीतर भेज दी गई। 2871 मामलों में अंतिम उत्तर अभी जारी नहीं किये गये हैं।

(ग) शेष पत्रों की पावती इसलिए नहीं भेजी गई क्योंकि वे संसद सदस्यों ने स्वयं आकार संचार राज्य मंत्री

जी को दिये थे। संबंधित सर्किलों / एजेंसियों से संसद सदस्यों को अंतिम उत्तर देने के लिए, रिपोर्टें अभी प्राप्त नहीं हुई हैं।

(घ) अंतिम उत्तर भेजने के लिए संबंधित सर्किलों / एजेंसियों से सूचनाएं एकत्रित करने के हर संभव प्रयास किये जा रहे हैं।

दूरदर्शन और फिल्म इंस्टीट्यूट के छात्रों द्वारा दूरदर्शन धारावाहिक

1826. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री:** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरदर्शन और फिल्म इंस्टीट्यूट पुणे के छात्रों द्वारा प्रस्तुत दूरदर्शन धारावाहिक स्वीकृत हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इन्हें कब तक स्वीकृति दिये जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास): (क) से (ग) चूंकि, दूरदर्शन द्वारा धारावाहिकों और विभिन्न कार्यक्रमों का प्रस्ताव करने वाले निर्माताओं का ब्यौरा केन्द्रीय रूप से एक स्थान पर संकलित नहीं किया जाता, अतः अपेक्षित सूचना सम्बद्ध प्रस्तावों के विशिष्ट विवरण उपलब्ध कराए जाने पर ही दी जा सकती है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश के ग्राम पंचायतों में डाकघर

1827. **श्री रामेश्वर पाटीदार:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश में कितनी ग्राम पंचायतों में डाकघर उपलब्ध नहीं है; और

(ख) उपरोक्त सुविधा कब तक उपलब्ध करा दी जाएगी?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू): (क) 31.3.91 की स्थिति के अनुसार, मध्य प्रदेश में ऐसी 13125 ग्राम पंचायतें हैं, जिनमें डाकघर नहीं है।

(ख) मध्य प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में डाकघर खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, आगामी वार्षिक योजनाओं के दौरान प्राप्त अनुरोधों / प्रस्तावों और निर्धारित मानदंडों के अनुसार औचित्य के आधार पर तथा निधि उपलब्ध होने पर नये डाकघर खोले जा रहे हैं।

वनसागर परियोजना संबंधी समिति

1828. **डा० महादीपक सिंह शाक्य:**
श्री नीतिश कुमार:

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 17 मई, 1992 के "स्टेट्समैन" में बिहार और उत्तर प्रदेश की सरकारों के मध्य हुए वनसागर समझौते के संबंध में प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) क्या सरकार ने इस द्विपक्षीय जल विवाद के निपटारे हेतु समिति का गठन कर दिया है;

(ग) यदि हां, तो कब और इस समिति के अधिकार क्षेत्र का ब्यौरा क्या है; और

(घ) समिति को अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत करनी है?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) संचित स्तर की 14.5.1992 को आयोजित पुनरीक्षा

बैठक में, वनसागर और रिहन्द जलाश्यों के लिए क्रमशः वर्ष 1973 तथा वर्ष 1976 के करारों के अनुसार, संयुक्त प्रचालन समितियां गठित करने का निर्णय लिया गया है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

ताप विद्युत संयंत्रों का कार्य निष्पादन

1829. **श्री हरिकेवल प्रसाद:**
श्री काशी राम राणा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ताप विद्युत संयंत्रों के सही ढंग से कार्य न कर पाने के कारण इन संयंत्रों के विद्युत उत्पादन लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ताप विद्युत संयंत्रों का सुचारू रूप से कार्यकरण सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय): (क) और (ख) वर्ष 1991-92 के दौरान कुल विद्युत उत्पादन लक्ष्य से 1.1% अधिक था। तथापि इस अवधि के दौरान, ताप विद्युत उत्पादन निर्धारित कार्यक्रम से 1.5% कम था। ताप विद्युत उत्पादन यूनिटों का कार्य निष्पादन, यूनिट की कार्य अवधि, कोयले की गुणवत्ता प्रणालीगत भार संबंधी परिस्थितियों, राज्य / क्षेत्र में जल-तापीय सम्मिश्रण, योजनाबद्ध रख रखाव तथा यूनिटों की जबरन बन्दी और पोषण संबंधी समस्याओं पर निर्भर करता है।

(ग) अधिष्ठापित क्षमता का इष्टतम समुपयोजन किए जाने के लिए किए जा रहे विभिन्न उपायों में ये शामिल हैं:—

(1) पुराने यूनिटों का नवीकरण तथा आधुनिकीकरण करना

(2) संयंत्र सुधार कार्यक्रम को निष्पादित करने के लिए बिजली बोर्डों को सहायता प्रदान करना

(3) अपेक्षित गुणवत्ता वाले कोयले की अपेक्षित मात्रा में सप्लाई करना

(4) प्रचालन एवं अनुरक्षण कार्य में लगे कार्मिकों को प्रशिक्षित करना

(5) पारेषण एवं वितरण प्रणाली को सशक्त बनाना।

[अनुवाद]

दिल्ली में बिजली की स्थिति

1830. **श्री ताराचन्द खण्डेलवाल:** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जून, 1992 के दौरान दिल्ली में बिजली की स्थिति बहुत खराब रही है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का विचार है;

(ग) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा उप-संप्रेषक लाइनें चालू करने के क्या कारण हैं; और

(घ) इन्हें कब तक पूरा कर दिया जाएगा?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय): (क) से (घ) जून, 1992 के दौरान दिल्ली में

विद्युत आपूर्ति की स्थिति कुल मिलाकर संतोषजनक थी। 945 मिलियन यूनिट विद्युत की आवश्यकता की अपेक्षा 935 मिलियन यूनिट विद्युत उपलब्ध थी। 1% की सीमान्त कमी को उपयुक्त भार प्रबन्ध और उद्योगों पर व्यस्ततमकालीन प्रतिबंध लगा कर पूरा किया गया था। निम्न आवर्तिता और निम्न वोल्टता की परिस्थितियों की अपेक्षा उत्तरी ग्रिड के प्रणालीगत पैरामीटरों को बनाए रखने के लिए, कतिपय अवसरों पर विशेषकर ग्रीष्म ऋतु के दौरान लोड शेडिंग किया जाना अपेक्षित हो जाता है। विद्युत उत्पादन बढ़ाने की योजनाओं के अतिरिक्त डेसू, दिल्ली में बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए विभिन्न वोल्टेज स्तरों पर अपनी पारेषण एवं वितरण प्रणाली का विस्तार कर रहा है और सुदृढ़ बना रहा है। प्रणाली अपेक्षाओं के आधार पर उप-पारेषण लाइनों को चालू करना एक सतत प्रक्रिया है।

[हिन्दी]

बिहार में छोटानागपुर के पर्वतीय और आदिवासी क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाएं

1831. **श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता:** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बिहार में छोटानागपुर और सन्थाल परगना में सिंचाई सुविधाएं बढ़ाने हेतु कोई व्यापक योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस योजना को कब से कार्यान्वित कर दिया जायेगा?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) से (ख) वर्तमान नीति के अनुसार सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना, प्रतिपादन और निष्पादन स्वयं राज्य सरकार द्वारा आपसी प्राथमिकताओं के अनुसार किया जाता है। सिंचाई सुविधाएं बढ़ाने की कोई व्यापक योजना केन्द्र में तैयार नहीं की गयी है। बिहार में सन्थाल परगना और छोटानागपुर में निर्माणाधीन सिंचाई स्कीमों की स्थिति दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

क्र॰ सं॰	परियोजना का नाम	लाभान्वित जिले	अनुमानित लागत	3/92 तक व्यय	1992-93 के लिए कार्य दल द्वारा सिफारिश किया गया परिव्यय	लाभ
1	2	3	4	5	6	7
	क. वृहद परियोजनाएं:					
1.	सुवर्णरेखा बहुप्रयोजनी परियोजना	सिंह भूमि	1428.89	548.35	100.00	209.00
2.	उत्तरी कोयल	पलामू	475.00	337.96	30.00	131.00
3.	औरंगा जलाशय	पलामू	257.00	9.97	3.00	55.40
4.	कोनार व्यपवर्तन	हजारी बाग	225.40	71.56	—	62.80
	ख. मध्यम परियोजनाएं					
1.	बताने	पलामू	34.78	28.05	6.07	8.50
2.	कन्स जलाशय	रांची	18.48	10.94	5.00	3.30
3.	लतरातू	रांची	41.98	36.93	5.06	10.00

1.	2	3	4	5	6	7
4.	धसमनी	रांची	16.88	0.16	—	5.67
5.	झापझरा	सिंह भूमि	24.50	1.95	—	5.50
6.	सोनु	सिंह भूमि	37.46	20.57	5.50	5.34
7.	सुरू	सिंह भूमि	14.86	3.18	—	3.97
8.	नकती जलाशय	सिंह भूमि	16.99	11.11	5.00	2.82
9.	सुरंगी	सिंह भूमि	17.55	9.72	2.50	2.14
10.	सतपोटका	सिंह भूमि	16.10	0.15	—	2.35
11.	भैरव जलाशय	हजारी बाग	25.08	9.06	4.00	4.00
12.	केशो	हजारी बाग	16.83	4.21	2.00	3.80
13.	सलैया जलाशय	हजारी बाग	10.77	0.11	—	4.64
14.	पंचखेरो	हजारी बाग	16.85	6.22	4.50	2.80
15.	कंसजोरे	गुमला	25.75	17.87	7.89	7.04
16.	रामरेखा जलाशय	गुमला	20.14	3.26	1.50	4.39
17.	अपर संख	गुमला	29.22	13.64	4.00	7.11
18.	धन सिंह तोली	गुमला	16.10	10.51	5.59	2.95
19.	कत्री जलाशय	गुमला	28.64	17.68	5.00	5.84
20.	सकरी गली पम्प	सन्थाल परगना	8.14	7.46	0.68	1.90

[अनुवाद]

आंध्र प्रदेश में किराए के भवनों में डाकघरों और टेलीफोन एक्सचेंजों का कार्य करना

1832. **प्रो॰ उम्मरेड्डि वेंकटेस्वरलु:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आंध्र प्रदेश में किराये के मकानों में काम कर रहे डाकघरों और टेलीफोन एक्सचेंजों का जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार उनके लिए उनकी अपनी इमारतें बनवाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन इमारतों का निर्माण कब शुरू किया जायेगा और कब तक पूरा किया जायेगा?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी॰ वी॰ रंगय्या नायडू): (क) अपेक्षित जानकारी संलग्न विवरण-1 में दी गई है।

(ख) **डाक विभाग:** किराए के भवनों में कार्य कर रहे सभी डाकघरों के लिए विभागीय भवन बनाने का विभाग का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, चयनात्मक आधार पर भवन बनाए जाएंगे, बशर्ते कि निधि उपलब्ध हो।

दूरसंचार विभाग: विभागीय नीति के अनुसार, छोटे एक्सचेंज किराए के भवनों में कार्य करते रहेंगे। तथापि 83 स्थानों पर विभागीय टेलीफोन एक्सचेंज भवन बनाने का सरकार का प्रस्ताव है।

(ग) ब्यौरा संलग्न विवरण-2 में दिया गया है।

(घ) **डाक-विभाग:** जहां तक इस समय चल रही भवन परियोजनाओं का संबंध है, इनका निर्माण कार्य प्रगति पर है। जो परियोजनाएं योजना स्तर पर हैं, उनका निर्माण कार्य आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किये जाने की संभावना है।

दूरसंचार विभाग: आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान टेलीफोन एक्सचेंजों के लिए भवनों का निर्माण किए जाने का प्रस्ताव है, बशर्ते कि निधि उपलब्ध हो।

विवरण-1

आंध्र प्रदेश में किराए के भवनों में कार्यकर रहे डाकघरों का जिला-वार विवरण।

क्र० सं०	जिले का नाम	डाकघरों की कुल संख्या
1.	हैदराबाद जिला	177
2.	रंगा रेड्डी जिला	31
3.	अदिलाबाद	54
4.	वारंगल	81
5.	करीमनगर	66
6.	महबूबनगर	57
7.	मेढ़क	81
8.	नालगोंडा	59
9.	निजामाबाद	54
10.	कृष्णा	164
11.	गुंटूर	165
12.	प्रकासम	94
13.	पश्चिम गोदावरी	142
14.	नेल्लूर	87
15.	खम्माम	71
16.	विशाखापटनम	110
17.	पूर्व• गोदावरी	144
18.	श्री काकुलम	65
19.	इफलैनीग्राम	69
20.	अनंतपुर	118
21.	कुड्डपाह	97
22.	कुर्नूल	133
23.	चित्तूर	115
	कुल	2234

किराए के भवनों में कार्य कर रहे टेलीफोन एक्सचेंज

क्रम सं०	जिले का नाम	किराए के भवनों में टेलीफोन एक्सचेंजों की सं०	विभागीय भवनों के निर्माण के लिए प्रस्ताव
1.	अदिलाबाद	37	2
2.	अनंतपुर	103	4
3.	तिरुपति (चित्तूर)	96	5
4.	कुड्डपाह	77	4
5.	पूर्व गोदावरी	96	8
6.	गुंटूर	83	3
7.	करीमनगर	90	3
8.	खम्माम	60	1
9.	कृष्णा	95	7
10.	कुर्नूल	101	3
11.	महबूबनगर	85	3
12.	मेडक	87	3
13.	नालगोंडा	66	0
14.	नेल्लूर	57	3
15.	निजामाबाद	63	0
16.	प्रकासम	84	3
17.	रंगारेड्डी	51	9
18.	श्री काकुलम	39	3
19.	विशाखापटनम	57	8
20.	विजयनगरम्	40	2
21.	वारंगल	55	2
22.	पश्चिम गोदावरी	113	7
	कुल	1635	83

विवरण-2

आंध्र प्रदेश में डाकघर भवनों के निर्माण की परियोजनाओं का ब्यौरा

चालू परियोजनाएं 2

क्रम सं०	परियोजना का नाम	जिले का नाम
1.	कांबुकुर प्रधान डाकघर	नेल्लूर
2.	सुल्लूरपेट डाकघर	नेल्लूर
3.	चन्द्रमौलीनगर डाकघर	गुंटूर
4.	अद्दनगी डाकघर	प्रकासम
5.	एल० बी० कालोनी डाकघर	विशाखापटनम
6.	अवनीगड्डा प्रधान डाकघर	कृष्णा
7.	राजमपेट प्रधान डाकघर	कुड्डपाह
8.	मिरयालगुड्डा प्रधान डाकघर	नालगोंडा
9.	बेगमपेट डाकघर	हैदराबाद

जिन परियोजनाओं के लिए योजना बनाई जा रही है

क्रम सं॰	परियोजना का नाम	जिले का नाम
1.	वेंकटपुरम डाकघर	खम्मम
2.	मुलुगु डाकघर	वारंगल
3.	अचामपेट डाकघर	महबूबनगर
4.	वरधानपेट डाकघर	वारंगल
5.	माइदुकर डाकघर	अनंतपुर
6.	बाद्वेल डाकघर	कुड्डपाह
7.	लक्कीरेड्डियापल्ली डाकघर	कुड्डपाह
8.	येल्लानाचिल्ल डाकघर	विशाखापटनम
9.	सलूर डाकघर	विजयनगरम्
10.	मुम्मीडिवरम्	पूर्व गोदावरी
11.	पट्टाभिपुरम डाकघर	गुंटूर
12.	तुमकु प्रधान डाकघर	पश्चिम गोदावरी
13.	इंडस्ट्रियल एस्टेट (इलूर डाकघर)	पश्चिम गोदावरी
14.	कोल्लूर डाकघर	गुंटूर
15.	आईडीए जीद मेटला डाकघर	रंगारेड्डी
16.	नरसिंहपटनम प्रधान डाकघर	विशाखापटनम
17.	रामचन्द्रपुरम डाकघर	पूर्व गोदावरी
18.	आंध्र विश्वविद्यालय डाकघर	विशाखापटनम
19.	दाबागारडे डाकघर	विशाखापटनम
20.	चिराला प्रधान डाकघर	प्रकासम
21.	बागनपल्ली डाकघर	कुर्नूल
22.	अमरावती डाकघर	नेल्लूर
23.	विजयवाड़ा डाकघर	कृष्णा
24.	कोहिर डाकघर	मेडक
25.	वानपरती प्रधान डाकघर	महबूबनगर
26.	पालमेनेर डाकघर	चित्तूर
27.	बोबिल्ली प्रधान डाकघर	विजयनगरम्
28.	कोवयूर प्रधान डाकघर	पश्चिम गोदावरी
29.	नंदीग्राम डाकघर	कृष्णा
30.	नरसापुर डाकघर	पश्चिम गोदावरी
31.	पटनचेरू डाकघर	मेडक
32.	विकाराबाद प्रधान डाकघर	रंगारेड्डी
33	रीजनल इंजीनियरिंग कालेज पोस्ट आफिस	वारंगल
34.	गांधीनगर डाकघर	कृष्णा
35.	वेंकटगीर टाउन डाकघर	नेल्लूर
	चालू परियोजनाओं की कुल संख्या	9
	1992-93 के दौरान निर्माण के लिए अनुमोदित	35
	कुल	44

आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वर्ष-वार निर्माण के लिए प्रस्तावित टेलीफोन एक्सचेंज भवनों की सूची

क्रम संख्या	स्थान का नाम	क्र० सं०	स्थान का नाम	क्र० सं०	स्थान का नाम
1	2	1	2	1	2
	अदिलाबाद		खम्माम		विशाखापटनम
1.	भाइनसा	30.	अस्वरावपेट	56.	चोदावरम
2.	उतनूर		कृष्णा	57.	नरसीपटनम
	अनंतपुर	31.	अवनीगड्डा	58.	येल्लामंचिली
3.	कादिरी	32.	घल्लापल्ली	59.	गोपालपटनम (आरएलओ)
4.	प्रशांतिनिलयन	33.	कैकलूर	60.	एम०वी० पालम(आरएलओ)
5.	उरवाकोंडा	34.	नंदीग्राम	61.	अनकापल्ली (मैक्स)
6.	कल्याणदुर	35.	पमारू	62.	बालाचेरूवा
	चित्तूर	36.	तिरूवयूर	63.	भीमुनिपट्नम
7.	रेनुगुंटा	37.	पोरंकी		
8.	पकाला	38.	अलगड्डा		विजियानगरम
9.	पुंगनोर	39.	श्रीसैलम्	64.	सालुरू
10.	श्रीकालहस्ती	40.	बेताम ररला	65.	कोटावलसा
					वारंगल
11.	चन्द्रगिरी		महबूबनगर	66.	महबूबाबाद
	कुडप्पाह	41.	वनपार्थी	67.	नारासम्पेट
12.	जमालमदागु	42.	कलवकार्थी		वैस्ट गोदावरी
13.	पुलीवेंडला	43.	आत्मपेट	68.	भीमाडोल
14.	राजमपेट		मेडक	69.	चिंतालापुरी
15.	रायचोटी	44.	बोल्लारम	70	अचेन्टा
	पूर्व गोदावरी	45.	गुम्मादिदला	71	पेनगोंडा
16.	अम्बाजीपेट	46.	रामायणपेट	72.	जंगारेड्डीगुड्डा
				73.	गणपावरम
17.	कोठापेट		नालगोंडा: शून्य	74	वीरावसरम
			नेल्लूर		रंगारेड्डी जिला
18.	पेद्दापुरम	47.	अतामकुर	75	कुकाटपल्ली
19.	दौलाईस्वरम्				
20.	गोल्लालमम्मिदादा	48.	बुचीरेड्डापालेम	76.	शम्शाबाद
21.	रायवरम्	49.	कोवपूर	77.	इब्राहिमपटनम
22.	राजोल		निजामाबाद: शून्य	78.	कोमपल्ली
			प्रकासम		
23.	ततीपका			79.	तुर्कयामजल
	गुंटूर				
24.	बापतला	50.	चिराला	80.	डेण्डीगुल
		51.	मारकपुर		
25.	मचरेला	52.	सिंगरायकोना	81.	नीरखानपेट
			श्रीकाकुलम		
26.	पिदुगुरल्ला	53.	राजम	82.	मियापुर
	करीमनगर				
27.	जगतियाल	54.	सोमपेट	83.	नरसिंगी
28.	मेटपल्ला	55.	टेक्का		
29.	वेमुलवाडा				

लौह अयस्क पर रायल्टी की दर में वृद्धि

1833. श्री एम० वी० वी० एस० मूर्तिः क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष लौह अयस्क पर कितने प्रतिशत और कितनी धन राशि का रायल्टी के रूप में, राज्य-वार भुगतान किया गया;

(ख) क्या लौह अयस्क पर रायल्टी की दर में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव): (क) लौह अयस्क पर रायल्टी राज्य सरकारों द्वारा पट्टा-धारकों से सीधे ही वसूल की जाती है और यह राशि केन्द्र सरकार को नहीं दी जाती है। लौह अयस्क की रायल्टी दरें 1987 में निर्धारित की गई थीं और 17.2.1922 को संशोधित की गई थीं। ये दरें संलग्न विवरण में दी गई हैं। ये दरें असम और प० बंगाल को छोड़कर, जहां पहले की दरें जारी हैं, सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों पर लागू हैं।

(ख) और (ग) जी नहीं। खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 के प्रावधानों के अनुसार यह वृद्धि केवल तीन वर्ष के पश्चात् की जा सकती है।

विवरण

1. 5-5-1987 से लागू रायल्टी दरें

(1) **अयस्क डलेः**

(क) 65% लौह युक्त अथवा उससे अधिक	छः रुपए प्रति टन
(ख) 62% अथवा उससे अधिक किन्तु 65% से कम लौह युक्त	तीन रुपए और पचास पैसे प्रति टन
(ग) 60% अथवा उससे अधिक किन्तु 65% से कम लौह युक्त	दो रुपए और पचास पैसे प्रति टन
(घ) 60% से कम लौह युक्त	दो रुपए प्रति टन

(2) **लौह चूर्णः**

(क) चूर्ण (जिसमें अयस्क के खनन एवं शोधन के दौरान उत्पन्न प्राकृतिक चूर्ण सहित)	
(1) 65% अथवा उसके अधिक लौह युक्त	तीन रुपए और पचास पैसे प्रति टन
(2) 62% से अधिक किन्तु 65% से कम लौह युक्त	दो रुपए प्रति टन
(3) 62% से कम लौह युक्त	एक रुपए पचास पैसे प्रति टन

(ख) शोधन द्वारा तैयार कंसंट्रेट और/अथवा पचास पैसे प्रति टन
निम्न ग्रेड अयस्क के कंसंट्रेट जिनमें
40% अथवा उससे कम लोहा हो

2. 17-2-1992 से लागू दरें

(1) अयस्क डले:

(क) 65% अथवा उससे अधिक लौह युक्त — अठारह रुपए प्रति टन

(ख) 62% अथवा उससे अधिक किन्तु 65% से कम लौह युक्त — दस रुपए प्रति टन

(ग) 60% अथवा उससे अधिक किन्तु 62% से कम लौह युक्त — सात रुपए प्रति टन

(घ) 60% से कम लौह युक्त — पांच रुपए प्रति टन

(2) अयस्क चूर्ण

(क) चूर्ण (जिसमें अयस्क के खनन एवं शोधन के दौरान उत्पन्न प्राकृतिक चूर्ण सहित)

(1) 65% लौह युक्त अथवा उससे अधिक — तेरह रुपए प्रति टन

(2) 62% अथवा उससे अधिक किन्तु 65% से कम लौह युक्त — सात रुपए प्रति टन

(3) 62% से कम लौह युक्त — पांच रुपए प्रति टन

(ख) शोधन द्वारा तैयार कंसंट्रेट और/अथवा निम्न ग्रेड अयस्क के कंसंट्रेट जिनमें 40% अथवा उससे कम लौहा हो। — दो रुपए और पच्चीस पैसे प्रति टन।

हवाई अड्डों पर सुरक्षा व्यवस्था

1834. **श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी:** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो ने विभिन्न हवाई अड्डों पर सुरक्षा बढ़ाने हेतु अनेक योजनाओं को अन्तिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रस्तावित उपायों के कब तक कार्यान्वित होने की संभावना है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया): (क) से (ग) एक पूर्णरूपेण अपहरण-विरोधी और तोड़फोड़-विरोधी सुरक्षा योजना पहले से ही मौजूद है और इसका कार्यान्वयन किया जा रहा है। नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो सुरक्षा परिदृश्य पर बारीकी से निगरानी रखता है।

नारायणन समिति

1835. **श्री चन्द्रजीत यादवः** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या दूरसंचार विभाग द्वारा मूल्य वर्धित सेवाएं निर्दिष्ट करने हेतु गठित समिति ने दिसम्बर, 1991 में अपनी रिपोर्ट दे दी थी;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं;

(ग) सरकार द्वारा कौन-कौन की सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं; और

(घ) इन सिफारिशों के क्रियान्वयन हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू): (क) जी, हां।

(ख) समिति ने सिफारिश की है कि मूल्य वर्धित दूरसंचार सेवाओं का संचालन विधिवत रूप से प्राधिकृत विशेष विक्रय अधिकार धारक द्वारा किया जा सकता है।

1. सेलुलर मोबाइल रेडियो टेलीफोन
2. रेडियो पेजिंग
3. इलेक्ट्रानिक मेल
4. वीडियो टैक्स
5. वायस मेल
6. वीडियो कानफ्रेंसिंग
7. मार्निंग अलार्म सेवा
8. डाइरेक्टरी पूछताछ
9. आडियो कानफ्रेंसिंग
10. आडियोटैक्स
11. डाइरेक्ट आटोमेटिक कोड डायलिंग

(ग) समिति की सिफारिशें स्वीकार करते समय सरकार ने अब अधिकार धारक द्वारा सभी मूल्य वर्धित सेवाओं के संचालन का प्रस्ताव किया है।

(घ) सेलुलर मोबाइल रेडियो टेलीफोन सेवा तथा रेडियो पेजिंग सेवा के लिए टेंडर आमंत्रित किए थे और टेंडर खोले गए हैं। इन टेंडरों का मूल्यांकन किया जा रहा है।

भारतीय कंपनियों से अन्य मूल्य वर्धित सेवाओं के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं जो लाइसेंस के अंतर्गत इन सेवाओं को प्रदान करेंगी।

वीडियो-टैक्स वॉइस, इलैक्ट्रोनिक डाक सेवाएं

1836. **श्री यशवन्तराव पाटिल:**
श्री सन्तोष कुमार गंगवार:
श्री अर्मण्णा मोन्डय्या सादुल:

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में वीडियो टैक्स, वॉइस मेल, इलैक्ट्रोनिक-मेल, वीडियो कानफ्रेंसिंग और आडियो कानफ्रेंसिंग डाक सेवाएं उपलब्ध कराने का है; और

(ख) यदि हां, तो इन सेवाओं को किन-किन शहरों में और कब तक उपलब्ध कराने का विचार है?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू): (क) और (ख) जी हां। महानिदेशक, दूरसंचार ने गैर अनन्य आधार पर लाइसेन्स के अंतर्गत देश के किसी भाग में वीडियो टैक्स वाइस मेल, इलेक्ट्रानिक मेल, वीडियो कान्फ्रेंसिंग और आडिओ कान्फरेंसिंग सेवाओं सहित मूल्यवर्धित सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्राधिकृत भारतीय कंपनियों से प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं। यह सेवा लाइसेंस दिए जाने के एक वर्ष के भीतर प्रदान कर दी जाएगी।

[हिन्दी]

दूरदर्शन के समाचार प्रभाग में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के पत्रकार

1837. **श्री राम विलास पासवान:** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) दूरदर्शन के समाचार प्रभाग में विभिन्न श्रेणियों में कुल कितने पत्रकार हैं; और

(ख) इसमें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के पत्रकारों की संख्या कितनी है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास): (क) और (ख) दूरदर्शन के समाचार प्रभाग में विभिन्न ग्रेडों में पत्रकारों की कुल संख्या 132 है जिनमें से 18 पत्रकार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के हैं।

विदेशी स्वयंसेवी संगठनों द्वारा पांच तारा होटलों का निर्माण

1838. **श्री मोहन सिंह (देवरिया):** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को विदेशी स्वयंसेवी संगठनों से उत्तर प्रदेश में कुसीनगर में पांच तारा होटलों, बौद्ध स्तूपों के विकास, ग्रंथालयों की स्थापना हेतु कोई प्रस्ताव मिले हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

श्रीनगर में डाकघरों को बन्द करना

1839. श्री जार्ज फर्नान्डीज: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डाक विभाग ने श्रीनगर में अनेक डाकघरों को बन्द करने का निर्णय किया है; और

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी॰ वी॰ रंगय्या नायडू): (क) और (ख) जी नहीं। बम विस्फोटों, असुरक्षा और कर्मचारियों का बड़ी संख्या में पलायन जैसे विभिन्न कारणों की वजह से कश्मीर घाटी में कुछ उप डाकघरों को उन इलाकों से स्थानांतरित करना पड़ा जिनमें वे कार्य कर रहे थे। ऐसे डाकघर जब तक अपने मूल स्थानों पर फिर से नहीं खुल जाते तब तक उनका अस्थाई रूप से निकटतम डाकघरों में विलय कर देने के आदेश दिए गए हैं। उसी प्रकार, घाटी के कुछ शाखा डाकघरों के कर्मचारियों के अचानक वहां से चले जाने के कारण, ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ शाखा डाकघरों में कार्य बंद हो गया।

पश्चिम बंगाल में सुन्दरवन का पर्यटन हेतु विकास

1840. श्री सनत कुमार मंडल: क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को पश्चिम बंगाल सरकार से सुन्दरवन को विशेष पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने को कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) राज्य सरकार से सुन्दरवन का विशेष पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकास करने के बारे में कोई विस्तृत प्रस्ताव नहीं मिला है।

[हिन्दी]

फरक्का और कहलगांव ताप संयंत्रों के कारण विस्थापित होने वाले व्यक्तियों को रोजगार

1841. श्री सूरज मंडल: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार फरक्का और कहलगांव ताप विद्युत परियोजनाओं से प्रभावित एवं विस्थापित होने वाले व्यक्तियों को रोजगार देने का है;

(ख) यदि हां, तो कितने विस्थापित व्यक्तियों को रोजगार प्रदान कर दिया गया है तथा अभी शेष कितने व्यक्तियों को रोजगार दिया जाना बाकी है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा तैयार की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय): (क) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) की अपनी आवश्यकता के अनुरूप भूमि विस्थापितों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाने की नीति है बशर्ते वे उपयुक्त अभ्यर्थी हों।

(ख) समग्र भू-विस्थापितों की संख्या की अपेक्षा जिन विस्थापित व्यक्तियों को नियमित रूप से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए हैं इनका ब्यौरा निम्नवत है:—

(1) भू-विस्थापितों की संख्या
फरक्का-10915, कहलगांव-3798

(2) ऐसे भू-विस्थापितों, जिनको नियमित रूप से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए हैं, की संख्या
फरक्का-384, कहलगांव-171

(ग) विस्थापितों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को रोजगार दिए जाने के अलावा भू-विस्थापितों का पुनर्वास किए जाने के लिए राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एन०टी०पी०सी०) की एक व्यापक स्कीम भी है जिसके अनुसार उन्हें दुकानों के आवंटन, छोटे-छोटे ठेकों, विक्रेता लाइसेंस तथा ठेकेदारों के साथ रोजगार दिए जाने में प्राथमिकता प्रदान की जाती है।

बिहार, गुजरात और उत्तर प्रदेश में नलकूपों के लिए विश्व बैंक सहायता

1842. **श्री राम लखन सिंह यादव:**
श्री काशीराम राणा:

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान बिहार, गुजरात और उत्तर प्रदेश में नलकूप लगाने के लिए विश्व बैंक से कितनी सहायता प्राप्त हुई;

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान कितने नलकूप लागए गए तथा वे किन स्थानों पर लगाए गए; और

(ग) वर्ष 1992 के दौरान विश्व बैंक की सहायता से इन राज्यों में कितने नलकूप लगाए जाएंगे?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) गत तीन वर्षों के दौरान विश्व बैंक की सहायता से गुजरात में कोई नलकूप परियोजना कार्यान्वित नहीं की गयी है। गत तीन वर्षों के दौरान द्वितीय उत्तर प्रदेश सार्वजनिक नलकूप परियोजना तथा बिहार सार्वजनिक नलकूप परियोजना के लिए विश्व बैंक से प्राप्त वर्ष वार सहायता निम्नवत है:—

वर्ष	द्वितीय उत्तर प्रदेश सार्वजनिक नलकूप परियोजना	बिहार सार्वजनिक नलकूप परियोजना
1989-90	18.300 मि० अमेरिकी डालर	2.900 मि० अमेरिकी डालर
1990-91	13.700 मि० " "	3.300 मि० " "
1991-92	2.100 मि० " "	0.989 मि० " "

(ख) द्वितीय उत्तर प्रदेश नलकूप परियोजना (अब पूरी हो गयी है) के अंतर्गत विश्व बैंक सहायता से वर्ष 1991 तक उत्तर प्रदेश में स्थापित नलकूपों का ब्यौरा संलग्न विवरण-1 में दिया गया है।

बिहार सार्वजनिक नलकूप परियोजना के अंतर्गत 500 नए नलकूपों के निर्माण, 1500 नलकूपों के

आधुनिकीकरण और 5212 नलकूपों के पुनर्वास की तुलना में, 31 मई, 1992 तक संलग्न विवरण-2 में उल्लिखित 26 जिलों में 40 नए नलकूप, 110 नलकूपों का आधुनिकीकरण और 751 नलकूपों का पुनर्वास पूरा हो गया है।

(ग) वर्ष 1992 के दौरान विश्व बैंक की सहायता से उत्तर प्रदेश में कोई नलकूप स्थापित किए जाने का प्रस्ताव नहीं है क्योंकि यह परियोजना 1991 में पहले ही समाप्त हो चुकी है । बिहार सार्वजनिक नलकूप परियोजना के अंतर्गत, बिहार सरकार ने वर्ष 1992-93 के दौरान 83 नए नलकूपों को पूरा करने, 315 नलकूपों के आधुनिकीकरण और 788 नलकूपों के पुनर्वास का प्रस्ताव किया है।

विवरण-1

विश्व बैंक की सहायता से उत्तर प्रदेश सार्वजनिक नलकूप परियोजना सोपान-II के अंतर्गत सार्वजनिक नलकूपों का जिलेवार ब्यौरा

क्रम सं॰	जिले का नाम	150 क्यू॰/ एस ए आर के अनुसार	संशोधित 300 क्यू॰/ नलकूप एस ए आर के अनुसार	संशोधित नलकूप	पुराने मानक	नलकूप
					आधुनिकीकरण	समर्पित पीडरों के संबंध में
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	नैनीताल	25	81	0	0	3	6
2.	देहरादून	25	13	0	0	2	7
3.	मुजफ्फरनगर	50	50	0	0	0	1
4.	बुलन्दशहर	50	66	0	0	10	5
5.	मेरठ गाजियाबाद	50	45	0	0	13	3
6.	सहारनपुर	50	55	0	0	11	2
7.	अलीगढ़	50	70	0	0	12	6
8.	ऐटा	50	123	0	0	10	4
9.	आगरा	25	0	0	0	0	0
10.	इटावा	50	75	0	0	8	2
11.	फर्रुखाबाद	50	105	0	0	5	1
12.	मैनपुरी	50	49	0	0	6	0
13.	मुरादाबाद	50	108	0	0	15	2
14.	बदायूं	50	139	0	0	25	22
15.	रामपुर	25	53	0	0	7	2
16.	बिजनौर	50	54	0	0	7	0
17.	बरेली	25	189	20	0	29-	10
18.	पीलीभीत	25	52	20	0	13	0
19.	शाहजहांपुर	50	86	0	0	1	0
20.	उन्नाव	25	46	0	0	2	1
21.	कानपुर	50	125	20	0	13	6

1	2	3	4	5	6	7	8
22.	लखीमपुर-खेरी	25	35	20	13	17	0
23.	सीतापुर	50	106	20	0	3	1
24.	हरदोई	50	84	20	20	0	18
25.	लखनऊ	50	19	0	0	4	9
26.	बाराबंकी	50	55	0	0	0	2
27.	रायबरेली	50	85	0	0	23	35
28.	फतेहपुर	50	77	0	0	10	6
29.	हमीरपुर	50	22	0	0	0	0
30.	जालौन	50	50	0	0	6	3
31.	कानपुर	50	103	0	0	13	31
32.	बांदा	50	49	0	0	5	0
33.	गाजीपुर	50	97	0	0	8	15
34.	जौनपुर	50	67	0	0	11	9
35.	बलिया	50	49	0	0	11	1
36.	गोरखपुर	75	235	20	0	65	81
37.	देवरिया	50	80	20	18	18	22
38.	बस्ती	50	67	20	19	12	9
39.	आजमगढ़	50	79	0	0	16	9
40.	गोण्डा	50	49	0	0	8	2
41.	बहराइच	25	25	20	0	0	0
42.	फैजाबाद	50	55	0	0	14	22
43.	सुलतानपुर	25	100	0	0	5	17
44.	इलाहाबाद	50	93	0	0	27	6
45.	प्रतापगढ़	25	0	0	0	0	0
46.	मिर्जापुर	0	47	0	0	0	12
	कुल	2000	3212	200	70	468	390

विवरण-2

विश्व बैंक की सहायता से बिहार सार्वजनिक नलकूप परियोजना के अंतर्गत शामिल जिलों की सूची

उत्तरी बिहार

1. पश्चिम चम्पारन
2. गोपालगंज
3. सिवान
4. सारन
5. पूर्वी चम्पारन
6. सीतामढ़ी
7. मुजफ्फरपुर
8. वैशाली
9. मधुबनी
10. दरभंगा
11. समस्तीपुर
12. बेगुसराय
13. सहरसा
14. मधेपुरा
15. खगरिया
16. पूर्णिया
17. कटिहार

दक्षिण बिहार

18. भोजपुर
19.
20. नरमदा
21. मुंगेर
22. भागलपुर
23. नवादा
24. गया
25. औरंगाबाद
26. रोहतास

[अनुवाद]

महाराष्ट्र में जयकवाड़ी परियोजना हेतु विश्व बैंक सहायता

1843. **श्री अंकुशराव रावसाहिब टोपे:** क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र में पैथान स्थित जयकवाड़ी परियोजना के कमान क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा अब तक विश्व बैंक से प्राप्त सहायता की कितनी धनराशि खर्च की है;

(ख) क्या इस धनराशि के उचित उपयोग के पर्यवेक्षण हेतु केन्द्रीय दल द्वारा कोई सर्वेक्षण किया गया था;

(ग) यदि नहीं, तो क्या केन्द्रीय सरकार का विचार इस प्रयोजन हेतु एक दल भेजने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) निधियों के उपयोग के संबंध में परियोजना का प्रबोधन केन्द्रीय जल आयोग में तिमाही पुनरीक्षा बैठकों में किया जा रहा है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

अहमदाबाद से विदेशों के लिये सीधी विमान सेवा

1844. **डा० अमृत लाल कालिदास पटेल:** क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अहमदाबाद हवाई अड्डे पर विदेशों के लिए उपलब्ध सीधी उड़ान सेवाएं कितनी हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) भविष्य में अहमदाबाद से विदेशों के लिये कितनी सीधी उड़ान सेवायें शामिल किए जाने की संभावना है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया): (क) अहमदाबाद से भारत से बाहर के स्थानों के लिए कोई सीधी उड़ान नहीं है। एयर इंडिया, अहमदाबाद से विदेशों के लिए संयोजी उड़ानों का परिचालन दिल्ली और बम्बई से होकर करती है।

(ख) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

डाक कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

1845. **श्रीमती सुशीला गोपालन:** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डाक सेवा के कर्मचारियों द्वारा वर्ष 1992 के दौरान कार्यक्रम में आवश्यक परिवर्तन किये बिना देश के कई भागों में डाक वितरण सेवा में कटौती करने, केरल में रेल डाक सेवा को बन्द करने आदि जैसे कुछ डाक सेवाओं के कार्यों में किये गये कुछ परिवर्तनों के कारण आन्दोलन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार डाक कर्मचारी संघों के साथ बातचीत करने तथा उनसे बातचीत करने के बाद ही आवश्यक परिवर्तन करने का है;

(घ) यदि हां, तो कब?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू): (क) और (ख) जी हां। बम्बई, चण्डीगढ़, अमृतसर, लुधियाना और त्रिची में डाक कर्मचारियों ने डाक की मिली-जुली अर्थात् पंजीकृत और अपंजीकृत डाक का साथ-साथ वितरण शुरू करने की व्यवस्था के खिलाफ हड़ताल की थी। मिली-जुली डाक का वितरण करने की व्यवस्था का प्रस्ताव डाकघरों की डाक वितरण व्यवस्था में सुधार लाने के लिए किया गया था। एक जिले के लिए केवल एक आवक डाक कार्यालय (इनवर्ड मेल ऑफिस) का अभिनिर्धारण किए जाने के आदेश के खिलाफ केरल के रेल डाक सेवा कर्मचारियों ने हड़ताल की थी। हालांकि, उक्त आदेश में केरल में रेल डाक सेवा बन्द करना शामिल नहीं है।

(ग) और (घ) कर्मचारियों की शिकायतों को दूर करने के लिए संयुक्त सलाहकार तंत्र और अनिवार्य मध्यस्थता तथा स्थायी विचार-विमर्श की प्रणाली के तहत डाक तंत्र कर्मचारी संघों के साथ बातचीत करना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। मिली-जुली डाक के वितरण की शुरूआत करने के बारे में कर्मचारी पक्ष के साथ विचार-विमर्श किया गया था। इस विषय पर कर्मचारी संघों के साथ आगे बातचीत करने में भी सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। जहां तक एक जिले के लिए एक आवक डाक कार्यालय (इनवर्ड मेल ऑफिस) का अभिनिर्धारण किए जाने का संबंध है, यूनियनों के साथ पहले ही बातचीत शुरू कर दी गई है।

अभ्रक का उत्पादन और निर्यात

1846. **श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा**: क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय कितनी अभ्रक खानें कार्यरत हैं और राज्य-वार उनमें कितने श्रमिक हैं;

(ख) क्या देश में 1972 के बाद अभ्रक आधारित उद्योगों की संख्या में कमी आई है जिसके परिणामस्वरूप विदेशी मुद्रा में कमी आई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान अभ्रक की कुल कितनी मात्रा निर्यात की गई और इससे कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव): (क) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) से (घ) अभ्रक के विभिन्न स्थानापन्नों के विकास से इसकी समग्र मांग पर प्रभाव पड़ा है। तथापि, अभ्रक और अभ्रक उत्पादों के निर्यातों पर बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ा है, आंकड़े नीचे दिए गए हैं:—

वर्ष	मात्रा	मूल्य (करोड़ रु०)
1972	25,000 टन	उपलब्ध नहीं
88-89	47,794 टन	50.84
89-90	37,879 टन	30.00
90-91	42,596 टन	51.39

[अनुवाद]

गैर सरकारी विद्युत वितरण

1847. **श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक:** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान गैर सरकारी विद्युत वितरण प्रस्ताव के बारे में 25 जून, 1992 के "इकोनॉमिक टाइम्स" नई दिल्ली में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार द्वारा नई नीति को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) वर्तमान निजी वितरण कम्पनियां 953 मेगावाट वाली परियोजनाओं को हाथ में लेकर इस समय अपनी क्षमता का विस्तार कर रही हैं। 500 मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता जोड़े जाने का एक और प्रस्ताव है। निजी क्षेत्र की अधिकाधिक भागीदारी को प्रोत्साहन देने के लिए वितरण संबंधी लाइसेंसों की शर्तों को उदार बनाया गया है।

हवाई-पट्टियों का निर्माण

1848. **श्री गिरधारी लाल भार्गव:** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कितनी हवाई-पट्टियों का निर्माण किये जाने का प्रस्ताव है;

(ख) इन पर कितना व्यय किये जाने का प्रस्ताव है और इन्हें कहां-कहां पर बनाया जायेगा; और

(ग) इनके कब तक बन जाने की संभावना है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया): (क) से (ग) इस समय किसी भी नयी हवाई पट्टी के निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है।

मध्य प्रदेश मे गैस आधारित विद्युत संयंत्र

1849. **श्री श्रवण कुमार पटेल:** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का मध्य प्रदेश में गैस पर आधारित विद्युत संयंत्रों की स्थापना करने का विचार है जिन्हें हजीरा-विजयनगर-जगदीशपुर पाइपलाइन से सप्लाई दी जाएगी;

(ख) यदि हां, तो उन विद्युत संयंत्रों का ब्यौरा क्या है जिन्हें उक्त पाइप लाइन से सप्लाई दी जाएगी; और

(ग) इन्हें कब तक अंतिम रूप देने और क्रियान्वित करने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय): (क) से (ग) राजगढ़, झबूआ, गुना और ग्वालियर में 450-450 मे० वा० (3×100 मे० वा० जी० टी०+ 1×150 मे० वा० एस० टी) क्षमता की चार गैस आधारित विद्युत परियोजनाओं, जिनके लिए एच० बी० जे० पाइप लाइन से गैस का समुपयोजन किए जाने की परिकल्पना की गई है, के बारे में मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड ने अक्तूबर, 1988 में प्रस्ताव किए थे। इन स्कीमों के लिए अपेक्षित निवेश यथा जल और गैस की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं की जा सकी। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में इन स्कीमों के बारे में कार्यवाही नहीं की जा रही है और तदनुसार नवम्बर, 1989 में मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड (एम० पी० ई० बी०) को सूचित कर दिया गया था। तदुपरांत एच० बी० जे० पाइपलाइन से गैस का

समुपयोजन किए जाने की परिकल्पना करते हुए ग्वालियर संयुक्त साइकिल गैस आधारित विद्युत परियोजना 817 मे० वा० (4×131.3 मे वा० जी टी +2×146 मे. वा. एसटी) अधिष्ठापित किए जाने के लिए मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड (एम० पी० ई० बी०) से अगस्त, 90 में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। तथापि मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड ने प्रस्तावित केदर के बारे में राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण, जल संसाधन विभाग और मध्य प्रदेश सरकार के राज्य रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्वीकृति प्राप्त कर ली है लेकिन अपेक्षित निवेश-गैस लिंकेज, सम्बद्ध पारेषण प्रणाली, विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 48 की धारा 29 की अनुपालना किया जाना सुनिश्चित नहीं किया गया है और पर्यावरण की दृष्टि से केन्द्रीय प्राधिकारियों की स्वीकृति भी प्राप्त नहीं की है। स्कीम केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से मूल्यांकन किए जाने की स्थिति में नहीं है। सभी अपेक्षित निवेश सुनिश्चित किए जाने तथा मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड (एम० पी० ई० बी०) द्वारा अपेक्षित स्वीकृतियां प्राप्त कर लिए जाने के पश्चात् ही केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से स्वीकृति प्रदान की जा सकती है।

[हिन्दी]

इस्पात के मूल्यों में वृद्धि

1850. **श्री जगमीत सिंह बरार:**
डा० ए० के० पटेल:
श्री श्रवण कुमार पटेल:
डा० लक्ष्मी नारायण पान्डेय:
श्री नीतीश कुमार:

क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1989-90 से मई 1992 तक इस्पात के मूल्यों में मदवार कितने बार वृद्धि हुई है और उनका प्रतिशत कितना है और इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या इस मूल्य वृद्धि की समीक्षा की गई है;

(ग) यदि हां, तो समीक्षा का निष्कर्ष व ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस्पात की मूल्य वृद्धि का सामान्य मूल्यों पर क्या विशेष प्रभाव पड़ा?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान एकीकृत इस्पात संयंत्रों द्वारा उत्पादित मदों के मूल्यों में की गई वृद्धि और उनका कारण निम्नानुसार है:—

प्रभावी तारीख	वृद्धि	कारण
2.6.89	1.5%	रेल भाड़े में वृद्धि
20.3.90	1.5%	उत्पाद शुल्क में वृद्धि
18.9.90	5%	आदान मूल्यों में हुई वृद्धि और इंजीनियरी माल निर्यात सहायता निधि (ई जी ई ए एफ) लेवी और भाड़ा समकरण निधि (एफ ई एफ लेवी) की वृद्धि को पूरा करने के लिए सामान्य मूल्य वृद्धि।
26.7.91	इस्पात पर औसतन 36 रु० प्रति टन और कच्चे लोहे पर 15 रु० प्रति टन	विशेष उत्पाद शुल्क में वृद्धि
1.9.91	इस्पात पर 90 रु० प्रति टन और कच्चे लोहे पर 60 रु० प्रति टन	जावक रेल भाड़े में वृद्धि

प्रभावी तारीख	वृद्धि	कारण
1.3.92	लम्बे उत्पादों पर 260 रु० प्रति टन, चपटे उत्पादों पर 100 रु० से 830 रु० प्रति टन और कच्चे लोहे पर 130 रु० प्रति टन	उत्पाद शुल्क में वृद्धि
1.4.92	इस्पात पर 124 रु० प्रति टन और कच्चे लोहे पर 85 रु० प्रति टन।	जावक रेल भाड़े में वृद्धि
18/19.5.92	इस्पात पर औसतन 15% और कच्चे लोहे पर 16%	आदान लागत के मूल्यों पर की गई वृद्धि को पूरा करने के लिए सामान्य मूल्य वृद्धि

(ख) से (घ) एकीकृत इस्पात संयंत्रों द्वारा उत्पादित मदों के मूल्यों पर से 16.1.92 से नियंत्रण हटा दिया गया था। अतः आदान लागत में हुई मूल्य वृद्धि को पूरा करने के लिए 18/19.5.92 से एकीकृत इस्पात संयंत्रों ने इस्पात मदों के मूल्य में औसतन 15% की वृद्धि की। परिसज्जित इस्पात के कुल उत्पादन का 56% उत्पादन एकीकृत इस्पात संयंत्र करते हैं। शेष 44% उत्पादन, जिस पर मूल्य नियंत्रण नहीं है, के संबंध में मूल्य वृद्धि सीमान्त है। अतः समग्र आधार पर वर्तमान मूल्य वृद्धि का सामान्य मूल्य पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं है।

देश में गांवों का विद्युतीकरण

1851. **श्रीमती भावना चिखलिया:**
श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे:
श्री के० वी० तंकाबालू:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में वर्ष 1991-92 के दौरान प्रत्येक राज्य में कितने गांवों का विद्युतीकरण किया गया;

(ख) 31 जनवरी, 1991 तक कितने गांवों का विद्युतीकरण किया गया था;

(ग) वर्ष 1992 और आठवीं पंचवर्षीय योजना में कितने गांवों का विद्युतीकरण करने का लक्ष्य रखा गया है; और

(घ) सभी गांवों का विद्युतीकरण कब तक किए जाने की आशा है?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय): (क) 1991-92 के दौरान विद्युतीकरण किए गए गांवों की जिलेवार संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार 31 जनवरी, 1991 को विद्युतीकृत गांवों की संख्या 4,74,605 थी।

(ग) निधियों सम्बन्धी बाधाओं के कारण 1992-93 के दौरान केवल 4,240 गांवों का विद्युतीकरण किए जाने का प्रस्ताव है। आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गांवों का विद्युतीकरण किए जाने के लक्ष्य को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(घ) अनुवर्ती पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान निधियों एवं अन्य निवेशों की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए शेष गांवों का विद्युतीकरण किया जायेगा।

विवरण

1991-92 के दौरान देश में विद्युतीकरण किए गए गांवों की संख्या

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1991-92 के दौरान विद्युतीकरण किए गए गांवों की संख्या (अनन्तिम)
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	*
2.	अरुणाचल प्रदेश	130
3.	असम	120
4.	बिहार	517
5.	गोवा	*
6.	गुजरात	*
7.	हरियाणा	*
8.	हिमाचल प्रदेश	*
9.	जम्मू एवं कश्मीर	9
10.	कर्नाटक	*
11.	केरल	*
12.	मध्य प्रदेश	1856
13.	महाराष्ट्र	*
14.	मणिपुर	150
15.	मेघालय	44
16.	मिजोरम	60
17.	नागालैंड	शून्य
18.	उड़ीसा	1011
19.	पंजाब	*
20.	राजस्थान	760
21.	सिक्किम	*
22.	तमिलनाडु	7
23.	त्रिपुरा	200
24.	उत्तर प्रदेश	744
25.	पश्चिम बंगाल	436
	जोड़ (राज्य)	6044
	जोड़ (संघ राज्य क्षेत्र)	*
	जोड़ (अखिल भारत)	6044

*शत-प्रतिशत विद्युतीकृत

[अनुवाद]

राजस्थान में "हरिटेज होटल"

1852. **श्रीमती वसुन्धरा राजे:** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को राजस्थान में कुछ "हरिटेज होटलों" की स्थापना करने के लिए राज्य सरकार का कोई प्रस्ताव मिला है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) राज्य सरकार के साथ परामर्श करके, राजस्थान में "हेरिटेज होटलों" की एक नई श्रेणी आरम्भ की गई है जिसके अंतर्गत महलों, दुर्गों, किलों, हवेलियों, आदि में स्थापित किए जाने वाले होटलों को रखा गया है। इस स्कीम के अंतर्गत, आठ होटलों का वर्गीकरण किया जा चुका है और अन्य छह के आवेदनों पर वर्गीकरण हेतु कार्यवाही की जा रही है।

लौह अयस्क का निर्यात

1853. **कुमारी पुष्पा देवी सिंह:** क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन खानों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है जहां निर्यात की गुणवत्ता वाले लौह अयस्क का उत्पादन किया जा रहा है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार कितनी मात्रा में लौह अयस्क का निर्यात किया गया; और

(ग) सरकार द्वारा इन खानों के विकास के लिए क्या कदम उठाये गए/उठाये जा रहे हैं?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव): (क) और (ख) लौह अयस्क का निर्यात विभिन्न राज्यों में लौह अयस्क के अलग-अलग ग्रेडों का उत्पादन करने वाली खानों से किया जाता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यात किए गए लौह अयस्क की मात्रा के आंकड़े इस प्रकार हैं:

पत्तन-वार लौह अयस्क निर्यात

[मात्रा: टन (अनन्तिम)]

1989-90:		3,55,57,566
1990-91:		
	बम्बई	703
	मद्रास	54,07,499
	मारमागोआ	1,36,50,927
	नया मंगलौर	50,23,934
	पारादीप	18,25,748
	विशाखापत्तनम	44,22,030
	पेट्रापोल	4,59,882
	अन्य	10,98,760
	जोड़:	3,18,89,483
1991-92:		
	मद्रास	45,29,676
	मारमागोआ	1,13,89,248
	नया मंगलौर	62,25,559
	पारादीप	13,75,010
	विशाखापत्तनम	53,22,997

रेक्सोल	2,936
अन्य	4,06,686
जोड़:	2,92,52,112

(ग) वैज्ञानिक और आर्थिक आधार पर खानों का विकास सुनिश्चित करने के लिए नियम बना लिए गए हैं। लौह अयस्क खानों का तेजी से विकास करने के लिए उसके खनन पट्टे सरकारी क्षेत्र की आवश्यकताओं को ध्यान में रखने के बाद निजी क्षेत्र को दिए जा रहे हैं।

लक्षद्वीप में स्पीड पोस्ट सुविधा

1854. **श्री पी० एम० सईद:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार लक्षद्वीप की राजधानी कवरती को स्पीड पोस्ट सुविधा से जोड़ने का है;

(ख) यदि हां, तो कब से; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू): (क) जी नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) कावारत्ती (लक्षद्वीप) को स्पीड पोस्ट सेवा से न जोड़ने का कारण है नियमित संचारण नेटवर्क की अनुपलब्धता और साथ ही पर्याप्त डाक परियात का अभाव।

पश्चिम बंगाल में टेलीफोन एक्सचेंजों का विस्तार तथा आधुनिकीकरण

1855. **श्री वीर सिंह महतो:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि:

(क) क्या सरकार को पश्चिम बंगाल विशेषकर पुरुलिया जिले में टेलीफोन प्रणाली में बढ़ती हुई खामियों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने वहां पर टेलीफोन सेवाएं सुधारने के लिए क्या कदम उठाये हैं;

(ग) क्या सरकार का राज्य में टेलीफोन एक्सचेंजों का विस्तार और आधुनिकीकरण करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो जिला-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू): (क) पुरुलिया जिले के टेलीफोन एक्सचेंज में खराबियों की संख्या में कोई असामान्य बढ़ोतरी नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी हां।

(घ) जिलावार विवरण एकत्र किया जा रहा है और सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

आन्ध्र प्रदेश के बेल्लारी जिले में हीरों के भंडार

1856. **श्री के० राममूर्ति टिंडिवनाम:** क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश जिले के बेल्लारी जिले में पेन्नार घाटी तथा उसके समानांतर हगरी नदी में हीरों के समृद्ध भंडार हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का उक्त क्षेत्रों में भूगर्भीय जांच कराने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव): (क) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा कर्नाटक में हगरी बेसिन जिला बेल्लारी में किए गए प्राथमिक अन्वेषण से हीरे के किसी भंडार का पता नहीं चला है। परन्तु आन्ध्र प्रदेश में पेन्नार बेसिन हीरा प्राप्ति के लिए मशहूर है।

(ख) और (ग) कर्नाटक के जिला बेल्लारी में हगरी बेसिन में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा हीरे की खोज करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण आंध्र प्रदेश में पेन्नार तथा हगरी बेसिन में हीरे के लिए खोज कर रहा है।

भारत भ्रमण वर्ष 1991

1857. **श्री अनन्तराव देशमुख**: क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत भ्रमण वर्ष 1991 के दौरान पर्यटकों को कौन-कौन से विशेष प्रोत्साहन दिए जाते हैं;

(ख) इसके परिणामस्वरूप पर्यटकों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है; और

(ग) 1991 के दौरान पर्यटकों की संख्या में वृद्धि के कारण कितनी आय हुई है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया): (क) भारत पर्यटन वर्ष के दौरान ये प्रयास थे कि विशेष उत्सवों, मेलों एवं त्यौहारों का आयोजन करने के साथ-साथ आधारभूत सुविधाओं और पर्यटक सेवाएं उपलब्ध कराने में सुधार किया जाए। अतः विदेशी पर्यटकों को कोई/अन्य विशेष प्रोत्साहन नहीं दिए गए।

(ख) भारत पर्यटन वर्ष के दौरान खाड़ी युद्ध और इसके दुष्परिणामों के कारण विदेशी पर्यटकों के आगमन में 1.7% की कमी आई।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

बिहार में विमानन सुविधाओं का आधुनिकीकरण

1858. **श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी**: क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान बिहार में विमानन सुविधाओं के आधुनिकीकरण के लिए निर्माणाधीन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन परियोजनाओं के निर्धारित समय पर पूरी होने की संभवना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) पटना हवाई अड्डे पर 1991 के दौरान आगमन और प्रस्थान दोनों हालों पर वाहक पट्टियों की व्यवस्था की गयी थी। रांची हवाई अड्डे पर 1991 के दौरान रात्रि अवतरण सुविधाओं को ठीक किया गया था और उन्हें पुनः शुरू किया गया। ये 1991-92 के दौरान योजनानुसार पूरे हो गये थे।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली दूरदर्शन में समाचार वाचक

1859. **श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स**: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली दूरदर्शन में अंग्रेजी और हिन्दी के कुल कितने-कितने समाचार वाचक हैं; और

(ख) प्रतिदिन हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में कितने-कितने घंटे समाचार प्रसारित किये जाते हैं और प्रतिदिन कितने समाचार वाचकों की आवश्यकता होती है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास): (क) दिल्ली दूरदर्शन की अनुमोदित सूची में 43 समाचार वाचक हैं।

(ख) दिल्ली दूरदर्शन प्रतिदिन 95-115 मिनट के समाचार बुलटिन प्रसारित करता है। (इसमें रविवार को बधिरों के लिए न्यूज़ मैगज़ीन और संसद सत्र के दौरान संसद समाचार/पार्लियामेंट न्यूज़ शामिल हैं)। इसके लिए 10-12 समाचार वाचकों की आवश्यकता होती है।

दूरदर्शन/आकाशवाणी द्वारा खेलकूद गतिविधियों का प्रसारण

1860. **श्री धाइमा सिंह युमनाम:** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार राज्यों की राजधानियों में आयोजित खेलकूद गतिविधियों का दूरदर्शन/आकाशवाणी से प्रसारण करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास): (क) आकाशवाणी ओर दूरदर्शन पहले ही राज्यों की राजधानियों में होने वाली महत्वपूर्ण खेल गतिविधियों की पर्याप्त कवरेज दे रहे हैं और भविष्य में भी ऐसा करते रहेंगे।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता

राष्ट्रीय पाक संस्थान की स्थापना

1861. **श्री प्रतापराव बी० भोंसले:**
श्री एन० जे० राठवा:

क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदेशी तकनीकी विशेषज्ञों के सहयोग से एक राष्ट्रीय पाक संस्थान स्थापित करने का सरकार का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए किस स्थल का चयन किया गया है;

(ग) प्रस्तावित संस्थान के क्या उद्देश्य हैं; और

(घ) इस संस्थान की स्थापना के कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) यू०एस०ए० में अमरीकी पाक संस्थान की ही भांति, भारत में एक राष्ट्रीय पाक संस्थान की स्थापना करने के लिए 30.00 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाला एक प्रस्ताव बाहरी सहायता हेतु वित्त मंत्रालय को भेजा गया है। इसके लिए प्रस्तावित स्थान उत्तर प्रदेश में नौएडा है। इस प्रस्तावित संस्थान का उद्देश्य शेफों को उच्च प्रशिक्षण प्रदान करना और भारतीय एवं अंतर्राष्ट्रीय भोजन का संवर्धन तथा संरक्षण करना है।

[हिन्दी]

सुपोल, बिहार में टेलीविजन ट्रांसमीटर

1862. **श्री सूर्य नारायण यादव:** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार उत्तर बिहार के सुपोल जिले में एक टेलीविजन ट्रांसमीटर स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो सुपोल में टेलीविजन ट्रांसमीटर की स्थापना करने के लिए चालू वर्ष के दौरान कितना धनावंटन किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास): (क) दूरदर्शन की वर्ष 1992-93 के लिए वार्षिक योजना के अन्तर्गत देश में अल्प शक्ति/अति अल्प शक्ति टी०वी० ट्रांसमीटरों को स्थापित करने के लिए स्थानों को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(ख) और (ग) ये सवाल पैदा ही नहीं होते।

खण्डवा, मध्य प्रदेश में टेलीफोन और फैक्स सुविधाएं

1863. **श्री महेन्द्र कुमार सिंह ठाकुर:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश के खण्डवा जिले में विभिन्न स्थानों पर और अधिक टेलीफोन कनेक्शनों, एस०टी०डी० और फैक्स सेवाओं की मांग की गई है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) गत दो वर्षों के दौरान इन स्थानों पर उपलब्ध कराई गई सुविधाओं का ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री पी०वी० रंगय्या नायडू): (क) जी हां।

(ख) 8वीं योजना के अंत तक निम्नलिखित व्यवस्था करने के उद्देश्य से वार्षिक विस्तार कार्यक्रम तैयार किए जा रहे हैं:

(i) ग्रामीण क्षेत्रों में वास्तविक रूप से मांग होने पर टेलीफोन प्रदान करना।

(ii) अपेक्षाकृत लंबी प्रणालियों में प्रतीक्षा अवधि को दो वर्ष तक सीमित करना।

(iii) 1.4.1997 तक सभी एक्सचेंजों में एन०एस०डी० (राष्ट्रीय उपभोक्ता डायलिंग) की सुविधा प्रदान करना जिसके परिणामस्वरूप फैक्स आवश्यकताओं की पूर्ति होने की भी संभावना है।

(ग) खांडवा जिले में पिछले दो वर्षों (1990-91 और 1991-92) के दौरान 2227 नए टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किए गए थे। 1990-91 में 7 नए एक्सचेंज खोले गये थे और 8 एक्सचेंज 91-92 में खोले गये। खांडवा जिले में इस अवधि में कोई नया एसटीडी रूट नहीं खोला गया। खांडवा के विभागीय तारघर में 1991-92 के दौरान फैक्स सुविधा उपलब्ध कराई गई थी।

[अनुवाद]

इंडियन एयरलाइन्स में हड़ताल

1864. **श्री श्रीकांत जेना:** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अप्रैल/मई, 1992 में सभी हवाई अड्डों पर एयर ट्रैफिक कंट्रोलरों और अन्य कर्मचारियों ने हड़ताल की थी;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) कर्मचारियों के साथ क्या समझौता किया गया है;

(घ) ऐसी स्थिति की पुनरावृत्ति रोकने के लिये क्या कदम उठाये गये/उठाने का विचार है; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान कर्मचारियों द्वारा ऐसे आंदोलनों के परिणामस्वरूप इंडियन एयरलाइन्स को कितना घाटा हुआ है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) जी, नहीं। केवल विमान यातायात नियंत्रण गिल्ड ने ही बेहतर कैरियर की मांग के लिए 1 मई से 15 मई, 1992 तक "नियमानुसार काम करो" आन्दोलन किया।

(ग) और (घ) विमान यातायात नियंत्रण गिल्ड की मांगों की राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा गठित की गयी अधिकार-प्राप्त समिति ने छानबीन की। समिति ने सभी ग्रेडों में पदोन्नति अवसरों में सुधार करने की दृष्टि से अतिरिक्त पदों के सृजन पर अपनी सहमति दे दी है।

(ङ) 10.45 करोड़ रुपए।

क्षेत्रीय भाषा की फिल्मों का निर्यात

1865. **श्री महेश कनोडिया:**
श्रीमती दीपिका एच० टोपीवाला:

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या क्षेत्रीय भाषा में निर्मित फिल्मों का हर वर्ष निर्यात किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इन फिल्मों के निर्यात के लिये क्या मानदण्ड नियत किए गए हैं;

(ग) वर्ष 1991 के दौरान और 30 जून, 1992 तक किन-किन फिल्मों का निर्यात किया गया; और

(घ) इन फिल्मों का निर्यात किन-किन देशों को किया गया?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास): (क) जी, हां।

(ख) निर्यात के लिए फिल्मों का चयन खरीदने वाली पार्टी द्वारा किया जाता है। किसी भी निर्माता अथवा अधिकार धारक द्वारा सीधे ही फिल्मों का निर्यात किया जा सकता है। अगस्त, 1991 से फिल्मों के निर्यात का विसरणीकरण (डिकेनेलाइजेशन) कर दिया गया है। विसरणीकरण से पूर्व राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम इस कार्य के लिए माध्यम एजेंसी था।

(ग) और (घ) अप्रैल—अगस्त, 1991 (अर्थात विसरणीकरण से पूर्व) की अवधि की सूचना का ब्यौरा विवरण-1 के रूप में दिया गया है। विवरण 2 में एक और ब्यौरा दिया गया है जिसमें अप्रैल, 1991 से जून, 1992 की अवधि के लिए राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा/प्रत्यक्ष किए गए निर्यात की सूचना दी गई है।

विवरण-I

I. सिनेमा और टी॰वी॰ अधिकारों के लिए वर्ष 1991-92 (अप्रैल से अगस्त) में फिल्मों का भाषावार सारणीकृत निर्यात

क्रम सं॰	शीर्षक	देश
1	2	3
हिन्दी		
1.	अजूबा	आस्ट्रेलिया, दुबई, केनिया, मारीसस, मोरक्को, मालद्वीप, साबा, यू॰के॰, यू॰एस॰ए॰, त्रिनिडाड
2.	अफसाना प्यार का	आस्ट्रेलिया, दुबई, केनिया, यू॰एस॰ए॰
3.	आई मिलन की रात	दुबई, हांगकांग, यू॰के॰
4.	आखरी चीख	दुबई
5.	आरजू गीत	दुबई
6.	आतंक	ईरान
7.	अपराजित	इटली
8.	आशिकी	नाईजीरिया
9.	अप्पू राजा	मोरक्को
10.	आग का गोला	नाईजीरिया
11.	आवारा	जापान
12.	बेनाम बादशाह	दुबई, हांगकांग, यू॰एस॰ए॰
13.	भूमिका	फ्रांस
14.	बागी	दुबई
15.	भ्रष्टाचार	मोरक्को
16.	बाबी	यू॰के॰
17.	भाभी	दुबई
18.	बहारों की मंजिल	दुबई, हांगकांग, यू॰एस॰ए॰
19.	बूट पालिश	ईरान
20.	चाल बाज	मोरक्को
21.	सी॰आई॰डी॰	मोरक्को
22.	दो मतवाले	आस्ट्रेलिया, दुबई, केनिया, मोरक्को और यू॰के॰
23.	दिशा	जापान
24.	दूध का कर्ज	मोरक्को, नाईजीरिया
25.	दिल	मोरक्को, बर्मा
26.	दीदार	श्रीलंका
27.	दूसरी बीबी	दुबई
28.	दिल है के मानता नहीं	दुबई, हांगकांग, कीनिया, यू॰के॰, यू॰एस॰ए॰
29.	दुविधा	जापान
30.	ड्रीम गल	बहरीन
31.	दुश्मन देवता	दुबई
32.	डांसर	दुबई, हांगकांग, कीनिया
33.	दोस्ती	ईरान

1	2	3
34.	दोस्त गरीबों का	मोरक्को
35.	दो पल	यू॰एस॰ए॰
36.	फतह	इण्डोनेशिया, साबा, मोरक्को
37.	गुनाहों का देवता	फ्रांस
38.	घायल	मोरक्को, नाईजीरिया, बर्मा
39.	गुरु	तनजानिया
40.	गोला बारूद	तनजानिया
41.	गंगा की सौगंध	मोरक्को
42.	हम	दुबई, इण्डोनेशिया, बर्मा
43.	हर दिन प्यार का दिन	दुबई
44.	100 डेस	आस्ट्रेलिया, दुबई, हांगकांग, कीनिया, इण्डोनेशिया, यू॰के॰, यू॰एस॰ए॰
45.	हिना	आस्ट्रेलिया, दुबई, कीनिया, यू॰के॰, यू॰एस॰ए॰
46.	हत्यारा	गुयाना
47.	हाथापाई	मोरक्को
48.	हफ्ता बन्द	आस्ट्रेलिया, दुबई, कीनिया
49.	हत्या	नाईजीरिया
50.	हवालात नम्बर-13	दुबई
51.	हकूमत	आस्ट्रेलिया, दुबई, कीनिया, यू॰के॰, यू॰एस॰ए॰, इण्डोनेशिया
52.	इन्द्र जीत	आस्ट्रेलिया, दुबई, हांगकांग, कीनिया, मारीशस, यू॰के॰, यू॰एस॰ए॰
53.	इलाका	नाईजीरिया
54.	चुम्मा चुम्मा इन लंदन	आस्ट्रेलिया, दुबई, कीनिया, यू॰के॰, यू॰एस॰ए॰
55.	जिगर वाला	गुयाना
56.	जुर्म	नाईजीरिया
57.	जीवन एक संघर्ष	नाईजीरिया
58.	जलियांवाला बाग	यू॰के॰
59.	जानी मेरा नाम	दुबई
60.	जुली डांसर	दुबई
61.	जीने की सजा	दुबई
62.	जवानी के सपने	दुबई
63.	जान की कसम	गुयाना
64.	जागते रहो	ईरान
65.	कर्ज चुकाना है	आस्ट्रेलिया, दुबई, कीनिया
66.	खतरा	दुबई
67.	कुर्बान	दुबई, हांगकांग, कीनिया, यू॰के॰, यू॰एस॰ए॰
68.	कसम काली की	दुबई
69.	खून का कर्ज	दुबई
70.	कसम वर्दी की	गुयाना
71.	क्रोध	मोरक्को
72.	खतरनाक	मोरक्को
73.	खतरों के खिलाड़ी	नाईजीरिया

1	2	3
74.	कृष्णा	सिंगापुर, यू॰के॰, कनाडा
75.	खूनी रात	दुबई
76.	कालिया	मोरक्को
77.	कौन करे कुर्बानी	दुबई, हांगकांग, कीनिया
78.	कमाल गाथा	ईरान
79.	लड़ाई	मोरक्को
80.	लड़की बदनाम सी	दुबई, कीनिया
81.	मीठी मीठी रातें	दुबई
82.	मजबूर	फ्रांस
83.	मीना बाजार	दुबई
84.	मिर्जा गालिब	मॉरिशस
85.	महा संग्राम	मोरक्को
86.	मिस्टर इंडिया	श्रीलंका
87.	महाभारत	यू॰एस॰ए॰, कीनिया
88.	मोहब्बत का नशा	दुबई
89.	महादेव	दुबई
90.	मेरा दिल तेरे लिए	दुबई
91.	मजदूर	ईरान
92.	मनोरंजन	यू॰के॰
93.	नया जहर	हांगकांग
94.	नरसिम्हा	दुबई, हांगकांग, कीनिया, यू॰के॰, यू॰एस॰ए॰
95.	नसीब	तन्जानिया
96.	नमक हलाल	श्रीलंका
97.	नगीना	श्रीलंका
98.	नाचने वाले गाने वाले	दुबई, हांगकांग, कीनिया
99.	नाच गोविन्दा नाच	दुबई, हांगकांग, नाइजीरिया, यू॰के॰, कीनिया
100.	पक्का बदमाश	दुबई
101.	प्यार हुआ चोरी चोरी	आस्ट्रेलिया, दुबई, कीनिया
102.	पत्थर के फूल	दुबई, इन्डोनेशिया, यू॰एस॰ए॰
103.	प्रतिज्ञाबद्ध	दुबई, हांगकांग, कीनिया, यू॰के॰, यू॰एस॰ए॰
104.	प्रेम कैदी	दुबई, कीनिया, यू॰के॰
105.	पाप की आंधी	गुयाना, मोरक्को
106.	पाप की कमाई	मोरक्को
107.	परम धर्म	तन्जानिया
108.	फूल बने अंगारे	दुबई
109.	पाप का अन्त	मोरक्को
110.	प्रेम पैगाम	मलेशिया
111.	प्रतिकार	दुबई, हांगकांग, कीनिया, यू॰के॰, यू॰एस॰ए॰
112.	कुर्बानी रंग लायेगी	दुबई, हांगकांग
113.	रूहानी ताकत	दुबई
114.	रणभूमि	दुबई, हांगकांग
115.	राम गढ़ के शोले	दुबई

1	2	3
116.	रोटी की कीमत	मोरक्को
117.	रखवाला	मोरक्को
118.	शिकारी	आस्ट्रेलिया, दुबई, इन्डोनिशिया, कीनिया, यू॰के॰
119.	शेष नाग	बर्मा
120.	सोम मंगल शनि	मोरक्को
121.	सूत्रधार	मलेशिया
122.	सचाई की ताकत	नाइजीरिया
123.	शाहंशाह	श्रीलंका
124.	सलाम बाम्बे	सिंगापुर, युगोस्लाविया, चेकोस्लाविया
125.	शुभ यात्रा	दुबई
126.	शिकारम	आस्ट्रेलिया, दुबई, कीनिया
127.	स्वर्ग यहां नर्क यहां	आस्ट्रेलिया, दुबई, कीनिया, यू॰के॰
128.	सिसकती कलियां	दुबई
129.	शोले	जापान
130.	शेर दिल	मोरक्को
131.	सौदागर	यू॰के॰, यू॰एस॰ए॰, दुबई, कीनिया, हांगकांग, मोरिशियस, ट्रिनाड
132.	साजन	आस्ट्रेलिया, दुबई, यू॰के॰, यू॰एस॰ए॰
133.	शंकरा	दुबई, हांगकांग, कीनिया
134.	सिद्धेश्वरी	ईरान
135.	तुझे नहीं छोड़ूंगा	दुबई
136.	त्रिकाल	जापान
137.	द सोर्ड आफ टीपू सुलतान	मोरिशियस, यू॰के॰
138.	तेजाब	श्रीलंका, कोरिया, यू॰एस॰एस॰आर॰
139.	त्रिदेव	श्रीलंका
140.	थानेदार	श्रीलंका
141.	त्रिशूल	दुबई
142.	त्रिनेत्र	दुबई, हांगकांग, कीनिया, यू॰के॰, यू॰एस॰ए॰
143.	तुम मेरे हो	गुयाना
144.	उत्तर रामायण	दुबई
145.	उमराव जान	जापान
146.	विष्णु देवा	सात्रा, इन्डोनिशिया
147.	वर्दी	नाईजीरिया
148.	ये आग कब बुझेगी	आस्ट्रेलिया, दुबई, कीनिया
149.	योद्धा	गुयाना, मोरक्को
150.	जिंदगानी	सिंगापुर

तमिल

1.	अधिकारी	मलेशिया
2.	अन्बेवा	कनाड़ा
3.	अयुल कैदी	मलेशिया
4.	अर्चना आई ए॰ एस॰	मलेशिया

1	2	3
5.	अवागन	दुबई, सिंगापुर
6.	चिन्ना तम्बी	सिंगापुर
7.	चेरन पांडियन	मलेशिया
8.	धर्म युद्ध	श्रीलंका
9.	एन रासाविन मन्सिलै	मलेशिया
10.	बोम्मई कुट्टी अम्मा ठक	श्रीलंका
11.	गोपुरवासलिले	श्रीलंका
12.	इरवू सूर्य	सिंगापुर
13.	इध्या ठंवल	मलेशिया
14.	कसपूरा मुल्लै	सिंगापुर, श्रीलंका
15.	कुम्बिडरंदा कोइल	सिंगापुर
16.	कृष्ण वंदन	सिंगापुर
17.	कावल निलयन	सिंगापुर
18.	केलडि कन्मनी	श्रीलंका
19.	करकाटा कारन	श्रीलंका
20.	कविताई	श्रीलंका
21.	मुंदानै मुडिचु	श्रीलंका
22.	माइकल मधन कामराजा	श्रीलंका
23.	महामाई	मलेशिया
24.	मारि कोचन्दु	मलेशिया
25.	मिल तोशिलाली	यू० के०
26.	मुदल मर्यदाय	जापान
27.	मा नागरा कावल	मलेशिया, कनाडा, हांगकांग
28.	एम जी आर नागरिल	दुबई, मलेशिया
29.	नलताई नाडु केलकुम	सिंगापुर
30.	नडिगन	श्रीलंका
31.	नागसुंदरी	मलेशिया
32.	नन्वारगल	श्रीलंका
33.	नी पाती नान पाती	सिंगापुर
34.	कुवैल परिकातैगल	सिंगापुर
35.	पूपुता नंदवनम	मलेशिया
36.	पुदिया रागम	सिंगापुर
37.	पांडि नाडु तंगम	श्रीलंका
38.	पण कारन	श्रीलंका
39.	पुदु मनितम	श्रीलंका
40.	राजा महाराजा	सिंगापुर, मलेशिया
41.	राजा नाडै	श्रीलंका
42.	राजापारट रंगादै	कनाडा
43.	सुरगम	कनाडा
44.	संभवन	मलेशिया
45.	ताई पुसम	मलेशिया

1	2	3
46.	उरूमी गीतम	सिंगापुर
47.	उलादिल नल्ला उल्लम	मलेशिया
48.	उल्लगम पिरिदादा एन. काकै	श्री लंका
49.	वीरन वेलुतम्बी	सिंगापुर
50.	विटरी विवै	श्री लंका
51.	वा असगिल वा	मलेशिया
52.	वाकु मूलम	सिंगापुर
53.	वैदहि कल्याणम	सिंगापुर
54.	वैयस्सी पोरन्ताव	श्री लंका
55.	विझेश्वर	मलेशिया
56.	यास लिल उक येमिला	सिंगापुर
57.	वेटरी मल वेटरी	श्री लंका
58.	वांवदल उमईतान	मलेशिया
मलयालम		
1.	अमीना टेलर्स	दुबई
2.	अडयालम	दुबई
3.	इमलरिवादे	दुबई
4.	अनस्वरम	दुबई
5.	भरतम	दुबई
6.	चुवन्न कण्णुकल	दुबई
7.	चिदम्बरम	जापान
8.	धनम	दुबई
9.	इ कणि कूडि	दुबई
10.	एडे सूर्य पुत्रिकु	दुबई
11.	गुड बाई टू मद्रास	दुबई
12.	इंस्पेक्टर बलराम	दुबई
13.	इनी मोक्कम	दुबई
14.	केली	दुबई
15.	कनलक्काटम	दुबई
16.	मनमथा संरगल	दुबई
17.	मोहिनीला रावतु	दुबई
18.	मिस लिटिला	दुबई
19.	मुखचित्रम	दुबई
20.	नयम व्यक्ता मक्कुणु	दुबई
21.	1921	ईरान
22.	पूक्कालम वरवाई	दुबई
23.	पेरुन्तच्चन	दुबई
24.	रेखम वरवू	दुबई

1	2	3
25.	टीनएजलव	दुबई
26.	तुळरकमटा	दुबई
27.	तुवल स्पर्शम	यू॰एस॰ए॰, मलेशिया
28.	अंचल वन	दुबई
29.	वैशाली	सिंगापुर
30.	विद्यारंभ	दुबई
31.	विष्णु लोकम	दुबई
32.	वस्तुहारा	दुबई
33.	वसयम	दुबई
बंगाली		
1.	अपूर संसार	कनाडा, इटली, यू॰के॰
2.	अपराजित	कनाडा, इटली, यू॰के॰
3.	अशनि संकेत	कोरिया, ईरान
4.	अरन्येर दिन रात्रि	आस्ट्रेलिया
5.	चारूलता	यू॰के॰
6.	गणशत्रु	सिंगापुर
7.	घरे बाइरे	सिंगापुर
8.	जन अरन्य	आस्ट्रेलिया, यू॰के॰
9.	जलसाघर	सिंगापुर, यू॰के॰, जापान
10.	पाथेर पांचालि	कनाडा, इटली, यू॰के॰
अंग्रेजी		
1.	नेहरू दि ज्वेल आफ इंडिया	ईरान
तेलुगु		
1.	स्वाति मुत्युम	मलेशिया
2.	दासी	हंगरी
मराठी		
1.	उम्बरठा	यू॰के॰

टिप्पणी:

1. उपर्युक्त आंकड़े लदान से पूर्व पास किए गए जहाजी बिलों के किन्तु माध्यम एजेंसी (राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम) द्वारा रजिस्टर किए गए संविदाओं के हैं।
2. उपर्युक्त सूचना के राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के अपने/सीधे निर्यात शामिल हैं।
3. उपर्युक्त सूचना फिल्मों के प्रथम गंतव्य स्थल पर आधारित है जैसा कि विभिन्न बिलों में दिखाया गया है।

II. वर्ष 1991-92 में वीडियो अधिकारों का भाषावार सारणीकृत निर्यात (अप्रैल से अगस्त)

क्रम सं॰	फिल्म का नाम	
1	2	3
हिन्दी		
1.	शिकारी	
2.	अजूबा	
3.	बेनाम बादशाह	
4.	ये आग कब बुझेगी	
5.	जान पहचान	
6.	आई मिलन की रात	
7.	अफसाना प्यार का	
8.	कर्ज चुकाना है	
9.	शादी और बरबादी	
10.	आरजू	
11.	आंखे	
12.	गीत	
13.	ललकार	
14.	जलते बदन	
15.	हमराही	
16.	वीर मंगल दादा	
17.	चरस	
18.	राम भरोसे	
19.	हम तेरे आशिक हैं	
20.	प्रेम बन्धन	
21.	दो मतवाले	
22.	चुम्मा चुम्मा इन लन्दन	
23.	अपमान की आग	
24.	हमने प्यार किया	
25.	हम	
26.	कुर्बानी रंग लायेगी	
27.	लखपति	
28.	मीना बाजार	
29.	प्यार हुआ चोरी चोरी	
30.	शिवा	
31.	इज्जत	
32.	कसम्मा	
33.	हिना	
34.	प्रेम कैदी	
35.	दृष्टि	

1	2	3
36.	फूल बने अंगारे	
37.	हाउस नम्बर-13	
38.	हफ्ता बन्द	
39.	35 वां राष्ट्रीय फिल्म फेयर आवार्ड	
40.	त्रिनेत्र	
41.	प्रतिज्ञा बद्ध	
42.	स्वर्ग यहां नर्क यहां	
43.	कुर्बान	•
44.	100 दिन	
45.	शम्मी कपूर	
46.	आखिरी चीख	
तमिल		
1.	चिन्ना ताम्बी	
2.	पावन पवन ताम	
3.	करपुरा मुलयै	
4.	इंगे ऊरू सिपाही	
5.	अधिकारी	
6.	...ध्या विसाल	
7.	... रिपोर्ट	
8.	कावल निलयम	
9.	नलतई नाडु केलकुम	
10.	नागसुन्दरी	
11.	महाप्रभई	
12.	मारि कोषन्दु	
13.	एनगल स्वामी अय्यापन	
14.	स्वामी पोट्टु मोडयू	
15.	चेरन पांडियन	
16.	विघ्ननेश्वर	
17.	तंदुकिट्टेन एनै	
18.	राजा महाराजा	
19.	अयुल कैदी	
20.	वाकु मूलम	
21.	पुदिया रागम	
22.	अर्चना आई॰ए॰एस॰	
23.	शत्रु	
24.	सिंदूरी देवी	
25.	वैदहि कल्याणम	
26.	इक्षयू सूर्यनम	
27.	मांदगल एलु	
28.	पोन्नकु सेती वंदानु	
29.	पोझाति पोझांतितान	

1	2	3
30.	मतीई चरल	
31.	ओलु तेरियादे	
32.	सेवकम	
33.	वासलिल उस वेनिला	
34.	नी पती नान पती	
35.	अचचन	
36.	वासंदल उतझैतान	
37.	एम॰जी॰आर॰ नगरिल	
मलयालम		
1.	इक कामिनी कूडि	
2.	शुभयात्रा	
3.	पुक्कालम वरवाई	
4.	मोविल्ला राजतून	
5.	विष्णु लोकम	
6.	कनलकाट्टु	
7.	चेमपियन थोमस	
8.	व्यूहम	
9	अनस्वरम	
10.	मुखचित्रम	
पंजाबी		
1.	अनख जवानी दी	

टिप्पणी: सामान्यतः समूचे विदेश के लिए वीडियो अधिकार एक ही विदेशी खरीददार को बेच दिए जाते हैं।

विवरण-II

वर्ष 1991-92 (अप्रैल से मार्च) के लिए राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के सीधे निर्यात

क्रम संख्या	नाम	भाषा	देश का नाम	बेचे गये अधिकार
1	2	3	4	5
1.	अंकुर	हिन्दी	आस्ट्रेलिया.	नान-एक्सक्लू/टी एच
2.	जनअरण्य	बंगाली	"	"
3.	अरण्येर दिनरात्रि	बंगाली	"	"
4.	गंगा जमुना	हिन्दी	"	"
5.	अपूर संसार	बंगाली	"	"
6	अपराजितो	बंगाली	"	"
7.	मन्थन	हिन्दी	"	"
8.	टैंकर	हिन्दी	"	"
9.	हलोदिया चोराया बोदान खाई	असमिया	"	"
10.	अंकुर	हिन्दी	"	टीवी
11.	भूमिका	हिन्दी	"	"

1	2	3	4	5
12.	घरे बाहिरे	बंगाली	बेल्जियम	आवारवल
13.	शेषनाग	हिन्दी	बर्मा	टी एच
14.	वेटरी विधा	तमिल	"	"
15.	अपूर संसार	बंगाली	कनाडा	मान टी
16.	अपराजितो	बंगाली	"	"
17.	पाथेर पंचाली	बंगाली	"	"
18.	सलाम बम्बे	हिन्दी	चेकोस्लोवाकिया	मान काम
19.	गंगा जमुना सरस्वती	हिन्दी	चीन	टी एच/टीवी/वी
20.	देश प्रेमी	हिन्दी	इजीप्ट	"
21.	भूमिका	हिन्दी	फ्रांस	"
22.	दासी	तेलुगु	हंगरी	टीवी
23.	आतंक	बंगाली	ईरान	"
24.	1921	मलयालम	"	टी एच/एल/टी एच/टी
25.	दोस्ती	हिन्दी	"	"
26.	बूट पालिस	हिन्दी	"	"
27.	जागते रहो	हिन्दी	"	"
28.	आसमानी संकेत	बंगाली	"	"
29.	नेहरू	अंग्रेजी	"	"
30.	कव्वाल गाथा	हिन्दी	"	मान टी एच
31.	सिद्धेश्वरी	हिन्दी	"	एल-टी एच/आरकाईवल
32.	अपराजितो	बंगाली	इटली	मान काम
33.	अपूर संसार	बंगाली	"	"
34.	पाथेर पंचाली	बंगाली	"	"
35.	अर्न्तजल. यात्रा	बंगाली	"	टी एच/एच-टी एच/टी
36.	अपूर संसार	बंगाली	जापान	टरसटीकल एंडसीयाम
37.	अपराजितो	बंगाली	"	"
38.	पाथेर पंचाली	बंगाली	"	"
39.	दिशा	हिन्दी	"	नान काम॰
40.	शोले	हिन्दी	"	टी॰ वी॰
41.	आवारा	हिन्दी	"	"
42.	उमराव जान	हिन्दी	"	"
43.	दुविधा	हिन्दी	"	"
44.	बल सागर	बंगाली	"	"
45.	मुदल मरयादई	तमिल	"	"
46.	चिदम्बरम	मलयालम	"	आरकाईवल
47.	स्ट्रीट सिंगर	हिन्दी	"	"
48.	डा॰ कोतनीस की अमर कहानी	हिन्दी	"	"
49.	आवारा	हिन्दी	"	"
50.	दो बीघा जमीन	हिन्दी	"	"
51.	प्यासा	हिन्दी	"	"
52.	शोले	हिन्दी	"	"
53.	मुगम्मन पिर्दई	तमिल		

1	2	3	4	5
54.	उमराव जान	हिन्दी	"	"
55.	मुदल मरयादई	तमिल	"	"
56.	जल सागर	बंगाली	"	"
57.	मघे ढाका तारा	बंगाली	"	"
58.	दुविधा	हिन्दी	"	"
59.	गर्म हवा	हिन्दी	"	"
60.	खारीज	बंगाली	"	"
61.	इलीपह्ताआयायम	मलयालम	"	"
62.	त्रिकाल	हिन्दी	"	"
63.	चम्मीन	मलयालम	"	"
64.	तनीर तनीर	तमिल	"	"
65.	उमरता	मराठी	"	"
66.	पाणि अम्मा	कन्नड	"	"
67.	स्मृति चित्रे	मराठी	जापान	"
68.	पार	हिन्दी	"	"
69.	उप्प	मलयालम	"	"
70.	ये वे मंजिल तो नहीं	हिन्दी	"	"
71.	दिशा	हिन्दी	टी॰वी॰	टी॰वी॰
72.	असानी संकेत	बंगाली	कोरिया	"
73.	अग्नि पथ	हिन्दी	"	टी एच/टीवी/वी
74.	मेरा नाम जोकर	हिन्दी	लीप्पा/पेक	टी एच/एल/टी एच
75.	नम्बरी आदमी	हिन्दी	मलेशिया	टीवी
76.	नेहरू	अंग्रेजी	पेर्चगल	टी एच/टीवी/वी
77.	वेशाली	मलयालम	सिंगापुर	टीवी
78.	गणशत्रु	बंगाली	"	"
79.	जल सागर	बंगाली	"	"
80.	घरे बाहिरे	बंगाली	"	"
81.	सलाम बम्बे	हिन्दी	"	"
82.	परसी	गुजराती	"	"
83.	माने	कन्नड़	"	"
84.	मारही दा देवा	पंजाबी	"	"
85.	इरवील ओरू पगल	तमिल	श्री लंका	"
86.	मण वासनई	तमिल	"	"
87.	अकेला	हिन्दी	स॰ अमरीका	टी एच/वी
88.	बंजारन	हिन्दी	"	टी एच/होम वी॰
89.	लव	हिन्दी	"	"
90.	दिशा	हिन्दी	ताईवान	एन काम॰
91.	अर्मरता	मराठी	यू॰ के॰	एन टी एच/टी
92.	पत्थरे पांचाली	बंगाली	"	टी वी
93.	अपराजितो	बंगाली	"	"
94.	अपूर संसार	बंगाली	"	"
95.	जल सागर	बंगाली	"	"

1	2	3		
96.	जन अरण्य	बंगाली	"	"
97.	अपक लता	बंगाली	"	"
98.	तेजाब	हिन्दी	यू एस एस आर	टी एच/वी
99.	आखरी अदालत	हिन्दी	"	"
100.	जवांई राजा	हिन्दी	"	"
101.	फतेह	हिन्दी	"	"
102.	सौगध	हिन्दी	"	"
103.	अफसाना प्यार का	हिन्दी	"	"
104.	मेरी जुबान	हिन्दी	"	"
105.	सनम तेरी कसम	हिन्दी	"	टी एच/वी
106.	नाम	हिन्दी	"	का०/नान का०/वी
107.	हमारा खानदान	हिन्दी	"	टी एच/वी
108.	क्रोध	हिन्दी	"	"
109.	स्वर्ग	हिन्दी	"	"
110.	बहार आने तक	हिन्दी	"	"
111.	पत्थर के फूल	हिन्दी	"	"
112.	अशान्ति	हिन्दी	"	"
113.	दीवार	हिन्दी	"	"
114.	बेनाम बादशाह	हिन्दी	"	"
115.	सलाम बम्बे	हिन्दी	यूगोस्लाविया	टी वी/वी

टिप्पणी: उपर्युक्त निर्यात को सरणीकृत निर्यात अनुबंध-1 के आंकड़ों में आंशिक रूप से दर्शाया गया है। चूंकि अगस्त, 1991 में विसकीकरण होने तक राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम सरणीकृत एजेंसी थी।

विवरण-II

अप्रैल, 1992 से जून, 1992 की अवधि के लिए राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के अपने/सीधे निर्यात

क्रम संख्या	शीर्षक	भाषा	देश का नाम
1	2	3	4
1.	आगन्तुक	बंगाली	जापान
2.	दिशा	हिन्दी	आटोरिलिया
3.	मजदूर	हिन्दी	ईरान
4.	मीटिंग ए माईलसटोन	अंग्रेजी	"
5.	बाग बहादुर	हिन्दी	"
6.	अलोदी चोरिया	असमिया	"
7.	अकयाला	हिन्दी	"
8.	बंस	हिन्दी	साऊथ अफ्रीका
9.	यारा दिलदारा	हिन्दी	"
10.	झुठी शान	हिन्दी	"
11.	अकयाला	हिन्दी	"

1	2	3	
12.	कर्मयोद्धा	हिन्दी	"
13.	जंगल का बेटा	हिन्दी	"
14.	साधक	हिंदी	"
15.	मेरी जानेमन	हिन्दी	"
16.	अनाड़ी खिलाड़ी	हिन्दी	"
17.	बंजारन	हिन्दी	"
18.	पनाह	हिन्दी	"
19.	आई लव यू	हिन्दी	"
20.	नया जहर	हिन्दी	"
21.	लम्हे	हिन्दी	"
22.	प्रहार	हिन्दी	"
23.	सौ करोड़	हिन्दी	"
24.	अधूरा फैसला	हिन्दी	"
25.	रुपये दस करोड़	हिन्दी	"
26.	शोला और शबनम	हिन्दी	"
27.	लव	हिन्दी	"
28.	दुल्हन खुद एक दहेज है	हिन्दी	"
29.	बुरे फंसे	हिन्दी	"
30.	छुपते छुपते	हिन्दी	"
31.	चार कुंवारे	हिन्दी	साऊथ अफ्रीका
32.	मिर्जा की शादी	हिन्दी	"
33.	प्यार का साया	हिन्दी	"
34.	इन्साफ की देवी	हिन्दी	"
35.	मेरे सजना साथ निभाना	हिन्दी	"
36.	चौपट राजा	मराठी	"
37.	मनोरंजन	हिन्दी	"
38.	त्रिदेव	हिन्दी	चीन
39.	सनम बेवफा	हिन्दी	यू एस एस आर
40.	सोने पे सुहागा	हिन्दी	मलेशिया
41.	खुदा गवाह	हिन्दी	साऊथ अफ्रीका
42.	दौलत की जंग	हिन्दी	"
43.	लक्ष्मण रेखा	हिन्दी	"
44.	जिन्दगी एक जुआ	हिन्दी	"
45.	तुलसीदास	हिन्दी	"
46.	इन्तीहा प्यार की	हिन्दी	"
47.	जो जीता वही सिकन्दर	हिन्दी	"
48.	अधर्म	हिन्दी	"
49.	जंजीर	हिन्दी	"
50.	हमला	हिन्दी	"
51.	अपना जहान	हिन्दी	"
52.	त्यागी	हिन्दी	"
53.	मरूधकम	तमिल	सिंगापुर

1	2	3	
54.	जाग उठा इन्सान	हिन्दी	श्री लंका
55.	पनाह	हिन्दी	"
56.	अपना जहान	हिन्दी	"
57.	सितम	हिंदी	"
58.	बैराग	हिन्दी	"
59.	महबूब	हिन्दी	"
60.	मैं जिन्दा हूं	हिन्दी	"
61.	एक लड़का एक लड़की	हिन्दी	साऊथ अफ्रीका
62.	दीवाना	हिन्दी	"
63.	नेहरू द ज्वैल ऑफ इंडिया	अंग्रेजी	"
64.	लम्बू दादा	हिन्दी	"
65.	सनम आपकी खातिर	हिन्दी	"
66.	नाच गोविन्दा नाच	हिन्दी	"
67.	लाट साहब	हिन्दी	साउथ अफ्रीका
68.	दाला पथेह	तमिल	"
69.	गंगा का वचन	हिन्दी	"
70.	शियासत	हिन्दी	"
71.	आगन्तुक	बंगाली	फ्रांस और यूरोप
72.	पिराची	मलयालम	ईरान

विदेशों में भारत पर्यटन कार्यालय

*1866. **श्री हरीश नारायण प्रभु झाटये:** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन देशों से, जहां हमारे पर्यटन कार्यालय स्थित हैं, पर्यटकों के आगमन का ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन पर्यटकों से देश-वार, कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई और उन पर कितनी धनराशि खर्च हुई;

(ग) क्या सरकार का विचार वर्तमान वित्तीय संकट को देखते हुए विदेशों में कुछ पर्यटन कार्यालयों को बंद करने का तथा उनके कार्य को अन्य कार्यालयों को पुनः आवंटित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) जिन देशों में भारत पर्यटन कार्यालय हैं उन देशों से 1991-92 में पर्यटकों के आगमन की संख्या और वहां पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए निर्धारित पिछले तीन वर्षों के बजट का विवरण इस प्रकार है:—

देश/देशों के नाम	1991-92 में आने वाले पर्यटकों की अनुमानित संख्या	योजना बजट (लाख रुपये में)		
		1989-90	1990-91	1991-92
सं० राज्य अमरीका और कनाडा	180048	596.35	490.00	560.00
ब्रिटेन	221417	281.50	308.00	330.00
जर्मनी और स्वीडन	88571	305.50	344.15	295.00
नीदरलैंड और स्विटजरलैंड	52483	94.50	134.00	160.00
फ्रांस और स्पेन	86243	175.00	260.00	290.00
इटली	52262	66.66	72.00	80.00
जापान और थाइलैंड	59285	254.00	350.00	500.00
संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन	47131	150.00	195.00	200.00
आस्ट्रेलिया	22574	100.70	110.00	130.00
सिंगापुर	26077	35.00	25.00	50.00
मलेशिया	25657	32.25	29.20	50.00

पर्यटन से प्राप्त होने वाली विदेशी मुद्रा का राष्ट्रवार ब्यौरा नहीं रखा जाता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राप्त कुल आय इस प्रकार है:

वर्ष	आय (करोड़ों में)
1989-90	2456.49
1990-91	2444.00
1991-92	3318.62

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

बिहार के सूखा प्रवण क्षेत्रों में भूमिगत जल

1867. श्री रामदेव राम: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बिहार के सूखा प्रवण क्षेत्रों में भूमिगत जल की उपलब्धता के बारे में कोई सर्वेक्षण कराया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) जी हां।

(ख) केन्द्रीय भू-जल बोर्ड ने बिहार के सूखा प्रवण क्षेत्रों के भूमिगत जल संसाधनों के जल भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण और वैज्ञानिक अन्वेषण किए हैं। उपर्युक्त सर्वेक्षण के परिणामों के आधार पर राज्य के सूखा प्रवण क्षेत्रों, जिनमें मुंगेर, नवादा, पालामऊ, रोहतास और गोंडा जिले शामिल हैं, के भू-जल संसाधन 4.752 घन किलोमीटर आंके गये हैं।

महानगरों में सम्पर्क सड़कों पर टेलीफोन सेवा केन्द्र

1868. श्री डी॰ वेंकटेश्वर राव: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार चारों महानगरों की सम्पर्क सड़कों पर सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना को किन-किन शहरों में स्थापित किया जायेगा;

(ग) इसके लिए कुल कितनी धनराशि की आवश्यकता होगी; और

(घ) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिया जायेगा?

संचार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री पी॰ वी॰ रंगय्या नायडू): (क) से (घ) फिलहाल सरकार की महानगरों को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों सहित सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर प्रारम्भ में 50 कि॰ मी॰ की दूरी पर सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान करने की योजना है। यह सार्वजनिक टेलीफोनों के जरिए पहुंच बढ़ाने की हमारी स्कीम का एक भाग है, अतः इसके लिए अलग से कोई राशि आवंटित नहीं की गई है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में दूर-संचार प्रणाली के लिए कार्य दल

1869. श्री चित्त बसु: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र में दूरसंचार प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए एक कार्यदल गठित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है?

संचार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री पी॰ वी॰ रंगय्या नायडू): (क) जी हां।

(ख) विवरण संलग्न है।

विवरण

उत्तर पूर्व दूरसंचार टास्क फोर्स द्वारा अब तक की गई प्रगति का ब्यौरा निम्नानुसार है:—

1. उत्तर पूर्व क्षेत्र टास्क फोर्स में उत्तर पूर्व क्षेत्र के 7 राज्य आते हैं।

2. संचार परियोजनाएं:

(क)	माइक्रोवेव स्कीमें चालू की गई	14
(ख)	यू एच एफ स्कीमें चालू की गई	64
(ग)	एम ए आर आर स्कीमें चालू की गई	10
(घ)	अतिरिक्त समूह चालू किए गए	340 समूह

(ङ) ओपेन वायर प्रणालियां (3 चैनल और 8 चैनल) चालू की गई 35 प्रणालियां

(च) वी एफ टी प्रणालियां 50 प्रणालियां

3. स्विचिंग परियोजनाएं:

टास्क फोर्स द्वारा स्थानीय टेलीफोन एक्सचेंज क्षमता की लगभग 50,000 लाइनें चालू की गई।

4. उत्तर पूर्व क्षेत्र में दूरसंचार के आधुनिकीकरण और विकास के क्षेत्र में हुई निम्नलिखित महत्वपूर्ण उपलब्धियों का श्रेय टास्क फोर्स, और उत्तर पूर्व तथा असम के क्षेत्रीय सर्किलों के संयुक्त प्रयासों को दिया जाता है:—

(I) टेलीफोन एक्सचेंजों को आटोमेटिक बनाना:

1991-92 के दौरान क्षेत्र के टेलीफोन एक्सचेंजों को पूर्णरूप से आटोमेटिक बना दिया गया।

(II) एक्सचेंजों को इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों में बदलना:

31.3.92 की स्थिति के अनुसार क्षेत्र में इलेक्ट्रानिक स्विचिंग क्षमता 66.6 प्रतिशत तक अर्जित कर ली गई है।

(III) एस॰ टी॰ डी॰ सुविधा

1.4.1992 की स्थिति के अनुसार क्षेत्र में सभी जिला मुख्यालयों में राष्ट्रीय उपभोक्ता डायलिंग/अंतराष्ट्रीय उपभोक्ता डायलिंग सुविधा प्रदान कर दी गई है।

(IV) ट्रंक स्विचिंग

गुवाहाटी और जोरहाट में डिजिटल ट्रंक आटोमेटिक एक्सचेंज चालू किए गए हैं जिसके परिणामस्वरूप उत्तर पूर्व क्षेत्र को राष्ट्रीय ट्रंक नेटवर्क के साथ जोड़ने में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

(V) लंबी दूरी के संचारण माध्यम

क्षेत्र में लंबी दूरी के विश्वसनीय संचारण माध्यम अर्थात् माईक्रोवेव, यू एच एफ, उपग्रह व्यापक स्तर पर प्रदान किए गए हैं और क्षेत्र में इस प्रकार की अधिकाधिक प्रणालियां तथा फाइबर आप्टिक प्रणालियां शुरु किए जाने संबंधी योजनाएं तैयार की गई हैं।

लघु सिंचाई संसाधनों का विकास

1870. श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय व्यापार और उद्योग मंडल ने अप्रयुक्त लघु सिंचाई संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए लघु सिंचाई विकास कार्य को फिर से शुरू करने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या किसानों द्वारा लघु भूतलीय तथा भूमिगत दोनों ही प्रकार के सिंचाई स्रोतों का दोहन करने हेतु जवाहर रोजगार योजना का धनराशि का उपयोग करने के लिए पर्याप्त सुविधा उपलब्ध की गई है?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) और (ख) भारतीय व्यापार और उद्योग मंडल की कृषि एवं सामाजिक कल्याण समिति के अध्यक्ष ने देश में शेष अप्रयुक्त लघु सिंचाई क्षमता को काम में लाने के लिए अनेक सुझाव दिए हैं। लघु सिंचाई क्षमता के त्वरित विकास के लिए पहले से ही बल दिया जा रहा है। आठवीं योजना में लघु सिंचाई के माध्यम से क्षमता के विकास पर पर्याप्त बल दिया गया है। तदनुसार लघु सिंचाई के अन्तर्गत 107 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित करने का अब तक का

अधिकतम लक्ष्य आठवीं योजना (1992-97) में रखा गया है जिसे राष्ट्रीय विकास परिषद ने पहले ही अनुमोदित कर दिया है।

(ग) जवाहर रोजगार योजना निधि का 20% इसकी उप स्कीम, मिलियन वैल्स स्कीम के लिए निर्धारित किया जाता है। इस स्कीम में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के गरीब, छोटे और सीमान्त कृषकों तथा मुक्त बंधुआ मजदूरों को निःशुल्क खुले सिंचाई कुएं प्रदान करने की व्यवस्था है। जहां, भू-वैज्ञानिक तथ्यों की वजह से कुंए; व्यवहार्य नहीं हैं वहां मिलियन वैल्स स्कीम के अंतर्गत आबंटित राशि का उपयोग लघु सिंचाई आदि से संबंधित अन्य स्कीमों के लिए किया जा सकता है। वर्ष 1992-93 के दौरान मिलियन वैल्स स्कीम के क्रियान्वयन के लिए 511.24 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं।

[हिन्दी]

आकाशवाणी के कार्यक्रमों के लिए विद्यार्थियों और युवाओं को प्रोत्साहन

1871. **श्री राजेश कुमार:**
श्रीमती शीला गौतम:

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रसारण के लिए नाटकों के निर्माण हेतु विद्यार्थियों और युवाओं को प्रोत्साहित करने का है;

(ख) यदि हां, तो इन कार्यक्रमों का संक्षिप्त ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास): (क) से (ग) आकाशवाणी के पास, युववाणी कार्यक्रमो के प्रसारण हेतु युवाओं और छात्रों को नाटक तैयार करने के लिए प्रोत्साहित करने की व्यवस्था है। आकाशवाणी विभिन्न केन्द्रों पर समय-समय पर होने वाले ड्रामा परीक्षण के माध्यम से इच्छुक युवाओं को ड्रामा आर्टिस्ट के रूप में भी भर्ती करता है। इस व्यवस्था को आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जारी रखने का प्रस्ताव है।

महाराष्ट्र में टेलीफोन एक्सचेंजों का विस्तार और आधुनिकीकरण

1872. **श्री विलासराव नागनाथराव गूंडेवार:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार महाराष्ट्र के नान्देड़ और परभनी जिलों में टेलीफोन एक्सचेंजों का आधुनिकीकरण तथा विस्तार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) यह कार्य कब तक किया जायेगा?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू): (क) जी हां।

(ख) नान्देड़ में 1994-95 के दौरान 2000 लाइनों के एक सी-डॉट एक्सचेंज के संस्थापन की योजना है और 1500 लाइनों द्वारा इसका पुनः विस्तार किया जाएगा।

(ii) परभनी स्थित 1900 लाइनों के वर्तमान आटोमेटिक एक्सचेंज के स्थान पर 3000 लाइनों का एक सी-डॉट इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक लगाए जाने की योजना है।

(iii) नान्देड़ और परभनी जिलों के सभी मैनुअल एक्सचेंजों को 1992-93 के दौरान इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों द्वारा बदलने की योजना है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) एक्सचेंजों को आधुनिक बनाने तथा विस्तार करने की योजना को पूरा किया जाना है जैसा उपरोक्त भाग "ख" में उल्लेख किया गया है।

[अनुवाद]

कोजीकोड केरल से खाड़ी के देशों के लिए उड़ानें

1873.' **श्री वी०एस० विजयराघवन:** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार कोजीकोड, केरल से खाड़ी के विभिन्न देशों के लिए और अधिक विमान चलाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया): (क) से (ग) राष्ट्रीय विमान कम्पनियों से इस प्रकार का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

टेलीफोन शिकायतों को सुनने के लिए समय-सीमा

1874. **श्री जी० एल० शर्मा 'प्रेम':**
श्री फूल चन्द वर्मा:
श्री अरविन्द नेताम:

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में टेलीफोन 198 की सेवा ठीक ढंग से कार्य नहीं कर रही है;

(ख) क्या प्रयोक्ताओं द्वारा टेलीफोन खराब होने के बारे में इस सर्विस नम्बर पर की गई शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया जाता है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) प्रयोक्ताओं द्वारा रिपोर्ट की गई टेलीफोन की खराबियों को ठीक करने के लिए अधिकतम कितना समय निर्धारित किया गया है; और

(ङ) सेवा में सुधार हेतु क्या उपचारात्मक किए जाने का विचार है?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० जी० रंगय्या नायडू): (क) टेलीफोन सेवा "198" संतोषजनक

ढंग से कार्य कर रही है।

(ख) जी नहीं। "198" पर बुक की गई शिकायतों पर समुचित ध्यान दिया जाता है और ऐसी शिकायतों और उस पर की गई कार्रवाई का रिकार्ड रखा जाता है।

(ग) लागू नहीं होता।

(घ) अधिकांश खराबियां अगले दिन ठीक कर दी जाती हैं। भूमिगत केबिलों में व्यवधान के कारण उत्पन्न कुछ खराबियों को ठीक करने में थोड़ा अधिक समय लग जाता है।

(ङ) मॉनीटरिंग का कार्य बेहतर और तत्पर बनाने के लिए इस सेवा का निवारण उत्तरोत्तर रूप से करने का कार्य शुरु किया गया है।

[अनुवाद]

बिहार में संसद सदस्यों के कोटे से टेलीफोन कनेक्शन

1875. श्री कड़िया मुंडा: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संसद सदस्यों के कोटे से टेलीफोन कनेक्शन जारी करने का कार्य मुख्य महाप्रबन्धक बिहार सर्किल के कार्यालय में जनवरी, 1992 से लम्बित पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कनेक्शन जारी करने में विलम्ब के क्या कारण हैं और इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी॰ जी॰ रंगय्या नायडू): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

औरंगा सिंचाई परियोजना जिला पलामू बिहार

1876. श्री ललित उरांव:
श्री रामदेव राम:

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार में पलामू जिले की औरंगा सिंचाई परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है और इसके कब तक पूरा होने की संभावना है; और

(ख) परियोजना पर अब तक कितना धन खर्च किया गया है और अधिग्रहित भूमि में से कितनी भूमि का मुआवजा दे दिया गया है तथा शेष भूमि का मुआवजा कब तक दिये जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): बिहार की औरंगा जलाशय परियोजना की नवीनतम अनुमानित लागत 298 करोड़ रुपए है। इस परियोजना को आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97) से आगे ले जाए जाने का कार्यक्रम है।

(ख) मार्च, 1992 तक परियोजना पर आया प्रत्याशित व्यय 13.87 करोड़ रुपए है। अधिग्रहित की गयी

तथा मुआवजा दी गयी भूमि का ब्यौरा राज्य सरकार से एकत्र किया जा रहा है तथा इसें सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

दूरदर्शन केन्द्रों से उर्दू में समाचार प्रसारण

1877. **श्री एन० जे० राठवा:** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कुछ दूरदर्शन केन्द्रों से उर्दू में समाचार बुलेटिन प्रसारण करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो उर्दू में समाचार बुलेटिन का प्रसारण किन-किन केन्द्रों से किया जाएगा; और

(ग) इसका प्रसारण कब से शुरु किए जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास): (क) से (ग) दूरदर्शन के दिल्ली (मेट्रो चैनल) लखनऊ और पटना और हैदराबाद केन्द्रों से। मई, 1992 को 5 मिनट का उर्दू समाचार बुलेटिन शुरू किया गया है। शीघ्र ही दूरदर्शन केन्द्र कलकत्ता से एक ऐसा बुलेटिन भी शुरू किया जाएगा।

[अनुवाद]

हैदराबाद हवाई अड्डे को अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाना

1878. **श्री धर्मभिक्षम:** क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हैदराबाद हवाई अड्डे का आधुनिकीकरण करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस हवाई अड्डे का दर्जा बढ़ाकर इसे अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया): (क) जी, हां।

(ख) वर्तमान टर्मिनल भवन का विस्तार और नये ब्लाक का निर्माण।

(ग) और (घ) हैदराबाद के लिए अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों का परिचालन पहले से ही किया जा रहा है। इसे अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने की इस समय कोई योजना नहीं है। वर्तमान पांच अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, अर्थात् दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और त्रिवेन्द्रम को वर्तमान यातायात आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त समझा गया है।

उत्तर प्रदेश में पर्वतीय ज़िलों में डाकघर

1879. **मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवनचन्द खंडूरी:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश के पौड़ी और चमोली जिलों में वर्ष-वार तथा स्थानवार कितने शाखा डाकघर, उप-डाकघर तथा विभागेत्तर डाकघर स्वीकृत किए गए;

(ख) क्या उक्त डाकघरों में कार्य शुरु हो गया है;

(ग) यदि नहीं, तो विलंब के क्या कारण हैं; और

(घ) इन डाकघरों में कब तक कार्य शुरु हो जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी॰ वी॰ रंगय्या नायडू): (क) वर्ष 1989-90, 1990-91 और 1991-92 के दौरान उत्तर प्रदेश के पौढ़ी और चमोली जिलों के लिए मंजूर किए गए डाकघरों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) जी हां।

(ग) और (घ) उपर्युक्त (ख) में दिए गए उत्तर को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

वर्ष 1989-90, 1990-91 और 1991-92 के दौरान उत्तर प्रदेश के पौढ़ी और चमोली जिलों के लिए मंजूर किए गए डाकघरों का ब्यौरा

	पौढ़ी		चमोली	
वर्ष	क्रम सं॰	अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर का नाम	क्रम सं॰	अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर का नाम
1989-90	1.	डटिडा	1.	रतोड़ा
1990-91	1.	कुरीगांव	1.	हदोली
	2.	अगरोड़ा	2.	सारी
	3.	रायसोली	3.	तुलंगा
1991-92	1.	पाली	1.	जखनोली
	2.	गढ़कोट	2.	सोनू
	3.	फालदा	3.	मोल्ली नयारी
	4.	बधौलू	4.	सरना आइरास
	5.	चौरिखा	5.	तंदुरा
	6.	गबरी	6.	रौपा
			7.	पिंडवली
			8.	अगार

कोई अतिरिक्त विभागीय उप-डाकघर अथवा विभागीय उप-डाकघर मंजूर नहीं किया गया।

ए-320 एयरबस

1880. श्री सैयद शाहाबुद्दीन: क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री 16 मार्च, 1992 के तारांकित प्रश्न संख्या 265 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे किअ

(क) क्या 14 जनवरी, 1990 को हुई दुर्घटना की जांच की रिपोर्ट एयरबस ए-320 के निर्माताओं को उनकी टिप्पणी के लिए भेज दी गई है, और यदि हां, तो रिपोर्ट भेजने की तिथि और उसके उत्तर की तिथियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या 20 जनवरी, 1992 को फ्रांस में हुई दुर्घटना के संबंध में फ्रांस के नागर विमानन अधिकारियों से कोई रिपोर्ट मांगी गई है;

(ग) 5 जून, 1989 को हुई समझौते के अन्तर्गत 12 अतिरिक्त विमानों की सप्लाई कब तक होगी;

(घ) क्या समझौते में विशेष परिस्थितियों में खरीदकर्ता द्वारा समझौते को निरस्त करने का भी प्रावधान है; और

(ङ) यदि हां, तो क्या इन परिस्थितियों में निर्माण अथवा डिजायन संबंधी दोष का पता लगाना भी शामिल है जिससे उसकी उड़ान क्षमता प्रभावित हो?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया): (क) जी, हां। विनिर्माता को रिपोर्ट 29-1-1991 को प्रस्तुत की गई थी और उसका उत्तर दिनांक 25-3-1991 के पत्र द्वारा प्राप्त हुआ था।

(ख) जी, हां।

(ग) 5 जून, 1989 के करार के अधीन, सप्लाई अनुसूची को बताने वाला एक विवरण संलग्न है।

(घ) जी, हां।

(ङ) जी, नहीं। तथापि, विनिर्माता को विमान की डिलवरी उड़ान-योग्यता प्रमाण-पत्र के साथ करनी होती है।

विवरण

पहला विमान	दिसम्बर, 1990
दूसरा विमान	दिसम्बर, 1990
तीसरा विमान	जनवरी, 1991
चौथा विमान	जनवरी, 1991
पांचवां विमान	फरवरी, 1991
छठा विमान	मार्च, 1991
सातवां विमान	नवम्बर, 1991
आठवां विमान	नवम्बर, 1991
नवां विमान	दिसम्बर, 1991
दसवां विमान	दिसम्बर, 1991
ग्यारहवां विमान	दिसम्बर, 1991
बारहवां विमान	जनवरी, 1992

केरल में नए इलैक्ट्रॉनिक एक्सचेंज

1881. श्री बाइल जॉन अंजलोज:
श्री रमेश चेन्नितला:

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार वर्ष 1992-93 के दौरान केरल में नए इलेक्ट्रोनिक एक्सचेंज शुरू करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और ये एक्सचेंज किन-किन स्थानों पर शुरू किए जायेंगे?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी॰ वी॰ रंगय्या नायडू): (क) जी हां।

(ख) 1992-93 के दौरान खोले जाने वाले नए इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज इस प्रकार हैं:—

1.	कैसरगोड जिला:	डेलमपाडी
2.	कन्नानोर जिला:	राजागिरी
3.	त्रिचुर जिला:	वेट्टिलयारा
4.	इडुक्की जिला:	कांजीकुझी करीमबन, पुलियानामाला, वाझरवारा, पोलूरकावे
5.	क्यूलोन जिला:	नीलमेल
6.	एर्नाकुलम जिला:	मेक्कादंपू

फिल्मों के चयन हेतु मानदण्ड

1882. श्री राम नाईक: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा भारतीय फिल्मों की प्रदर्शनीयता की दृष्टि से चयन हेतु क्या मानदण्ड अपनाये जाते हैं;

(ख) विदेशी फिल्मों की प्रदर्शनीयता की दृष्टि से चयन हेतु क्या मानदण्ड अपनाये जाते हैं; और

(ग) यदि दोनों प्रकार के मानदण्डों में कोई अन्तर है तो वह क्या और उसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास): (क) से (ग) भारत में दिखाई जाने वाली सभी भारतीय और विदेशी फिल्मों की चलचित्र अधिनियम 1952 (1952 का 37) के प्रावधानों और इसके अधीन जारी मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा जांच अपेक्षित होती है। 6 दिसम्बर, 1991 को जारी मार्ग दर्शी सिद्धान्तों की प्रति विवरण के रूप में दी गई है। इन मार्ग दर्शी सिद्धान्तों में अन्य बातों के साथ-साथ बोर्ड द्वारा यह भी सुनिश्चित किए जाने की व्यवस्था है कि फिल्म की जांच उसमें चित्रित काल और देश की तत्कालीन मर्यादाओं तथा फिल्म से संबंधित लोगों को ध्यान में रखते हुए की गयी हो परन्तु फिल्म दर्शकों की नैतिकता को भ्रष्ट न करती हो।

विवरण

(भारत सरकार के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड-3 तथा उपखंड (2) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

....

नई दिल्ली, दिनांक 6 दिसम्बर, 1991

अधिसूचना

सा०का० 836 (ई) नि० केन्द्रीय सरकार चलचित्र अधिनियम, 1952 (1952 का 37) की धारा 5ख की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का०आ० 9(अ) तारीख 7 जनवरी, 1978 को उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, निदेश देती है कि फिल्म के सार्वजनिक प्रदर्शन को मंजूरी देने के लिए फिल्म प्रमाणीकरण बोर्ड के निम्नलिखित मार्गदर्शक सिद्धान्त होंगे:—

1. फिल्म प्रमाणीकरण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होगा कि:—
   (क) फिल्म माध्यम समाज के मूल्यों और मानकों के प्रति उत्तरदायी और संवेदनशील बना रहे;
   (ख) कलात्मक अभिव्यक्ति और सृजनात्मक स्वतंत्रता पर असम्यक् रूप से रोक न लगाई जाए;
   (ग) प्रमाणन-व्यवस्था सामाजिक परिवर्तन के प्रति उत्तरदायी हो;
   (घ) फिल्म माध्यम स्वच्छ और स्वस्थ मनोरंजन प्रदान करे; और
   (ङ) यथासंभव फिल्म सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण और चलचित्र की दृष्टि से अच्छे स्तर की हो।

2. उपर्युक्त उद्देश्यों के अनुसरण में फिल्म प्रमाणीकरण बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि:—

   (1) हिंसा जैसी समाज विरोधी क्रियाएं उत्कृष्ट या न्यायोचित न ठहराई जाएं;

   (2) अपराधियों की कार्यप्रणाली, अन्य दृश्य या शब्द जिनसे कोई अपराध का करना उद्दीप्त होने की संभावना हो, चित्रित न की जाए;

   (3) ऐसे दृश्य न दिखाए जाएं जिनमें:—
      (क) बच्चों को हिंसा का शिकार या अपराधकर्ता के रूप में, अथवा हिंसा के बलात दर्शक के रूप में शरीक होते दिखाया गया हो या बच्चों का किसी प्रकार दुरूपयोग किया गया हो;
      (ख) शीरीरिक और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया हो अथवा उनका मजाक उड़ाया गया हो; और
      (ग) पशुओं के प्रति क्रूरता या उनके दुरूपयोग के दृश्य अनावश्यक रूप से न दिखाए जाएं।

   (4) मूलतः मनोरंजन प्रदान करने के लिए हिंसा, क्रूरता और आतंक के निरर्थक या वर्जनीय दृश्य और ऐसे दृश्य न दिखाए जाएं जिनसे लोग संवेदनहीन या अमानवीय हो सकते हों;

   (5) वे दृश्य ने दिखाए जाएं जिनमें मद्यमान को उचित ठहराया गया हो या उसका गुणगान किया गया हो;

   (6) नशीली दवाओं के सेवन को उचित ठहराने वाले या उनका गुणगान करने वाले दृश्य न दिखाएं जाएं;

(7) अशिष्टता, अश्लीलता और दुराचारिता द्वारा मानवीय संवेदनाओं को चोट न पहुंचाई जाए;

(8) दो अर्थों वाले शब्द न रखे जाएं जिनसे नीच प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिलता हो;

(9) महिलाओं के लिए किसी भी प्रकार के तिरस्कारपूर्ण या उन्हें बदनाम करने वाले दृश्य न दिखाए जाएं;

(10) महिलाओं के साथ लैंगिक हिंसा जैसे बलात्संग की कोशिश, बलात्संग अथवा किसी अन्य प्रकार का उत्पीड़न या इसी किस्म के दृश्यों से बचा जाना चाहिए तथा यदि कोई ऐसी घटना विषय के लिए प्रासंगिक हो तो ऐसे दृश्यों को कम से कम रखा जाना चाहिए और उन्हें विस्तार से नहीं दिखाना चाहिए;

(11) कामु-विकृतियां दिखाने वाले दृश्यों से बचा जाना चाहिए। यदि विषयवस्तु के लिए ऐसे दृश्य दिखाना संगत हो तो उन्हें कम से कम रखा जाना चाहिए और इन्हें विस्तार से नहीं दिखाया जाना चाहिए;

(12) जातिगत, धार्मिक या अनय समूहों के लिए अवमाननापूर्ण दृश्य प्रदर्शित या शब्द प्रयुक्त नहीं किए जाने चाहिए;

(13) साम्प्रदायिक, रूढ़िवादी, अवैज्ञानिक या राष्ट्रविरोधी प्रवृत्तियों को दिखाने वाले दृश्यों या शब्दों को प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए;

(14) भारत की प्रभुसत्ता और अखंडता पर संदेह व्यक्त नहीं किया जाना चाहिए;

(15) ऐसे दृश्य प्रस्तुत नहीं किए जाने चाहिए जिनसे देश की सुरक्षा जोखिम या खतरे में पड़ सकती हो;

(16) विदेशों से मैत्रीपूर्ण संबंधों में मनोमालिन्य नहीं आना चाहिए;

(17) कानून व्यवस्था खतरे में नहीं पड़नी चाहिए;

(18) ऐसे दृश्य या शब्द नहीं प्रस्तुत किए जाने चाहिए जिससे किसी व्याष्टि या व्यष्टि निकाय या न्यायालय की मानहानि या अवमानना होती हो;
व्याख्या: ऐसे दृश्य जिनसे नियमों के प्रति घृणा अपमान या अपेक्षा पैदा हो या जो न्यायालय की प्रतिष्ठा पर आघात करें न्यायालय की अवमानना के अंतर्गत आएंगे।

(19) संप्रतीक और नाम का (अनुचित प्रयोग निवारण) अधिनियम, 1950 (1950 का 12) के उपबंधों के अनुरूप से अन्यथा राष्ट्रीय चिह्न और प्रतीक न दिखाएं जाएं।

3. फ़िल्म प्रमाणीकरण बोर्ड यह भी सुनिश्चित करेगा कि:
(1) फिल्म का मूल्यांकन उसके समग्र प्रभाव को दृष्टि में रखकर किया गया है; और

(2) उस फिल्म पर उस काल, देश की तत्कालीन मर्यादाओं और फिल्म से संबंधित लोगों को ध्यान में रखते हुए विचार किया गया है परन्तु फिल्म दर्शकों की नैतिकता को भ्रष्ट न करती हो।

4. ऐसी फिल्में जो उपर्युक्त मापदंडों पर खरी उतरती हों, किन्तु अवयस्कों को दिखाए जाने के लिए अनुपयुक्त हों, केवल वयस्क दर्शकों को प्रदर्शित करने के लिए प्रमाणित की जाएंगी।

5. (1) निर्बाध सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए फिल्मों को प्रमाणित करते समय बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि फिल्म परिवार के साथ देखने योग्य है अर्थात् फिल्म ऐसी होनी चाहिए जिसे परिवार के सभी सदस्य जिसमें बालक हैं, के साथ बैठकर देखा जा सकता हो।

(2) फिल्म के स्वरूप, विषयवस्तु और उद्देश्य को देखते हुए यदि बोर्ड का यह मत हो कि माता-पिता/अभिभावकों को सावधान करना जरूरी है कि क्या बारह वर्ष से कम आयु के बच्चे को यह फिल्म दिखाई जाए तो निर्बाध सार्वजनिक प्रदर्शन के प्रमाणीकरण करते समय इस आशय का पृष्ठांकन किया जाएगा;

(3) यदि फिल्म के स्वरूप, विषय-वस्तु और उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए बोर्ड का यह मत हो कि फिल्म का प्रदर्शन किसी व्यवसाय विशेष के सदस्यों का किसी वर्ग विशेष के व्यक्तियों तक सीमित रखा जाना चाहिए तो फिल्म सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट विशिष्ट दर्शकों तक सीमित रखने के लिए प्रमाणित की जाएगी।

6. बोर्ड फिल्मों के शीर्षकों की बड़े ध्यान से जांच करके सुनिश्चत करेगा कि ये शीर्षक उत्तेजक, अश्लील, आक्रामक अथवा उपर्युक्त मापदंडों में से किसी मानदंड का उल्लंघन न करते हों।

पाद टिप्पणः भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-2, खंड-3, उपखंड(2) 7.1.78 में का०आ० 9(अ) के रूप में प्रकाशित तारीख 7.1.78 की अधिसूचना संख्या 5/5/77-एफ(सी)

जिसका निम्नलिखित द्वारा संशोधन किया गया।

(1) भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (2) तारीख 17.2.79 में का०आ० 618 के रूप में प्रकाशित तारीख 27.1.79 की अधिसूचना संख्या 5/5/77-एफ. (सी)

(2) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (2) तारीख 7.5.83 में का०आ० 356 (अ) के रूप में प्रकाशित तारीख 7.5.83 की अधिसूचना संख्या 805/2/82-एफ. सी.

(3) भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (2) तारीख 9.9.89 में का०आ० संख्या 2179 के रूप में प्रकाशित तारीख 11.8.89 की अधिसूचना संख्या 803/4/89-एफ. (सी)

फा० संख्या 805/1/90-एफ. (सी)

(एस. लक्ष्मीनारायणन्)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार
फोन : 383857

सेवा में,

प्रबन्धक,
भारत सरकार प्रेस,
रिंग रोड, माथापुरी,
नई दिल्ली।

मुम्बई के टेलीफोनों में खराबी

1883. श्री मोहन रावले: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मुम्बई के प्रति हजार टेलीफोनों में प्रतिमाह कितने टेलीफोन औसतन खराब रहते हैं,

(ख) इसकी तुलना देश के अन्य महानगरों में खराब रहने वाले टेलीफोनों से किस प्रकार की जायेगी, और

(ग) स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० जी० रंगय्या नायडू): (क) बम्बई में प्रति माह प्रति 1000 टेलीफोनों की औसत दोष दर 195 टेलीफोन है (1991-92)।

(ख) तुलनात्मक आंकड़े इस प्रकार हैं:—

दिल्ली - 228

कलकत्ता - 191

मद्रास - 276

(ग) स्थिति में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित उपाये किए गए हैं:

— बाह्य संयंत्र का उन्यन और जिन एक्सचेंजों का कार्य काल समाप्त हो चुका है उनके स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज लगाना।

— बाह्य संयंत्र के उन्नयन में निम्नलिखित कार्य शामिल हैं:

— उच्च प्रोद्योगिकी प्रणाली में कर्मचारियों की कुशलता व उनके ज्ञान को बढ़ाने के लिए उन्हें प्रशिक्षण देना और उपभोक्ताओं के साथ बेहतर तालमेल के लिए उनकी मनोवृत्ति का विकास करना।

— टूटे-फूटे और बेकार टेलीफोन उपकरणों को बदलना।

— जिन उपरी लाइनों में बार-बार दोष उत्पन्न हो जाता है उनके स्थान पर भूमिगत केबिल बिछाना,

— केबिल डक्ट प्रदान करना,

— जिन केबिलों में अक्सर दोष उत्पन्न होते हैं उन्हें बदलना,

— ऊपरी लाइनों को हटा कर भूमिगत केबिल बिछाना,

— बहुमंजली इमारतों में ब्लॉक वायरिंग लगाना,

— सभी प्राथमिक, गौण जंक्शन केबलों (पीसीवीटी) को दबानुकूलित करना।

[हिन्दी]

पुणे में एफ० एम० ट्रांसमीटर

1884. **श्री गोविन्दराव निकाम:** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का पुणे स्थित एफ०एम० ट्रांसमीटर की रेंज बढ़ाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास): (क) जी, नहीं।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

(ग) मौजूदा 6 कि०वा० एफ०एम० ट्रांसमीटर की रेंज पर्याप्त समझी गयी है।

साहिब गंज, बिहार में दूरदर्शन केन्द्र

1885. **श्री साईमन मरांडी:** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार बिहार में साहिब गंज जिला मुख्यालय में दूरदर्शन केन्द्र की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उस पर कितनी धनराशि खर्च होने का अनुमान है और उसे कब तक शुरू किया जायेगा; और

(घ) बिहार में उन जिला मुख्यालयों की संख्या कितनी है जहां दूरदर्शन केन्द्रों की स्थापना अब तक नहीं हो पायी है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास): (क) साहिबगंज जिला मुख्यालय, कटिहार के उच्च शक्ति (10 कि०वा०) टी०वी० ट्रांसमीटर के कवरेज क्षेत्र में पड़ता है। अतः साहिबगंज में अलग से टी०वी० ट्रांसमीटर स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) ये सवाल पैदा ही नहीं होते।

(घ) 1991 की जनगणना के अनुसार बिहार के 42 जिला मुख्यालय नगरों में से इस समय 26 में टी०वी० ट्रांसमीटर कार्यरत हैं और 10 अन्य जिला मुख्यालय नगर समीप के टी०वी० ट्रांसमीटरों के कवरेज क्षेत्र में पड़ते हैं। शेष 6 जिला मुख्यालय नगरों में टी०वी० ट्रांसमीटर लगाए जा रहे हैं।

बरेली, उत्तर प्रदेश में टेलीफोन एक्सचेंजों का आधुनिकीकरण

1886. **श्री राजवीर सिंह:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में टेलीफोन एक्सचेंजों का आधुनिकीकरण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उनका आधुनिकीकरण कब तक हो जायेगा?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू): (क) जी हां।

(ख) और (ग)

(I) उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में कार्यरत कुल 22 टेलीफोन एक्सचेंजों में से 8 का पहले ही आधुनिकीकरण किया जा चुका है।

(II) बरेली में वर्ष 1992-93 के दौरान 10 टेलीफोन एक्सचेंजों और वर्ष 1993-94 के दौरान एक टेलीफोन एक्सचेंज को इलैक्ट्रोनिक एक्सचेंजों द्वारा आधुनिक बनाने की योजना है।

(III) शेष तीन एक्सचेंजों का 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्तरोत्तर रूप से आधुनिकीकरण करने की योजना है।

[अनुवाद]

हीराकुड चरण III परियोजना को शुरू करने में विलम्ब

1887. **श्री के० पी० सिंह देव:** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा में हीराकुड चरण III परियोजना के कार्यान्वयन में अत्यधिक देरी हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस परियोजना को शीघ्र कार्यान्वित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) से (ग) हीराकुड चरण III परियोजना में 80 कि०मी० की दूरी पर उपलब्ध जल का उपयोग करते हुए महानदी में विद्युत विकास की परिकल्पना है। इस परियोजना को राज्य द्वारा नवम्बर, 1990 में ही प्रशासनिक रूप से अनुमोदित किया गया था। राज्य सरकार द्वारा वाटर एण्ड पावर कन्सलटैंसी सर्विसेज (इंडिया) लि० को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का कार्य सौंपा गया है।

दूरसंचार विभाग का टेलिकम्यूनिकेशन्स कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड के साथ समझौता

1888. **श्री एस० बी० थोरात:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरसंचार विभाग ने "टेलीकम्यूनिकेशन्स कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड" के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू): (क) जी हां, वर्ष 1992-93 के लिए दूरसंचार विभाग ने टेलीकम्युनिकेशन्स् कन्सल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड (टी सी आई एल) के साथ समझौता ज्ञापन (एम ओ यू) पर हस्ताक्षर किए हैं।

(ख) इस दस्तावेज में कंपनी के उद्देश्य तथा 1992-93 के दौरान कंपनी द्वारा प्राप्त किए जाने वाले कार्य निष्पादन के महत्वपूर्ण पैरामीटरों के लक्ष्यों तथा कंपनी के उद्देश्यों के साथ बढ़ी हुई शक्तियों के प्रत्यायोजन और कंपनी द्वारा सरकार को दिए जाने वाले अन्य समर्थन को विनिर्दिष्ट किया गया है।

2. समझौता ज्ञापन के अनुसार कंपनी के महत्वपूर्ण उद्देश्य इस प्रकार हैं:—

(i) विपणन के क्षेत्र में एक सामयिक नीति का विकास करके विदेशी बाजार में अपने कार्य व्यापार का विस्तार तथा स्तर बनाए रखना;

(ii) 1991-92 में 3 मिलियन अमरीकी डालर के वर्तमान विदेशी मुद्रा अर्जन की कुल सीमा 1996-97 तक 7 मिलियन अमरीकी डालर तक उत्तरोत्तर रूप से बढ़ाना;

(iii) विपणन के क्षेत्र में सेवा प्रदान करके भारत से दूरसंचार उपस्करों तथा सामग्री के निर्यात में वृद्धि करने में सहायता पहुंचाना तथा उत्पादों को स्वीकार्य बनाना।

बालासोर और बलियापाल, उड़ीसा में दूरदर्शन रिले केन्द्र

1889. डा० कार्तिकेश्वर पात्र: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उड़ीसा में बालासोर और बलियापाल में दूरदर्शन ट्रांसमीटरों की वर्तमान क्षमता कितनी है;

(ख) क्या सरकार का विचार इन दूरदर्शन ट्रांसमीटरों की क्षमता बढ़ाकर उड़ीसा के भोगराई, जलवाड़, बरनोली और सोर्ड ब्लाकों को इसके अन्तर्गत लाने का है; और

(ग) यदि हां, तो कब तक?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास): (क) उड़ीसा में बालेश्वर और बलियापाल में इस समय 100 वाट की क्षमता के अल्प शक्ति टी०वी० ट्रांसमिटर कार्य कर रहे हैं।

(ख) और (ग) उड़ीसा में बालेश्वर जिले में दूरदर्शन सेवा को सुदृढ़ बनाने के लिए इस प्रयोजन के लिए पर्याप्त साधनों की उपलब्धता और पारस्परिक प्राथमिकताओं के अनुरूप जिले में उच्च शक्ति टी०वी० ट्रांसमिटर लगाने की योजना है। इस ट्रांसमिटर के चालू हो जाने पर समूचे बालेश्वर जिले में दूरदर्शन सेवा प्राप्त हो सकेगी। इस प्रकार की परियोजनाओं के पूरा होने में परियोजना के औपचारिक अनुमोदन के बाद लगभग चार वर्ष का समय लग जाता है।

देश में डाकघर

1890. श्री हाराधन राय: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में इस समय राज्यवार कितने डाकघर और उप डाकघर कार्यरत हैं;

(ख) वर्ष 1992-93 के दौरान राज्यवार कितने नये डाकघर और उप डाकघर खोले जाने की संभावना है; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ राज्यवार कितनी धनराशि का नियतन किया गया है?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू): (क) देश में इस समय कार्य कर रहे डाकघरों और उप डाकघरों का राज्य-वार ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) और (ग) वार्षिक योजना 1992-93 के दौरान देश में 100 नए उप डाकघर और 600 शाखा डाकघर खोलने का प्रस्ताव है। तथापि, राज्य-वार विवरण देना संभव नहीं है क्योंकि इस संबंध में लक्ष्यों को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। तथापि, वार्षिक योजना 1992-93 के दौरान पूरे देश में डाक नेटवर्क के विस्तार के लिए दो करोड़ रुपए की रकम निर्धारित की गई है।

विवरण

31 मार्च, 1992 की स्थिति के अनुसार देश में काम कर रहे डाकघरों की राज्य-वार संख्या

क्रम सं॰	सर्किल/राज्य/संघ क्षेत्र का नाम	प्र॰डा॰ की सं॰	वि॰उ॰डा॰ की सं॰	अ॰वि॰उ॰डा॰ की संख्या	अ॰वि॰शा॰डा॰ की संख्या	योग
1.	आन्ध्र प्रदेश	104	2397	61	13652	16214
2.	असम	16	564	36	3113	3729
3.	बिहार	42	1415	127	9815	11399
4.	दिल्ली	9	396	23	114	542
5.	गुजरात	42	1348	47	7374	
	दादर एवं नगर हवेली	शून्य	5	शून्य	40	8856
6.	हरियाणा	15	439	14	2084	2552
7.	हिमाचल प्रदेश	17	434	18	2140	2609
8.	जम्मू और कश्मीर	9	239	34	1296	1578
9.	कर्नाटक	69	1734	301	7600	9704
10.	केरल	51	1409	549	2955	
	लक्षद्वीप	शून्य	6	3	1	
	माहे (पांडिचेरि का संघ क्षेत्र)	शून्य	1	2	1	4978
11.	मध्य प्रदेश	52	1335	98	9569	11054
12.	महाराष्ट्र	61	2056	129	9795	
	गोआ	2	99	3	136	12281
13.	उत्तर-पूर्व	9	301	20	2326	2656
	अरुणाचल प्रदेश	1	41	शून्य	224	
	मणिपुर	1	49	शून्य	573	
	मेघालय	2	58	2	399	
	मिजोरम	1	38	4	306	
	नागालैंड	1	37	शून्य	341	
	त्रिपुरा	3	78	14	583	
14.	उड़ीसा	35	1147	195	6569	7946
15.	पंजाब	21	745	10	3022	
	चंडीगढ़	1	43	1	6	3849
16.	राजस्थान	55	1369	107	8668	10199
17.	तमिलनाडु	92	2755	231	8971	
	पांडिचेरि	1	34	शून्य	63	12147
18.	उत्तर प्रदेश	85	2738	486	16057*	19366
19.	पश्चिम बंगाल	44	1618	344	6412	
	अंडमान, निकोबार द्वीप समूह	1	25	7	64	
	सिक्किम	1	17	7	147	8687
	योग	834	24669	2853	121990	150346

प्र॰डा॰—प्रधान डाकघर। वि॰उ॰डा॰—विभागीय उप डाकघर

अ॰ वि॰ उ॰ डा॰—अतिरिक्त विभागीय उप डाकघर। अ॰ वि॰ शा॰ डा॰—अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर।

*इसमें दो विभागीय शाखा डाकघर भी शामिल हैं।

[हिन्दी]

बरेली में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची

1891. **श्री संतोष कुमार गंगवार:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 मार्च, 1991 को उत्तर प्रदेश में बरेली में टेलीफोन कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची में कितने व्यक्तियों के नाम पंजीकृत थे;

(ख) वर्ष 1990-91 और 1991-92 के दौरान प्रत्येक वर्ष कितने-कितने नये टेलीफोन कनेक्शन दिये गये हैं; और

(ग) प्रतीक्षा सूची में पंजीकृत व्यक्तियों को कब तक टेलीफोन दे दिये जायेंगे?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू): (क) 31 मार्च, 92 को प्रतीक्षा सूची में 1093 नाम दर्ज हैं।

(ख) 1990-91 के दौरान 1358 और 1991-92 के दौरान 620 नए टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किए गए।

(ग) आशा है कि 31/3/92 तक की प्रतीक्षा सूची को 1/4/95 तक निपटा दिया जाएगा।

[अनुवाद]

केरल में रेल डाक सेवा कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

1892. **प्रो० के० वी० थामस:**
श्री ई० अहमद:

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल में रेल डाक सेवा कर्मचारियों ने हड़ताल की थी;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या हड़ताल समाप्त हो गई है;

(घ) यदि हां, तो यदि कोई समझौता किया गया है तो उसकी शर्तें क्या हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू): (क) जी हां।

(ख) जिले के लिए केवल एक ही आवक डाक कार्यालय (इनवर्ड मेल आफिस) का अभिनिर्धारण किए जाने के आदेश के विरोध में हड़ताल हुई।

(ग) से (ङ) हड़ताल इस आश्वासन पर समाप्त की गई कि आदेश के एक भाग को आस्थगित रखा जाएगा और नए सिरे से मामले की जांच की जाएगी। यूनियनों के साथ बातचीत शुरू कर दी गई है।

महाराष्ट्र के बेतार संचार सुविधा क्षेत्र

1893. श्री अन्ना जोशी: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार महाराष्ट्र के पर्वतीय क्षेत्रों में बेतार संचार सुविधा उपलब्ध कराने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी॰ वी॰ रंगय्या नायडू): (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरे विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

पर्वतीय क्षेत्रों में प्रस्तावित यू एच एफ/एम डब्ल्यू प्रणालियां

	मार्ग	प्रस्तावित प्रणाली
	1	2
	ठाणे	
1.	मोखाडा-जवाहर	10 चैनल (डी) यू एच एफ
2.	वाडा-जवाहर	60 चैनल (ए) यू एच एफ
3.	शाहपुर-कल्याण	2 जेगा हर्ट्ज/8 मेगाबाइट प्रति सेकिण्ड
4.	मुरबाद-कल्याण	2 जेगा हर्ट्ज/8 मेगाबाइट प्रति सेकिण्ड
5.	जवाहर-कल्याण	30 चैनल (डी) यू एच एफ
	रत्नागिरि	
6.	राजापुर-रत्नागिरी	30 चैनल (डी) यू एच एफ
	सिंधुर्ग	
7.	कंकवली-कुडाल	120 चैनल (डी)
8.	सावंतवाड़ी-कुडाल	120 चैनल (डी)
9.	देवगढ़-कुडाल	2 जेगा हर्ट्ज/8 मेगाबाइट प्रति सेकिण्ड
10.	कुडाल-कोल्हापुर	120 चैनल (डी)
11.	चिपावाड़ी-सावन्तवाड़ी	10 चैनल (डी)
	नासिक	
12.	पेंट-नासिक	10 चैनल (डी)
13.	सुरगना-नासिक	10 चैनल (डी)
	धूले	
14.	सकरी-धूले	2 जेगा हर्ट्ज/2 मेगाबाइट प्रति सेकिण्ड
15.	मानापुर-धूले	2 जेगाहर्ट्ज/2 मेगाबाइट प्रति सेकिण्ड

1		2
	पुणे	
16.	जुन्नर-पुणे	120 चैनल (डी)
17.	अम्बेगांव-पुणे	30 चैनल (डी)
18.	खेड-पुणे	120 चैनल (डी)
19.	वेल्हा-पुणे	10 चैनल (डी)
20.	भोर-पुणे	30 चैनल (डी)
21.	पुरन्दर (सासवाड)-पुणे	30 चैनल (डी)
	सातारा	
22.	जओली (मेढा)-सातारा	30 चैनल (डी)
23.	महाबलेश्वर-सातारा	2 मेगा हर्ट्ज/8 मेगाबाइट प्रति सेकिण्ड
24.	खातव-वादुथ	10 चैनल (डी)
25.	खण्डाला-शिरवला	2 जेगा हर्ट्ज/8 मेगाबाइट प्रति सेकिण्ड
	सांगली	
26.	शिराला-सांगली	2 मेगा हर्ट्ज/8 मेगाबाइट प्रति सेकिण्ड
	कोल्हापुर	
27.	शाहूवाड़ी (मलकापुर)-कोल्हापुर	2 जेगा हर्ट्ज/8 मेगाबाइट प्रति सेकिण्ड
28.	पन्हाला-कोल्हापुर	2 जगा हर्ट्ज/8 मेगाबाइट प्रति सेकिण्ड
29.	बावड़ा-कोल्हापुर	10 चैनल (डी)
30.	राधानगरी-कोल्हापुर	30 चैनल (डी)
31.	भुधरगढ़ (गरगोटी)-कोल्हापुर	2 जगा हर्ट्ज/2 मेगाबाइट प्रति सेकिण्ड
32.	आजरा-कोल्हापुर	2 जगा हर्ट्ज/2 मेगाबाइट प्रति सेकिण्ड
33.	चांदगढ़-कोल्हापुर	30 चैनल (डी)

शिफ्ट में (ए) का आशय एनालॉग प्रणाली से है।
(डी) अथवा एम बी पी एस का आशय डिजिटल प्रणाली से है।

भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड

1894. श्री प्रताप राव बी॰ भोंसले: क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत गोल्ड माइन्स लि॰ का आठवीं योजना के दौरान खनन कार्य से निर्माण क्षेत्र में प्रवेश करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने इसे एक लाभ अर्जित करने वाले उपक्रम के रूप में परिवर्तित करने हेतु क्या कदम उठाये हैं?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव): (क) और (ख) भारत गोल्ड माइन्स लि॰ ने परियोजना तथा ठेका प्रभाग के अन्तर्गत विविधीकरण कार्यक्रम तैयार कर लिया है। जिसके अन्तर्गत खान

निर्माण कार्य-कलाप भी शामिल है। पिछले तीन वर्षों के दौरान परियोजना तथा ठेका प्रभाग का कारोबार इस प्रकार रहा:—

वर्ष	रु०/करोड़
1989-90	8.36
1990-91	10.02
1991-92	10.81

आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत गोल्ड माइन्स लि० ने परियोजना तथा ठेका प्रभाग में, जो खान निर्माण में कार्यरत है, 5 करोड़ रु० निवेश करने का प्रस्ताव है।

(ग) कोलार गोल्ड फील्ड में स्वर्ण खनन फालतू श्रमिकों, उत्पादन की उच्च लागत, खानों के समाप्त होने, निम्न ग्रेड तथा अत्यधिक गहराई में खनन आदि के कारण अलाभप्रद हो गया है। परन्तु परियोजना तथा ठेका प्रभाग, खुले खनन का विकास तथा इंजीनियरी वर्कशाप को सुदृढ़ बनाने के रूप में विविधीकरण कार्य आरंभ किए गए हैं। भारत गोल्ड माइन्स लि० की पछोड़न बालू का शोधन आरंभ करने की योजना भी है। इन प्रयासों से कंपनी के घाटे में कमी आने की आशा है।

विजयवाड़ा, विशाखापत्तनम और तिरुपति विमानपत्तनों पर रात्रि में विमान उतरने की सुविधाएं

1895. **श्री जे० चोक्कारावः** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा, विशाखापत्तनम और तिरुपति में विमानपत्तनों में विमानों के रात्रि में उतरने की सुविधाओं के अलावा बोइंग विमानों के उतरने की सुविधा भी है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या उक्त विमानपत्तनों में उक्त सुविधाएं देने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) क्या आंध्र प्रदेश के तिरुमला तिरुपति देव स्थानम ने तिरुपति में विमानपत्तन के विकास के लिए राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण को ऋण देने का कोई प्रस्ताव किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यह प्रस्ताव वर्तमान में किस स्तर पर है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया): (क) केवल विजयवाड़ा हवाई अड्डे पर ही रात्रि अवतरण सुविधा उपलब्ध है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) चूंकि प्रस्ताव प्रारंभिक अवस्था में है, अतः कोई भी विवरण देना अभी समय-पूर्व होगा।

[हिन्दी]

टाटा टेलकम की नई परियोजनाएं

1896. श्री साईमन मराण्डी: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दूरसंचार उपस्करों के निर्माण के लिए टाटा टेलकम एवं ई०टी० एण्ड टी० के संयुक्त सहयोग से एक परियोजना की स्थापना की स्वीकृति प्रदान कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस परियोजना के वार्षिक व्यय, इसकी अनुमानित लागत और इसके वार्षिक बजट का ब्यौरा क्या है और इसके कब तक कार्य आरंभ कर देने की संभावना है;

(घ) क्या इसी तरह की परियोजना की स्थापना बिहार के पर्वतीय क्षेत्र विशेषकर संथाल परगना के राजमहल पर्वतीय क्षेत्र में करने का भी प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू): (क) दूर-संचार विभाग के पास टाटा टेलीकॉम और ई० टी० एवं टी० के० बीच संयुक्त उद्यम का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, सरकार ने दूरसंचार उपस्करों के लिए टाटा टेलीकॉम और एटी एण्ड टी के संयुक्त सहयोग के अन्तर्गत एक नई परियोजना का अनुमोदन कर दिया है।

(ख) और (ग) संलग्न विवरण के अनुसार।

(घ) जी नहीं।

(ङ) उपर्युक्त "घ" को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

एटी एंड टी के साथ प्रस्तावित टाटा टेलीकॉम संयुक्त उद्यम के ब्यौरे

भारतीय कम्पनी का नाम:	टाटा टैलीकाम लि०
विदेश कम्पनी का नाम:	मैसर्स एटी एंड टी नैटवर्क सिस्टम इंटरनेशनल नीदरलैण्ड
उत्पादन की मद:	डिजीटल नेटवर्क एक्सेस सिस्टम और एलाइड इक्विपमेंट।
कार्यान्वयन के लिए संभावित समय:	18 महीने।
परियोजना में निवेश:	706.56 लाख रुपये।
विदेशी इक्विटी निवेश:	परियोजना के अनुमोदन के समय परिवर्तन की विद्यमान दर पर 320 लाख रुपये।

कच्चे माल के लिए विदेशी मुद्रा का वर्षवार उत्पादन और आवश्यकता

	उत्पादन मात्रा	कीमत (लाख रुपए)	कच्चे माल के लिए विदेशी मुद्रा (लाख रुपये)
वर्ष 1	150	1703.06	136.25
वर्ष 2	275	4071.87	200.45
वर्ष 3	490	6494.30	302.91
वर्ष 4	695	10908.96	467.71
वर्ष 5	1100	15361.78	668.16

[अनुवाद]

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह (फतेहपुर): महोदय न्यायालय के आदेशों का जानबूझकर उल्लंघन और संविधान का उल्लंघन करते हुए अवैध कार्यवाही रोकने में सरकार की अकर्मण्यता के चलते और सभा में अपना पक्ष स्पष्ट करने हेतु वक्तव्य देने से इंकार करने को ध्यान में रखते हुए आज सभा में सदस्यों की उपस्थिति से कोई फायदा होने वाला नहीं है।

ऐसी मुसीबत की घड़ी में प्रधान मंत्री का मौन अनिष्टकारी है तथा सभा के लिए अपमानजनक है। राष्ट्रीय मोर्चा/वामपंथी दल ऐसे व्यवहार का पुरजोर विरोध करते हैं, अगर आज ही उपयुक्त कार्यवाही नहीं की जाती तो राष्ट्रीय मोर्चा/वामपंथी दल इस सिलसिले में उपयुक्त कदम उठायेंगे। हम आज दिन भर के लिए सभा का बहिष्कार करते हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर): कुछ करते हैं या नहीं करते हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए हम फैसला करेंगे। अब वे अपनी कार्यवाही चला सकते हैं।

2.04 म० प०

[इसके पश्चात श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा से उठकर चले गये।]

अध्यक्ष महोदय: सभा-पटल पर रखे जाने वाले पत्र श्री विद्याचरण शुक्ल

(व्यवधान)

श्री ई० अहमद (मंजेरी): सरकार की अयोध्या मसले पर, जो आज सुबह उठाया गया है, क्या प्रतिक्रिया है? न्यायालय के आदेश का लगातार उल्लंघन होने की स्थिति में सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है इस संबंध में मैं चाहता हूं कि सरकार वक्तव्य दे।

राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा है कि सरकार न्यायालय के आदेश का अनुपालन न किये जाने के मसले पर विचार करेगी।

उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक मशीनरी विफल हो गयी है इस आलोक में मैं सरकार से

जानना चाहूंगा कि इस मामले में और विशेष तौर से इस सभा में सुबह हुई चर्चा को ध्यान में रखते हुए उसे क्या कहना है।...(व्यवधान)...

सरकार के मौन रहने से काम नहीं चलेगा।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): थोड़ी देर में गृह मंत्री महोदय आने वाले हैं, इस विषय पर वह कुछ बोलेंगे।

अध्यक्ष महोदय: अब हम सभा-पटल पर रखे जाने वाले पत्र लेंगे।

2.06 म० प०

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

[ब्रह्मपुत्र बोर्ड अधिनियम, 1980 के अधीन अधिसूचना]

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलैक्ट्रोनिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमार मंगलम): मैं श्री विद्याचरण शुक्ल की ओर से ब्रह्मपुत्र बोर्ड (संशोधन) नियम 1992, जो 21 मार्च, 1992 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 143 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2260/92]

संघ सरकार (1991 की संख्या 14) वाणिज्यिक भारतीय इस्पात प्राधिकरण पर भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन।

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): मैं, संविधान के अनुच्छेद 151(I) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा-परीक्षक के प्रतिवेदन—संघ सरकार (1991 की संख्या 14) (वाणिज्यिक) भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड सलेम इस्पात संयंत्र की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2261/92]

विद्युत इंजीनियर प्रशिक्षण सोसायटी के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा।

संसदीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलैक्ट्रोनिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमार मंगलम): श्री कल्प नाथ राय की

ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(एक) विद्युत इंजीनियर प्रशिक्षण सोसाइटी के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) विद्युत इंजीनियर प्रशिक्षण सोसाइटी के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल॰ टी॰ 2262/92)]

राष्ट्रीय अल्युमिनियम कम्पनी लिमिटेड और खान मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन

संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): श्री बलराम सिंह यादव: की ओर से, मैं राष्ट्रीय अल्युमीनियम कम्पनी लिमिटेड और खान मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल॰ टी॰ 2263/92]

2.07 म॰ प॰

[अनुवाद]

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) (यूएसएआर) में नया गैस टर्मिनल स्थापित करने की आवश्यकता

श्री अंकुशराव टोपे (जालना): मुम्बई हाई क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस को जलाने को कम करने के लिए भारत सरकार काफी समय से समस्या पर विचार कर रही है। इस सम्बन्ध में भारत सरकार तथा महाराष्ट्र राज्य सरकार के बीच काफी पत्र व्यवहार हुआ है। महाराष्ट्र सरकार ने प्रधानमंत्री को यह सुझाव दिया है कि साउथ बेसीन और हजीरा के बीच एक नई पाइप लाइन के द्वारा हजीरा भेजने के स्थान पर अपतटीय गैस का इस्तेमाल महाराष्ट्र में ठसर में एक दूसरा गैस टर्मिनल स्थापित करके पश्चिमी क्षेत्र में गैस का इस्तेमाल किया जाये। महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रस्तावित वैकल्पिक योजनाओं को कम समय में तथा कम लागत के साथ क्रियान्वित किया जा सकता है जिससे महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में लोग लाभान्वित होंगे।

ऐसा प्रतीत होता है कि केन्द्रीय सरकर ने महाराष्ट्र द्वारा प्रस्तावित योजनाओं के सभी पहलुओं पर ध्यान नहीं दिया है और दक्षिण बेसीन और हजीरा के बीच एक दूसरी अपतटीय पाइप लाईन बिछाने की स्वीकृति दे दी है हालांकि अपतटीय क्षेत्र में इस का इस्तेमाल सुनिश्चित करना काफी मंहगा पड़ेगा। इससे महाराष्ट्र के लोगों को किल्लत का सामना करना पड़ेगा।

मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस मामले पर पुनः विचार करे और महाराष्ट्र सरकार को इस सम्बन्ध में अपनी बात कहने का अवसर दे ताकि वह कम लागत पर एक वैकल्पिक प्रस्ताव प्रस्तुत कर सके और सरकार मुम्बई हाई/साउथ बेसीन गैस के लिए एक दूसरे गैस टर्मिनल को उस... स्थापि... करने की घोषणा करे।

(दो) यह सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता कि केरल से दो रेलवे भर्ती बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय का स्थानान्तरण न किया जाए

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम): एक समाचार में यह बताया गया है कि रेल भर्ती बोर्ड के त्रिवेन्द्रम में स्थित क्षेत्रीय कार्यालय को बन्द करके कुछ सैक्शनों को मद्रास में स्थानान्तरित किया जा रहा है। इससे केरल के लोग काफी उद्वेलित हैं। केरल देश का सबसे अधिक शिक्षित राज्य है और वहां पर शिक्षित लोगों में बेरोजगारी की गंभीर समस्या बनी हुई है। दक्षिण रेलवे में भर्ती के लिए सबसे अधिक आवेदन-पत्र केरल से ही प्राप्त होते हैं। यदि क्षेत्रीय कार्यालय को त्रिवेन्द्रम से हटाया गया तो इससे काफी बड़ी संख्या में उन उम्मीदवारों के लिए कठिनाई उत्पन्न हो जायेगी क्योंकि इस समय इन उम्मीदवारों को साक्षात्कार और अन्य परीक्षाओं के लिए त्रिवेन्द्रम में ही सुविधा उपलब्ध है।

इसलिए मेरा माननीय रेल मंत्री से यह अनुरोध है कि अगर कोई ऐसा प्रस्ताव विचाराधीन है तो उसे रद्द किया जाये।

[हिन्दी]

(तीन) मांडला जिले में सूखा राहत के लिए मध्य प्रदेश सरकार को और अधिक धन राशि प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री मोहनलाल झिकराम (मांडला): अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश के अनेक जिले जिनमें मांडला जिला भी शामिल है, गत वर्ष से सूखे की चपेट में हैं। गत वर्ष वर्षा के अभाव में दोनों फसलें मारी गयी थीं। परिणाम-स्वरूप जिले के हजारों लोग अपना गांव छोड़ कर दूसरे जिलों में पेट पालने हेतु पलायन कर गये थे। कई जिलों में तथा मांडला जिले में भी भूख से दो लोगों की मृत्यु भी हो गयी थी। राहत-कार्य प्रथम एवं द्वितीय चरण में तो खोले ही नहीं गये, अन्तिम चरण में कुछ राहत कार्य खोले गये, किन्तु नाम-मात्र के लिये। राशन व्यवस्था शुरू से ही गड़बड़ है। लोगों को राशन मिलना दूभर है। इस वर्ष भी वर्षा की कमी के कारण पूरा क्षेत्र सूखे की चपेट में है। पहले वर्षा में किसानों ने धान की बोनी बोई थी, वह भी अंकुरित होकर सूख गयी है। किसान बीज के लिये मुहताज है। पीने के पानी की समस्या और विकट हो गयी है। जहां-तहां कुएं और हैंड-पम्प सूख गये हैं। पानी का स्तर नीचे चला गया है।

अतः केन्द्र शासन से अनुरोध है कि वह मध्य प्रदेश शासन को आवश्यक धनराशि दे ताकि राहत कार्य बड़े पैमाने पर खोले जा सकें। साथ ही पीने के पानी की व्यवस्था तत्काल की जाये तथा पशुओं को चारा, पानी की व्यवस्था की ओर विशेष ध्यान दिया जाये।

(चार) अनिवार्य दवाओं की कीमतें नियंत्रित किए जाने की आवश्यकता

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली): अध्यक्ष महोदय, आज देश में दवाओं की जबरदस्त कमी हो गई है और कीमतें आसमान छूने लगी हैं। तपेदिक, कैंसर, हृदय रोग, मिर्गी, शिशु बीमारियों आदि के मामलों में काम आने वाली कई जरूरी दवाएं बाजार और अस्पतालों से गायब हैं। दूसरी तरफ जो दवाएं कैमिस्ट की दुकानों पर आसानी से मिलती हैं, उन पर ज्यादातर के दामों में 70 से 150 फीसदी और कुछ मामलों में तो इससे भी ज्यादा बढ़ोतरी हो चुकी है। कुछ दवा कम्पनियों ने दवाओं के नये दाम के साथ उनके नामों को भी बदल दिया है। दामों के बढ़ाने के साथ कई मामलों में दवाओं की मात्रा को भी कम कर दिया है। उदाहरणार्थ अगर पहले किसी सीरप की 100 मिली लीटर की पैकिंग आती थी तो उस सीरप की पैकिंग अब 75 मि० ली० में आ रही है।

दवाओं की कमी और उनके दामों में इस तरह की गई मनमानी बढ़ोतरी के कई कारण हैं। पिछले एक साल

से यह समस्या धीरे-धीरे सामने आई है। सरकार ने इस ओर कोई उचित कदम नहीं उठाया। बहुप्रतीक्षित नई दवा नीति भी अभी तक घोषित नहीं की गई है। मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह इस संबंध में अपनी नीति को स्पष्ट करे और दवाओं की बढ़ती हुई कीमतों को कम करने के लिए शीघ्र कारगर कदम उठाए।

[अनुवाद]

(पांच) यह सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता कि कर्नाटक में हास्पेट स्थित विजयनगर इस्पात संयंत्र को बंद न किया जाए

श्रीमती बासवा राजेश्वरी (बेल्लारी): विजय नगर इस्पात संयंत्र, हास्पेट के बन्द हो जाने के कारण कर्नाटक की जनता बहुत उद्वेलित है।

परामर्शदाताओं, अर्थात् मिकॉन्स जिन्होंने व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार की है के अनुसार 'एस आर' गुजरात ग्रुप का यह बयान ठीक नहीं है कि उनकी संयंत्र चलाने में इसलिए रुचि नहीं है क्योंकि संयंत्र व्यवहार्य नहीं है।

अतः केन्द्र सरकार तथा कर्नाटक सरकार से अनुरोध है कि इससे पहले कि इस मामले को ले कर जनता आन्दोलन करे। वे तुरन्त मिलकर इस मामले को सुलझाने का यत्न करें।

2.13 म० प०

[अनुवाद]

मंत्री द्वारा वक्तव्य

राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद का मामला

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण): अध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि आज सुबह मैं सभा में पूरी स्थिति को स्पष्ट करने के लिए उपस्थित नहीं था। उत्तर प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक में अपने विचार को स्पष्ट किया था और वहां के मुख्य मंत्री ने यह वचन दिया था कि विवादित ढांचे को बचाने की उनकी पूरी जिम्मेदारी है और ढांचे को बिल्कुल छुआ नहीं जायेगा। लेकिन साथ ही मुझे यह भी कहना पड़ रहा है कि वहां प्लेटफार्म का निर्माण अब भी चल रहा है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के बावजूद उक्त प्लेटफार्म का निर्माण हुआ है। हमारे पास अलग-अलग सूचनायें प्राप्त हुई हैं। एक सूचना के अनुसार उक्त प्लेटफार्म का उपयोग आने वाले तीर्थ-यात्रियों के लिए भी किया जायेगा। इसकी अभी पुष्टि की जानी है। सम्भवतः मेरा इसमें विश्वास नहीं है। लेकिन दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मुझे बताया है, "मैं पूरी ईमानदारी के साथ न्यायालय के आदेश को लागू करवाने का प्रयास कर रहा हूं लेकिन स्थिति ऐसी है कि मैं बल प्रयोग नहीं करना चाहता हूं। जहां तक संभव होगा, बल प्रयोग नहीं किया जायेगा।"

यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक ओर तो वह कहते हैं कि स्थिति अत्यंत कठिन है दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के एक नेता वहां जाते हैं और यह आरोप है कि उन्होंने ऐसा वक्तव्य दिया कि कोई भी उन के कार्य में बाधा नहीं डाल सकता है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि मुख्य मंत्री ने मुझे बताया है कि उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति से सम्पर्क किया है जिसका उन सन्तों एवं महन्तों के ऊपर प्रभाव है जो प्लेटफार्म का निर्माण कर रहे हैं और उन्हें अयोध्या जाकर उन पर यह प्रभाव डालने के लिए कि वे न्यायालय के आदेश को लागू करें क्योंकि यह संविधान की भावना के विरुद्ध है, उन्होंने स्वयं ही अयोध्या जाने का निर्णय लिया है। उन्होंने मुझे बताया है कि सभा में इस सूचना को घोषित करने पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं। इसलिए मैं माननीय

[श्री एस० बी० चव्हाण]

सदस्यों को केवल इतना ही बताना चाहता हूं कि 20 तारीख अन्तिम तिथि है जिसके अन्तर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार से शपथ पत्र दाखिल करने को कहा है। मैं नहीं जानता कि उन्होंने शपथ पत्र दाखिल किया है या नहीं या दाखिल करेंगे या नहीं। लेकिन मुझे विश्वास है कि इस संबंध में वे स्थिति स्पष्ट करेंगे कि वास्तविकता क्या है। केवल इतनी सी बात कि भा०ज०पा० के कुछ पदाधिकारी महन्तों और सन्तों को मनाने के लिए वहां गये हैं। सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष आदेश को स्थगित करने के लिए काफी नहीं है। मैंने एकमात्र यही निवेदन किया है। लेकिन साथ ही मैं सभा को इस बात से अवगत करा देना चाहता हूं कि वहां लगातार स्थिति बिगड़ रही है और न्यायालय के आदेश का उल्लंघन किया जा रहा है। अतः राज्य सरकार द्वारा लगातार अवमानना की जा रही है। यह मेरा कर्तव्य है कि मैं सभा को स्थिति से अवगत कराऊं ....(व्यवधान) मुझे अपनी बात पूरी करने दें उसके बाद आप कोई अपना मुद्दा उठायें। महोदय, सभा को सूचित करना मेरा कर्तव्य है, और हम केवल इतने पर ही विश्वास नहीं कर सकते हैं और स्थिति को बिगड़ने नहीं दे सकते हैं लेकिन अपने उत्तरदायित्व का वहन करते हुए हम किसी भी आपात योजना पर अमल करने के लिए तैयार हैं। भगवान ऐसी स्थिति से बचाये।

श्री राम नाईक (मुम्बई-उत्तर): महोदय मैं केवल छोटा सा स्पष्टीकरण चाहता हूं गृह मंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार ने अवमानना की है। आदेश को लागू न किया जाना और न्यायालय की अवमानना दो अलग-अलग बाते हैं तथा मेरा यह विचार है कि गृह मंत्री महोदय यह समझते हैं। अगर उन्होंने लिखित वक्तव्य दिया होता तो ऐसा नहीं होता। फिर भी हम स्थिति की जानकारी चाहते हैं।

श्री एस० बी० चव्हाण: मैं श्री राम नाईक के विचार से पूरी तरह सहमत हूं कि अन्तिम रूप से न्यायालय ही इस बात का निर्णय लेगा कि क्या यह न्यायालय की अवमानना है। लेकिन उल्लंघन निश्चित रूप से हुआ है। प्लेटफार्म निर्माण का कार्य उन्होंने जारी रखा है।

[हिन्दी]

श्री दाऊ दयाल जोशी (कोटा): मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय: ऐसा नहीं है।

श्री दाऊ दयाल जोशी: आप स्पष्ट करें कि क्या अयोध्या में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ रही है? आज ही मैंने वहां के जिलाधिकारी श्री श्रीवास्तव का बयान पढ़ा है जिसमें उन्होंने कहा है कि विवादित ढांचा सुरक्षित है, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति संतोषप्रद है। आपका कहना है कि कानून की स्थिति बिगड़ रही है। यह सही है या उत्तर प्रदेश के जिलाधिकारी की बात सही है।

श्री एस० बी० चव्हाण: वहां पर जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में मैं जरूर कहूंगा कि स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया है। अलबत्ता लोगों के दिलों में शक यही है कि प्लैटफार्म बनने के बाद जो नक्शा आपने तैयार किया है उसमें यह डिसप्यूटेड स्ट्रक्चर इनक्लूड किया है। यदि उसे इनक्लूड न करते हुए वहां पर काम करते हैं तो एक रास्ता निकालने की कोशिश उसमें से की जा सकती है। आप उसपर गौर कर सकते हैं। लेकिन यह कहना कि इसकी वजह से परिस्थिति खराब नहीं हुई है या अच्छी हुई है, मुझे लगता है कि उसके बारे में कोई भी अपनी जजमैंट नहीं दे सकता है।

2.20 म० प०

[अनुवाद]

विदेशी व्यापार (विकास और विनियमन) अध्यादेश का निरनुमोदन करने संबंधी सांविधिक संकल्प और विदेशी व्यापार (विकास और विनियमन) विधेयक—जारी

अध्यक्ष महोदय: अब सदन आज की कार्यसूची की मद संख्या 7 तथा 8 पर संयुक्त रूप से चर्चा करेगा। डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय अपना भाषण जारी रखेंगे।

[हिन्दी]

डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय (मंदसौर): अध्यक्ष जी, मैंने अपने इस अध्यादेश के निरनुमोदन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, पर उस पर चर्चा नहीं हो सकी। अतः मैं वहीं से प्रारम्भ करना चाहूंगा। इस अध्यादेश को 19 तारीख को प्रख्यापित किया गया।

2.21 म० प०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

मैंने जो निरनुमोदन का प्रस्ताव किया है, मूल कारण यही है कि मेरे सामने माननीय राष्ट्रपति जी का वह आमंत्रण-पत्र है जिसमें उन्होंने सदन को आहूत किया है। 16 जून को सदन को आहूत किया जा चुका था।

[अनुवाद]

श्री राम नाईक (मुम्बई-उत्तर): महोदय, मैं व्यवस्था संबंधी प्रश्न उठाना चाहता हूं। सदन में गणपूर्ति नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय: घण्टी बजाई जाये।

2.24 म० प०

उपाध्यक्ष महोदय: अब सदन में गणपूर्ति है। माननीय सदस्य अपना भाषण जारी रखें।

[हिन्दी]

डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय: मैं कह रहा था कि सदन को आहूत किया जा चुका था, उसके बाद 19 जून को अध्यादेश लाया गया। यह सर्वथा सदन की अवमानना है। जो प्रस्थापित परम्परा है, उसके अनुरूप भी यह नहीं है। सदन बुलाया जाने वाला हो, उस दिशा में भी या 2-4 दिन में बुलाया जाना है, उस दिशा में भी नहीं लाया जाना चाहिये था। इसको आज स्वीकृति के लिये प्रस्तुत किया गया है। मैं समझता हूं कि यह बिल्कुल अनुपयुक्त है।

जिस समय यह अध्यादेश निकाला गया, उसका कारण दर्शाने वाला विवरण पत्र हम को दिया गया। उसमें बताया है कि

> "वर्ष 1992—97 की अवधि के लिये जो नई निर्यात एवं आयात नीति दिनांक 31 मार्च, 1992 को घोषित हुई है, उसका उद्देश्य भारत से निर्यात बढ़ाना और विदेश व्यापार देश के लाभार्जुन के अनुरूप वृद्धि करना। इसे पिछली नीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन करके तैयार किया गया है। उसमें ऐसी

[डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय]

> क्रियाविधि निर्धारित की गई जो कि अपेक्षाकृत साधारण है और जिसका संचालन आसान है। अतः यह अनिवार्य हो गया कि संसद में कार्याधीन पड़े उक्त विधेयक के उपबन्धों को तत्काल प्रभावी बनाने के लिये आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई की जाये। इस संदर्भ में सरकार ने राष्ट्रपति महोदय से विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अध्यादेश, 1992 के प्रवर्तन की सिफारिश की थी और राटरपति महोदय ने उक्त अध्यादेश दिनांक 19 जून, 1992 को जारी कर दिया।"

इस विवरण में बताया गया कि 19 जून को यह जारी किया गया है। मैंने जैसा पहले निवेदन किया कि यह परम्परा सर्वथा गलत है। यदि हमने इस प्रकार की परम्परा डाली तो शायद सरकार संसद में किसी भी विधेयक को यथासमय लाने की बात नहीं स्वीकार करेगी। और इसलिए उस दृष्टि से भी मैं इसका विरोध करता हूं।

यहां जो दूसरी बात आज मेरे सामने आई कि न केवल अध्यादेश के समय अपितु अध्यादेश के बाद भी, विधेयक प्रस्तुत होने के बाद भी सरकारी पक्ष की ओर से कम से कम 7-8 संशोधन और लाये गये और संशोधन में लाकर जो अध्यादेश में बातें नहीं कही गई थीं, उन बातों को भी उसमें समाविष्ट करने का प्रयत्न किया गया है और कहा गया है कि यह धाराएँ पिछली दिनांकों से भी प्रवृत्त मानी जायें इसलिए इसको रिट्रास्पैक्टिव इफैक्ट देना चाहते हैं। यह और आपत्तिजनक है। अध्यादेश जारी करना जहां आपत्तिजनक है, उसको रिट्रोस्पैक्टिव इफैक्ट देना और आपत्तिजनक है इसलिए मैं इसके निरनुमोदन का जो मैंने प्रस्ताव रखा है, मैं चाहूंगा कि उसको स्वीकार किया जाये।

इसके अतिरिक्त यह जो उद्देश्य और कारणों में बताया गया है, "निर्यात और आयात नीति व्यापार नीति का महत्वपूर्ण भाग है। विदेशी व्यापार को शासित करने वाली मूल विधि ऐसी होनी चाहिए जो ऐसा वातावरण बनाने का साधन हो जिससे निर्यात के लिए सुदृढ़ प्रेरणा प्राप्त हो, आयात में सुविधा हो सके और निर्यात के क्रियाकलाप अधिक लाभदायक हों।"

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यदि इस सारे विधेयक को पढ़ा जाय या देखा जाय तो उसमें कहीं पर भी निर्यात वृद्धि के बारे में या निर्यात विकास के बारे में तो बात ही नहीं कही गई है। इसका नाम रखा गया है विकास और विनियमन और जितनी धाराएं लगाई गई हैं, वह सारी विनिमयन की धाराएं हैं। रैस्ट्रिक्शन सारे पोज़ किये गये हैं और कुछ धाराएं इस प्रकार की आपत्तिजनक हैं कि शायद सरकार उसका कभी पालन करती हो या न करती हो। अब तक तो देखने में यह प्रक्रिया आई है कि पालन नहीं करती है।

मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करूंगा पृष्ठ 8 परः

> "इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, और प्रत्येक आदेश बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष जब वह सत्र में हो कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा।"

उपाध्यक्ष जी, मैं स्मरण कराना चाहूंगा, शायद सरकार ने कभी भी, किसी भी मामले में भी इस 30 दिन की अवधि का तो पालन नहीं किया। साल-साल, डेढ़-डेढ़, दो-दो साल भी हो जाते हैं, नियम बनते हैं और उन नियमों को सदन के पटल पर रखा ही नहीं जाता है। "यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक अनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम या आदेश में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि यथास्थिति वह नियम या आदेश नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभावी हो जायेगा।"

मेरा निवेदन है, यद्यपि यह धारा जरूर रखी गई लेकिन इसका पालन कभी नहीं होता, अन्यथा संसद् के

माननीय सदस्यों को अपने विचार रखने का अवसर प्राप्त हो और यदि किसी नियम के बारे में, किसी आदेश के बारे में, किसी नोटिफिकेशन के बारे में यदि कोई अपनी राय देना चाहे और उसके बारे में असहमति जाहिर करना चाहे तो उनको असहमति जाहिर करने की भी सूचना नहीं मिलती। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि केवल इस प्रकार की धाराएं रख देने से, चाहे फिर अध्यादेश के माध्यम से हो, चाहे फिर विधेयक के माध्यम से हो, केवल अपना कृत्य पूरा कर देना मात्र है, अन्यथा इसका कोई लाभ नहीं।

मैं एक और उपबन्ध की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। यद्यपि सामान्यतया इस प्रकार की धाराएं या इस प्रकार के उपबन्ध अन्य विधेयकों में भी या अन्य विधानों में भी हैं लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं कि उनका पालन ठीक से नहीं होता है और कई बार उसके अधीन कुछ ऐसी शक्तियां जो प्रत्यायोजित विधान के माध्यम से दी जाती हैं, हमारे अधिकारियों को दी जाती हैं, उसका सर्वथा दुरुपयोग होता है और इसी बारे में मैं आपका ध्यान कमेटी ऑन सबोर्डीनेट लेजिस्लेशन की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिसने अपनी सातवीं रिपोर्ट में इस प्रकार के अधिकारों के दुरूपयोग के बारे में अपना अभिमत व्यक्त किया था और यह कहा था कि ज्यादा अच्छा हो कि सदन इसके बारे में ध्यान दें और मंत्रालय इसके बारे में ध्यान दे और प्रकार की पुनरावृति न हो। ऑन मार्च, 1986 पृष्ठ 18 से मैं उद्धत कर रहा हूं:—

[अनुवाद]

मैं अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के 7 वें प्रतिवेदन के पृष्ठ 18 से उद्धृत करता हूं:—

> "'समिति ने 6 मार्च 1986 को सचिव (वाणिज्य) सचिव (कपड़ा) विधि सचिव (विधि कार्य) तथा आयात और निर्यात के मुख्य नियन्त्रक का मौखिक साक्ष्य लिया और विधि मंत्रालय (विधि कार्य विभाग) द्वारा तैयार दिनांक 31 अक्तूबर, 1985 के मामले से संबंधित एक विवरण में उठाये गये कुछ मुद्दों के बारे में भारत के महाधिवक्ता द्वारा 30 नवम्बर 1985 को व्यक्त विचार के मुद्देनजर, निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1977 से सम्बद्ध विभिन्न मामलों पर उनके विचार जाने। साक्ष्य के दौरान प्रतिनिधियों ने भारत के विद्वान महाधिवक्ता के मत से आमतौर पर सहमति व्यक्त की और यह माना कि यह उन पर बाध्यकारी होगा।"

[हिन्दी]

उसके बाद भी, इतना कहने के बाद और इस समिति के कहने के बाद भी ध्यान नहीं दिया गया है। इस बारे में सदन में पहले भी मेरे द्वारा ध्यान आकर्षित किया गया था, आधे घण्टे की चर्चा के माध्यम से। उसमें भी मैंने यह उद्धृत किया था कि इस नोटिफिकेशन के जरिए निहित शक्तियों का दुरुपयोग न हो। मुझे नहीं लगता है कि इस विधेयक के तहत इस प्रकार के नोटिफिकेशन जारी होंगे और फिर से वही प्रक्रिया प्रारम्भ होगी। उसी प्रकार से दुरुपयोग प्रारम्भ होगा और लोगों का हैरासमेंट भी हो सकता है। इसमें पुनरीक्षण का अधिकार भी दिया गया है, कोड-नम्बर की व्याख्या भी की गई है, उसके कारण मैं समझता हूं कि न केवल कठिनाइयां, जिनको हम सरल कहते हैं और सरल बनाना चाहते हैं, निर्यात की वृद्धि चाहते हैं, हम निर्यात को प्रोत्साहित करना चाहते हैं, बढ़ेंगी बल्कि मुझे शंका है कि इससे निर्यात को प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। अभी तो इससे निर्यात का वास्तव में जो प्रोत्साहन चाहते हैं, जो निर्यात-आयात नीति बनी है, उस नीति के अनुसरण में जो काम करना चाहते हैं, वह काम नहीं हो सकेगा।

मुझे बड़ा आश्चर्य है, इसमें एक प्रोविज़ो लगा हुआ है पृष्ठ-4 पर, उसके मुताबिक अनुज्ञप्ति पत्र रद्द तब तक नहीं किया जाएगा, जब तक धारा के अंतर्गत सुनवाई का समुचित अवसर दे दिया जाए, अन्यथा नहीं। उसके बाद भी कितनी रिजनेबिल अपार्चुनिटी दी जायेंगी, किन्तु यह होता नहीं है। कई बार तो कहा जाता है कि आप अपना उत्तर प्रस्तुत कर दीजिएगा, अन्यथा आपके लाइसेंस को या जो भी अनुज्ञप्ति है, उसको हम समाप्त

[डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय]

कर देंगे। मेरा सुझाव है कि अपीलेट अथारिटी की जगह ट्रिब्यूनल बनाएं। मैं समझता हूं कि इन बातों के रहते हुए विधेयक के बारे में जो कुछ भी अपेक्षा की गई थी कि एक समेकित विधेयक आएगा, जिससे हमारे विदेश व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और विकास की संभावनायें और अधिक प्रबल होंगी, इस बारे में कई ओर से शंकाये व्यक्त की गई है। उन शंकाओं को मैं आपके माध्यम से उद्धृत करना चाहता हूं। उसमें कहा गया है कि इसमें विशेष लाभ नहीं होगा। मैं उद्धृत कर रहा हूं

[अनुवाद]

इम्पैक्स टाइम्स में कहा गया है:

> "इम्पैकस टाइक्स के इस अंक में पहले ही विदेशी मुद्रा (विकास और विनियमन) विधेयक, 1992 पर कुछ टिप्पणियां दी गयी हैं। इम्पैक्स टाइम्स की छपाई के चरण में कुछ प्रतिष्ठित व्यापारियों ने उक्त विधेयक की धारा 18 के संबंध में कहा है जिस पर विचार किया जाना चाहिये और इसे तय किया जाना चाहिए।"

इसमें यह भी कहा गया है:

> "कुछ लोगों ने यह भी कहा है कि प्रस्तावित अधिनियम में कुछ मामलों में अधीनस्थ अधिकारियों को शक्ति प्रत्यायोजित करने का प्रावधान है। उनका यह मत है कि इसे क्षेत्राधिकार के अधिक प्रत्यायोजन हेतु शक्ति माना जा सकता है। इस मुद्दे पर भी विचार किया जाए क्योंकि प्राधिकार प्रत्यायोजन की शक्ति किसी भी मामले में अत्यधिक नहीं होनी चाहिए। कुछ क्षेत्रों से यह सुझाव भी आया है कि संसद के सम्मुख रखे गये विधेयक के प्रारूप की संसदीय समिति द्वारा और अधिक जांच किये जाने की जरूरत है क्योंकि नया अधिनियम भारत की अर्थव्यवस्था से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र के बारे में है।"

यह सही है कि आयात-निर्यात भारतीय अर्थ-तन्त्र के अन्दर बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और हमारे अर्थ-तन्त्र की धूरी हैं। जो अपेक्षा इस दिशा में थी, वह अपेक्षा इस बात से पूरी नहीं होती है। हमारे विदेश व्यापार में निरन्तर घाटा क्यों हो रहा है आदि। लेकिन मैं इस विषय में और विस्तार से नहीं जाना चाहता हूं। हमारे दल के अन्य माननीय सदस्य जो इस बिल में बोलने के लिए भाग लेने वाले हैं, वे इस बारे में अधिक कहेंगे। इसके मूल में जो बात थी, निरनुमोदन के प्रस्ताव की, उस पर अपने आपको समिति करते हुए कहना चाहता हूं कि इस प्रकार का अध्यादेश लाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। बिल प्रस्तुत किया जा सकता था, बिल विचाराधीन आ गया था। दो दिन के बाद हम उसको ला सकते थे। मुझे कोई कारण समझ में नहीं आता है, जिसके कारण इस सरकार को अध्यादेश लाने की ज़रूरत पड़ी, जबकि सदन आहूत किया जा चुका था। हम मिलने वाले थे। अब जबकि अध्यादेश जारी कर यह बिल लाया गया है, मैं चाहूंगा कि इसको अस्वीकार किया जाए।

[अनुवाद]

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

> "कि भारत में आयात को सुकर बनाकर और भारत से निर्यात का संवर्धन करके विदेशी व्यापार का विकास और विनियमन करने और उससे संयुक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं, इस विधेयक का आशय देश के सम्मुख घोषित नीति को तथा हमारे देश के व्यापार प्रशासन की पूर्व संरचना में लिये गये अत्यधिक बदलाव को दर्शाना है। जैसा कि आप जानते हैं हमारे देश में व्यापार प्रशासन संरचना में बुनियादी तब्दीली की गई है जिसमें अत्यधिक लाइसेंस प्रणाली, विनियमन को छोड़ दिया गया है और हमारे उद्यमियों तथा निर्यातकों को स्वतंत्र कर दिया गया है ताकि वे विश्व बाजार में पहुंच सकें और ऐसी मदें तथा पूंजीगत वस्तुएं आयात कर सकें जो विश्व बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक बढ़ोतरी प्राप्त करने के लिए बेहतर प्रोत्साहन दे सके और निर्यात करने के लिए लालफीताशाही के अनेक स्तरों पर परेशान हुए बिना निर्यात कर सकें।

हम गत कुछ वर्षों के अनुभव से इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि विश्व व्यापार के लिए तुरंत कार्यवाही की जरूरत है। विश्व व्यापार के लिए उद्यमियों को अवसर तुरन्त उपलब्ध कराया जाना चाहिये, न कि यह कि वे निर्यात हेतु अनेक मास तक लाइसेंस लेने सरकार से अनुरोध करने में निरर्थक ही समय बिता दें। यह प्रक्रिया नई नीति में दर्शाया गई है।

आप जानते हैं कि मूल अधिनियम हमारे यहां अनेक वर्षों से है। इसमें बहुत अधिक तब्दीली नहीं की गई है। हमें अपने देश में आर्थिक विकास और कल्याण तथा औद्योगिक विकास के क्षेत्र में कानून में व्यापक फेरबदल का अवसर मिला है। हमें वास्तव में अपने विदेश व्यापार प्रशासन में फेरबदल का अवसर नहीं मिला है। नयी नीति का प्रयोजन यह है कि एक नई नीति देकर विदेश व्यापार प्रशासन में ऐसे व्यापक फेरबदल किया जाये जो नई पंचवर्षीय योजना के अनुकूल हो और व्यापार प्रशासन में निश्चितता और स्वतन्त्रता की स्थिति पैदा की जाए सके। हमारी धारणा यह थी बल्कि सुनिश्चित विचार था कि मौजूदा कानूनी ढांचे, में समय-समय पर घोषित व्यापार नीति को वैधानिक मान्यता देने की व्यवस्था नहीं थी कानून बनाने के दौरान अनेक अवसरों पर हमने यह पाया कि देश की घोषित व्यापार नीति से गंभीर समस्याएं उत्पन्न होंगी क्योंकि इसे वैधानिक मान्यता नहीं दी गई है। अर्थात् कानूनी रूप से बाध्यकारी बनाकर और विधि का शासन की दृष्टि से मान्यता नहीं दी गयी है। इस प्रयोजन के लिए, तब्दीलियां आवश्यक और अनिवार्य थीं।

सभा के माननीय सदस्य जानते हैं, हमारी मंशा थी कि इस सभा में सभी सदस्यों के साथ सार्थक चर्चा करें और इस उद्देश्य हेतु हमने सभा में शीघ्र ही 3 अप्रैल, 1992 को यह विधेयक पुरःस्थापित किया था। यह विधेयक उन नीतियों को दर्शाने के लिए था जो कुछ दिन पूर्व ही 31 मार्च को घोषित की गई थी और जो 1992 से 1997 तक लागू रहती। अध्यादेश 19 जून, 1992 को जारी किया गया था। अध्यादेश जारी करने से पूर्व प्रक्रिया संबंधी नई पुस्तिका जो हमारी बनाई नीतियों के प्रति सहगामी प्रक्रियाओं को दर्शाती है, पहली मई को इसके लागू होने पर प्रभावी हो गई। जैसाकि सभा जानती है, यह हमारे देश की व्यापार नीति पर हमारे जोर देने के एकदम प्रतिकूल होता अगर सभा में हमारे द्वारा घोषित नीति और प्रक्रियाओं में प्रतिकूलता होती और मेरा विचार है कि सभा में व्यापक समर्थन मिलने और सर्वसम्मति के बावजूद हम एक कानूनी ढांचा उपलब्ध नहीं करा सके हैं।

मैं श्री पाण्डेय जी की इस आपत्ति को मानता हूं कि यह मामला कानून बनाने से पूर्व सभा के सम्मुख आना

[श्री सलमान खुर्शीद]

चाहिए था। लेकिन मैं श्री पाण्डेय से अनुरोध करता हूं कि वह राष्ट्र हित में इतनी चिन्ता को तो स्वीकारें कि अगर हम इसे छोड़ देते तो थोड़ी अनिश्चितता आ जाती कि कितने समय में ससंद विधेयकों को लेती और उन्हें पारित करती। कभी-कभी हमारे ऊपर ऐसी घटनायें हावी हो जाती हैं जो हमारे द्वारा उत्पन्न नहीं होती लेकिन ये घटनाएं विधान पारित करने में काफी देरी कर सकती थीं। हमने सारे विश्व के सामने अपनी व्यापार नीति घोषित कर दी है। हमने नई परक्रियाओं की घोषणा भी पूरे विश्व में की है। यह आवश्यक था कि हम व्यापार नीति और इसके तहत प्रक्रियाओं के लिए बाध्यकारी कानूनी व्यवस्था उपलब्ध कराएं। हमने केवल इसी उद्देश्य से 19 जून 1992 को यह अध्यादेश लागू किया। इसके बाद हम अब इसे सभा के सम्मुख लाए हैं और सभा को अध्यादेश और विधेयक पर पूरे विस्तार से चर्चा का और सुझाव देने का अवसर मिला है।

माननीय सदस्य डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय ने सरकार द्वारा सुझाए कुछ संशोधनों का भी उल्लेख किया है। ये संशोधन विधान में पहले प्रदर्शित उद्देश्यों को परिष्कृत राय देने के लिए हैं। इनका उद्देश्य यही था कि यह सुनिश्चित किया जाए कि जिस किसी व्यक्ति का वाणिज्य मंत्रालय या भारत सरकार के कार्यालयों से वास्ता पड़ता है वह परेशान न हो। इसलिए, संशोधन वास्तव में तकनीकी हैं। मैं नहीं समझता कि अध्यादेश का लागू होना और इन संशोधनों का पहले से लागू होना किसी भी व्यक्ति के लिए परेशानी उत्पन्न करेगा।

वास्तव में नए विधेयक की मुख्य विशेषता यह है कि हम व्यापार कानून को आपराधिक न्यायशास्त्र के दायरे से हटाकर सिविल, न्यायशास्त्र के दायरे में ले आए हैं। हम यह महसूस करते हैं कि व्यापार के क्षेत्र में हमें प्रोत्साहन देने चाहिएं और कुछ हतोत्साहकों की व्यवस्था भी करनी चाहिए। लेकिन मैं नहीं समझता कि व्यापार प्रशासन में हमारे लिए यह आवश्यक है कि हम पुलिस अधिकारी पुलिसकर्मियों की तरह व्यवहार करें ताकि व्यापार प्रशासन के अन्तर्गत ऐसी व्यवस्था की जाए जिसके अन्तर्गत हम उन व्यक्तियों को सजा दे सके जो कि व्यापार प्रशासन की अपेक्षाओं या विनियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। देश में अन्य उपयुक्त कानून है जिनके तहत व्यापार विनियम के किसी कर उल्लंघन को दाण्डिक न्यायशास्त्र का उल्लंघन माना जा सकता है। इसलिए इन उपयुक्त कानूनों में पर्याप्त सजाओं या पर्याप्त राहत की पहले ही व्यवस्था की गई है। हमने महसूस किया यह जरूरी नहीं है व्यापार प्रशासन में दाण्डिक न्यायशास्त्र की कोई जरा भी गुजांइश हो और इसलिए हम दाण्डिक शास्तियों के क्षेत्र से हटकर सिविल दायिता के क्षेत्र की ओर आए हैं और यही मुख्य विशिष्ट उपलब्धि है।

महोदय, मैं समझता हूं कि डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय इस तथ्य को मानेंगे कि दाण्डिक शास्तियों को वापस ले कर केवल सिविल दायिता के प्रावधान को भूतलक्षी प्रभाव से लागू करना वास्तव में उपभोक्ता के पक्ष में है तथा उस व्यक्ति के विरुद्ध न होकर उसके पक्ष में है जिस का वास्ता सरकार के साथ पड़ता है।

एक मुद्दा यह भी उठा था कि क्या इस विधान की अपेक्षाओं का उल्लंघन करने वाले किसी व्यक्ति को पर्याप्त अवसर दिए जाएंगे। मैं यहां पर यही कहना चाहूंगा कि विधान की आधुनिक धारणा यह नहीं है कि किसी ऐसी परिभाषा के तहत तर्कसंगत अवसर प्रदान किया जाये जो इस प्रकार की व्यवस्था केवल अधिनियम दिये गये उपबधों के अनुसार किये जाने की बात करती है।

एक प्रकार से हमारे सभी कानूनों से ऊपर संविधान और संविधान में किये गये संशोधन या हमारे उच्च न्यायालयों और हमारे उच्चतम न्यायालय द्वारा की गई संवैधानिक उद्घोषणाएं है तथा प्राकृतिक न्याय की समग्र व्यवस्था एवं अनुच्छेद 14 के अन्तर्गत की गई सभी उद्घोषणाएं सभी कानूनों पर लागू होती है। इसलिए तर्कसंगत अवसर के क्षेत्र को सीमित करना और कानून में किसी शब्द विशेष की कटौती करना औचित्यपूर्ण नहीं होगा। तर्कसंगत अवसर की व्यवस्था की गयी है। हमें उम्मीद तथा विश्वास है कि

न्यायालयों द्वारा तर्कसंगत अवसर की व्याख्या भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 के अधीन की गई उद्घोषणाओं के अन्तर्गत उपलब्ध तर्कसंगत अवसरों के रूप में ही की जाएगी।

महोदय, एक महत्वपूर्ण मुद्दा और उठाया गया था और यदि मैं इस मुद्दे को स्पष्ट नहीं करूंगा यदि मैं इस मुद्दे के उत्तर का प्रयास नहीं करूंगा तो शायद मैं अपने कर्तव्य से विमुख हो जाऊंगा। और वह मुद्दा विदेश व्यापार विकास और विनियमन विधेयक, 1992 का है जिसमें विकास के बजाय विनियमन पर ही अधिक बल दिया गया है। विकास नीति से आता है। और विनियमन कानून के जरिये होता है। हम क्षेत्र विशेष को विनियमित कर रहे हैं। अधिनियम ऐसा विधेयक नहीं है जिसमें विकास के बारे में बताया जाये बल्कि नीति के अन्तर्गत विकास सामान्य ढांचा का उल्लेख किया जाता है। विकास कार्य कतिपय विनियमों के दायरे के अन्तर्गत होता है। इसलिए विनियम अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन विनियम अधिनियम से ही निकलते हैं, इससे विनियमन अधिक स्पष्ट होता है— इसका मतलब यह नहीं है कि हम अपनी घोषित नीति से हट रहे हैं कि हमारा आशय विनियम के स्तर को कम करना है, भारतीय व्यापारी, भारतीय निर्यातकर्ता के लिए अधिक स्वतन्त्रता प्रदान करना है। मैं समझता हूं कि अधिनियम का पूरा अध्ययन करके स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि अधिनियम का आशय किसी न किसी प्रकार उस स्वतन्त्रता में कटौती करने का है जो हम भारतीय निर्यातकों और भारतीय उद्यमियों को देने का प्रयास कर रहे हैं।

महोदय इस विधेयक को आज सायंकाल सभा में भले ही इस के सदस्यों की संख्या कम हो, इसे एकमत से पारित करने की सिफारिश करने से पूर्व मैं एक बात और कहना चाहूंगा आज इस अधिनियम को एवं व्यापार नीति को तैयार करने और प्रस्तुत करने वाला उसका दवाब करने के लिए सभा में नहीं है। मैं माननीय भूतपूर्व वाणिज्य राज्यमंत्री श्री पी० चिदम्बरम की बात कर रहा हूं। मैं यहां केवल उस बात को दोहरा रहा हूं कि इस सभा में और सभा के बाहर जो उन्होंने विश्व बाजार में भारत को एक मुख्य निर्यातक देश के रूप में कायम करने भारत के निर्यात को बढ़ावा देने का वायदा किया था, हम उस पर उसी तरह कायम है। हम उनके पदचिन्हों का अनुसरण करेंगे, व्यापारिक संबन्धों के क्षेत्र में एवं हमारे देश के संवैधानिक इतिहास में व्यापार विकास के क्षेत्र में उन्होंने जो छाप छोड़ी है हम उसका अनुसरण करेंगे। यही मेरा तथा वाणिज्य मंत्रालय का प्रयास होगा।

मैं सिफारिश करता हूं कि इस विधेयक को सभा की सर्वसम्मत स्वीकृति प्राप्त हो।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ: "कि यह सभा 19 जून, 1992 को राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) विधेयक को अस्वीकृत करती है।"

> "भारत में आयात को सुकर बनाकर और भारत से निर्यात का संवर्धन करके विदेशी व्यापार का विकास और विनियमन करने और उसे संसक्त या आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

विचारार्थ प्रस्ताव में दो संशोधन हैं लेकिन संशोधन प्रस्तुत करने वाले दोनों प्रस्तावक सभा में उपस्थित नहीं हैं। श्री सुधीर सावन्त बोलेंगे।

श्री सुधीर सावन्त (राजापुर): उपाध्यक्ष महोदय, अन्ततः हम इस विधेयक पर चर्चा कर सकते हैं क्योंकि हम गत एक सप्ताह से इसकी प्रतीक्षा में है।

मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं क्योंकि मैं समझता हूं कि अपनी आर्थिक नीतियों में संशोधन करने के बाद इसकी अनिवार्यता बढ़ गई है। हम सभी को मालूम है कि जून 1991 में, जब यह सरकार सत्ता में आई थी, आयात और निर्यात के सम्बन्ध में देश की स्थिति बड़ी अनिश्चित थी। भुगतान सन्तुलन की स्थिति बड़ी

[श्री सुधीर सावन्त]

गम्भीर थी। वास्तव में इस देश को अपने अस्तित्व के लिए अपना सोना तक बेचना पड़ा। हमें इस प्रकार की स्थिति से निपटना पड़ा है।

जब यह सरकार सत्ता में आई तो सरकार ने अर्थव्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए कई तरह के परिवर्तन किए और कई तरह की पहल की थी। हमें एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि ज्यों ज्यों हम 21वीं सदी की ओर बढ़ रहे हैं हमारा नारा यह होता जा रहा है "निर्यात करो या समाप्त हो जाओ"। निर्यात हमारी राजनीति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। अन्य बातों के साथ-साथ निर्यात इस समाज के अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय अर्थात् रोजगार से सम्बन्धित है। हमें निर्यात को बढ़ाना है। हमें उत्पादन को बढ़ाना है, रोजगार के अवसर पैदा करने हैं। इस प्रकार हमें इस महत्वपूर्ण क्षेत्र को समुचित प्राथमिकता देनी चाहिये। इसके साथ-साथ हमें यह बात भी ध्यान में रखनी चाहिये कि जितनी भी हम प्रगति करें दूसरा देश हमें अपना माल अपने यहां निर्यात करने की अनुमति नहीं देगा। विश्व व्यापार में प्रतिस्पर्धा बढ़ती जा रही है। आज की स्थिति में प्रत्येक देश द्वारा प्रौद्योगिकी एवं उत्पादन में सुधार करने एवं जुझारू विपणन पद्धति अपनाने की आवश्यकता है।

वास्तव में विश्व के सभी देश विशेषकर विकसित देश भारत को अपने बाजार के रूप में लेते हैं और यही कारण है कि सभी विकसित देश भारत को अपना माल निर्यात करना चाहते हैं और इस प्रकार भारत को ऐसी स्थिति में लाना चाहते हैं जिससे भारत को मजबूरन उनका माल आयात करना पड़े। जब हम समूचे विश्व की बात करते हैं तो हमें इस खतरे से सजग रहना पड़ेगा। विश्वव्यापी बनाने एवं उदारीकरण करने का आशय यह नहीं है कि हम अपनी आर्थिक सम्प्रभुता का परित्याग कर देंगे। इस प्रकार जब हम उदारीकरण की नीति अपना रहे हैं और जब हम अपनी अर्थव्यवस्था विश्व बाजार के अनुकुल बनाते हैं तो हमें इस बात के प्रति सजग रहना चाहिए कि हम एक ऐसी रक्षात्मक पद्धति अपनाएं जिसमें केवल वही माल देश में आए जिसकी यहां आवश्यकता है। मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि इस देश में बाहर से उपभोक्ता वस्तुएं क्यों लाई जाएं अर्थात् जिन वस्तुओं का यहां उत्पादन हो सकता है उनका आयात क्यों किया जाए। हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए।

जब गान्धीजी ने राजनैतिक आन्दोलन चलाया तो उन्होंने अपने आन्दोलन में स्वदेशी को भी एक मुद्दा बनाया। इस मुद्दे का उद्देश्य ब्रिटेन की निर्यात क्षमता को पंगु बनाना था। ईस्ट इन्डिया कम्पनी का उद्देश्य भारत के बाजार में मन्दी पैदा करना था। भारत के प्रति इस प्रकार का विशेष दृष्टिकोण अभी भी कायम है। इस लिए हमें एक (रक्षा प्रणाली) विकसित करनी चाहिए। जब हम भारत के निर्यात पर नजर डालते हैं तो भारत का कार्यनिष्पादन अत्यंत निराशाजनक लगता है। हमने क्या देखा है? 1989 के आंकड़े मेरे पास है जो यह दर्शाते हैं कि विश्व व्यापार में भारत की भागीदारी मात्र 0.58 प्रतिशत थी। हमारे आसपास के छोटे-छोटे देशों का निर्यात हमसे कहीं अधिक अच्छा रहा है।

विश्व व्यापार में थाइलैन्ड की भागीदारी 0.64 प्रतिशत है; मलेशिया की भागीदारी भी भारत की भागीदरी से काफी अधिक है। संयुक्त राज्य अमेरिका की भागीदारी विश्व व्यापार में 14 प्रतिशत है। इसलिए हमें अपना निर्यात बढ़ाना चाहिए और इस देश की अर्थव्यवस्था में सुधार करने का केवल एक यही तरीका है। यदि हम अपने निर्यात में वृद्धि करना चाहते हैं तो हमें यह देखना होगा कि इसमें महत्वपूर्ण तथ्य क्या है। यदि आप भारत की आज की परिस्थितियों की तुलना विश्व के अन्य देशों की परिस्थितियों से करें तो आप देखेंगे कि भारतीय पक्ष से विपणन की प्राक्रिया अधिक सक्रिय नहीं है। निर्यात बढ़ाने हेतु वाणिज्य मंत्रालय को उपलब्ध आधारभूत सुविधाएं काफी सीमित हैं। विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों के वाणिज्य अधिकारियों के समक्ष आमतौर पर इस प्रकार की परिस्थितियां आती है। मैंने ऐसी परिस्थितियां देखी हैं। विदेशों में स्थित इन मिशनों में विभिन्न क्षेत्रों में निर्यात में वृद्धि करने संबंधी उत्तरदायित्व का अभाव है। निर्यात वृद्धि का कोई लक्ष्य निर्धारित

नहीं किया जाता। इस प्रकार हमें इस तरह का संगठन विकसित करना चाहिए जो विदेशों में भारतीय माल का विपणन करे। यह केवल माल के निर्यात का ही मसला नहीं है, हालांकि यह तथ्य महत्वपूर्ण है, बल्कि इससे संबंधित अन्य मुद्दे भी हैं जैसे अपने देश में पूंजी निवेश को आकर्षित करना, प्रौद्योगिकी को आकर्षित करना। यह क्षेत्र व्यापक है। क्योंकि इस देश में जो हम पूंजी निवेश के अवसर सृजित करते हैं वे सीधे रोजगार के अवसर पैदा करने से जुड़े हुए है। जब हम 21वीं सदी की ओर देखते हैं तो हमें लगता है इस देश में प्रौद्योगिकी की अत्यन्त आवश्यकता है। जब हम इन मुद्दों की ओर देखते हैं तो हमें महसूस होता है कि हमें विदेश में किसी ऐसी एजेन्सी की आवश्यकता है जो भारत के माल का आयात करे और इस देश में पूंजीनिवेश एवं प्रौद्योगिकी को आकर्षित कराए। मैं समझता हूं कि इसके लिए हमें उद्योगपतियों और संसद सदस्यों की सहायता लेनी चाहिए। संसद सदस्यों को इस विशेष मुद्दे से बिलकुल भी सम्बद्ध नहीं किया गया है। संसद सदस्यों की छवि विदेशों में बड़ी अच्छी है क्योंकि संसद सदस्य जब कुछ करता है तो उसके प्रति विदेशियों के मन में एक विश्वास उत्पन्न होता है। इसलिए इस तरह का एक संगठन बनाया जाना चाहिए। विभिन्न देशों का एक समूह बनाया जाना चाहिए और ऐसे दलों का गठन किया जाना चाहिए जिसमें संसद, सदस्यों व्यापारियों, उद्योगपतियों और मंत्रालयों के अधिकारियों को सम्मिलित किया जाए। देशों के समूह द्वारा हमारे माल का आयात करने हेतु ऐसे दल का गठन किया जाना चाहिए।

दूसरी बात जो मैं सरकार की जानकारी में लाना चाहता हूं वह कृषि क्षेत्र से सम्बन्धित है। हमारे निर्यात में कृषि क्षेत्र का हिस्सा मात्र 21 प्रतिशत होता है। मैं समझता हूं कि आज की स्थिति में कृषि क्षेत्र को वह सुविधा नहीं दी जाती, इस क्षेत्र पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता जिससे कि कृषि उत्पादों का निर्यात किया जा सके। उदाहरण के लिए अलफॉन्सो आम का मसला लीजिए। अलफॉन्सों आम की विदेशों में मांग है। इन आमों का निर्यात करने के लिए आम उत्पादकों से लेकर देश के बाहर जाने तक की अपेक्षित आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। हमारे पास एक "इम्पेडा" (आई०एम०पी०ई०डी०ए०) नामक संगठन है। लेकिन इस संगठन की आम उत्पादकों को कोई जानकारी नहीं है। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है क्योंकि उनके साथ अभी मेरी बैठक होनी है। आंशिक रूप से यह मेरा मुद्दा है क्योंकि उन्होंने मुझे आमंत्रित किया है। लेकिन जहां तक ग्रामीण क्षेत्र का संबंध है वहां "इम्पेडा" तंत्र दृष्टिगोचर नहीं है।

मैं तटवर्ती जिले से हूं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत 250 किलोमीटर का तटवर्ती क्षेत्र आता है। "इम्पेडा" से लोग मेरे निर्वाचन क्षेत्र में आते हैं और अपना काम करते हैं। लेकिन उन्होंने कभी भी मुझे बुलाना या मुझसे परामर्श करना अथवा मुझे सलाह देना उचित नहीं समझा। इन संगठनों का इस प्रकार का रवैया है। धातु और खनिज व्यापार निगम अच्छा कार्य कर रहा है। लेकिन फिर भी हमारे सामने लौह-अयस्क की समस्या आती है। इसलिए निर्यात के लिए उत्तरदायी सरकार के इन निगमों और संगठनों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि निम्नस्तर के लोगों को हर तरह की सहायता मुहैया कराई जाए।

यही स्थिति लघु औद्योगिक इकाइयों के साथ है क्योंकि ये इकाइयां माल का उत्पादन कर सकती हैं। लेकिन निर्यात के लिए उन्हें आधारभूत सुविधाएं या कोई तन्त्र उपलब्ध नहीं होता। इन सब बातों पर हमें गौर करना चाहिए अर्थात् हमें कृषि क्षेत्र और लघु औद्योगिक इकाइयों की ओर ध्यान देना चाहिए।

दूसरा मामला दस्तकारी से संबंधित है। इस क्षेत्र की पूरी तरह उपेक्षा की गई है। इस क्षेत्र में निर्यात वृद्धि की व्यापक क्षमता है। मैं पुनः अपने निर्वाचन क्षेत्र का उदाहरण दूंगा जहां शिल्प-तथ्य और दस्तकारी व्यापार की अच्छी सम्भावनाएं है। जब मैंने प्रधानमंत्री जी को एक लकड़ी की छोटी पेटी भेंट की तो उन्होंने कहा कि "आपको इसका निर्यात करना चाहिए।" हमने इन वस्तुओं का निर्यात करने के लिए अभी तक कोई तन्त्र विकसित नहीं किया है।

[श्री सुधीर सावन्त]

एक अन्य मुद्दा विदेशों में नियोजित भारतीयों द्वारा अपने देश में धन भेजने के बारे में है। विदेशी धन के उक्त परेषण में वृद्धि होनी चाहिए। हमें विदेशों में अपने अधिकाधिक श्रमिक भेजने चाहिए। विदेश जाने वाले लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन कठिनाइयों को दूर करना चाहिए। लोगों को विदेश जाने हेतु तैयार करने के लिए स्वयं सेवी संगठनों को प्रोत्साहित करना चाहिए। विदेशों में रोजगार के अवसर पैदा करने चाहिए क्योंकि वहां से प्रेषित धन हमारे विदेशी मुद्रा-अर्जन का एक महत्वपूर्ण भाग है। कुछ मामलों पर गौर किए जाने की आवश्यकता है। आज आवश्यकता इस बात की है कि हमें अपनी आठवीं पंचवर्षीय योजना के साथ-साथ निर्यात योजना भी तैयार करनी चाहिए।

3.00 म०प०

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर): महोदय, सभा में गणपूर्ति नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय: घंटी बजाई जा रही है। सभा में अब गणपूर्ति है। श्री सुधीर सावन्त अपनी बात जारी रखें।

श्री सुधीर सावन्त: महोदय, मैंने यही कहा था कि अल्प अवधि तथा दीर्घावधि की आयात-निर्यात योजना बनाई जाए। इस योजना की आवश्यक बात यह है कि हम वित्त, विपणन और प्रौद्योगिकी की सुविधाएं उपलब्ध करवाकर छोटे उद्योगों, सहकारी समितियों, स्वैच्छिक संगठनों और भारी उद्योगों को बढ़ावा दें। हमें निर्यात के लिए ठोस कार्यवाही करनी चाहिए ताकि हम विश्व व्यापार में अपने अंश को 0.58% से बढ़ाकर 1% कर सकें क्योंकि 21वीं सदी का यह नारा है कि 'निर्यात अथवा समाप्ति'। इस उद्देश्य के लिए हमें आयात और निर्यात को प्राथमिकता देनी होगी।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने निर्यात को समर्थन देने के लिए यह बिल लाये हैं। निर्यात व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने 161 वस्तुओं पर उत्पादन शुल्क में वापिसी छूट दर बढ़ाने की घोषणा की है। 7 नई वस्तुओं के निर्यात में वापिसी दरें निर्धारित की गयी हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आयात में कमी का कारण यह है कि आयात से दुर्लभ मुद्रा अब रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया से सरकारी विनिमय दर से नहीं मिलती है। वह खुले बाजार में उसे खरीदनी पड़ती है जहां विनिमय की दर ज्यादा है। सरकार ने निर्यात माल पर उत्पादन शुल्क में वापिसी छूट दर बढाने की घोषणा की है उसमें माननीय मंत्री जी ने यह नहीं बताया कि उत्पादन शुल्क व राजस्व शुल्क में कितनी कमी आयेगी, इसका अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता है। दूसरा मेरा आपसे निवेदन है कि सभी निर्यात वस्तुयें वर्षों से चले आ रहे हैं। दुर्लभ मुद्र की भले ही मांग हो तो उदाहरण के लिए 161 वस्तुयें— दवायें, औषद, रसायन, सूती-कपड़ा, चमड़े की वस्तुयें, खेलों का सामान, इलैक्ट्रोनिक्स वस्तुओं पर सरकार ने उत्पादन शुल्क की वापसी दरें बढ़ाने का तर्क दिया है परन्तु अभी हाल ही में विदेशी सामान, कल-पुर्जों की कीमतें इससे बढ़ गयी हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि विश्व अर्थ-व्यवस्था के ढांचे में इसको बढ़ाने का निर्णय किया जा चुका है तो उद्योग एवं व्यवसाय के उत्पादन लागत पर तथा ऊपर के खर्चे कम करने का प्रयास करना चाहिये। यहां पर मैं इतना निवेदन करना चाहूंगा कि सरकर ने चांदी की तस्करी का जो जखीरा था, उसको पकड़ने का काम किया, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। लेकिन मेरा यहां पर निवेदन है कि पश्चिमी देशों से हमें आर्थिक ही नहीं तकनीकी और औद्योगिक मदद भी मिलती रही है, पर हमारा निर्यात नहीं बढ़ा है और इन 40 वर्षों में विदेशी ऋण पर जीने की हमें आदत पड़ गई है।

मेरा दूसरा निवेदन है कि हमारे उद्योगपति घरेलू खपत के लिए उत्पादन और उसमें अधिकाधिक लाभ उठाने

की ओर प्रवृत्त रहे हैं, निर्यात में उन्हें नाममात्र का भी आर्कषण नहीं रहा है। इससे तैयार माल के गुण और किस्म में अधिक सुधार नहीं हो पाया है। सुरक्षित बाजार की यह बहुत बड़ी कमज़ोरी है। दूसरी ओर विदेशी कंपनियां इस देश में उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन करने में अधिक लालायित हैं एवं टैक्नोलॉजी के नाम पर हम दशकों पुरानी तकनीक पर निर्भर हैं। मेरा यहां पर निवेदन है कि हम समाजवाद की शिक्षा की बात करते हैं पर जिस पूंजीवाद को खत्म करना चाहते हैं, आज हम उसकी शरण में ही जा रहे हैं। हम निर्यात में प्रगति और प्रगति निर्यातक सिद्धांत की बात करते रह गए हैं। परिणाम यह हुआ कि न तो हम जापान बन सके और न हम चीन बन सके। न हमारे उत्पादन की गुणवत्ता का स्तर इतना ऊंचा हो सका कि वह जापान की तरह विश्व प्रतियोगिता में टिक सके क्योंकि आज भी जापान की चीजों को लोग बहुत पसंद करते हैं और न हम चीन की तरह अपनी आवश्यकताओं को अपने साधनों से पूरा करने का कोई आधारभूत ढांचा ही बना सके हैं। मैं कहना चाहूंगा कि जब माननीय महोदय अपनी बात कहेंगे तो वह निश्चित रूप से इन बातों का उत्तर देंगे। मुझे इतना ही आपसे निवेदन करना है। धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री शरद दिघे (मुम्बई उत्तर मध्य): उपाध्यक्ष महोदय, मैं विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) विधेयक, 1992 का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय मंत्री ने कुछ देर पहले काफी अच्छे ढंग से इस विधेयक के उद्देश्य तथा इसकी मुख्य विशेषताएं सदन के समक्ष रखी थीं। वास्तव में यह विधेयक वर्तमान निर्यात और आयात नियंत्रण अधिनियम, 1947 के स्थान पर लाया गया है क्योंकि इस कानून के अंतर्गत भारत के विदेश व्यापार के विकास तथा संवर्धन के लिए कोई पर्याप्त प्रावधान नहीं किया गया था।

जैसा कि सभा को पहले ही यह जानकारी है कि सरकार ने व्यापार नीति में जुलाई-अगस्त, 1991 में प्रमुख परिवर्तन किए थे। नई व्यापार नीति का उद्देश्य उत्पादकता तथा प्रतियोगिता को बढ़ावा देना और सुदृढ़ निर्यात निष्पादन प्राप्त करना है। हम सभी जानते हैं कि निर्यात नीति हमारी व्यापार नीति का मुख्य अंग है। जहां तक नीति का संबंध है यह एक महत्वपूर्ण अंश है। विदेश व्यापार के नियम ऐसे होने चाहिएं जिनसे ऐसा वातावरण बने कि निर्यात सुविधाओं को बढ़ावा मिले। इसी कारण पुराने नियमों के स्थान पर वर्तमान विधेयक लाया जा रहा है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि वर्तमान नियम मौजूदा व्यापार नीति और आयात-निर्यात नीति के अनुरूप नहीं है।

संक्षेप में हमारी वर्तमान आयात-निर्यात नीति की मुख्य विशेषताएं यही हैं कि जहां तक आयात का संबंध है आयात की जाने वाली वस्तुओं की निषेधात्मक सूची छोटी होनी चाहिए, इससे उपभोक्ता वस्तुओं पर दबाव बना रहेगा। निर्यात की निषेधात्मक सूची में केवल सात मदें शामिल हैं। 62 मदों पर प्रतिबंध लगाया गया था और 12 मदों का सरणीकरण किया गया था। अतः व्यापार नीति के उदारीकरण के अनुरूप आयात-निर्यात नीति का भी उदारीकरण होगा। जहां तक पुराने कानून का संबंध था वह निषेधात्मक प्रकार का था। आयात-निर्यात नियंत्रण अधिनियम की प्रस्तावना स्वयं में "आयात और निर्यात पर प्रतिबंध लगाने अथवा नियंत्रित करने का एक अधिनियम था।" इसके पूरे नाम में भी यही कहा गया था कि यह आयात और निर्यात पर प्रतिबंध लगाने अथवा नियंत्रित करने के लिए है और इसे इस प्रकार अधिनियमित किया जाता है। अतः आयात और निर्यात नियंत्रण अधिनियम, 1947 का एकमात्र उद्देश्य प्रतिबंध लगाना था।

सभा के समक्ष जो वर्तमान विधेयक है उसका उद्देश्य आयात की सुविधाएं देना तथा भारत से निर्यात

[श्री शरद दिघे]

को बढ़ाने तथा इससे संबंधित अन्य मामलों द्वारा विदेशी व्यापार का विकास और विनियमन करना है। वर्तमान आयात और निर्यात नीति का मुख्य उद्देश्य आयात और निर्यात के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराना तथा इसे विनियमित करना है। इसका पूरा नाम और प्रस्तावना भी महत्वपूर्ण हैं और सभा के समक्ष वर्तमान कानून की महत्ता को दर्शाता है।

जहां तक वर्तमान विधेयक की विषय वतु का संबंध है इसमें यह कहा गया है कि नियमों का उल्लंघन करने की दशा में जुर्माना किया जाएगा, वस्तुएं जब्त की जाएंगी और लाइसेंस रद्द किए जा सकते हैं। यह इस सरकार की उदार आयात-निर्यात नीति के अनुरूप है।

इस संबंध में मेरा यह निवेदन है कि सरकार ने विश्वास के सिद्धांत के आधार पर कार्य किया है। सरकार ने व्यापार, उद्योग और कारोबार पर विश्वास किया है और आशा की है कि व्यापार, उद्योग और कारोबार से सम्बन्धित लोग सरकार की नीति के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया करेंगे। मैं यह भी आशा करता हूं कि विश्वास पर सकारात्मक प्रतिक्रिया होगी क्योंकि यह उचित है। अब, इस विधेयक पर टिप्पणी करने के पश्चात् तथा इसका स्वागत करने के बाद, मैं केवल एक उपबंध का उल्लेख करना चाहूंगा कि जो मेरे अनुसार उचित नहीं है और उसका भयंकर परिणाम हो सकता है। इस विधेयक में विदेशी व्यापार के महानिदेशक की नियुक्ति का प्रावधान है। यह बहुत जिम्मेदारी का पद है। चूंकि खण्ड 6 के उपखण्ड 2 के अनुसार, महानिदेशक, केन्द्र सरकार को आयात-निर्यात नीति बनाने में परामर्श देगा और वह इस नीति को लागू करने के लिए भी जिम्मेदार होगा। अतः महानिदेशक एक ऐसा व्यक्ति होगा जो सरकार को सलाह देगा और वह उस नीति को क्रियान्वित करने के लिए भी जिम्मेदार होगा। खण्ड 6 के तहत केन्द्र सरकार द्वारा महानिदेशक की नियुक्ति की जायेगी। खण्ड 6 के उपखण्ड 1 में कहा गया है कि इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ सरकार विदेश व्यापार महानिदेशक के रूप में किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकती है। मेरा नम्र निवेदन है कि कुछ योग्यताएं या कुछ शर्तें निर्धारित की जानी चाहिएं। जब आप इतने बड़े अधिकारी जिसके पास इतना अधिक अधिकार है या वह व्यक्ति जो इस नीति को बनाने में भी शामिल होगा तथा उस नीति को लागू करने के लिए जिम्मेदार होगा ऐसे व्यक्ति की योग्यताएं निर्धारित की जानी चाहिएं। अन्यथा यदि नौकरशाही तंत्र इस अधिकार का इस्तेमाल करके किसी व्यक्ति को महानिदेशक के इस महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त कर देगा तो इसका परिणाम खतरनाक हो सकता है और इस विधेयक के तहत इतने सारे अधिकार रख सकता है।

इसलिए सरकार से मेरा सुझाव है कि कुछ योग्यताएं निर्धारित की जानी चाहिएं यदि इस अधिनियम के तहत नहीं तो कम से कम अधीनस्थ विधान के तहत सरकार ऐसा कर सकती है। जब नियम बनाये जायें तो उन नियमों में महानिदेशक के लिए न्यूनतम योग्यताओं का प्रावधान होना चाहिए। जब तक ऐसा नहीं किया जायेगा; इस अधिकार का दुरुपयोग किये जाने की संभावना होगी और जहां तक इस कानून के अन्तर्गत कोई व्यक्ति इस जिम्मेदारी के पद को ग्रहण कर सकता है। जिसके पास काफी मात्रा में ये अधिकार रहेंगे।

इस सुझाव के साथ, मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं और इस विधेयक का पूरे हृदय से समर्थन करता हूं।

डा० राजगोपालन श्रीधरण (मद्रास दक्षिण): महोदय, भारत के आर्थिक विकास की बुनियाद विदेशी व्यापार पर निर्भर करती है। लाल फीताशाही प्रक्रिया तथा अड़चनें दूर करके आयात-निर्यात नीति का उदारीकरण करने तथा आयात-निर्यात को सुगम बनाने के लिए मैं वर्तमान सरकार के शहरी दृष्टिकोण के लिए धन्यवाद करता हूं। इससे न केवल विदेशी मुद्रा अर्जन करने में सहायता मिलेगी बल्कि भारतीय मुद्रा का मूल्य भी बढ़ जायेगा। आशा की जानी चाहिए कि वह दिन दूर नहीं जिस दिन भारतीय मुद्रा की विनिमय दर अमरीकी डालर या अन्य विदेशी मुद्रा की तुलना में 1980, 1970 के पूर्व स्तर पर आ जायेगी। ऐसा केवल तभी संभव हो

सकता है जब सरकार और निजी उद्यमी सभी मिलकर कठिन परिश्रम करें। यहां अफसरशाही को व्यापारिक गतिविधियों या व्यवहार कुशलता के क्षेत्र में आना चाहिए।

विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने की निम्नलिखित क्षेत्रों में मुख्य आवश्यकता है:

1. विश्वव्यापी प्रतियोगी प्रस्ताव तथा शर्तों पर आधारित क्रय बाजारों की पहचान।

2. जितने मूल्य पर सामान बेचा गया उसका उतनी धनराशि का होना।

3. उपभोक्ताओं की पर्याप्त संतुष्टी ताकि अधिक से अधिक आर्डर मिल सकें।

4. तुरन्त कार्य निष्पादन तथा समयबद्धता का परिपालन।

क्रय बाजार की पहचान

अल्पकालिक तथा दीर्घकालिक खरीददार होते हैं। उनकी नियमित आयात आवश्यकता कच्चा माल या तैयार माल होती है। जो देश आत्मनिर्भर नहीं होते, अन्य देशों से सेवाओं तथा सामानों का आयात करते हैं जहां इनकी प्रचुरता होती है। भारत को विश्वव्यापी आकर्षण प्रस्ताव देने चाहिए। इसके अलावा घरेलू मांग को भी ध्यान में रखना चाहिए और किसी भी हालत में विदेशी मुद्रा अर्जित करने के उद्देश्य से देश की जनता को कठिनाई में नहीं डालनी चाहिए।

सामान पर जितनी राशि खर्च की गई, उतनी राशि का उस सामान का होना

उपभोक्ताओं की संतुष्टी ही व्यापार की सफलता है। एक उपभोक्ता यह आशा करता है कि उसको माल व सेवा के बदले में मुद्रा का पूरा मूल्य मिले इसके लिए वस्तुमूल्य, गुणवत्ता, मात्रा, पैकिंग तथा समय निर्धारण मूल आवश्यकताएं हैं।

यह क्षेत्र प्रोमोटरों से सम्बन्धित है जिन्हें निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है:

स्व-नियोजित, शिक्षित और अनुभवी वर्ग जिन्हें व्यापार सम्बन्धी निपुणता और अनुभव प्राप्त है। उनमें से अनेक बेरोजगारी और रोजगार के अवसरों की कमी के कारण अध्ययन काल से ही प्रोमोटर बन चुके होंगे। दूसरे, ऐसे रचनात्मक प्रतिभा वाले व्यक्ति हैं जो शुरू में ही या बाद में अपनी नौकरी छोड़ देते हैं और अपने नियोक्ता द्वारा अपनी प्रतिभा की कद्र नहीं किये जाने की वजह से व्यापार शुरू कर देते हैं यद्यपि अन्य प्रकार से उन्हें मासिक वेतन, आय और सेवानिवृत्ति लाभ प्राप्त होता है।

ये प्रोमोटर श्रेष्ठ वर्ग के हैं लेकिन इनके पास पूंजी तथा एक कार्यालय की मूलभूत सुविधाओं फर्नीचर, लेखन सामग्री, दूर संचार सुविधायें जैसे कि फोन, टेलेक्स, फैक्स इत्यादि जो कि व्यापार शुरू करने के पूर्व की आवश्यकतायें हैं, का अभाव है। उन्हें जितनी जानकारी है वह उन लोगों को प्राप्त नहीं है जिनके पास धन और सुविधाएं हैं। इन प्रोमोटरों ने अपनी दूरदर्शिता तथा वर्षों तक कठोर परिश्रम द्वारा इन वस्तुओं की आपूर्ति के श्रोतों तथा इनके लिए क्रयदारों के बाजारों की जानकारी प्राप्त कर ली है और चूंकि वे संवर्द्धनात्मक व्यय वहन नहीं कर सकते हैं और न तो व्यापार को बढ़ावा दे सकते हैं और न ही इसे मूर्तरूप दे सकते हैं, वे विक्रेता और क्रेता के बीच सम्बन्ध स्थापित कर सकते हैं। इन प्रोमोटरों से अधिक राष्ट्र को हानि हो रही है। सरकार को ऐसे प्रतिभावान व्यक्तियों की सूची तैयार करनी चाहिए और जब तक वे व्यापार शुरू न कर दें उन्हें दूर संचार व्यवस्था और अन्य मूलभूत सुविधाओं के निशुल्क उपयोग की अनुमति प्रदान करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्हें दौरा करने, ठहरने, यातायात, मनोरंजन आदि का व्यय वहन करने हेतु पर्याप्त अग्रिम धनराशि दी जानी चाहिए। इस अग्रिम धनराशि को प्रमोटर्स ऋण मेला आयोजित करके दिया जाना चाहिए जिसको वसूली लाभ प्राप्त हो जाते ही की जा सकती है और सेवा शुल्क से काटा जा सकता है।

[डा० राजगोपालन श्रीधरण]

माननीय वाणिज्य उप मंत्री जी के ध्यान में मैं तीन बातें लाना चाहता हूं चन्दन की लकड़ी के सनदर्भ में 'प्राप्ति श्रोत' शब्दों को समाविष्ट किया जाना चाहिए क्योंकि ये शब्द उसमें नहीं दिये गये हैं। तस्करी पूरे जोरों से हो रही है, विशेषकर कर्नाटक और तमिलनाडु में और मैं इसे माननीय वाणिज्य उपमंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं। हाथ से निर्मित माचिसों और माचिस की तीलियों के निर्यात के लिए जिन्हें बड़े पैमाने पर तमिलनाडु में तैयार किया जाता है और तमिलनाडु के माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छानुसार, मैं यह चाहता हूं कि माननीय वाणिज्य उपमंत्री जी को यह देखना चाहिए कि उस पर से सामान्य उत्पाद शुल्क जो अब लागू है, हटा दिया जाए।

जहां तक कपास के आयात और निर्यात नीति का सम्बन्ध है, आज कपड़ा मिलों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। सरकार और कपड़ा मिल मालिकों के बीच सार्थक वार्ता होनी चाहिए।

निर्यात सम्बन्धी निष्पादन के लिए अपनायी जाने वाली क्रमवार प्रक्रिया निम्न प्रकार से होनी चाहिए:

1. विदेशी बाजार सर्वेक्षण।
2. पृच्छायें आमंत्रित करना।
3. विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धात्मक दरों के साथ प्रस्ताव भेजना।
4. अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के मुताबिक नमूने इकट्ठे करना।
5. वार्तालाप और अन्तिम रूप देना।
6. यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने पर साख पत्र की वसूली की गयी है और इसमें आस्थगित भुगतान शर्तों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए जिनका इस्तेमाल कुछ देश अपने लाभ के लिए करते हैं।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी पार्टी की ओर से इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, मैं विदेशी व्यापार (विकास और नियमन) विधेयक, 1992 का समर्थन करता हूं। यह विधेयक आयात और निर्यात व्यापार के विकास और नियंत्रण के लिए तैयार किया गया है।

यह दशक पूरे विश्व में तीव्र परिवर्तनों का दशक रहा है। जब हर जगह इस प्रकार के परिवर्तन हो रहे हैं, यूरोपीय देशों और हमारे पड़ोसी देशों में परिवर्तन हो रहे हैं तो हम चुप नहीं बैठ सकते हैं। हमें भी इन परिवर्तनों का सामना करना है। जब मैं परिवर्तनों की बात करता हूं तो निश्चित रूप से मेरा अर्थ बेहतर भविष्य के लिए परिवर्तन से है। जब हमारे इर्द गिर्द तेजी से परिवर्तन हो रहा है तो हम अलग नहीं रह सकते हैं।

पहले की अपेक्षा ये विश्व बाजार आज अधिक खुले हुए हैं। हाल के इतिहास में, विगत दशकों में अनेक विकासशील देशों ने जैसे इन्डोनेशिया, कोरिया, मैक्सिको, मलेशिया, मोरोक्को, थाईलैंड और तुर्की ने अपने व्यापार प्रक्रियाओं को अत्यधिक उदार बनाया है। सभी विकासशील देश अपने व्यापार सम्बन्धी प्रक्रियाओं को सरल बना रहे हैं और भारत, पाकिस्तान, पेरु तथा वियतनाम इन सुधारों की अब शुरुआत कर रहे हैं।

पूर्वी यूरोप के देश अपनी अर्थव्यवस्था में तेजी से परिवर्तन ला रहे हैं और भूतपूर्व सोवियत संघ के गणराज्य भी इनका अनुसरण कर रहे हैं। वहां हमने एक महाशक्ति का विघटन भी देखा और अब विभिन्न गणराज्य इन परिवर्तनों का अनुसरण करने वाले हैं।

हमारा अनुभव बताता है कि व्यापार सुधार और आर्थिक विकास साथ-साथ चलते हैं। इसके साथ ही देश की व्यापार-नीति आर्थिक नीति, औद्योगिक नीति में तथा इसी प्रकार अन्य क्षेत्रों में भी परिवर्तन लाये जाना अत्यावश्यक थे।

हमें प्रसन्नता है कि यह वर्तमान सत्तासीन सरकार ने पिछले वर्ष जून में सत्ता में आने के पश्चात् प्राथमिकता के आधार पर इस तरफ ध्यान दिया था और यह स्वाभाविक ही है कि उन्होंने नई आर्थिक एवम् औद्योगिक नीति बनाई है।

महोदय, व्यापार से औद्योगिक क्षेत्र को गति मिलती है। सच पूछिये तो सकल घरेलू उत्पाद का 1/8 हिस्सा व्यापार से ही उत्पन्न होती है। विदेशी व्यापार हमारी अर्थव्यवस्था की एक प्रकार से प्रेरक शक्ति है। हमारी आर्थिक गतिविधि, प्रौद्योगिकी निवेश और उत्पादन अधिकाधिक रूप से एक दूसरे पर अंतर्निर्भर हो रहे हैं और व्यापार इन तत्वों को एक साथ लाता है तथा आर्थिक विकास को तेज करता है। महोदय, जैसा कि आपको मालूम ही है कि हमारे विदेशी मुद्रा भंडार का कितना अधिक महत्व है। इसलिए निर्यात को हर तरीके से प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये। और इस दृष्टि से मैं सरकार को इन सब बातों को मद्दे नज़र रखने और नई नीतियों—आर्थिक नीति, औद्योगिक नीति और इसी के एक अहम अंश के रूप में व्यापार नीति लाने के लिए बधाई देता हूं।

नये नीतिगत परिवर्तन लाने, नई नीतियों को कार्यान्वित करते हुए हमें सतर्क रहना होगा। नई नीति के क्रियान्वयन से हमारे देश में रोजगार आदि के क्षेत्र में कही समस्यायें उत्पन्न नहीं होनी चाहियें। हमारा एक विशाल देश है और इस देश की जनसंख्या जिसे रोकने के लिए सभी प्रयत्न जारी हैं, इस शताब्दी के अंत तक 100 करोड़ अथवा 1,000 मिलियन तक पहुंच जायेगी। रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए हमें ऐसी नीतियां अपनानी होंगी। लेकिन साथ ही, जैसा कि मैंने कहा कि अब वैज्ञानिक और तकनीकी विकास का समय आ रहा है और हर क्षेत्र में परिवर्तन हो रहे हैं। नई तकनीकें खोजकर उन्हें प्रयोग में लाया जा रहा है। आधुनिकीकरण आज की जरूरत है।

महोदय, नई तकनीक को अपनाते समय और आधुनिकीकरण के साथ ही हमें श्रम शक्ति के पहलू को अर्थात् बेरोजगारी की समस्या को ध्यान में रखना होगा। अतः इसमें सामंजस्य अनिवार्य है। जहां कहीं भी प्रौद्योगिकी अनिवार्य है, हमें उनको आयात करना पड़ता है और ऐसी विकसित प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके हमें अपनी उत्पादकता बढ़ानी होगी। अगर उत्पादकता में सुधार होता है तो हम विभिन्न क्षेत्रों में अपना उत्पादन बढ़ा सकते हैं और आधुनिक प्रौद्योगिकी के अपनाने से उत्पादकता में सुधार किया जा सकता है। इस प्रकार से इनका परस्पर अन्तःसम्बन्ध है और इसीलिए इन सब में समन्वय होना चाहिए। जहां कहीं भी प्रौद्योगिकी की जरूरत है हमें वह आयात करनी पड़ेगी तथा मेरे विचार में जिन क्षेत्रों में हमें रोजगार के अवसर पैदा करने की जरूरत है, उन क्षेत्रों में हमें अधिक ध्यान दिये जाने की जरूरत है ताकि नई व्यापार नीति से रोजगार के अवसर कम न हों।

अगर आज गांधी जी भी जिन्दा होते तो शायद वह भी कुछ परिवर्तन लाने के पक्ष में होते। तब हम उसे गांधीवादी अर्थव्यवस्था कहते। यह सत्य है कि यह गांधी की भूमि है और इसमें गांधीवादी अर्थव्यवस्था के बहुत से मूलभूत लक्षण हैं। आत्मनिर्भरता इसके मूलभूत पहलुओं में से एक है। आज हमें आत्मनिर्भर बनना होगा और साथ ही हमें विश्व की मंडियों में प्रतियोगी बनना होगा। कुछ बाधा अवश्य है लेकिन आत्म-निर्भरता प्राप्त करना तथा गांधीवादी दर्शन अपनाना असंभव नहीं है तथा जहां तक संभव हो उसे अपनाया जाना चाहिये।

जैसा कि मैंने कहा है यह विधेयक आर्थिक विकास के रास्ते में आने वाली सभी विघ्न-बाधाओं को हटाने के

[श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही]

लिए लाया गया है। अतः एक-एक करके सरकार अपने आश्वासनों को पूरा कर रही है। व्यापार के सम्बन्ध में कानून 1947 से चला आ रहा है और मेरे से पहले अनेक माननीय वक्ताओं ने इस बात का उल्लेख किया है कि यह कानून पर्याप्त विधिक आकार देने में सक्षम नहीं है, इसमें कतिपय कमियां हैं तथा अर्थ-व्यवस्था को उदार बनाने और परिवर्तित स्थिति में यह हमारी आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है अतः यह विधेयक इस विधान को आधुनिक बनाने की इच्छा से लाया गया है।

नई व्यापार नीति के उद्देश्य उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा बढ़ाना, निर्यात-स्थिति को सुदृढ़ करना और विदेशी व्यापार को बढ़ावा देना है। इस विधेयक में इस बात का ध्यान रखा गया है कि इस विधेयक में 1947 के कानून के प्रावधानों को बनाये रखा गया है। इसमें सभी बातों का भी ध्यान रखा गया है। इसके पश्चात् कोड संख्या दी जायगी बिना कोड संख्या के कोई भी व्यापार नहीं कर सकेगा।

[अनुवाद]

यदि कोई भी व्यक्ति आर्थिक अपराध करता है अथवा सीमाशुल्क, उत्पाद-शुल्क, विदेशी विनिमय आदि से संबंधित विभिन्न आदेशों, नियमों और विनियमों की अवमानना करता है, तो उसका कोड़ नम्बर वापिस ले लिया जाएगा। उसका कोड़ नम्बर रद्द कर दिया जाएगा। इसमें जुर्माना और जब्त करना आदि बातों का भी प्रावधान है। यदि इन सभी प्रावधानों को पूरी तरह से लागू किया जाता है तो इस विधेयक के पीछे जो उद्देश्य हैं, वह काफी हद तक पूरा हो सकेगा।

अन्य कानूनों की तरह इस विधेयक के अंतर्गत नियम बनाने और आयात और निर्यात से संबंधित प्रावधानों को तैयार करने की शक्ति का भी प्रवधान है। इस प्रकार इस विधेयक के विरोध करने की ऐसी कोई भी बात नहीं है। यह तो एक विधेयक वस्तुतः इस का तो व्यापक स्वागत हुआ है और इसलिये मैं इस विधेयक का हृदय से समर्थन करता हूं और इस विधेयक का स्वागत करता हूं।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि आज हर जगह भयावह परिवर्तन हो रहे हैं। हम बदलते हुए हालातों के प्रति सजग है और हमें सदैव इनके प्रति सजग ही रहना चाहिये। अन्य बातों के साथ-साथ विधेयक में हमारी मौलिकता और आधुनिकता आदि के प्रति जो हमारा दृष्टिकोण है, उसका भी समावेश होना चाहिये। इसमें मौलिकता और नवीनता दोनों बातें समाहित होनी चाहियें। व्यापार के क्षेत्र में भी जब कभी कोई द्वन्द्व पैदा होता है, कोई झगड़ा खड़ा हो जाता है, तो हमें केवल अपने-आप एक ही प्रश्न करना चाहिये जैसा कि पत्रकारों तथा जनता के विभिन्न वर्गों द्वारा पूछे जाने पर गांधी जी ने भी कहा था। उन्होंने कहा था कि जब कभी किन्हीं समस्याओं को लेकर आपके मन में कोई द्वन्द्व खड़ा हो जाता है तो आप अपनी आत्मा से पूछिये कि आप जो कार्य कर रहे हैं अथवा नीति बना रहे हैं; क्या उसके द्वारा देश के अति निर्धन लोगों को कोई लाभ पहुंचेगा अथवा उन्हें कोई हानि होगी। मैं कहना चाहूंगा वास्तव में इस तरह का ही मानदंड होना चाहिये। यदि इससे गरीब लोगों का भला होता है, तो नीति को अपनाया जाना चाहिये। जब भी हमारे मन में कोई द्वन्द्व पैदा होता है, तो उस उत्पन्न हुई समस्या के प्रति हमें स्वयं से यही प्रश्न ही करना चाहिये। लेकिन इसके साथ-साथ हमें नये परिवर्तन को भी अपनाना चाहिये, हमें भी बदलते हुए विश्व के साथ बदलना चाहिये। आज हर स्थान पर काफी तेजी से क्रान्ति हो रही है और हम भी इससे विमुख नहीं रह सकते।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं इस विधेयक का पुरजोर समर्थन करता हूं। मैं इस विधेयक का हृदय से समर्थन करता हूं और इसका स्वागत करता हूं।

[हिन्दी]

प्रो॰ प्रेम धूमल (हमीरपुर): उपाध्यक्ष महोदय, फोरन ट्रेड डेवेलपमेंट एण्ड रेगुलेशन बिल 1992 जिस उद्देश्य से लाया गया है उसका तो स्वागत है आर्थिक गतिविधि में विदेश व्यापार का बहुत महत्व है इम्पोर्ट एण्ड एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट 1947, इसका बाद में बार-बार संशोधन भी किया गया, उसके स्थान पर इस बिल को निर्यात को बढ़ावा देने के लिए और आयात को सुविधाजनक बनाने के लिए लाया गया है। आयात-निर्यात की सरकार ने जो नयी नीति की घोषणा की है उसके पीछे मुख्य उद्देश्य मुक्त अर्थव्यवस्था को लाने का है और इसमें अनेकों उपाय सुझाए गए हैं जिससे आयात और निर्यात में छूट मिल सके। सिद्धान्त के रूप में आयात और निर्यात में रियायतों की घोषणा का निश्चय ही स्वागत है परन्तु इस नीति को जब आप लागू करेंगे तो उसमें बहुत सतर्कता की आवश्यकता रहेगी। नीति को उदार बनाने के कारण दुर्भाग्यवश यदि आपका आयात बढ़ गया और निर्यात कम रहा तो भुगतान का संतुलन, बैलेंस आफ पेमेंट जो है, वह आपका गड़बड़ा जाएगा और आर्थिक रूप में इससे देश की अर्थव्यवस्था को बहुत भारी आघात पहुंचेगा।

महोदय, विदेश व्यापार में घाटा न हो इस बात पर जोर तो दिया गया है और इसी उद्देश्य से यह बिल लाया गया है परन्तु मुख्य बात जो मैं मंत्री महोदय के ध्यान में भी लाना चाहता हूं वह है एक्सपोर्ट को, निर्यात को केवल मात्र कानून बना कर आप बढ़ा पाएंगे यह संभव नहीं है। निर्यात बढ़ाने के लिए आपको, जिस चीज का आप निर्यात करना चाहते हैं उसकी गुणवत्ता पर, क्वालिटी पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा लेकिन इस बिल में कहीं भी ऐसा कोई प्रावधान नजर नहीं आता जिसमें आपने शर्त लगाई हो कि अगर गुणवत्ता किसी निर्यातक की घटिया होगी, अगर आप जो सेम्पल है, नमूना है वह बाहर का दिखाएंगे, जो माल सप्लाई करेंगे, निर्यात करेंगे वह उन्नीस होगा तो फिर आपका निर्यात बढ़ेगा नहीं आपकी जो विश्वसनीयता है वह संसार की मार्केट में वर्ल्ड मार्केट में नीचे जाएगी, तो मंत्री महोदय आपके ध्यान में यह बात पहले होगी, छठे और सातवें दशक में भारत को पाइप फिटिंग का बहुत बड़ा आर्डर मिला था, जब वह माल सप्लाई किया गया तो विदाऊट थ्रेडिंग, जो थ्रेडिंग होती है वह नहीं थी। वहां से माल वापस आया और विदेशों में पाइप फिटिंग में हमारा जो प्रोइक्शन था उससे लोगों का विश्वास बिल्कुल उठ गया। आज तक हम उस विश्वास को पुनः स्थापित नहीं कर पाए हैं। इसलिए मेरा अनुरोध यह रहेगा कि अब यह प्रावधान अवश्य करें कि माल अच्छी गुणवत्ता वाला हो, जिसको बाहर के मार्केट में स्वीकृति मिले। आज ग्राहक क्या चाहता है, अच्छा, सस्ता और टिकाऊ माल। जब क्वालिटी अच्छी होगी, तभी माल टिकाऊ होगा और निर्माण सस्ता इसलिए हो सकता है, क्योंकि भारतवर्ष में मानव-संसाधन सबसे अधिक है, इसलिए सामान बनाने में लागत कब आ सकती है। इस तरह से जो हमारे मुकाबले में कंपीटीटर होगा, वह हमारे मुकाबले में कम टिका रह सकता है।

विदेश व्यापार के कुछ आंकड़े उपाध्यक्ष महोदय मैं देना चाहूंगा कि किस प्रकार से लगातार हमारा घाटा विदेश व्यापार में बढ़ता गया है। 1960-61 में इंपोर्ट 1140 करोड़ रुपये का था, एक्सपोर्ट 660 करोड़ का था। और कुल घाटा 480 करोड़ का था। लगातार यह घाटा बढ़ता गया। मैं जिस विशेष पीरियड की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं वह 1986-87 और बाद का पीरियड है। 1986-87 में आयात 20095.76 करोड़ का था और निर्यात 12451.95 करोड़ का था, इस तरह से घाटा रहा 7643.81 करोड़ का। 1987-88 में आयात 22243.74 करोड़ और निर्यात 15673.66 करोड़ का हुआ। इस तरह से घाटा रहा 6570.08 करोड़ का। 1988-89 में आयात हुआ 28235.22 करोड़ का और निर्यात हुआ 20231.50 करोड़ का, इस तरह से घाटा रहा 8003.72 करोड़ का। 1989-90 में आयात हुआ 35415.90 करोड़ का और निर्यात हुआ

[प्रो॰ प्रेम धूमल]

27681.47 करोड़ का, इस तरह से घाटा रहा 7734.43 करोड़ का। 1990-91 में जब लिबरलाइजेशन किया गया तब हमारा आयात था 43192.86 करोड़ का और निर्यात था 32553.34 करोड़ का, इस तरह से घाटा रहा 10639.52 करोड़ का। इस तरह से इस देश में विदेश व्यापार घाटा लगातार बढ़ता रहा है।

नई नीति लागू करने के बाद जो रिपोर्ट है अप्रैल माह में भी 1992-93 का जो फाईनांशियल इयर है, इसमें भी भारत के विदेश व्यापार घाटे में बराबर वृद्धि हुई है। जो आंकड़े हैं वे फिर आपके विरुद्ध जाते हैं। इस पीरियड में घाटा रुपए के क्षेत्र में है। 1214.10 करोड़ का और डालर के क्षेत्र में है 4199.03 करोड़ का, जबकि पिछले वर्ष 1991-92 के अप्रैल माह में घाटा रुपए के क्षेत्र में था 102.04 करोड़ और डालर के क्षेत्र में था 514.04 लाख। नई नीति लागू करने के बाद भी घाटा आप कम नहीं कर पाए हैं।

मेरा यह सुझाव है कि कानून में ही प्रावधान होना चाहिए था कि जो एक्सपोर्ट क्वालिटी मेंटेन नहीं करेगा, उसको कोई सजा दी जाएगी। मुझसे पहले श्री डिघे जी ने भी यह प्वाइंट रखा, मैं उस ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। चैप्टर 2, सेक्शन 6, सब सेंक्शन (1) में आपने कहा है कि केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए किसी व्यक्ति को विदेश-व्यापार महा-निदेशक नियुक्त कर सकेगी। डायरैक्टर जनरल को इतनी बड़ी शक्तियां आप दे रहे हैं और उसी व्यक्ति के लिए कोई क्वालीफिकेशन नहीं। क्या जनता के द्वारा रिजेक्टिड, हारे हुए पालिटीशियन्ज़ के लिए जगह रखी जा रही है? जिसे कहीं भी न लगाया जा सके उसे डायरेक्टर जरनल बना दो। इतने महत्वपूर्ण पद के लिए कोई क्वालीफिकेशन नहीं। उसके लिए योग्यता निर्धारित करना अति-आवश्यक है। उसकी सेवा शर्तें होनी चाहिए थीं।

चैप्टर 3 के सैक्शन 8 के सब सैक्शन (2) में कहा है "कोड नम्बर रद्द कर दिया जाए, डायरेक्टर जनरल के निर्देश के अधीन आयात-निर्यात कर सकेगा" तो क्या इतनी बड़ी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं होगा?

मेरा सुझाव रहेगा कि कोड नम्बर की अपेक्षा आज जो इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट आर्डर निकालते हैं उसके अधीन नियम बना कर इसको नियमित किया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा बजाए कोड नम्बर के झंझट में पड़ने के। चैप्टर 3 के सैक्शन 9, सब-सैक्शन (2) में कहा है "महानिदेशक के द्वारा अधिकृत कोई अधिकारी कोई आवेदन किए जाने पर ऐसी जांच करने के पश्चात् जो वह ठीक समझे" अब जांच कैसी करेगा, इन्क्वायरी की क्या शेप होगी, इन्क्वायरी कौन करेगा, इसको क्या अधिकार होंगे इसको भी आपने डिफाइन करने से इन्कार कर दिया। जिसकी योग्यता आप निर्धारित नहीं कर रहे कि उसकी योग्यता क्या होगी, वह डायरेक्टर जनरल बनेगा, उसकी योग्यताएं क्या हैं, वह जांच करेगा जैसी चाहे कर ले। इसलिए मेरा सुझाव रहेगा कि कम से कम डायरेक्टर जनरल के लिए योग्यता निश्चित की जाए। कोड नम्बर की अपेक्षा इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट आदेश के अधीन ही व्यापार को नियमित किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, एक सुझाव और है। एपीलेट आथोरिटी की स्थान पर ट्राइब्यूनल निश्चित करें, यह बनाएं। जिस किसी को शिकायत हो, जिसने अपील करनी हो वह ट्राइब्यूनल के पास अपनी शिकायत लेकर जा सके। इससे जो भी पीड़ित व्यक्ति होगा उसको न्याय मिलने की ज्यादा सम्भावना होगी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि इस नीति को लागू करते समय, इस एक्ट को पास करने के बाद इसमें जो सुझाव आ रहे हैं उन सुझावों को लागू करें। विदेश व्यापार के राज्य मंत्री थे उनका त्यागपत्र इसी नीति के परिणामस्वरूप हुआ है, ऐसी बातें और आगे न हों। इसलिए जो कमियां रह गयी हैं उन कमियों को दूर करें।

इतना कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री श्रवण कुमार पटेल (जबलपुर): आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, विदेशी व्यापार के विकास और विनियमन संबंधी विधेयक पर चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान करने के लिये मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

यह विधेयक 45 वर्ष पुराने आयात और निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 के स्थान पर लाया गया है ताकि एक ऐसा कानून बनाया जा सके जोकि सरकार द्वारा प्रतिपादित नई आर्थिक नीति तथा अदयतन स्थितियों के अनुकूल आज नियंत्रणों का पुराना जमाना चला गया है और अब हम उदारीकृत आर्थिक विकास की नई प्रणाली प्रारम्भ कर रहे हैं जोकि विश्व में हो रहे परिवर्तनों के अनुकूल है, और इस विधेयक को उपयुक्त समय पर लाया गया है। पहले वाला अधिनियम जैसा कि उसके नाम से ही पता चलता है, केवल व्यापार के आयात-निर्यात पर नियंत्रण रखने के उद्देश्य से ही था। बदली हुई आर्थिक परिस्थितियों में व्यापार के मामले में नियंत्रण शब्द की जगह पर 'विकास और विनियमन' शब्दों का प्रयोग किया जाना अधिक संगत है महोदय, यदि मुझे आज्ञा हो तो मैं इसका नाम अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार विकास और विनियमन विधेयक रखने का सुझाव देना चाहूंगा जोकि आखिरकार यही विधेयक अधिनियम बनेगा। मैं इसे कुछ अधिक विस्तृत और व्यापक नाम देना चाहूंगा। इसे आयात और निर्यात के विनियमन के अलावा अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग और आयात प्रौद्योगिकी को भी अपने दायरे में समाहित करना चाहिये।

व्यापार आर्थिक विकास का वाहक होता है और राष्ट्र के आर्थिक विकास का विश्व की अर्थव्यवस्था के विकास की दर से प्रत्यक्ष संबंध होता है। इसके बिना हम राष्ट्र के आर्थिक विकास की बात सोच ही नहीं सकते।

मेरे विचार से विकास के प्रौद्योगिकी और बाजार दो पक्ष होते है।

प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आज तक हमनें औद्योगिक क्रान्ति के परिणामस्वरूप आर्थिक विकास को देखा है जिसमें रेल-सड़क, वायरलेस रेडियो, ऑटोमोबाइल, एयरक्राफ्ट जैसे विभिन्न प्रौद्योगिकी विकास उल्लेखनीय है और इसकी सुपर-कम्प्यूटर तथा रोबोट नवीनतम उपलब्धियां हैं।

बाजार के क्षेत्र में, हमने यह देखा है कि नये बाजारों की तलाश के स्थान पर वर्तमान बाजार में अपना वर्चस्व कायम करने के लिये संघर्ष पर अधिक ध्यान दिया गया है।

इसलिये मैं यह सुझाव दूंगा कि यह जो विधेयक हमारे सामने है, इसका दायरा , इस कानून का दायरा केवल बाजार की बात तक ही समिति नहीं होना चाहिये बल्कि इसके अंतर्गत प्रौद्योगिकी, आयात और निर्यात का भी समावेश लेना चाहिए।

महोदय, विदेश व्यापार के विकास और विनियमन तथा माल के आयात और निर्यात को सीमित करने और विनियमित करने के लिए, इस विधेयक के खण्ड-3 में कार्यपालिका को व्यापक शक्तियां प्राप्त हैं। वाणिज्य उपमंत्री ने खण्ड-3 सहित प्रत्यायोजित विधान के संबंध में संशोधित ज्ञापन जारी करके बहुत अच्छा किया है। ऐसा स्पष्टतः विशेष-रूप से केंद्र सरकार में निहित प्रत्यायोजित विधान की इन शक्तियों को कम से कम अप्रत्यक्ष रूप से संसद की संवीक्षा के अंतर्गत लाने के इरादे से किया गया है। हम सरकार से यही चाहते हैं कि वह विदेश व्यापार के विकास और विनियमन के बारे में सभी नीतियों, कार्यक्रमों, योजनाओं और आदेशों को यथासमय सभापटल पर रखे। जिससे संसद प्रभावी होने से पहले उनकी संवीक्षा कर सके। मेरा इरादा कार्यपालिका के समय-समय पर अधिसूचनाएं जारी

[श्री श्रवण कुमार पटेल]

करने के अधिकार का अतिक्रमण करना नहीं है बल्कि मेरा इरादा केवल यह सुझाव देने का है कि व्यापक नीतियां और कार्यक्रम यथासमय संसद के समक्ष प्रस्तुत किए जाएं।

रियो में हाल ही में समाप्त हुए पृथ्वी सम्मेलन में परिस्थितिकीय संतुलन के अनुकूल प्रौद्योगिकियों के निर्यात और आयात पर बल दिया गया था। उसके फलस्वरूप मैं यह महसूस करता हूं कि पारिस्थितिकीय संतुलन के प्रतिकूल जाने वाली वस्तुओं के इस्तेमाल को रोका जाना चाहिए अथवा इसे राष्ट्रीय आर्थिक हितों के अनुसार विनियमित किया जाना चाहिए।

निर्यातोन्मुखी उद्योगों और निर्यात को बढ़ावा देने वाले क्षेत्रों की स्थापना करने के लिए नीतियां और मानदण्ड भी निर्धारित किए जाएं।

एक तरफ जहां हमें विदेशों में स्थापित उन व्यापार मिशनों को पुनर्जीवित करने या फिर से खोलने की आवश्यकता नहीं है जिन्हें पिछली सरकर ने बंद कर दिया था, दूसरी और हमें विदेशों में विभिन्न दूतावासों और भारतीय मिशनों के अधीन व्यापार स्कन्धों में वृद्धि करनी चाहिए और उन्हें सशक्त बनाना चाहिए और उन जगहों पर ऐसे स्कन्ध खोलने भी चाहिए जहां ये अभी तक नहीं खोले गए हैं।

मैं अन्त में यह सुझाव देना चाहूंगा कि खण्ड 3, 6(2) और 11 तथा 12 से 15 तक, जिनके तहत नौकरशाहों को नीति बनाने की, उसे लागू करने की और निर्णय लेने की व्यापक शक्तियां प्रदान की गई हैं; के संबंध में जनप्रतिनिधियों और व्यवसाइयों के प्रतिनिधियों का तथा व्यापार हितों का एक उचित सलाहकार और पर्यवेक्षकीय पैनल तैयार किया जाए।

महोदय, इन शब्दों के साथ मैं सभापति महोदय का पुनः धन्यवाद करता हूं तथा विधेयक का समर्थन करता हूं।

डा० विश्वानाथम कैनिथी (श्रीकाकुलम): उपाध्यक्ष महोदय, मुझे विदशे व्यापार पर बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं न तो व्यापारी हूं और न ही व्यवसायी और विदेश व्यापार की बारीकियों को नहीं समझता हूं। परन्तु मूलरूप से हमारा विदेश व्यापार के व्यापारियों से संपर्क है। प्रागतिहासिक काल में हमारे देश का विश्व के अन्य देशों के साथ व्यापारिक संबंध था।

16.00 म०प०

हमारा विगत वर्षों में भी वस्तु विनिमय का व्यापार रहा है। अब विश्व की स्थिति में बदलाव आ गया है। तदनुसार हमारी सरकार ने, जो कि एक नई सरकार है और जिसने एक वर्ष पूर्व कार्यभार संभाला है, विदेश नीति बदल दी है और विदेशों के साथ अपनी व्यापार नीति भी बदल दी है।

मैं इस संबंध में कुछ सुझाव देना चाहता हूं। भारत में विनिर्मित उत्पादों के उत्पादकों को उन स्थानों की जानकारी नहीं है जिन स्थानों पर वे उन उत्पादों को भेज सकता है और विदेश व्यापार कर सकता है। अतः यह जानकारी सरकार द्वारा दी जानी चाहिए ताकि अधिक से अधिक लोग इस व्यापार में लग सकें और हमारे देश को और अधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त हो सके।

दूसरी बात दण्ड के खण्ड के बारे में है। एक ही व्यक्ति को प्रभार दे दिया जाता है वह व्यक्ति मेरी तरह व्यापार के बारे में कुछ भी नहीं जानता परन्तु वरिष्ठता या किसी से घनिष्ठता के कारण उसे यह काम दे दिया जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दण्ड का फैसला दो अथवा दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा किया जाना चाहिए और मामले का निर्णय गुण-दोष के आधार किया जाना चाहिए। आमतौर पर कारावास की सजा देने के बजाय आर्थिक दण्ड देना अधिक आकर्षक होगा। इस से वह फिर से व्यापार कर पायेगी। अन्यथा यह देश के लिए एक हानि होगी। मैं दूसरा सुझाव यह देना चाहूंगा कि हम कुछ वस्तुएं प्राप्त करते रहे हैं और कुछ वस्तुओं

का निर्यात करते रहे हैं। कुछ लोग यह व्यापारी विदेशी मुद्रा प्राप्त कर रहे हैं। परन्तु वह पूरी विदेशी मुद्रा भारत में नहीं ला रहे हैं। कुछ मामलों में लोग आयात कुछ कर रहे हैं और कालाबाजार की दर पर बेच कुछ और रहे हैं।

उदाहरण के लिये श्रिंप मछली का निर्यात करके जिंक और टिन प्राप्त किया जा सकता है जो कि अन्य चीजों की तुलना में भारत के लिये अधिक मूल्यवान है। उन सभी विनियमों को विशेष रूप से प्रस्थापित किया जाना चाहिए, अगर विधेयक में इन्हें प्रस्थापित करना संभव नहीं हो तो कम से कम व्यवहार में इन्हें स्वीकार किया जाना चाहिए जिससे कि यह विदेश व्यापार देश के लिये अधिक व्यावहारिक और लाभदायक हो सके।

श्री एस०बी० सिदनाल (बेलगाम): धन्यवाद महोदय। मैं इस विदेश व्यापार और विनियम विधेयक का स्वागत और समर्थन करता हूं। निर्यात एवं आयात विधेयक केवल किसी विनियम या विधान पर निर्भर नहीं करता है सिवाय इसके कि इससे प्रतिबन्धों या बाधाओं को दूर करने में सहायता मिलती है। हम आयात और निर्यात दर को देखें तो पता चलता है कि हम काफी पिछड़े हैं कृषि की दृष्टि से देखें तो हमारे कृषि-उत्पाद का लगभग चालीस प्रतिशत भाग ही निर्यात होता है और इसमें काफी समय से वृद्धि नहीं हुई है क्योंकि इसमें उनके अड़चनें हैं उत्पादन भी बढ़ाना होगा और इसके साथ-साथ चीनी-उद्योगों, कपड़ा-उद्योगों और तेल-उद्योगों को बुनियादी ढांचा भी उपलब्ध कराना होगा। हम करोड़ो रुपयों का तेल निर्यात कर रहे हैं, इसमें रियायत दी जानी चाहिए या तिलहन उत्पादकों को राजसहायता मिलनी चाहिए जिससे कि उपयुक्त मात्रा में इसका उत्पादन हो सके। इन नेटवर्क को पहले पूरा करना होगा तभी हम किसी कानून या सुविधा को सफल बना सकते हैं। अन्यथा किसी भी तरह के कानून से मदद नहीं मिल पायेगी। हमने अनेकों बार इस सदन में अनेकों कानून पारित कर चुके हैं, लेकिन उन्हें समुचित रूप से लागू नहीं किया जाता है। उदाहरण के लिये, दीघेजी ने महानिदेशक की नियुक्ति पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि एक ही हाथ में अधिक शक्ति सौंप देना बहुत ही खतरनाक है। चूंकि उसमें मनमर्जी बहुत चलती है। ऐसा कहा जाता है कि किसी पद पर किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्त की जानी चाहिए जिसके पास अन्तरराष्ट्रीय व्यापार और उद्योग में कुछ अनुभव हों या उसकी पृष्ठिभूमि कुछ उस प्रकार की हो। अगर ऐसा अनुभव नहीं होता या किसी नौकरशाह की नियुक्ति उस पद पर कर दी जाती है तो इससे कठिनाई पैदा होती है क्योंकि लाभ एवं अन्य चीजों की तुलना में कायदा-कानून को प्रथामिकता दी जाएगी। यह एक बहुत ही गंभीर कार्य है इसलिये उस पद पर नियुक्त व्यक्ति को विश्व-बाजार का ज्ञान रहना चाहिए। अगर उसे उसकी जानकारी नहीं है तो किसी भी चीज को प्रोत्साहित नहीं कर पायेगा।

चीन और जापान किस प्रकार तेजी से निर्यात कर रहे हैं और विदेशी मुद्रा कमा रहे हैं? जापान इस सम्बन्ध में आज विश्व में पहले स्थान पर है। वह अमेरिका से भी आगे निकल रहा है जिसे विश्व के सबसे धनाढ्य देशों में से एक माना जाता था। ऐसा इसलिये संभव हो सकता है क्योंकि उन देशों में उत्पादन और निर्यात को अन्य चीजों की तुलना में ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है। यही कारण है कि वे देश आज तरक्की कर रहे हैं। उन देशों का अनुसरण करना हमारे लिये कोई मुश्किल नहीं है। हमारे लिये यह बहुत कठिन कार्य नहीं है। हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है।

अगर सारी चीजों के नियंत्रण हेतु एक ही व्यक्ति की नियुक्त की जाती है। तो उससे व्यापार और वाणिज्य या निर्यात और आयात के सम्बन्ध सब आवश्यक कुशलताओं और ज्ञान की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। इसलिये, अगर सिर्फ एक ही व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है तो कुछ अहर्ताएं निर्धारित की जानी चाहिए। अगर इस सम्बन्ध में तीन सदस्य रखे जाते हैं तो यह स्वागत योग्य है। मेरा सुझाव है कि वहां एक निदेशक मंडल होना चाहिए जिसमें एक व्यक्ति प्रबन्ध-कार्य को देखे, दूसरा व्यापार और तीसरा अन्य चीजों की देख-रेख करे। उस निदेशक-मंडल में विशेषज्ञों को रखा जाना चाहिए जो इस विधेयक में निर्धारित नीतियों को विनियमित एवं

लागू करें। कोड नम्बर और अन्य तकनीकी सुविधाएं तो महज़ व्यापार और उद्योग को चलाने के लिये होती है। वे उतना महत्व नहीं रखते है। लेकिन नीतिगत रूप में हमें इन चीजों को बहुत ही गंभीरता से लेनी चाहिए और इनमें समुचित संशोधन होने चाहिए।

माननीय उप-मंत्री ने इस विधेयक को प्रस्तुत करके वास्तव में बहुत ही अच्छा कार्य किया है और इससे निश्चय ही देश की संपन्नता बढ़ने में मदद मिलेगी। समय के साथ-साथ विश्व के अर्थ-तंत्र में बहुत ही परिवर्तन हुए है। और हमारा देश इसका अपवाद नहीं है। विदेशी मुद्रा के सन्दर्भ में हमारी स्थिति बहुत ही खराब रही है। इसलिये इन चीजों को इसी पृष्ठिभूमि में देखा जाना चाहिए। मैं प्रधानमंत्री को नई आर्थिक नीति अपनाने के लिये बधाई देना चाहूंगा, जिससे निश्चय ही हमारे देश को आर्थिक क्षेत्र में सम्भाला और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में आर्थिक पटरी पर आने में मदद मिलेगी।

किसी भी देश के कार्य-संचालन में निर्यात की भूमिका अहम होती है। अतः ज्यादा से ज्यादा निर्यात किया जानी चाहिए। जापान का उदाहरण लें। उसने भागवान गणपति तक की नकल की है। लेकिन भगवान गणपति की तस्वीर में जो सूंड उन्होंने बनाई है वह गलत दिशा में मुड़ गयी है और उसे स्वीकार नहीं किया गया।

इसका तात्पर्य यह है कि, वह सम्पूर्ण विश्वभर के धर्मों का अध्ययन करते हैं, और यहां तक कि चित्र भी बेचे जाते हैं। हमारे लिए कृषि औद्योगिक वस्तुओं का उत्पादन और और निर्यात करना ही पर्याप्त नहीं है। हमें नए क्षेत्रों में पर्दापण करना है। सृजनात्मकता का होना जरूरी है। सरकार को सृजनात्मकता का पता लगाना चाहिए और इसको प्रोत्साहन देना चाहिए। अकेला महानिदेशक यह काम नहीं कर सकता। यह मेरी व्यक्तिगत राय है। बहुत से निर्यातकों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। कई बार निर्यात केवल लाभ हेतु ही नहीं किया जाता। हाल ही में मैं कुछ अनिवासी भारतीयों से मिला था। उन्होंने कहा कि चीन में प्राथमिक विद्यालयों की जरूरत की चीज़े जैसे पेंसिल, रबर, जैसी छोटे सामान का निर्यात कर रहा है। यह चीज़े बहुत ही सस्ते दामों पर बिकती ह। जब मैं वहां गया था तो मैंने इस बारे में पूछताछ की थी। मेरे यह पूछने पर कि आप यह वस्तुएं आप हमारे देश से क्यों नहीं आयात करते। उन्होंने कहा कि उन्हें यह चीन से प्राप्त हो रही हैं और इतना लाभ उन्हें मिल रहा है। ऐसा वह अपनी अर्थव्यवस्था को बनाए रखने तथा रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए करते हैं। निर्यात अर्थव्यवस्था के हित में होता है बशर्ते कि आप उसका अध्ययन करें और उचित ढंग से करें। हो सकता है कभी, लाभ न भी हो, परन्तु निर्यात जारी रहना चाहिए। इसलिए इस व्यापार को बढ़ाने में महानदिशक एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अन्यथा इसको बहुत कठिनाई होती है। इस वजह से, चाहे लाभ हो या नहीं, हमें अपना निर्यात जारी रखना है। इसके लिए यह कानून बहुत जरुरी है। इसके अनेक प्रावधान अच्छे और निर्यात को बढ़ावा देने वाले हैं।

परन्तु एक व्यक्ति में शक्ति का केन्द्रीकरण अच्छा नहीं है। हाल ही में हुए प्रतिभूति घोटाले में, बैंक आॅफ बड़ौदा के चेयरमैन इसी कारण पकड़े गए। यह सब बातें ऐसी हैं जिससे लोगों के मन में उस व्यक्ति जिसमें शक्ति का केन्द्रीकरण है, के प्रति शक उत्पन्न होता है। जब भी एक व्यक्ति में शक्ति का केन्द्रीकरण होता है, तो भ्रष्टाचार, पक्षपात, और ऐसी अेनक बातें आकर्षित होती है। हम सभी शक्तियां एक व्यक्ति को क्यों देते हैं? मैं इसका विरोध करता हूं, और मैं मंत्री जी को इस बात को नोट करने का निवेदन करता हूं। श्री शरद जी ने यह मुदा पहले से ही उठाया है और मैं भी इसका गंभीरता से समर्थन करता हूं। मान लीजिए कल कोई सामान या कुछ मद वहां नहीं है, तो हमें हजारों करोड़ों रुपये का नुकसान हो जाएगा। हमने तेल प्राकृतिक गैस आयोग में देखा है कि अगर एक मशीन बदली नहीं जाती है, तो रोज़ करोड़ों रुपये का नुकसान होता है। तेल प्राकृतिक गैस आयोग विभाग में ऐसा हो रहा है। यह बहुत गंभीर बात है इस को हल्के तौर पर नहीं लेना चाहिए, अतः मैं वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री, से निवेदन करता हूं वह एक बहुत काबिल व्यक्ति है, मैं उनका अभिनन्दन

करता हूं — कि वह इन चीज़ों को गंभीरता से लें और देश को आगे बढ़ने में सहायता करें ताकि वह अन्तराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्द्धा कर सके।

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : 1947 के अधिनियम में उपयुक्त परिवर्तन लाने हेतु विदेश व्यापार (विकास तथा विनियमन) विधेयक को लाया गया है मैं इस विचार से भी सहमत हूं कि निर्यात, आयात और व्यापार के क्षेत्र में यह परिवर्तन आवश्यक हैं जोकि इस विधेयक के माध्यम से प्रस्तुत किए गए हैं। जब देश गंभीर वित्तीय संकट के दौर से गुज़र रहा था तब इस सरकार ने प्रशासन की बागडोर संभाली। जैसा कि हम सब जानते हैं उस समय विदेशी मुद्रा का भंडार सबसे कम था। जितना भंडार उपलब्ध था, वह दो हफ्ते की निर्यात आवश्यकता को भी पूरा करने के लिए समुचित नहीं था। हमारी उधार-पात्रता भी बहुत कम थी। उस हालात में, सरकार को अनेक उपायों का सहारा लेना पड़ा। ढांचागत परिवर्तन, उदारीकरण, लाइसेंस की छूट तथा अन्य अनेक परिवर्तन समय अनुरूप उपयुक्त सम्मिलित किए गए क्योंकि अब हम सबसे कट कर अलग-थलग नहीं रह सकते। हम विश्वव्यवापी अर्थव्यवस्था के हिस्से हैं, और हमें विश्व बाज़ार से मुकाबला करना है। अतः स्वाभाविक है कि, हमारे निर्यात को मजबूत बनाया जाए। मैंने इस विधेयक को कुछ पढ़ा है और मैं यह कहने को मजबूर हूं कि विधेयक में विकास के पहलू को विकास के अधिक महत्व देने के बजाए विनियमों पर अधिक ज़ोर दिया गया है। इस विधेयक को देखते हुए मुझे महसूस हुआ कि एक ही व्यक्ति को महानिदेशक को व्यापक शक्तियां प्रदान की गयी हैं।

[अनुवाद]

विधेयक का खंड 3(1) इस प्रकार है:—

> "केन्द्र सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, आयात को सुकर बनाकर और निर्यात की वृद्धि करके व्यापार का विकास और विनियमन करने के लिए उपबंध कर सकेगा।"

मैं सहमत हूं; लेकिन समय-समय पर विनियम बनाने पड़ते हैं और अधीनस्थ विधान भी बनाना पड़ता है। विधेयक का खंड 6 किसी व्यक्ति को असाधारण शक्तियां प्रदान करता है। खंड 6(1) के अनुसार :

> "केन्द्र सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए किसी व्यक्ति को विदेशी व्यापार महानिदेशक नियुक्त कर सकेगी।"

मैं समझता हं कि 'किसी व्यक्ति' शब्द बहुत लचीला है। जब वे इतने उच्च पद पर स्वाभाविक रूप से एक व्यक्ति नियुक्त करते हैं तो मैं सरकार की बुद्धिमता पर संदेह नहीं करता। लेकिन फिर भी व्यापार का ज्ञान, अनुभव अथवा ऐसी ही कुछ बातों के बारे में कुछ तो स्पष्ट होना ही चाहिए। अतः, मेरे विचार से अधीनस्थ विधान के अंतर्गत महानिदेशक के रूप मे नियुक्त किये जाने वाले व्यक्ति के लिए शैक्षिक योग्यता अथवा अनुभव की आवश्यकता के बारे में कुछ दिशा-निर्देश अवश्य दिये जाने चाहियें।

अतः खंड 6(2) में भी यह उपबन्ध किया गया है:

> "महानिदेशक निर्यात और आयात नीति के बनाने में केन्द्रीय सरकार को सलाह देगा और उस नीति को कार्यान्वित करने के लिए उत्तरदायी होगा।"

मैं नहीं जानता की उस नीति को लागू करने के लिए तथा अपने कार्यों का निष्पादन करने के लिए उन्हें कौन-कौन सी सुविधाएं अथवा मशीनरी उपलब्ध करवाई जायेंगी। इसके लिए निश्चित रूप से एक विभाग तो होना ही चाहिए। वह कैसे समन्वय करने वाले हैं, इसकी भी व्याख्या करनी है।

पुनः अध्याय-तीन के खंड 7 में यह कहा गया है:

"कोई भी व्यक्ति, आयातकर्ता-निर्यातकर्ता कोड संख्यांक के अधीन ही कोई आयात या निर्यात कर सकेगा अन्यथा नहीं....."

वह कोड-नम्बर महानिदेशक द्वारा दिये जाते हैं। इसके लिए कोई समय-सीमा नहीं है। मैं जानता हूं कि ये प्रतिबंध निर्धारित किये जायेंगे। लेकिन हमें इस बारे में अत्यन्त-सचेत रहना होगा कि ऐसी व्यापक शक्तियों का किसी भी स्थिति में ऐसे व्यक्ति द्वारा दुरुपयोग न किया जाए जोकि कुछ समय के लिए महानिदेशक के रूप में कार्य करेगा अथवा जिसे कि इस पद पर नियुक्त किया जायेगा। उसे प्रदत्त ये शक्तियां बहुत व्यापक हैं।

खंड 9(2) के अनुसार, वह लाइसेंस देने से इन्कार कर सकता है। मैं उस अधिकार पर आपत्ति नहीं करता। लेकिन उसे केवल इतना ही करना है कि वह ऐसी मनाही के लिए लिखित में कारण बताये।

इस खंड में इससे अधिक कुछ नहीं कहा गया है। मुझे डर है कि इससे अन्ततः एक प्रकार का भ्रष्टाचार उत्पन्न न हो जाये। ऐसे व्यक्ति को निरंकुश शक्तियां क्यों दी जायें?

इसका हल क्या है? इसका हल अध्याय पांच में दिया गया है:

"किसी विनिश्चय से व्यथित कोई व्यक्ति केन्द्र सरकार को अपील कर सकेगा।"

देश के दूर-दराज के हिस्से से, अगर कोई व्यक्ति लाइसेंस अथवा कोड-नम्बर के लिए आवेदन करता है और कुछ कारण अंकित करते हुए वह नहीं दिया जाता, तो उसे आवेदक को केंद्र सरकार को 45 दिन के अन्दर याचिका देनी होती है। यदि इसका यही एक मात्र उपचार है, तो मुझे भय है कि आप छोटे निर्यातकों की कैसे सहायता करने वाले हैं, जोकि इस विधेयक का मुख्य प्रयोजन है।

मेरे विचार में यही छोटी-मोटी विकृतियां इस विधेयक में थीं जिनमें परिवर्तन की जरूरत है और जो कि मैंने बता दी हैं। जो भी हो, मैं इस विधेयक का तहेदिल से समर्थन करता हूं क्योंकि यह विधेयक आयात-निर्यात नीति में परिवर्तन के फलस्वरूप लाया जाना है और पारित किया जाना है तथा इसकी देश में जरूरत है।

अब ऐसे विभिन्न क्षेत्र हैं विशेषकर कृषि क्षेत्र में, जहां हमारे व्यापार में और अधिक सहायता मिल सकती थी। मैं जानता हूं कि इस विधेयक में व्यापक दिशानिर्देश अथवा नियम नहीं लाये जा सकते। लेकिन मेरा सुझाव है कि अधीनस्थ विधान के अंतर्गत जब आप दिशानिर्देश जारी करें, तो बागवानी में सुधार अथवा इसके विकास हेतु ध्यान रखा जाये। इस क्षेत्र में बहुत सम्भवानाएं हैं।

एक क्षेत्र रेशम उद्योग का है। मैं जानता हूं कि कर्नाटक में रेशम-उद्योग, वहां के मुख्य उद्योगों में से है। लेकिन अब हम केरल में रेशम उद्योग में सुधार करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

विश्व बाजार में भारतीय रेशम की बहुत मांग है। राष्ट्रीय बाजार में भारतीय रेशम की आवश्यकता की एक सीमा है। भारतीय रेशम एक उत्तम वस्तु है। इसलिए रेशम उद्योग के विकास के लिए हर समय प्रयत्न किया जाना चाहिए इससे ग्रामीण लोगों, विशेषकर महिलाओं को रोज़गार के अवसर प्राप्त होंगे। हमारे जैसे देश में जहां ग्रामीण अर्थव्यवस्था ही मुख्य आधार है तथा कृषि अभी भी हमारी वित्तीय ढांचे का आधार है, जब तक हम विशेषकर महिलाओं को रोज़गार के अवसर प्रदान करने के लिए कृषि पर आधारित उद्योग विकसित नहीं करेंगे, तब तक हम इस देश की बेरोज़गारी की प्रमुख समस्या का समाधान नहीं कर सकेंगे।

कुकरमुत्ता के क्षेत्र में भी काफी अवसर हैं लेकिन हमने अभी तक इस बारे में जरा भी प्रयत्न नहीं किए हैं, विशेषकर केरल तथा दक्षिण के राज्यों में जहां कि कुकुरमुत्ता की पैदावार आर्द्रता तथा प्राकृतिक संसाधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। लेकिन समस्या यह है कि यह एक जल्दी खराब होने वाली वस्तु है। इसे 24 घण्टों के

अन्दर उपयोग में लाया जाना चाहिए तथा बेच देना चाहिए। यदि वास्तविक प्रसंस्करण की उपलब्धता हो, तो यहां कुकुरमुत्ता का निर्यात करने के पर्याप्त अवसर हैं। विश्व बाज़ार में कुकुरमुत्ता की मांग होने के कारण यहां इसके निर्यात के अनेक अवसर हैं। यही स्थिति मसालों के मामले में भी है। यदि निर्यात तथा आयात की जाने वाली वस्तुओं की जांच की जाये तो यह देखा जा सकता है कि आज भी अधिकतर जो वस्तुएं निर्यात की जाती हैं, वे किसी न किसी रूप का कच्चा माल ही होती हैं। इसलिए मूल्य-वर्धित पदार्थों के निर्यात को विकसित करने के लिए तथा उसमें सुधार करने के लिए हमें बहुत सावधान रहना चाहिए और केवल वही हमारी मदद कर सकेगा।

मैं समझता हूं कि अग्रिम लाइसेंस व्यवस्था के संबंध में कोई सूचना प्राप्त हुई थी और मेरे विचार से अग्रिम लाइसेंस की इस व्यवस्था का दुरुपयोग होने की कोई संभावना नहीं है। एक बार अग्रिम लाइसेंस मिल जाए तो कुछ वस्तुएं आयात की जा सकती हैं। इसके पीछे विचार यह है कि उन वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि करके ही इनका निर्यात किया जाना चाहिए। ऐसा करने की बजाए ऐसे भी अवसर आए हैं कि अग्रिम लाइसेंस योजना के अन्तर्गत यह आयातित वस्तुएं काले बाज़ार में बेच दी जाती है। आप इसको किस तरह से निर्यात करेंगे। अग्रिम लाइसें व्यवस्था के दुरुपयोग को रोकने की क्या विधि है? एक विचार यह भी है कि वर्तमान निर्यात तथा आयात नीति के अन्तर्गत सामान्य आयात युक्त सूची में शामिल वस्तुओं को छोड़कर किसी भी वस्तु का आयात किया जा सकता है। हमें यह देखना है कि हमारे लघु उद्योग क्षेत्र पर यह कब तक अपना प्रभाव डालता है। इस उदार दृष्टिकोण का प्रभाव लघु उद्योगों पर पड़ता है। कुल औद्योगिक उत्पादन का 40 प्रतिशत उत्पादन छोटे और लघु औद्योगिक क्षेत्र में होता है और 60 प्रतिशत रोज़गार के अवसर भी इसी महत्वपूर्ण क्षेत्र में हैं। यदि इस क्षेत्र को किसी भी तरह कोई नुकसान पहुंचता है तो हमारी अर्थव्यवस्था डगमगा जाएगी। इसलिए महोदय मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस पहलू पर विचार किया जाना चाहिये तथा मुझे भी थोड़ा समय और दिया जाए। मैं जानता हूं कि वाणिज्य मंत्रालय का व्यापार विभाग अन्य देशों के साथ हमारे व्यापार संबंधों पर निगरानी रखे हुए हैं। हाल ही में मुझे एक प्रतिनिधिमंडल के साथ आस्ट्रेलिया जाने का अवसर मिला था। उस बड़े देश के मुख्य राज्यों के साथ हमारी अनेक चर्चायें हुई थीं। वे कहते हैं कि पिछले 15 वर्षों से व्यापार अथवा वाणिज्य के संबंध में भारत के साथ कोई पत्र-व्यवहार या संबंध नहीं रहा है। इसके लिए विभिन्न क्षेत्रों के नाम भी सुझाए गए हैं। इनमें से एक चर्चा के दौरान उनकी समिति के अध्यक्ष ने कहा कि कोई उद्योग स्थापित करने के लिए तीन चीजों भूमि, श्रम तथा पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। फिर वे बहुत मजाक के तरीके से सुझाव दे रहे थे कि हमारे पास भूमि है, आपके पास श्रम है और हम दोनों को पूंजी की खोज करनी चाहिए। यदि भारत और आस्ट्रेलिया दोनों एक साथ मिलकर काम करें तो इससे औद्योगिक प्रगति के एक नये युग का सूत्रपात होगा। हम इसे बढ़ावा देने का प्रयास कैसे कर सकते हैं। इस संबंध में मेरे पास एक बहुत गंभीर सुझाव है। जैसा कि हमारे पास इस देश में कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय है, उसी तरह से एक विदेशी कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय भी होना चाहिए। यदि ऐसा मंत्रालय गठित किया जाता है तो वह इन किए जा रहे समझौतों को भी अन्तिम रूप दे सकता है। हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री जी ने जापान का दौरा किया था। उनके दौरे का काफी प्रभाव पड़ा और यह प्रभाव अधिकतर केवल बड़े उद्योगों पर पड़ा है। लघु उद्योगों का क्या हुआ? इसलिए लघु उद्योगों को विकसित करने के लिए और इस बृहत क्षेत्र की मदद करने के लिए निगरानी रखी जानी चाहिए तथा उसकी अनुवर्ती कार्यवाही की जानी चाहिए। यह केवल तभी हो सकता है जबकि ऐसा कोई मंत्रालय हो। यह लगभग खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के समकक्ष है। जब 1988 में खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय बनाया गया था तो हमें कुछ आशंकाएं थीं कि क्या इससे हमारा प्रयोजन सिद्ध होगा। महोदय, देश में उत्पन्न फल का 45 प्रतिशत बेकार हो जाता है। यदि इसे प्रसंस्कृत कर के इसका निर्यात किया जा सके तो इससे देश को काफी लाभ होगा।

महोदय, मैं समझता हूं कि हमारे पास समय की कमी है। मुझे और बहुत सी बातें कहनी हैं। इसलिए, मैं निवेदन करता हूं कि मैं उन्हें भविष्य के लिए सुरक्षित रखता हूं। मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे अवसर दिया। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं क्योंकि यह हमारे विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने में काफी सहायक सिद्ध होगा।

श्री ओस्कार फर्नान्डीज़ (उदीपी) : उपाध्यक्ष महोदय, निर्यात के सम्बन्ध में एक बहुत ही उपयुक्त विधेयक प्रस्तुत करने के लिए मैं मंत्री महोदय तथा सरकार को बधाई देता हूं। महोदय, आज हमारे राष्ट्र को सफलता के रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए निर्यात बढ़ाने के अतिरिक्त हमारे सामने और कोई विकल्प नहीं है। निर्यात बढ़ाने के लिए हमें अपनी तकनीक में सुधार करना होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात जन सम्पर्क कार्य की है। विदेशों में हमारे मिशन विदेश व्यापार की अपेक्षा विदेश नीति के बारे में अधिक चिन्तित रहते हैं। मैं मंत्री महोदय को यह सुझाव देना चाहता हूं कि क्या हम विदेशों में अपने मिशनों के नाम बदल कर उन्हें क्या वही भूमिका प्रदान नहीं कर सकते जो कि स्वतंत्रता पूर्व ईस्ट इंडिया कम्पनी के माध्यम से ब्रिटिश लोगों ने निभाई थी।

महोदय, विकासशील तथा अविकसित देशों की संख्या काफी है। उनकी तुलना में भारत विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी में बहुत आगे है। प्रौद्योगिकी के अन्तरण के सम्बन्ध में हम इन देशों की काफी सहायता कर सकते हैं।

महोदय, मेरे विचार में संसदीय कार्य मंत्री मुझे अपनी बात समाप्त करने का संकेत कर रहे हैं। मैं जल्दी-जल्दी एक दो बातें कहना चाहूंगा।

4.29 म० प०

(श्री पीटर जी मरबनि आंग पीठासीन हुए)

हमारे लिए यह जरूरी है कि हम छोटे तथा अविकसित देशों में प्रौद्योगिकी के सुधार के लिए उनकी सहायता करें। इसके द्वारा ही हम अपने उत्पादों की बिक्री कर पायेंगे, जिस प्रकार हम अन्य विकसित देशों से सहायता प्राप्त कर रहे हैं यह उपयुक्त अवसर है कि उसी प्रकार हमें छोटे देशों को मशीनरी आदि आवश्यक हो तो उधार दे कर, मानव शक्ति उपलब्ध करा कर उनकी सहायता करनी चाहिए ताकि आने वाले वर्षों में वे देश हम पर निर्भर कर सकें। मानव शक्ति के निर्यात की भी काफी संभावनायें हैं। परन्तु मुझे यह कहते हुए बहुत अफसोस है कि अगर कोई व्यक्ति रोज़गार प्राप्ति का पत्र प्राप्त करने के पश्चात् भी वीज़ा लेना चाहता है तो उसे वीज़ा तभी मिल सकता है; जबकि उसके पास पासपोर्ट हो। महोदय, पासपोर्ट प्राप्त करने में ही 9 महीने लग जाते हैं। मेरे विचार में इस सम्बन्ध में कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में जब मैंने विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री भाटिया से चर्चा की तो उन्होंने आश्वासन दिया कि इस सम्बन्ध में जल्दी ही उचित विधेयक प्रस्तुत किया जायेगा। हम विधेयक नहीं, पासपोर्ट जारी करवाना चाहते हैं। आवेदन करने के 30 दिन के भीतर हमें पासपोर्ट मिलना चाहिए।

सरकारी क्षेत्र में भी हमारे पास फालतू श्रमशक्ति है। परन्तु अगर आप पासपोर्ट कार्यालय में जायें तो वहां पर अधिकारी आप को बतायेंगे कि पासपोर्ट भरने के लिए उनके पास कर्मचारी नहीं है। भारत जैसे देश में जहां कि इतनी बेरोज़गारी है, वहां ऐसी बात का क्या कारण हो सकता है, मेरी समझ में नहीं आता अगर आप इसके लिए अधिक मूल्य लेना चाहते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं। मैं तो यह कहता हूं कि आप 50 रु० की बजाय 100 या 150 रुपए मूल्य लीजिए परन्तु पासपोर्ट आवेदन करने के 30 दिन के भीतर मिल जाना चाहिए।

अगर भारत को विश्व के अन्य देशों के साथ प्रतिस्पर्धा में बने रहना है तो उसे पश्चिमी देशों अथवा जापान, कोरिया अथवा हांगकांग में उपलब्ध प्रौद्योगिकी के बराबर लाना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप बहुत पीछे रह जायेंगे। वर्तमान में हम इस क्षेत्र में काफी पिछड़े हुए हैं तथा इलैक्ट्रोनिक में अगर अपनी

प्रौद्योगिकी में सुधार नहीं करते तो हम बहुत पीछे रह जायेंगे। मुझे विश्वास है कि मंत्री महोदय इस नीति में आवश्यक सुधार करके इलैक्ट्रोनिक्स उद्योग को बढ़ावा देंगे।

सभापति महोदय: माननीय मंत्री महोदय।

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर): महोदय, हम मंत्री महोदय को तभी सुनना चाहेंगे जब सदन में 'कोरम' होगा **(व्यवधान)**

श्री राम नाईक: महोदय, सदन में 'कोरम' नहीं है। पहले भी मैंने दो बार यह मुद्दा उठाया है। मैंने तीसरी बार भी यह मुद्दा इसलिए उठाया ताकि मुझे फिर से यह मुद्दा न उठाना पड़े।

सभापति महोदय: घण्टी बजाई जा रही है अब सदन में कोरम है। मंत्री महोदय।

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): महोदय, यह परंम्परा है कि विधान बनाने में गहन रुचि लेने के लिए सभा के सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए उत्तर देना शुरू करें और मैं सभा के दोनों पक्षों के सदस्यों के प्रति भारत की व्यापार नीति तथा इससे संबंधित विधान पारित करने में गहन रुचि लेने के लिए आभार व्यक्त करता हूं। मैं अपने वरिष्ठ सहयोगी प्रो० कुरियन का भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने भारत की व्यापार नीति बनाने में आई कठिनाइयों को पार करने में मेरा मार्गनिर्देश किया।

मैंने यह देखा है कि चर्चा में मुख्यतः दो मुद्दे उठाए गए हैं। एक मुद्दा कृषि क्षेत्र से संबंधित है। श्री सुधीर सावन्त से लेकर श्री ए० चार्ल्स सहित अनेक सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किए और कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने तथा कृषि निर्यात को बढ़ाने के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर बल दिया।

माननीय श्री सुधीर सावन्त ने मूलभूत सुविधाओं विशेषरूप से अल्फांसों आम के निर्यात के क्षेत्र में सुविधाओं के अभाव की बात कही है। उन्होंने निर्यात सेवाएं बढ़ाने के लिए ई०पी०ई०डी०ए० और एम० पी० ई० डी० ए० द्वारा रुचि न दिखाए जाने का भी उल्लेख किया है।

महोदय, मेरा यह कहना है कि अल्फांसों आम एकमात्र कृषि उत्पाद है जिसके बारे में शिकायत करने का कोई कारण नहीं है। हम विश्व में आम के कुल उत्पादन का 60% पैदा करते हैं और 1% से कम का निर्यात करते हैं। इस 1% में मुख्य अंश अल्फांसों आम का होता है। अतः हम महसूस करते हैं कि भारतीय निर्यात में आम की अन्य किस्मों तथा अन्य कृषि उत्पादों सहित अल्फांसों का प्रमुख स्थान है। मैं इस सभा को यह बताना चाहता हूं कि 1991-92 में निर्यात क्षेत्र में कृषि क्षेत्र ने ही अधिक सुधार किया है। कृषि क्षेत्र द्वारा निर्यात को बढ़ावा देने का विशेष महत्व है और हम इसके लिए वचनबद्ध है।

कभी-कभी यह आरोप लगाया जाता है कि निर्यातोन्मुखी विकास से हमारे विकास कार्यक्रमों में बाधा उत्पन्न हो सकती है और विकास रुक सकता है और इससे अभिजात्य वर्ग का अधिक विकास होगा और हमारे समाज के गरीब वर्गों का विकास नहीं होगा। मुझे विश्वास है कि हम कृषि क्षेत्र के विकास और कृषि क्षेत्र के लिए निर्यात प्रोत्साहन के बीच संतुलन बनाए रखेंगे। एल०ई०आर०एम०एस० के जो लाभ कृषि उत्पादन क्षेत्र तथा कृषि निर्यात क्षेत्र को दिए गए हैं वे ऐसे प्रमुख प्रोत्साहन हैं जो हमारे देश की निर्यात नीति में कृषि को महत्वपूर्ण स्थान दिलवाएंगे।

महोदय, माननीय श्री सुधीर सावन्त सहित माननीय सदस्यों ने अग्रेतर विस्तार कार्यक्रम बनाने, जानकारी उपलब्ध कराने, विशिष्ट व्यक्तियों तथा स्थानीय जल प्रतिनिधियों के साथ विचार विनिमय करने के बारे में सुझाव दिए हैं। यह मंत्रालय निश्चित रूप से इन सुझावों पर गंभीरता से विचार करेगी। इस संदर्भ में मैं सभा को यह बताना चाहता हूं कि हमने हाल ही में नई दिल्ली में आमों के निर्यात के बारे में एक संगोष्ठी आयोजित की थी और दोनों सदनों के अनेक सदस्यों ने उसमें भाग लिया तथा उन्होंने इसमें अमूल्य योगदान किया।

महोदय, कुछ सदस्यों ने यह भी कहा कि यदि हम सही दिशा में चलना चाहते हैं तो हमें एक समग्र निर्यात-आयात नीति बनानी चाहिए। हमारे पास पूरे मंत्रालय के लिए निर्यात नीति नहीं है बल्कि हमारे पास विशेष क्षेत्रों के लिए आयात-निर्यात नीति है। हमने 34 विशेष महत्व के क्षेत्रों का पता लगाया है जिनके बारे में उद्योग समूहों, औद्योगिक क्षेत्रों के व्यक्तियों तथा मंत्रालय के सदस्यों द्वारा कार्यकारी पत्र तैयार किए गए हैं तथा अब हम उनका अध्ययन कर रहे हैं। इन क्षेत्रों की मूल आवश्यकता बेहतर मूलभूत सुविधाएं प्रदान करना है।

अब मैं दूरसंचार की बात करता हूं। मुझे खुशी है कि मेरे सहयोगी, दूरसंचार मंत्री यहां उपस्थित है। निर्यात के प्रत्येक महत्वपूर्ण क्षेत्र में दूरसंचार का उल्लेख आता है और मैं आशा करता हूं कि मेरे सहयोगी इस बात को नोट करेगें।

महोदय, अनेक माननीय सदस्यों के साथ-साथ श्री दीघे ने इस बारे में संदेह व्यक्त किया है कि क्या निर्यात और निर्यात नीति तथा निर्यात निष्पादन से संबंधित शक्तियों के साथ-साथ निर्यात नीति का प्रशासन एक ही व्यक्ति को दिया जाएगा। महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि इस सरकार, नई आयात-निर्यात नीति तथा व्यापार नीति का मुख्य पहलू विश्वास है। हमें किसी न किसी स्थान पर किसी न किसी व्यक्ति पर विश्वास करना होगा। हमारे लिए यह कहना सही नहीं होगा कि किसी भी प्रशासनिक अधिकारी अथवा नौकरशाह को वह शक्तियां नहीं दी जाएंगी जो विदेश व्यापार के महानिदेशक को दी गई हैं। निःसंदेह जिस व्यक्ति अथवा जिस अधिकारी पर विश्वास किया जाता है, वह अधिकारी भी किन्हीं नियमों तथा विनियमों से बंधा होगा, किन्हीं दिशा-निर्देशों से बंधा होगा और जरूरत पड़ने पर सरकार उचित दिशा-निर्देश भी जारी करेगी। इस विधेयक की धारा 3 तथा धारा 19 के अंतर्गत सरकार के पास कानून बनाने संबंधी पर्याप्त अधिकार हैं।

सरकार के पास पर्याप्त शक्तियां और सुविधायें उपलब्ध है जिनके द्वारा प्रत्यायोजित विधान के जरिए अथवा धारा 3 के अंतर्गत आदेश प्रकाशित करके, जोकि धारा 3 कहलायेगी सरकार किसी भी संभव आवश्यकता के लिये अधिकार प्रदान कर सकती है, कानून बना सकती है और किसी भी संभव आवश्यकता में दिशानिर्देश दे सकती है और इस बात को सुनिश्चित कर सकती है कि जिस किसी व्यक्ति को भी व्यापार के क्षेत्र में प्रशासन संबंधी अधिकार और शक्तियां मिली हैं, जिस व्यक्ति ने निर्णय लेने हैं, वह उन शक्तियों का जनता तथा राष्ट्र दोनों के हित में उचित ढंग से, निष्पक्ष और न्यायोचित प्रयोग ही कर सके।

अनेक सदस्यों ने एक ऐसा मुद्दा उठाया है जोकि विदेशी कंपनियों, बाह्य देशों तथा उपभोक्ता पर आधारित बड़ी-बड़ी समितियों द्वारा दर्शायी गई दिलचस्पी से जुड़ा है, तथा इनके द्वारा उपभोग्य वस्तुओं के भारत में निर्यात करने में दिलचस्पी दर्शाने और इसके साथ-साथ उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन को लेकर भारत में ही अपना स्थान बनाने की कोशिश करने से जुड़ा है।

एक प्रश्न यह भी किया गया था कि क्या भारत प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता और जापान अथवा चीन की तरह नहीं बन सकता। प्रत्येक विकासशील समाज में प्रत्येक अर्थव्यवस्था को अपना हल स्वयं ढूंढना चाहिए और अपना विकास का मॉडल स्वयं खोजना चाहिये। हमें गर्व है कि भारत में भी इस बात का प्रयत्न किया गया है और एक प्रकार से विकास का मॉडल ढूंढने में हमें सफलता मिली है जिसे हम खासतौर पर भारतीय विकास मॉडल मानते हैं। हम अपनी तुलना जापान से नहीं कर सकते क्योंकि उनकी स्वयं की उपभोग्य क्षमता कम है और इसलिये वे निर्यात करने के क्षेत्र में काफी आगे हैं, हम वास्तव में अपनी तुलना चीन से भी नहीं कर सकते। वैसे तो चीन की आबादी भी हमारे देश की तरह बहुत अधिक है परन्तु उन्हें पैट्रोलियम उत्पादों जैसी प्रमुख वस्तुओं का आयात नहीं करना पड़ता, जबकि हमारे देश को करना पड़ता है।

मैं प्रो० प्रेम धूमल द्वारा की गई एक बहुत ही सटीक और संगत टिप्पणी का हवाला देना चाहूंगा। प्रो० धूमल ने देश में जो व्यापार नीति लागू की गई है उसका व्यापक परिप्रेक्ष्य में स्वागत किया है। इन्होंने यह भी कहा कि

इसमें सावधानी बरती जाए ताकि भुगतान सन्तुलन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। प्रो॰ प्रेम धूमल ने गुणवत्ता का प्रश्न उठाया है जिसके लिये मैं उनके प्रति आभारी हूं। हमने इस अधिनियम में गुणवत्ता को नहीं लिया; गुणवत्ता के सिलसिले में हमारे पास अन्य कई प्रावधान और अन्य कई स्कीमें हैं। इसलिये एक बार फिर मैं यही कहूंगा कि हमारी पूरी कोशिश विनियमन और नियंत्रण करने के बारे में नहीं है; हमारी कोशिश तो लोगों को शिक्षित करने और उन्हें प्रोत्साहन प्रदान करने की है। प्रधानमंत्री जी द्वारा एक बहुत ही व्यापक गुणवत्ता कार्यक्रम लागू किया जा रहा है; यह कार्यक्रम सफलतापूर्वक ढंग से और बड़े जोर-शोर से लागू किया जा रहा है; जोकि एक दुकान के स्तर से लेकर सभी प्रमुख व्यापार संघों के शीर्षस्थ स्तर तक लागू किया जा रहा है। इसके साथ-साथ मैं प्रो॰ प्रेम धूमल को आमंत्रित करता हूं कि वह हमें कोई भी ऐसा क्षेत्र बताएं जिसमें उनकी राय में हमें और सुधार करना चाहिये और गुणवत्ता नियंत्रण के अपने शैक्षणिक कार्यक्रम को और अधिक तेजी से लागू करना चाहिए। इन्होंने हमारे व्यापार सन्तुलन में हो रहे सतत् पत्तन और 1984 के बाद जो हमारी प्रतिकूल स्थिति रही है, उसके बारे में भी कोई मुद्दा उठाया था।

इस समय इस बात पर विशेष बारीकी से चर्चा नही की जा सकती, खासकर इसलिये भी चूंकि इस समय इस सभा में जो थोड़े बहुत सदस्य उपस्थित हैं, वे कार्यसूची की अगली मद की ओर प्रवृत होते दिखाई देते है। परन्तु मैं यह कहना चाहूंगा कि वर्ष 1990-91 में जोकि हमारे सत्ता में आने से एक वर्ष पहले की बात है, उस समय व्यापार सन्तुलन की जैसी खराब स्थिति थी वैसी शायद ही पिछले दस वर्षों में कभी रही हो। उस समय स्थिति लगभग 10,640 करोड़ रुपये तक प्रतिकूल हो गयी थी और फिर 1990-91 में और 1991-92 में हमने प्रभावी ढंग से इसे 3,835 करोड़ रुपये तक कम कर दिखलाया जोकि वास्तव में विगत दस वर्षों में सबसे न्यून प्रतिकूल व्यापार सन्तुलन रहा। वर्ष 1991-92 में भी महत्वपूर्ण बात यह रही कि प्रथम छमाही की तुलना में अगली छमाही में काफी बेहतर कार्य हुआ। इसलिये मैं प्रो॰ प्रेम धूमल से विनम्र अनुरोध करूंगा कि व्यापार नीति जो जून 1991 में लागू हुई तथा जिसे पूरी तरह इस वर्ष मार्च माह के अंत में लागू किया गया के तत्काल प्रभाव के बारे में अपनी राय बदले।

आगामी वर्षों में हमने जो स्थिति अपनायी है उसके बारे में हमें पूरा यकीन है कि हम कम से कम 12 से 13 प्रतिशत तक निर्यात में वृद्धि कर पायेंगे। विभिन्न जिन्सों से सम्बन्धित बोर्डों और निर्यात संवर्धन परिषद के आकलन को हमने पहले ही स्वीकार कर लिया है और हमें पूरा विश्वास है कि जहां तक निर्यात व्यापार का संबंध है आगामी दो वर्षों के दौरान उसका उपयुक्त विकास होगा। हमें यह भी विश्वास है कि इस नीति के द्वारा निर्यात व्यापार को एक सम्मान जनक स्थिति में लाने तथा भविष्य में उसके संवर्धन में सहायता मिलेगी।

श्री पाणिग्रही के द्वारा यह मुद्दा उठाया गया है कि हमें समय के परिवर्तन के अनुसार बदलना होगा तथा विश्व के बदलते आर्थिक परिवेश के अनुसार भी बदलाव लाने की आवश्यकता है । इस संबंध में हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि यह महात्मा गांधी का देश है और हमें उनके चिरस्मरणीय कथन को नहीं भूलना चाहिये—यदि आप कुछ करते हैं तो पहले आप स्वयं से पूछे कि क्या यह गरीबों को लाभ देगा। इस संदर्भ में मैंने कृषि क्षेत्र पर विशेष बल दिया है ताकि आगामी वर्षों में निर्यात में वृद्धि की जा सके।

साथ ही मैं यह भी बताना चाहूंगा कि हम अपनी व्यापार नीति को यह आधारभूत ढांचा प्रदान कर रहे हैं और कानून को अपनी घोषित व्यापार नीति के अनुरूप ही बना रहे हैं।

हमें व्यापारिक बोर्ड में व्यापार नीति और इसके विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श करने का अवसर मिला था। हमारे पास कई अन्य सलाहकार संस्थाएं और परिषदें हैं। हमें इस नीति को लागू करने में अंततः इस सभा के ज्ञान और विवेक का भी लाभ मिला।

इसके साथ ही मैं सभा से यह सिफारिश करता हूं कि वह इस विधेयक को पारित करे।

[हिन्दी]

डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय (मंदसौर): सभापति जी, मुझे खेद है कि ....(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब और भाषण न दें। क्या आप संकल्प को वापिस लेंगे?

डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय: मैं वापिस नहीं लूंगा क्योंकि मेरे द्वारा उठाए गए किसी मुद्दे का उत्तर उन्होंने नहीं दिया है।

[हिन्दी]

सभापति जी, मैं माननीय मंत्री जी को निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने जिन प्रश्नों को उठाया था और जिन बातों को कहा था उनका एक भी उत्तर मंत्री जी की तरफ से प्राप्त नहीं हुआ है। मैंने मूलतः प्रश्न उठाया था कि कौन सी ऐसी आवश्यकता पड़ गई थी या कौन से ऐसे कारण थे जिसके कारण इस सदन का सत्र आहूत करने के बाद भी आपको यह अध्यादेश लाना पड़ा, इसका कोई उत्तर नहीं दिया गया। दूसरा, मैंने निवेदन किया था कि इस विधेयक के प्रस्तुत करने के बाद संशोधन लाकर आप जो पश्चात्नामी प्रभाव देने जा रहे हैं वह मूल अध्यादेश में भी नहीं है न मूल विधेयक में और उसके कारण कौन सी ऐसी बात तत्काल आ पड़ी कि आपको पश्चातगामी प्रभाव देने पड़े, इसका भी कोई उत्तर नहीं दिया गया है। मैंने यह भी निवेदन किया था कि आपकी नयी नीति के बाद मैं निरन्तर आपको घाटा हुआ है, उसके क्या कारण हैं और आप उनको ठीक करने की दिशा में क्या कदम उठाने जा रहे हैं? मैंने सुबाडीनेट लेजिसलेशन कमेटी की रिपोर्ट उद्त करते हुए कहा था कि इस विधेयक को लाने में जो मूल भावना थी, जो अध्यादेश आप लाए हैं जिसके बारे में आपने कहा है मैं उसको फिर से उद्धत कर रहा हूं:

[अनुवाद]

समिति ने यह पाया है कि निर्यात (नियंत्रण) आदेश 1977 के खंड-2 में सरकार ने अनाधिकृत रूप से "मुख्य नियंत्रक" और "उपमुख्य नियंत्रक" की परिभाषा में परिवर्तन विस्तार किया। अंत में उन्होंने कहा है:

> "अतः समिति यह चाहती है कि यदि अधिनियम में दी गई उपरोक्त पदों की परिभाषा में कोई परिवर्तन करने या विस्तार करने की आवश्यकता है तो मंत्रालय शीघ्रातिशीघ्र संसद के समक्ष आवश्यक संशोधन विधायन प्रस्तुत करे तथा निर्यात नियंत्रण आदेश, 1977 में अनुवर्ती परिवर्तन करे।"

[हिन्दी]

हूं कि इसमें कहीं कोई सामंजस्य नहीं है। मैं चाहता हूं कि इसके बारे में आप उत्तर देंगे और जो निर्यात को हम बढ़ाना चाहते हैं, जिस प्रकार से, और आयात को कम करने जा रहे हैं उस दिशा में आपके पर्यत्न सार्थक हो सकें यह हम सभी चाहते हैं इनका उत्तर आपने नहीं दिया। इसलिए मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इनका उत्तर दें।

श्री सलमान खुर्शीद: इस विधेयक को प्रस्तुत करने से पहले मैंने डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय द्वारा उठाए गए मुद्दों को स्पष्ट करने का भरसक प्रयास किया था। मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि जब डा० पाण्डेय एक ही सांस में यह कहते हैं कि हमें जल्द से जल्द एक विधान लाना चाहिये और फिर तुरंत ही यह पूछते हैं कि संसद की बैठक शुरू होने से पहले ऐसे विधान को लाने की क्या जल्दबाजी थी तो मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या उत्तर दूं।

जैसाकि मैंने कहा पुनरावृति के लिये ही मैं यह बात दुहराऊंगा। इसके अत्यावश्यक होने का कारण अनिश्चियतता थी जिसमें हमें विश्व की स्थितियों का सामना करना होता है। व्यापार कोई ऐसा मामला नहीं है जो अपने देश तक ही सीमित हो। यह पूरे विश्व से संबंध रखता है। और हमारे लिए विश्व में अन्यत्र अपने समकक्षी को विधान पारित करने तक प्रतीक्षा कराना ठीक नहीं था हमने पहले ही नीति की घोषणा कर दी है। इसकी घोषणा पूरे जोश-खरोश के साथ की गई है। प्रक्रिया संबंधी पुस्तिका भी हमने पूरे जोश के साथ दी थी। विश्व सांस थाम कर इसकी प्रतीक्षा कर रहा था। यह अत्यंत अन्यायपूर्ण होता यदि हम इसे ऐसा कानूनी आधार प्रदान करते जिसके अंतर्गत इस नीति को लागू करना है। वास्तव में हमें लगातार यह कहा जाता रहा कि आप अपनी नीति की घोषणा करें और तब आप उतनी शीघ्रता से अधिसूचित नहीं करते जितना शीघ्र आपको चाहिये।

मैं आशा करता हूं कि जहां तक इसका संबंध है माननीय सदस्य हमारी बात से सहमत होंगे। हमारा यह इरादा कतई नहीं था कि माननीय सदस्यों के विचार एवं विवेक का लाभ लिए बिना यह मामला कानून का रूप ले।

जहां तक हानि के आरोप का संबंध है, सारांश में हमारी नीतियों के लागू होने के बाद से हमारे निर्यात में डालर के संदर्भ में सामान्य मुद्रा क्षेत्र में 6.5 प्रतिशत (निश्चित आंकड़ा 6.57 प्रतिशत) की वृद्धि हुई है जोकि हमारे देश की औद्योगिक क्षेत्र की स्थिति को देखते हुए प्रशंसनीय है साथ ही पूरे विश्व में हमारे व्यापार में एक प्रतिशत की वृद्धि भी गौर तलब है निश्चय ही हानि हुई है और जिन देशों में रुपयों में भुगतान होता है वहां हमारे निर्यात में कमी हुई है। डालर के संदर्भ में यह कमी 42.27 प्रतिशत हुई है या रुपये के संदर्भ में 20.68 प्रतिशत की कमी हुई है। इसकी वजह पूर्व सोवियत संघ और स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल की स्थिति थी न कि हमारे प्रयासों की कमी। हमारा यह प्रयास रहा है कि हम उस बाजार में अपना स्थान सुनिश्चित कर सके और आने वाले वर्षों में हम अपनी विगत की उपलब्धियों तक पहुंच सके।

मैं माननीय सदस्य महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह अपना संकल्प वापस ले लें।

डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय: मैं अपना संकल्प वापस लेता हूं।

सभापति महोदय: क्या सभा द्वारा श्री लक्ष्मी नारायण पाण्डेय द्वारा रखे गये संशोधन को वापस लेने की अनुमति देती है?

संकल्प सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

सभापति महोदय: अब मैं विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है:

> "कि भारत में आयात को सुकर बनाकर और भारत से निर्यात का संवर्धन करके विदेशी व्यापार का विकास और विनियमन करने और उससे संसकृत या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय: अब सभा विधेयक पर खंड-वार विचार आरम्भ करेगी।

खंड 2 से 7 पर हमारे पास कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 से 7 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 7 विधेयक में जोड़ दिये गये।

सभापति महोदय: खंड 8 में श्री पी० सी० थामस द्वारा एक संशोधन-संख्या 5 लाया गया है। वह अनुपस्थित है।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 8 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 8 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 9 लाइसेंस का जारी किया जाना, स्थगन तथा रद्द किया जाना।

संशोधन

पृष्ठ 3, पंक्ति 40—

"दे सकेगा अथवा देने से इंकार" के स्थान पर

"दे सकेगा अथवा नवीकरण कर सकेगा अथवा

देने या नवीकरण करने से इंकार" प्रतिस्थापित किया जाए। (12)

पृष्ठ 3, पंक्ति 42—

"दी गई अनुज्ञप्ति" के स्थान पर

"दी गई या नवीकृत की गई अनुज्ञप्ति" प्रतिस्थापित किया जाए। (13)

पृष्ठ 4, पंक्ति 4—

"देने" के स्थान पर

"देने या नवीकरण करने"

प्रतिस्थापित किया जाए। (14)

(श्री सलमान खुर्शीद)

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 9, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 9 संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

सभापति महोदय: खंड 10 से 18 में कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 10 से 18 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 10 से 18 विधेयक में जोड़ दिये गये।

खंड 19— नियम बनाने के अधिकार

संशोधन

पृष्ठ 8, पंक्ति 18—

"धारा 11 के अन्तर्गत" के स्थान पर

"धारा 11 के उपधारा (6) के अन्तर्गत" प्रतिस्थापित किया जाए। (8)

(श्री सलमान खुर्शीद)

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 19, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 19 संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 20—निरस्त करना और बचत करना

संशोधन

पृष्ठ 8, पंक्ति 33 से 35 के स्थान पर

"20(1) आयात और निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 तथा विदेशी व्यापार (विकास और विनियमन) अध्यादेश, 1992 एतद्द्वारा निरस्त किये जाते हैं।

(2) आयात और निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 तथापि प्रभावित नहीं होगा।" प्रतिस्थापित किया जाए। (9)

पृष्ठ 8, पंक्ति 47 के पश्चात जोड़िए—

"(3) विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अध्यादेश 1992 के निरस्त होते हुए भी कथित अध्यादेश के अन्तर्गत किए गए किसी कार्य या कार्रवाई को इस अधिनियम के संगत प्रावधानों के अन्तर्गत किया गया कार्य या की गई कार्रवाई समझा जाएगा।" (10)

(श्री सलमान खुर्शीद)

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 20, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 20, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड-1—संक्षिप्त नाम तथा उनका लागू होना।

संशोधन

पृष्ठ 1, पंक्ति 7 और 8 के स्थान पर

"(2) धारा 11 से 14 तत्काल लागू होंगे और इस अधिनियम के शेष प्रावधानों को 19 जून, 1992 से लागू माना जाएगा।" प्रतिस्थापित किया जाए।

(7)

(श्री सलमान खुर्शीद)

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 1, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़े गये।

सभापति महोदय: मंत्री महोदय अब प्रस्ताव करें कि विधेयक संशोधित रूप में पारित किया जाये।

श्री सलमान खुर्शीद: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक, संशोधित रूप में पारित किया जाये।"

सभापति महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि विधेयक, संशोधित रूप में पारित किया जाये।"

श्री दाऊ दयाल जोशी (कोटा): सभापति महोदय, जहां तक विदेशी मुद्रा का सवाल है, देश के लिए यह आवश्यक वस्तु है। लेकिन हम विदेशी मुद्रा के मोह में देश को कहां ले जायेंगे, यह एक अहम प्रश्न है। आज से पांच दिन पहले सरकार ने एक नीति निर्धारित की है। आम की फसल के लिए हिन्दुस्तान एक ऐसी योजना बना रहा है जिसके तहत 700 करोड़ रुपये का आम हम निर्यात करेंगे विदेशों को। सभापति महोदय, मेरा निवेदन यह है कि साधारण से साधारण फल आम और केला है। आज हिन्दुस्तान में गरीब के मुंह का केला और गरीब के मुंह का आम यह सरकार विदेशी मुद्रा की होड़ में उनके मुंह से छीनने जा रही है। मेरा निवेदन है कि लंगड़ा आम आज आम आदमी नहीं खा सकता।...**(व्यवधान)**

5.00 म०प०

मेरा जैसा कार्यकर्ता नहीं खा सकता है। आप किसी भी कांग्रेस के सदस्य से कहें दाऊ दयाल जोशी अपनी पूरी संपत्ति परिवर्तित करने के लिए तैयार है....**(व्यवधान)** हमको निश्चित रूप से अपने देश के बच्चों के लिए फलों की समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए। मुझे याद है इज़राइल में कानून बनाकर वहां की पहाड़ियों में फलों की खेती होती है। मैं दिग्विजय सिंह जी से कहना चाहता हूं कि हमारी अरावली पहाड़ियां नंगी हैं।.....**(व्यवधान)** मैं यह निवेदन करूंगा कि राजा साहब भले ही 35 रुपए किलो का बासमती

चावल खा सकते हैं। लेकिन साधारण व्यक्ति के लिए बासमती चावल सोफीस्टिकेटेड हो गया है।....(व्यवधान) हम चावल विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए भेज रहे हैं। आप निश्चित रूप से आश्वासन दें कि विदेशी मुद्रा की अंधी दौड़ में हिन्दुस्तान के गरीब के काम आने वाले केला और आम का बड़ी तादाद में निर्यात नहीं करेंगे। जो अभी 750 करोड़ रूपए की आम की विदेश नीति बनी है, उसको आप रद्द करेंगे और बासमती चावल जो आम उपभोक्ता के काम आ सकता है, उस पर पुनर्विचार करेंगे। विदेशी मुद्रा का सबसे बड़ा व्यय मंत्रियों की विदेश यात्राओं पर खर्च होता है, आप इस पर रोक लगाइए। मंत्री महोदय अपने से ही प्रारंभ करें जो विदेशी मुद्रा की बचत हो सकती है और हम विदेशी मुद्रा का जो बिल लाए हैं, आपकी जो नीयत है वह वास्तव में सही है वरना मैं समझूंगा कि केवल ढोंग है और गरीबों को फल जैसी चीजें नहीं देना चाहते जिससे हिन्दुस्तान के बच्चों का स्वास्थ्य भी समाप्त होने जा रहा है....(व्यवधान)

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): मान्यवर, माननीय जोशी जी ने जो बात कही है, वह पहले से इस पर विचाराधीन है। हमने अगर आम या फल के निर्यात की बात की है तो वह इसलिए की है कि हम यहां से नहीं चाहते कि जिस चीज से गरीब आदमी का पेट भरता है, उसका निर्यात किया जाए। हम चाहते हैं कि उसको यहां रखकर दूसरी चीजों का निर्यात करे। अभी जो यहां उत्पादन हो रहा है तो उसका निर्यात नहीं होगा। निर्यात के लिए उत्पादन नहीं बढ़ेगा तो निर्यात की नीति कामयाब नहीं हो सकती है। अभी रक्षा मंत्री जी बता रहे थे कि महाराष्ट्र प्रदेश में दो सौ करोड़ रुपए पिछले चार साल में खर्च किए और बंजर भूमि का उपजाऊ भूमि बनाने का प्रयास किया गया। राजस्थान में और गुजरात में बंजर भूमि को उपजाऊ भूमि बनाने की कोशिश कर सकते हैं। जब तक हम निर्यात नहीं करेंगे और विदेशी मुद्रा हम नहीं कमायेंगे तो वह चीजें जो हमारे बच्चों की सेहत बनाने के लिए दुनिया में खरीदनी होगी तो वह हम नहीं खरीद सकते हैं। निर्यात हम अपनी जेब भरने के लिए नहीं करते हैं। निर्यात भारत के लोगों का पेट भरने के लिए करते हैं शौकिया नहीं करते हैं। जिन वस्तुओं को आवश्यकता है तो उनकी खरीद करने के लिए चीजें जरूर हैं इसलिए हम निर्यात करते हैं । हमारी नीति वही है कि जिस चीज का आयात करें उसी नजर से करें जैसे हम कुछ और बनाकर वैल्युएशन करके निर्यात करें।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक, संशोधित रूप में पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृति हुआ।

5.05 म०प०

भोपाल गैस विभीषिका (दावा कार्यवाही) संशोधन विधेयक

सभापति महोदय: अब हम भोपाल गैस विभिषिका (दावा कार्यवाही) संशोधन विधेयक को लेंगे। डा० चिन्ता मोहन बोलें।

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्यमंत्री (डा० चिन्ता मोहन): महोदय, मैं प्रस्ताव पेश करता हूं:

"कि भोपाल गैस विभीषिका (दावा कार्यवाही) अधिनियम, 1985 में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

हम आज संसद में यह विधेयक क्योंकर प्रस्तुत कर रहे हैं, इसके बारे में मैं कुछ शब्द कहना चाहूंगा

भोपाल गैस विभीषिका दिसम्बर, 1984 में हुई थी। यह देश की सबसे भयानक औद्योगिक विभीषिका थी और उस विभीषिका में बहुत से लोग मारे गये थे। तत्काल ही राहत कार्य शुरु हुआ। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने अक्तूबर, 1991 में एक लम्बी कानूनी लड़ाई के बाद निर्णय दिया। उन्होंने सरकार को अधिनिर्णयन प्रक्रिया आरंभ करने के लिए चार माह का समय दिया। फरवरी, 1992 के अंत तक हमने अधिनिर्णयन प्रक्रिया आरंभ की। हमने न्यायालय प्रक्रिया आरंभ कर दी है हमने एक कल्याण आयुक्त नियुक्त कर दिया है। और एक उपायुक्त भी नियुक्त किया है। हमने उन्हें यथाशीघ्र लगभग 1,000 लोग अधिनिर्णयन प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति दे दी है। सरकार ने स्थूल मार्गदर्शी सिद्धान्त भी दे दिये हैं।

महोदय, भारतीय रिजर्व बैंक में 1,400 करोड़ रूपये की धनराशि पड़ी हुई है। सरकार को इस आशय की अनेक शिकायतें मिली थीं कि पीड़ितों को मुआवजा राशि के वितरण में कुछ विलम्ब हुआ है। हमने निश्चय किया है कि पीड़ितों को मुआवजा राशि के वितरण में और विलम्ब नहीं होना चाहिये। कल्याण आयुक्त भोपाल में बैठे हुए हैं और सरकार दिल्ली से कार्य कर रही है, और इसीलिए सरकार कल्याण आयुक्त को अधिक शक्तियां देने का निर्णय कर रही है इसीलिये यह विधेयक इस सभा के विचार के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। अगर माननीय सदस्य इस विधेयक के बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो सरकार उसे जानना चाहेगी। इन शब्दों के साथ मैं यह विधेयक प्रस्तावित करता हूं।

सभापति महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ

"कि भोपाल गैस विभीषिका (दावा कार्यवाही) संशोधन अधिनियम, 1985 में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

विचार के प्रस्ताव पर कुछ संशोधन हैं।

श्री मोहन सिंह—अनुपस्थित।

श्री गिरधारी लाल भार्गव—अनुपस्थित।

श्री दाऊ दयाल जोशी बोलेंगे।

श्री दाऊ दयाल जोशी (कोटा): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पर 20 अक्तूबर, 1992 तक राय जानने के लिए उसे परिचालित किया जाये।'(3)

सभापति महोदय: प्रो॰ रासा सिंह रावत।

प्रो॰ रासा सिंह रावत: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पर 21 अक्तूबर, 1992 तक राय जानने के लिए उसे परिचालित किया जाये।'(4)

सभापति महोदय: श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—अनुपस्थित।

श्री हरिन पाठक—अनुपस्थित।

[अनुवाद]

श्री सुशील चन्द्र वर्मा (भोपाल): सभापति महोदय, भोपाल गैस विभीषिका अधिनियम, 1985 में प्रस्तावित संशोधन विधेयक के बारे में मुझे कुछ निवेदन करने का अवसर देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। ये संशोधन एक दिन में नहीं लाए गए हैं। वास्तव में इन्हें बहुत पहले लाया जाना चाहिए था और निःसंदेह ये संशोधन निरपवाद हैं अतः हम पूर्णरूप से उनका समर्थन करते हैं।

प्रथम संशोधन नामतः धारा 6 में कहा गया है:

"इस योजना के अन्तर्गत कार्य करने के लिए प्राधिकृत आयुक्त और उसके अधीनस्थ अधिकारियों को धारा 195 और दण्ड प्रक्रिया संहिता के अनुछेद 26 के प्रयोजनार्थ सिविल कोर्ट समझा जाएगा।"

इस संशोधन से संभवतः मुआवजे के मामलों का निपटान कर रहे लोगों को एक तरह का संरक्षण, सम्मान और गौरव प्राप्त होगा। यह अति आवश्यक है क्योंकि वे अर्द्धन्यायिक प्रकार के कार्य कर रहे हैं और उन्हें इस देश में किसी न्यायालय को प्राप्त सभी संरक्षण और विशेषाधिकारों की आवश्यकता है।

धारा 7 में दूसरे संशोधन में कहा गया है:

"केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा अन्यों के अतिरिक्त कल्याण आयुक्त को भी शक्तियां प्रत्यायोजित कर सकती है।"

मुझे वास्तव में हैरानी हो रही है यह पहले क्यों नहीं किया गया, भोपाल में अधिकांश मामलों को आयुक्त निपटाएंगे और उनके मार्गदर्शन में अन्य अधीनस्थ न्यायाधीश कार्य करेंगे, वह केन्द्रीय सरकार की शक्तियां प्राप्त करने के हकदार हैं, इस अधिनियम के दो भाग हैं। पहले भाग में लोगों से कहा गया है कि आप लोग अपने दावों, नुकसान के बारे में चिंतित न हों सरकार इस बात का ध्यान रखेगी, यह आवश्यक हो गया क्योंकि भोपाल त्रासदी की समय स्वयं भोपाल में होने के कारण मैंने देखा कि संयुक्त राज्य अमेरिका के बहुत से वकील भोपाल आए थे। मैं 1956 के पुनर्गठन के समय से ही भोपाल में रह रहा हूं। मैंने उस शहर में इतने अधिक विदेशियों को कभी नहीं देखा। उनमें से कुछ पूरी दुनिया से आए हुए फोटोग्राफर और संवाददाता भी होंगे। परन्तु वहां पर संयुक्त राज्य अमरीका से आए हुए बहुत से वकील थे। यह जानने के लिए मेरी उत्सुकता बढ़ी कि वे वास्तव में वहां पर क्या कर रहे हैं। वे वहां पर भोपाल निवासियों के हस्ताक्षर एकत्रित कर रहे थे ताकि वे संयुक्त राज्य अमरीका के न्यायालयों में युनियन कारबाइड के विरुद्ध मुकदमा दायर कर सकें। मुझे बताया गया कि उस देश में ऐसी व्यवस्था है कि वकील को मुकदमा दायर करने के लिए फीस पेशगी नहीं दी जाती है वह मुकदमा दायर करता है और यदि वह जीत जाता है तो वह डिक्री राशि का एक भाग अपनी फीस के बतौर ले लेता है। सभी लोगों के समक्ष और सरकार की मौजूदगी में संयुक्त राज्य अमरीका के वकील भोपाल में क्या कर रहे थे। वहां पर मौजूद बहुत से अमेरिकी लोग मुख्तारनामा लेने के लिए मेरे पास आए ताकि वे संयुक्त राज्य अमेरिका में मुकदमा दायर कर सकें।

जैसा कि आप जानते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका को अदा की जाने वाली क्षतिपूर्ति अथवा अदा किया जाना वाला मुआवजा अपेक्षाकृत बहुत अधिक है। हमारे देश की तरह नहीं है कि रेल दुर्घटना होने पर या हवाई दुर्घटना होने से कुछ लोगों के मारे जाने पर उनके आश्रितों को एक दो लाख रुपए मिलते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में अदा किया जाने वाला मुआवजा बहुत अधिक है और इसी वजह से वे वकील मुख्तारनामा प्राप्त करने के लिए भोपाल आए। जब यह बात सरकार के ध्यान में आई तो सरकार ने एक बहुत उचित निर्णय लिया कि जहां तक पीड़ितों के दावों का संबंध है निराकरण के रूप में वह जो भी क्षतिपूर्ति चाहते हैं सरकार उनके हितों की रक्षा करेगी। सरकार उन लोगों के लिए मुकदमा लड़ेगी। उस समय लिया गया यह सही कदम था। यह कदम लिया गया था। परन्तु बात यह है कि क्या सरकार वास्तव में लोगों को राहत देने में समर्थ रही है? मैंने यह प्रश्न इसलिए उठाया क्योंकि अधिनियम का दूसरा भाग यह है कि जो लोग प्रभावित हुए हैं उन्हें समुचित मुआवजा दिया जाएगा। सरकार ने कल्याण आयुक्त और उसके अधीनस्थ कर्मचारियों की नियुक्ति करने के लिए व्यवस्था की है जो मुआवजे के मामलों का निपटारा करेंगे और उन पर निर्णय देंगे। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस त्रासदी के आठ वर्ष बाद भी अभी तक मुआवजे के एक भी मामले को नहीं निपटाया गया है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।

मैं आपको यह बताऊंगा कि अतीत में किस तरह घटनाएं हुई, यह अधिनियम 29 मार्च, 1985 को पारित

किया गया था। अधिनियम पारित होने के बाद भारत सरकार ने न्यूयार्क की एक अदालत में मामला दायर किया क्योंकि हमारा क्षेत्राधिकार नहीं था और यह कम्पनी अमेरिकन थी। अतः कार्मूनी मत यह था कि इस संबंध में सही प्रक्रिया यह होगी कि मुकदमा उसी देश में दायर किया जाए। 8 अप्रैल, 1985 को मुकदमा दायर किया गया। हमारे सौभाग्य से वहां पर एक बहुत सहृदय न्यायाधीश था। जिनका नाम कीनन था और उसने सुझाव दिया कि:

> "आप इन मुकदमों का निपटान अपने ही देश में क्यों नहीं करते हैं? आपको इनके लिए संयुक्त राज्य अमेरिका आने की जरूरत क्यों पड़ी क्योंकि यह आपके लिए बहुत खर्चीला पड़ेगा और आपको संयुक्त राज्य अमेरिका के कानून की सभी जटिलताओं की जानकारी नहीं है।"

अतः उन्होंने एक तरीका सुझाया और यह भी सुझाया कि इस तरीके को दोनों ओर से कैसे लागू किया जाए इसके लिए उन्होंने सुझाव दिया कि निर्णय के लिए इस मुकदमें को भारत में स्थानान्तरित किया जाए।

न्यायाधीश कीनन ने एक टिप्पणी में कहा था: "अपने लोगों के लिये स्वयं निर्णय लेने और विश्व के समक्ष एक मिसाल कायम करने का अवसर है।" उन्होंने यह टिप्पणी दी है। उन्होंने कहा, "यह एक अच्छा कदम है और यह मामला भारत को अन्तरित किया जाना चाहिए। यह 1986 की बात है एक अमरीकन न्यायालय ने याचिका दायर की गई। सबसे वरिष्ट न्यायाधीश ने भी कहा कि न्यायाधीश कीनन द्वारा किया गया निर्णय सही है और मामले को भारत को अन्तरित किया जाना चाहिए यह वर्ष 1986 की बात है। इस सम्बन्ध में अत्याधिक चिंता व्यक्त की है और उन्होंने बहुत शीघ्र ही निर्णय ले लिया था । तत्पश्चात मामला भोपाल में जिला न्यायाधीश के सामने आ गया। सरकार की तरफ से 3500 मिलियन डालर का दावा किया गया। जैसाकि, मंत्री जी ने अभी-अभी जिक्र किया है, उच्चतम न्यायालय ने अंत में, 470 मिलियन डालर पर समझौता कर लिया था। परन्तु इस समय, मैं इस मुद्दे का जिक्र नहीं कर रहा हूं। परन्तु जिला न्यायाधीश ने दिसम्बर, 1987 को, आदेश दिया था तत्पश्चात, युनियन कारबाइड तथा अन्य पक्षों ने उच्च न्यायालय में अपील की। उच्च न्यायालय ने 1988 में आदेश पारित किया। उसके बाद, उच्चतम न्यायालय के समक्ष मामला आया, और उसने 14 फरवरी, 1989 को प्रसिद्ध समझौते का निर्णय दिया। उच्चतम न्यायालय का अंतिम आदेश 3 अक्तूबर, 1991 का है। इस वजह से, आप देखेंगे कि 1984 और 1991 के अन्तर्गत यह मामला न्यायालयों में रहा है। उन लोगों का क्या होगा जिन्होंने कष्ट सहे हैं? मैंने अपनी आंखों से उन्हें दुख भोगते हुए देखा है। वास्तव में मुझे यह स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं है कि जब मेरे क्षेत्र में गैस फैल रही थी तो मैंने स्वयं अपने घर से भागने की चेष्टा की थी।

अगली सुबह जब मैं अस्पताल गया। मुझे इसका विवरण देने की जरूरत नहीं है क्योंकि देश विदेश में सभी उससे परिचित हैं लोग मक्खियों की तरह मर रहे थे। बीमार व्यक्तियों को लाने वाले स्वयं मर रहे थे मैंने उन्हें मरते हुए देखा। जो लोग बीमार व्यक्तियों को लाए थे, वे कभी लौट कर घर नहीं गए। वह उसी जगह मर गए।

उन्होने कभी सोचा भी नहीं था, उन्हें कभी इस बात की आशंका भी नहीं थी कि वे भी मर जाएंगे। मैंने उन्हें अकस्मात मरते हुए देखा है। उस भयावह दुर्घटना के कारण तीन-चार दिन के भीतर 3000 व्यक्ति मर गए। मरने वालों की संख्या बहुत अधिक है। यह संख्या पांच से छः हजार होगी। हम उन्हें किस प्रकार की राहत दे सके हैं? यद्यपि हमने नेक इरादों के साथ शीघ्र ही एक अधिनियम पारित कर दिया था जिसमें विभिन्न प्रकार की आकस्मिकताओं के लिये प्रावधान किया गया था किन्तु यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है, जैसा कि मैंने पहले कहा है कि किसी को भी मुआवजा नहीं दिया गया है। परन्तु मैं यह स्वीकार करता हूं और मैं 1990 की सरकार की प्रशंसा करना चाहूंगा कि उन्होंने एक प्रकार की अन्तरिम राहत की स्वीकृति दी थी। तत्कालीन प्रधान मंत्री ने

भोपाल की एक संक्षिप्त यात्रा के बाद अन्तरिम राहत की स्वीकृति दी थी। यद्यपि हमारी नई सरकार भारतीय जनता दल की सरकार ने कार्यभार नहीं संभाला था, वह यहां आये, स्थिति को देखा और दिल्ली लौट कर एक आदेश पारित किया कि भोपाल के 56 वार्डों में से 36 वार्डों की जनता को हर मास प्रति व्यक्ति 200 रुपये की अन्तरिम राहत दी जायेगी। राज्य सरकार को कुल 320 करोड़ की रकम दी गयी थी। ब्याज के साथ इस राशि के 360 करोड़ तक होने की आशा थी। कुल अनुमानित व्यय 120 करोड़ रुपये प्रति वर्ष था। यह धनराशि भोपाल के 36 वार्डों में पांच लाख व्यक्तियों को 200 रुपये प्रति व्यक्ति की दर से दी जायेगी। परन्तु अचरज की बात तो यह थी कि एक वार्ड में रहने वाले लोगों और दूसरे वार्ड में रहने वाले लोगों में किस प्रकार से भेद करेंगे। अगर आप भोपाल शहरी नक्शे को देखें, हर शहर की तरह यहां भी सड़क की एक ओर एक वार्ड है और सड़क भी। दूसरी ओर दूसरा वार्ड है। यह कैसे सोचा जा सकता है कि गैस एक सड़क पर जाएगी, और वह सड़क पार करके किसी दूसरे वार्ड में नहीं पहुंचेगी? सरकार ने यह एक बहुत ही अनुचित निर्णय लिया। हम तब से आन्दोलन कर रहे हैं, कि भोपाल के सभी 56 वार्डों को अन्तरिम राहत दी जाए। वरना, राहत को केवल 36 वार्डों तक सीमित किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। स्थिति यह है, और पहले भी ऐसा था कि क्षतिपूर्ति के लिए दाखिल दावे सम्पूर्ण शहर आयेंगे बल्कि यह दावे न केवल भोपाल तक ही सीमित है जो लोग उस दिन भोपाल में थे, या जो अब बाहर रह रहे हैं, उन्होंने क्षतिपूर्ति के लिए अपने दावे भरे हैं। हम बार-बार केन्द्र सरकार तथा वर्तमान राज्य सरकार से कह रहे हैं कि अन्तरिम राहत 56 वार्डों के लोगों को दिया जाये। परन्तु किसी वजह से ऐसा नहीं हुआ है। 36 वार्डों के मामले में भी तत्कालीन सरकार ने अनुमान लगाया था कि केवल पांच लाख व्यक्तियों को अन्तरिम राहत लेने का हक था। राज्य सरकार ने भारत सरकार को लिखा था कि यह केवल अनुमानित आंकड़े हैं और वास्तव में यह आंकड़े छः लाख के करीब है। अर्थात यह संख्या एक लाख अधिक है और उसके लिये 72 करोड़ की अतिरिक्त रकम की जरूरत है। इस सरकार को तथा पूर्ववर्ती सरकार को बार-बार अभ्यावेदन देने के बावजूद और हमारा पूर्ववर्ती सरकार से कोई संबंध नहीं है, और हमारा संबंध केवल उस सरकार से है जो कि आज सत्तासीन है—हमें सफलता प्राप्त नहीं हुई है। 36 वार्डों के 5 लाख लोगों तक अन्तरिम राहत को सीमित करना अनुचित एवं अन्यायपूर्ण है। यह राहत छः लाख लोगों को दी जानी चाहिये।

फिर भी सरकार हमारी धन की मांग को पूरा नहीं करती। मजबूरन जनता को न्यायालय की शरण लेनी पड़ी। और जैसा कि मुझे बताया गया, मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा है, मैंने अभी न्यायालय का निर्णय नहीं देखा है, कि इस मामले की सुनवाई कर रहे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने शायद मौखिक रूप से बताया है कि केन्द्रीय सरकार को एक लाख अतिरिक्त लोगों को अन्तरिम सहायता मुहैया कराने हेतु कहा जाएगा। मंत्री महोदय से मेरा आग्रह है कि यदि उनके पास तत्संबंधी तथ्य उपलब्ध हैं तो वे अपने उत्तर में उक्त स्थिति को स्पष्ट करें।

केन्द्रीय सरकार को अभी कुछ और भी करना है। मात्र दो संशोधन पारित करने से उक्त प्रयोजन सिद्ध नहीं हो जाएगा जैसा कि माननीय मंत्री जी को मालूम ही है कि 1300 अथवा 1400 करोड़ रूपए की राशि केन्द्रीय सरकार के पास नहीं है। यह राशि अभी सर्वोच्च न्यायालय के नियंत्रण में है। यह सर्वोच्च न्यायालय के महा पंजीयक के नियंत्रण में है। यह राशि कल्याण आयुक्त के पास आनी है जो पूरे मामले के प्रभारी हैं। इस योजना के तहत ही एक ऐसा प्रावधान किया गया है जिससे एक कोष सृजित किया जाएगा। मुझे आश्चर्य है—मुझे इस बात की जानकारी नहीं है और शायद केन्द्रीय सरकार ने ऐसा कर लिया हो और शायद मंत्री महोदय हमें इस बारे में कुछ बता पाएंगे—कि केन्द्रीय सरकार द्वारा तैयार की गई उक्त योजना के पैरा 9 के

अन्तर्गत दावा-खाता कोष सृजित करने हेतु कदम उठाए जाएंगे। पैरा 10 के अन्तर्गत दावा और राहत कोष का प्रावधान है। इस पैरा के अनुसार—

"केन्द्रीय सरकार द्वारा दावा और राहत कोष नामक एक कोष का सृजन तथा रखरखाव किया जाएगा। इस कोष में दावा-निपटान राशि के लिए प्राप्त और आयुक्त को राहत प्रयोजनों के लिए दान के रूप में प्राप्त अन्य राशियां सम्मिलित की जाएगी।"

केन्द्रीय सरकार अपने बजट में उक्त राशि का प्रावधान करने के पश्चात ही कल्याण आयुक्त को यह राशि उपलब्ध करा पाएगी। सर्वोच्च न्यायालय के नियंत्रण में यह राशि होने का यह आशय नहीं है कि इसे वहां से निकाल कर कल्याण आयुक्त को दे दिया जाये। इससे पहले हमें बजट में उक्त राशि की व्यवस्था करनी होगी। उसके बाद ही हम इस राशि को कल्याण आयुक्त को सौंप सकते है। मुझे विश्वास है केन्द्रीय सरकार इस बात पर ध्यान देगी और शीघ्रतिशीघ्र सम्बंधित कार्यवाही करेगी।

सभापति महोदय: कृपया समाप्त कीजिए।

श्री सुशील चन्द्र वर्मा: मैं शायद अपनी पार्टी को आवंटित समूचा समय लूंगा।

सभापति महोदय: आपकी पार्टी को 25 मिनट का समय आवंटित किया गया है।

श्री सुशील चन्द्र वर्मा: मैं नहीं समझता कि मैंने 25 मिनट का समय ले लिया है।

सभापति महोदय: "आप 18 मिनट का समय ले चुके हो।" आप अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर): भारतीय जनता पार्टी के सभी सदस्य उन्हें अपना समय देंगे। वे मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव थे। वे इस समस्या से परिचित हैं। इसलिए सभा भी उनसे सहमत होगी।

सभापति महोदय: उनकी ओर से किसी को तर्क देने की आवश्यकता नहीं है। मैं उन्हें समय दूंगा।

(व्यवधान)

श्री राम नाईक: यदि यही रवैया है तो गणपूर्ति का सवाल भी उठेगा। सभा में गणपूर्ति नहीं है। मैं गणपूर्ति का मामला उठाता हूं।

सभापति महोदय: गणपूर्ति की घन्टी बजाएं।

सभापति महोदय: अब गणपूर्ति पूरी हो गई है। माननीय सदस्य श्री सुशील चन्द्र वर्मा अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

श्री सुशील चन्द्र वर्मा: सर्वोच्च न्यायालय के अक्तूबर 1991 के निर्णय के अनुसार मुआवजे संबंधी मामलों को निपटाने के लिए भोपाल में 40 अदालतों का गठन किया जाना है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिए हैं न्यायालय के आदेश के पारित होने के चार महीनों के अन्दर ऐसी अदालतों का गठन कर दिया जाना चाहिए। ऐसा आदेश अक्तूबर में पारित किया गया था और अब जुलाई का महीना है। अब तक केवल 16 अदालतों का गठन किया गया है। यदि इस मामले को इस तरह से लिया गया तो हमें भविष्य उज्जवल नहीं लगता और न आशावादी लगता है। अदालतें अभी तक केवल 4000 मामले ही निपटा पाई है जबकि दायर किए गये दावा संबंधी मामलों की संख्या 6 लाख से अधिक है।

यह केन्द्रीय सरकार की जिम्मेवारी है कि वह इस बात पर विचार करे कि ऐसे क्या कदम उठाए जाएं जिनसे इन मामलों को शीघ्रातिशीघ्र निपटाया जा सके। जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं कि प्रभावित लोगों विशेकर बड़ी उम्र के लोगों और बच्चों, सब की मृत्यु हो चुकी है तथा जो मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति थे वे वृद्धावस्था को प्राप्त हो रहे हैं। मैं उस चुनाव क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं। जब भी मैं वहां जाता हूं। उस क्षेत्र का दौरा

करता हूं वे लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या उन्हें अपने जीवन-काल में मुआवजा मिलेगा। जब मैं उनसे कहता हूं "आप लोग इतने निराश न होवें, इतने निराशावादी न बनें; सरकार आप लोगों को वित्तीय सहायता देने हेतु हर सम्भव प्रयास कर रही है; तो वे कहते हैं; " यह तो ठीक है लेकिन आप 1984 में हुई त्रासदी की ओर तो नजर डालें; अब 1992 आ गया है और अभी तक कुछ खास नहीं हो पाया है।

[अनुवाद]

आपसे हम किस प्रकार की उम्मीद कर सकते हैं? आप हमारे लिए कैसा भविष्य बना सकते हैं? यह बहुत चिन्ता की बात है। महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जोरदार शब्दों में अनुरोध करूंगा कि इस योजना में एक विशेष प्रावधान यह करें कि इन मामलों को निपटाने में कल्याण आयुक्त सिविलि प्रक्रिया संहिता में यथा-निर्धारित संक्षेपन-प्रक्रिया का अनुपालन करेंगे। ऐसा कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है।

मैं इस बात का पुरजोर अनुरोध करता हूं कि ये निर्देश, ये हिदायतें और परामर्श केन्द्र सरकार से ही आना चाहिये। जब तक ऐसा नहीं किया जाता, तब तक मुझे छः लाख मामलों का निपटान करने के अगले 20 वर्षों में भी कोई आसार दिखाई नहीं देते। इस अधिनियम के पारित करने से हमें कोई लाभ नहीं होगा और आप द्वारा उठाये जा रहे सभी कदमों का उद्देश्य पूर्णतयः विफल हो जायेगा। एक अथवा दो कार्य और किये जाने चाहिये थे तथा जोकि केन्द्र सरकार द्वारा तुरन्त किये जाने की जरूरत है। प्रथम कार्य बीमा-सुरक्षा प्रदान करने के बारे में है। मुझे वास्तव में ही हैरानी होती है कि यद्यपि यह एक सामान्य कार्यवाई है। उच्चतम न्यायालय के निदेशों के बावजूद भी यह कार्रवाई क्यों नही की गई है?

यह बीमा-सुरक्षा उन लोगों के लिए है, जिनपर विपत्ति के कोई चिन्ह नज़र नहीं आ रहे हैं। लेकिन लगभग आगामी तीन अथवा चार अथवा आठ वर्षों में उन्हें भी विपत्ति का सामना करना पड़ सकता है। मानव-शरीर पर इस एम० आई० सी० गैस का इस प्रकार का प्रभाव वस्तुतः अत्यन्त दुखदायी है। गैस रिसाव के समय जो महिला गर्भवती थीं; उनके विकृत बच्चे पैदा हुए हैं। आह, मैंने बहुत-से बच्चों को विकृत शरीर, बिना आंखों के तथा अंगहीन देखा है। जब मैं उन क्षेत्रों में गया, तो स्त्रियां अपने हाथों में बच्चे लिये अपनी झोपड़ियों से बाहर आईं और मुझे बताया, देखिये आपने यह किया है। सरकार ने ऐसा किया है। मुझे क्या राहत दी गई है?" यह वास्तविकता भी है कि उन्हें जिस सहायता की आवश्यकता थी, हम उन्हें दे पाने में सफल नहीं हुए हैं और उनकी आंखों से आंसू नहीं पोछ पाये हैं। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। दूसरी बात यह है कि सरकार ने अभी तक अस्पताल की स्थापना के लिये कोई कदम नहीं उठाया है। उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि यूनियन कार्बाइड को भोपाल में अस्पताल स्थापित करने हेतु 50 करोड़ रुपये की राशि अवश्य ही उपलब्ध करानी चाहिये, ताकि गैस से प्रभावित लोगों की उचित निगरानी हो सके और भविष्य में पीड़ित होने वाले लोगों की उचित देखभाल हो सके। मुझे भय है, इस तथ्य के बावजूद कि उच्चतम-न्यायालय के आदेश जारी होने के दो महीने के अन्दर-अन्दर राज्य सरकार ने अस्पताल के लिए जमीन उपलब्ध करवा दी है, उस को स्थापित करने के लिए आगे कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

अन्ततः, मामलों के अविलम्ब निपटान की आवश्यकता के बारे में न्यायालय द्वारा व्यक्त किये गये कुछ विचारों की ओर सभा का ध्यान आकृट करना अत्यन्त प्रासंगित है:

"जब हज़ारों बेगुनाह नागरिक भोजन और औषधियों की समुचित जीवनोपयोगी आवश्यकताओं बगैर निस्सहाय अवस्था में थे तथा जब उन्हें आने वाले प्रत्येक अगले दिन से मृत्यु की काली छाया का आभास होता रहता था एवं वे घोर व्यथा से गुजर रहे थे तो यह भावनाहीन दृष्टिकोण होगा कि हम ऐसी स्थिति में उनके लिए राहत के साधन अविलम्ब जुटाने की सम्भावनाओं को न तलाशना हृदयहीनता होती।

कानूनी-विलम्ब वास्तव में लोक प्रसिद्ध हैं। न्यायिक प्रक्रिया का यह दुर्भाग्यपूर्ण शाप रहा है कि सामान्य

मुकदमों में भी, जहां कुछेक दस्तावेजों और कुछेक गवाहियां के मौखिक साक्ष्य के आधार पर निर्णय किया जा सकता है कई वर्ष लग जाते हैं। यह कुट सत्य है कि घातक दुर्घटनाओं जैसे गम्भीर और अविलम्बनीय मामलों में आश्रितों द्वारा किये गये मुकदमों के संबंध में भी यही स्थिति है।"

परिस्थिति की इन वास्तविकताओं को नज़र-अदांज नहीं किया जाना चाहिये।

न्यायालयों ने आगे विचार व्यक्त किये हैः

"यह कहा जाता है कि यह धनी देशों की आर्थिक शक्तियों द्वारा विकासशील देशों पर बढ़ते आर्थिक शोषण से उभरे महत्वपूर्ण मुद्दों पर कानून को नयी दिशा देने के लिए शीर्षस्थ न्यायालय द्वारा अवसर को चूक जाने का उदाहरण है।"

जैसा कि आपने इससे पहले भी अवश्य ही सुना होगा कि यूनियन कार्बाइड की भोपाल में स्थापना उन सभी रक्षोपायों, सभी प्रकार की सावधानी उपायों के बिना की गई थी, जोकि अत्यधिक विषैली गैस, घातक गैस वाले इस प्रकार के कारखानें की स्थापना के समय किये जाने चाहिये थे।

कारखाना शहर के एकदम बीच में स्थित है। इस प्रकार के कई कारखानें अमरीका में भी हैं। अगर आप वहां जाये और देखें तो आप पायेंगे कि जैसा कि मैंने अखबारों में पढ़ा है, वहां उनके काम-काज, सुरक्षापाओं और सावधानियों के सम्बन्ध में अनेक प्रतिबन्ध लगे हुए हैं। जहां तक भोपाल के कारखाना का सम्बन्ध है, वहां इन सभी चीजों पर ध्यान नहीं दिया गया है। केन्द्र सरकार और यहां तक कि राज्य सरकार—दोनों से ही सम्बन्धित जिन लोगों ने लाइसेंस जारी किया, उन्होंने अपेक्षित सावधानी और गम्भीरता नहीं दर्शायी इन दिनों हम अनेक बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की इस देश में आने की बात सुन रहे हैं और हम खुले हाथों उन्हें आने का निमंत्रण दे रहे हैं लेकिन हमें इस बारे में सावधान रहना होगा कि भोपाल जैसी घटना की पुनरावृत्ति न हो। मैं उच्चतम न्यायालय द्वारा इस सम्बन्ध में दी गई चेतावनी उद्धृत करना चाहूंगाः

"ऐसा कहा जाता है कि सस्ते श्रम के कारण और रक्षित बाजार बनाने की संभावनाओं ने ही बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को इस प्रकार के आर्थिक शोषण करने के लिये विकासशील देशों में प्रवेश करने हेतु प्रेरित किया है और वर्तमान समय में अत्यधिक संगत मुद्दों के संदर्भ में कानूनी और संवैधानिक सुरक्षोपायो का सार्थक मूल्यांकन करने हेतु यह एक उपयुक्त मामाला है। लेकिन वर्त्तमान मामले में हजारों पीड़ितों को शीघ्र राहत देने की बाध्यता के कारण मेरी राय में इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को सुलझाये जाने तक प्रतीक्षा नहीं की जा सकती है, हालांकि इन्हें नियम समय में न्यायिक कार्यवाहियों से सुलझाया जा सकता है। हमने हजारों पीड़ित लोगों की यातना को ध्यान म रख कर उन्ह तत्काल राहत प्रदान करन हतु इस दिशा म निणय लिया ह।

हमें उच्चतम न्यायालय की प्रशंसा करनी चाहिये जिसने समझौते की डिगरी पास करने का साहसिक कार्य किया है। इसके कारण उसकी काफी आलोचना भी हुई। उच्चतम न्यायालय के भवन के समीप विरोध प्रदर्शन नारे-बाजी आदि जैसी चीजें भी हुई लेकिन उसने अपने फैसले पर अडिग रहकर पीड़ितों को राहत प्रदान की।

अन्त में मैं आपराधिक मामलों के बारे में कहना चाहूंगा। मैं इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा क्योंकि मैंने स्वयं ही छः वर्षों तक जिला मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य किया है, इसलिये मुझे आपराधिक मामले सम्बन्धी कानूनों की जानकारी है। सी० बी० आई० ने यूनियन कारबाईट के चेयरमैन, श्री वारेन एंडरसन के विरुद्ध मामला दायर कर दिया था। उस त्रासदी के बाद वहीं भोपाल आये थे। मैं समझ नहीं सका कि राज्य सरकार ने इस प्रकार बुद्धिमानी क्यों दिखाई और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और दो-तीन घंटे के बाद ही उन्हें छोड़ दिया गया। उन्हें दिल्ली पहुंचने के लिये एक सरकारी विमान मुहैया कराया गया। मैं नहीं समझता कि हजारों व्यक्तियों के कष्टों के लिये जिम्मेदार व्यक्ति के साथ इस प्रकार का बरताब किया जाना

उचित था। खैर, आगे सी० बी० आई० ने उसके विरुद्ध मुकदमें दायर किये। न्यायालय ने उसकी संपत्ति की कुर्की भी कर दी। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या इस सम्बन्ध में भारत और अमरीका के बीच कोई प्रत्यावर्तन संधि हुई है। जब तक इस प्रकार की कोई संधि नहीं हो जाती तब तक उस व्यक्ति को भारत लाकर उस पर न्यायालय में मुकदमा चलाना और सजा देना संभव नहीं होगा। मैंने इस सम्बन्ध में यहां मन्त्रालय से एक सन्दर्भ टिप्पणी मांगी थी और मुझे जो नोट प्राप्त हुआ उसमें कहा गया है कि अमरीका और भारत के बीच ऐसी कोई संधि नहीं हुई है। इसकी पुष्टि तो मंत्री महोदय करेंगे। 1932 में तत्कालीन अमरीका सरकार और तत्कालीन ब्रिटिश सरकार के बीच एक संधि हुई थी। भारत उस समय ब्रिटीश साम्राज्य के अधीन था। उस रूप में कहने के लिये तो हम कह सकते हैं कि हमारे देश और अमरीका के बीच एक संधि है। लेकिन व्यवहार में 1932 में की गई उस संधि पर हम निर्भर नहीं कर सकते हैं। यह भी एक मुद्दा है जिस पर संभवतः केन्द्र सरकार विचार करना चाहेगी।

आपने जो मुझे यह अवसर दिया है, उसके लिये मैं आपका आभारी हूं और मैं केन्द्र सरकार से फिर यह कहना चाहूंगा कि कि उन 36 वार्डों के लिये उपलब्ध कराई जाने वाली अतिरिक्त रकम के बारे में शीघ्र निर्णय करने के साथ-साथ उस अन्तरिम राहत को 56 वार्डों तक बढ़ाने पर भी विचार करे क्योंकि राहत को 36 वार्डों तक ही सीमित रखा गया है।

श्री दिग्विजय सिंह (राजगढ़): सभापति महोदय, मैं कल्याण आयुक्त को अधिकार देने वाले इस विधेयक का समर्थन करने हेतु खड़ा हुआ हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार द्वारा नियुक्त कल्याण आयुक्त अपनी योग्यतानुसार सभी दायित्वों का वहन करने में समक्ष है। हमें उनकी निर्णय क्षमता पर ही नहीं बल्कि उन की योग्यता पर भी विश्वास है।

लेकिन इसमें एक बात है। पेट्रोलियम मंत्रालय को भोपाल में इन दावों सम्बन्धी मुकदमों की सुनवाई पर निगरानी रखनी चाहिये। उस सम्बन्ध में एक कार्य-प्रणाली विकसित की जानी चाहिए जिससे कल्याण आयुक्त, सहायक कल्याण आयुक्तों एवं उनके संगठन द्वारा निपटाये जानेवाले सभी मामलों का साप्ताहिक या पाक्षिक आधार पर मूल्यांकन किया जाना चाहिए। साथ ही, समय-समय पर उनसे सम्पर्क कर यह पता लगाया जाना चाहिये कि किसी प्रकार की कानूनी समस्या तो उत्पन्न नहीं हो गई है। फिर उन समस्याओं को दूर किया जाना चाहिए।

दावों के मुकदमों के सम्बन्ध में भुगतान एवं उनके निर्णय में हो रहे विलम्ब के कारण पीड़ित लोगों का विश्वास डगमगा रहा है। वस्तुतः लोग मर रहे हैं लेकिन राज्य सरकार ने अपनी समझ से लगभग 100,000 लोगों को वैसे ही छोड़ दिया जिन्हें प्रति माह 200 रुपये अन्तरिम राहत के रूप में मुआवजा दिया जाना चाहिए।

जिन मंत्री महोदय को इन मामलों को निपटाने का कार्यभार सौंपा गया है उनका कहना है कि भारत सरकार ने उन्हें पर्याप्त राशि नहीं दी है, यही कारण है कि वे एक लाख अतिरिक्त लोगों को मुआवजा नहीं दे सके। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि मध्य प्रदेश सरकार का एक जिम्मेदार सदस्य ऐसी बात कहे। क्योंकि इसमें एक दूसरे की निन्दा करने या परस्पर दोषा रोपण करने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन यदि अन्य चार लाख लोगों को कुछ राहत दी जा सकती है और ये चार लाख लोग उन क्षेत्रों में रहते हैं जो दुर्घटना से बहुत कम प्रभावित हुए, जिन क्षेत्रों में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी तथा अन्य सभ्रान्त वर्ग के लोग रहते हैं और जब इन क्षेत्रों में रह रहे इन लोगों को 200 रुपए प्रतिमाह मुआवजा दिया जा रहा है तो क्या इन एक लाख लोगों को अन्तरिम राहत सहायता नहीं दी जा सकती? लेकिन मध्य प्रदेश राज्य सरकार के माननीय मंत्री जी का कहना है कि उनके पास इन एक लाख लोगों को, जो कि अत्यन्त गरीब हैं, जो यूनियन कार्बाइड के फैक्टरी परिसर के आसपास रह रहे हैं; देने के लिए पर्याप्त राशि नहीं थी। इसलिए इन लोगों को मुआवजा नहीं दिया गया।

इसका श्रेय तो हमारे स्वयंसेवी संगठनों को जाता है जो इस मामले को न्यायालय में ले गए। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह निदेश दिए जाने के बाद ही इन लोगों को मुआवजा देने संबंधी प्रक्रिया भी शुरू हुई है।

भा० ज० पा० ने अपना सही चरित्र दिखा दिया है। मध्य प्रदेश सरकार सदा 'धनी' लोगों की समर्थक और 'निर्धन' लोगों की विरोधी रही है। इसका एक उदाहरण यह है कि वहां सर्वसम्पन्न लोगों को तो 200 रुपया प्रतिमाह मुआवजा दिया जा रहा है जबकि दुर्घटना से सबसे अधिक प्रभावित गरीब लोगों को मुआवजे के दायरे से अलग कर दिया गया है।

अन्तरिम राहत के रूप में मुआवजे के भुगतान का निर्णय 1990 में श्री वी० पी० सिंह की सरकार द्वारा लिया गया था, उस समय राज्य सरकार के मुख्य मंत्री श्री सुन्दर लाल पटवा थे। इस प्रकार पहले अन्तरिम राहत भोपाल के लगभग सभी लोगों को दी गई। मुझे उस पर भी आपत्ति है। निसन्देह जितने अधिक लोगों को आप मुआवजे के दायरे में लाओगे उतने अधिक वास्तविक रूप से प्रभावित लोगों को मुआवजा कम मिलेगा। महोदय मुआवजा भुगतान की प्रक्रिया इतनी धीमी है कि गत चार महीनों में केवल 400—500 मामले ही निपटाए जा सके। यदि इन मामलों को निपटाने की यही गति रही तो इन्हें निपटाने में चार पांच वर्ष का समय और लग जाएगा।

इसकी प्रक्रिया इस प्रकार है कि सर्वप्रथम दावा करने वाले व्यक्ति को नोटीस जारी किया जाता है उसके बाद वह व्यक्ति सम्बन्धित कागज-पत्र प्रस्तुत करता है। तदउपरान्त इन कागजपत्रों की जांच की जाती है। वकीलों की मौज-बहार है। दावे और प्रतिदावे संबंधी प्रत्येक मामले के लिए वकील हैं। गरीब दावाकर्ता प्रभावित व्यक्ति अपने दावे के निर्णय की आशा बांधे रहता है। तर्क-वितर्क दिए जाते हैं। इस सब प्रक्रिया में काफी लम्बा समय लगता है।

अब इसके पश्चात चिकित्सा संबंधी वर्गीकरण की बात आती है। मैंने पहले भी यह मामला उठाया था। गैस त्रासदी का सबसे दुर्भाग्यपूर्ण हिस्सा यह है कि दावा करने का आधार अर्थात सही चिकित्सा संबंधी वर्गीकरण ऐसा पहलू था जिसकी राज्य सरकार ने उपेक्षा की, जिसके परिणाम स्वरूप आज राज्य सरकार दावा करने वाले कुल कम्पनियों में से केवल 60 प्रतिशत व्यक्तियों का चिकित्सा संबंधी वर्गीकरण कर पाई है। इनमें से 90 प्रतिशत से अधिक लोगों को बिना घायल हुए या मामूली सा घायल मान लिया गया। मेरी जानकारी में ऐसे कई मामले हैं जिनमें लोग वास्तव में प्रभावित हुए हैं लेकिन उनके पास ऐसे कोई साधन नहीं हैं या उनकी ऐसी कोई पहुंच नहीं है जिससे वे अपनी चिकित्सीय जांच करवा सकें और चिकित्सा संबंधी वर्गीकरण के सही दायरे में आ सकें। चिकित्सा संबंधी प्रमाण जारी करने और चिकित्सा संबंधी वर्गीकरण करने में भ्रष्टाचार होने लगा है जिससे इस प्रक्रिया में विश्वास नहीं रहा

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री दाऊ दयाल जोशी: सब आपके राज में हुआ है।

श्री दिग्विजय सिंह: हां आप तो दूध के धुले हुए हैं न।

[अनुवाद]

यदि आप सचमुच पीड़ितों की सहायता करना चाहते है तो चिकित्सा संबंधी वर्गीकरण का आधार इस तरह नहीं लिया जाना चाहिए। इसके लिए एक तरह की योजना तैयार की जानी चाहिए ताकि समूची प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके। इसका एक तरीका यह हो सकता है आप कुछ भी कहें, यद्यपि इस बारे में मेरी अपनी निजी राय है, लेकिन इसके व्यवहारिक पहलू को ध्यान में रखा जाना चाहिए। आज की स्थिति के अनुसार 36 वार्डों

के पीड़ितों का मामला लिया गया है। उन्हें 200 रुपया प्रतिमाह अन्तरिम राहत दिया गया है। इसके लिए सरकार द्वारा या कल्याण आयुक्त द्वारा एक व्यापक योजना बनाई जानी चाहिए ताकि उन व्यक्तियों को, जिन्हें अन्तरिम राहत मिली है, कम से कम एक समान राशि दी जा सके जिसे इनके बैंक खातों में जमा कर दिया जाए। महोदय यदि इस प्रकार की व्यवस्था हो जाती है तो अधिकांश लोग इस बात से सन्तुष्ट हो जाएंगे कि उन्हें कुछ मिला है। जो लोग सचमुच घायल हुए हैं, जो गम्भीर रूप से घायल हुए हैं, उनके मामलों को एक-एक करके निपटाया जाय और उनके लिए पर्याप्त मुआवजा निर्धारित किया जाए। लेकिन आज क्या हो रहा है? कई मामले निर्णयाधीन हैं। उन पर निर्णय लिया जाना है। और इसी वजह से वास्तविक रूप से पीड़ित लोगों की उपेक्षा हो रही है। इसलिए कल्याण आयुक्त को, राज्य सरकार को तथा भारत सरकार को इन परिवारों पर पूरा ध्यान देना चाहिए जो इस त्रासदी से अत्याधिक प्रभावित हुए हैं। महोदय तभी इस मामले में न्याय हो पाएगा।

महोदय जैसे कि मैंने पहले चर्चा की इस संबंध में कुछ मार्गनिर्देश बनाए गए हैं। मैं नहीं जानता कि उन्हें किस तरह बनाया गया। इनकी चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूं कि ये न केवल अपर्याप्त बल्कि ऐसा कहने में मैं लज्जित महसूस कर रहा हूं कि ये मार्गनिर्देश पैट्रोलियम मंत्रालय में भारत सरकार द्वारा ही बनाए गए। इन मार्गनिदेशों से पीड़ितों के समझ हमारे लिए एक उलझन पैदा हो गई है, इसलिए इनकी पुनरीक्षा होनी चाहिए। पुनरीक्षा ही नहीं बल्कि कल्याण आयुक्त को यह कहा जाये कि वे भारत सरकार द्वारा जारी किए मार्गनिर्देशों को अपना कर भ्रमित न हों। कल्याण आयुक्त और उसके सहयोगियों के अच्छे से अच्छे प्रयासों के बावजूद दावाकर्ताओं को न्याय पाने के लिए उच्च न्यायालयों की शरण में जाने से वंचित नहीं किया जाना चाहिए और न ही हमें इस बात पर अडिग रहना चाहिए कि हमें मुआवजे का भुगतान 1400 करोड़ रुपए तक ही सीमित रखना है। महत्वपूर्ण बात तो यह है कि पीड़ितों को पर्याप्त मुआवजा दिया जाए। यदि यह राशि यूनियन कार्बाइड द्वारा जमा की गई राशि से बढ़ जाती है तो या तो हमें इस मामले को पुनः उठाना होगा या भारत सरकार को इन पीड़ित लोगों के कल्याण संबंधी मामले को उठाने हेतु तैयार रहना चाहिए। यह सोचना कि चूंकि हमें इतनी अधिक धनराशि मिल चुकी है। इससे अधिक हम मुआवजा नहीं दे सकते—इस मामले में हमारा मार्गदर्शन इस प्रकार के सिद्धान्तों से नहीं होना चाहिए।

महोदय, राज्य सरकार—मैं इस सरकार पर आरोप नहीं लगा रहा हूं लेकिन जो सरकार पहले सत्ता में थी उसने सोचा कि इस धनराशि से वे आधारभूत सुविधाएं भी पैदा कर सकते हैं। मुझे राज्य सरकार की इस योजना से आश्चर्य हुआ जिसमें राज्य सरकार ने मुआवजा की राशि में से सड़कों, बस टर्मिनलों और यहां तक कि हवाई अड्डों के निर्माण तक लिए धन राशि उपलब्ध कराई। महोदय, हमें इस प्रकार की परियोजना या योजना को स्वीकार करने में बड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। बल्कि हमें इस तरह की परियोजना या योजना को स्वीकार ही नहीं करना चाहिए।

महोदय, मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं कि आज उत्तर प्रदेश राज्य सरकार शहरों का सौन्दर्यीकरण करने जैसे मामलों से वशीभूत है, चाहे गन्दी बस्तियों और ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति बदतर होती जाए।

जहां तक सौन्दर्यीकरण पर लागत का प्रश्न है वे 'स्ट्रीट जंक्शन' पर प्रतिमाएं स्थापित करने पर खुशी से लाखों रुपया खर्च कर रहे हैं। मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं होता यदि वे अपने संसाधनों से यह धनराशि खर्च करते। खैर मुझे भोपाल की सौन्दर्यीकरण योजनाओं की पूरी जानकारी नहीं है लेकिन फिर भी भारत सरकार को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा खर्च की गई धनराशि की जांच करनी चाहिए। भारत सरकार को राज्य सरकार के खातों की समीक्षा करनी चाहिए। इस प्रकार इसकी एक विशेष लेखा-परीक्षा की जानी चाहिए।

....(व्यवधान)

6.00 म०प०

भारत सरकार को राज्य सरकार द्वारा खर्च की गई धनराशि की जांच करनी चाहिए।

मैं अपना भाषण इस तथ्य के साथ समाप्त करता हूं कि देश में कई लोगों को, इस देश में और इस सभा में अधिकांश लोगों को इस गैस त्रासदी के एक अत्यन्त रोचक तथ्य की जानकारी नहीं है। आपको यह जानकार आश्चर्य होगा कि अत्यन्त प्रभावित क्षेत्र में मदिरा सेवन किए हुए लोग गैस से प्रभावित नहीं हुए अर्थात् जिन लोगों ने शराब पी थी वे गैस के परभाव से अछूते रहे।

मैं एक पेपर बोर्ड कम्पनी के गोरखा चौकीदार को जानता हूं। उसने सारी रात अपनी ड्यूटी दी। यह काफी शराब पिये हुए था और वह अपनी ड्यूटी पर भी तैनात रहा लेकिन वह गैस के प्रभाव से अछूता रहा।

इसलिए मिथाइल आइसो-सायोनेट गैस पीड़ितों पर शराब के प्रभाव का भी अध्ययन किया जाना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं। धन्यवाद

सभापति महोदयः सभा कल 21 जुलाई 1992 के 11 म०पू० तक के लिए स्थगित होती है।

6.01 म०प०

तत्पश्चात लोक सभा मंगलवार 21 जुलाई, 1992, 30 आषाढ़, 1914 (शक) के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

पी०एल०एस०-48 / 20.7.92 (एस०)

250—1993—DSKIII

© 1992 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों (सातवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और प्रबंधक भारत सरकार मुद्रणालय, फोटोलिथो यूनिट, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।